भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

(राजस्व क्षेत्र)

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2013 का प्रतिवेदन क्र. 5

अनुक्रमणिका

	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix-xii
भाग - क राजस्व		
पहला अध्याय : सामान्य		
कार्यपालिका सारांश		01
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	03
बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों में अंतर	1.2	06
कुल बकाया राजस्व एवं पाँच साल से अधिक बकाया राजस्व का विश्लेषण	1.3	07
कर अपवंचन	1.4	08
प्रतिदाय	1.5	09
लेखा परीक्षा के प्रति विभागों/शासन की प्रतिक्रिया	1.6	09
लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का अनुपालन	1.7	10
विभागीय लेखा परीक्षा समिति बैठके	1.8	10
प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया	1.9	11
लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुसरण -सारांश स्थिति	1.10	11
लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गए विषयों पर कार्यवाही करने हेतु प्रक्रिया का विश्लेषण करना	1.11	12
लेखा परीक्षा का प्रभाव	1.12	16
लेखापरीक्षा से प्रेरित होकर किए गये संशोधन	1.13	18
दूसरा अध्याय : वाणिज्यिक कर		
कार्यपालिका सारांश		19
कर प्रशासन	2.1	21
विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर से प्राप्तियों की प्रवृत्ति	2.2	21
बकाया राजस्व का विश्लेषण	2.3	22

प्रत्येक कर निर्धारिती पर वेट का संग्रहण	2.4	23
कर निर्धारण हेतु बकाया	2.5	23
संग्रहण की लागत	2.6	23
संग्रहण का विश्लेषण	2.7	24
आंतरिक लेखापरीक्षा	2.8	24
लेखापरीक्षा के प्रभाव	2.9	25
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	2.10	27
गलत/अधिक आगत कर प्रदाय करना	2.11	28
मूल्य संबंधित कर का कम/अनारोपण	2.12	30
'सी' फार्म के अनाधिकृत उपयोग पर शास्ति का अनारोपण	2.13	33
विस्फोटक पर प्रवेश कर का अनारोपण	2.14	34
अनुसूची III के मालों पर प्रवेश कर का अनारोपण	2.15	35
अतिरिक्त निष्क्रिय अल्कोहल पर प्रवेश कर का अनारोपण	2.16	36
प्रवेश कर का अनारोपण	2.17	37
प्रवेश कर की गलत छूट प्रदाय करना	2.18	39
मोबाइल हैंडसेट पर प्रवेश कर का अनारोपण	2.19	41
तीसरा अध्याय : मुद्रांक एवं पंजीयन फीस		
कार्यपालिका सारांश		43
लेखापरीक्षा का प्रभाव	3.1	45
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का आरोपण एवं संग्रहण	3.2	46
चौथा अध्याय : भू - राजस्व		
कार्यपालिका सारांश		81
कर प्रशासन	4.1	83
भू-राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	4.2	83
बकाया राजस्व का विश्लेषण	4.3	84
आंतरिक लेखापरीक्षा	4.4	84
लेखापरीक्षा का प्रभाव	4.5	85

लेखापरीक्षा टिप्पणी	4.6	87
प्रक्रिया व्यय की कम वसूली	4.7	87
पाँचवां अध्याय : वाहनों पर कर		
कार्यपालिका सारांश		89
कर प्रशासन	5.1	91
बजट तैयारियों का विश्लेषण	5.2	91
वाहनों पर कर से प्राप्त राजस्व रूझान	5.3	91
बकाया राजस्व का विश्लेषण	5.4	92
आंतरिक लेखापरीक्षा	5.5	92
संग्रहण की लागत	5.6	93
लेखापरीक्षा का प्रभाव	5.7	93
लेखापरीक्षा टिप्पणी	5.8	95
शासकीय राजस्व का गबन	5.9	95
व्यवसायियों से व्यापार फीस की कम/अवसूली	5.10	96
यात्री यान एवं मालयान के स्वामियों से कर की अवसूली	5.11	97
छठवाँ अध्याय : राज्य आबकारी		
कार्यपालिका सारांश		99
कर प्रशासन	6.1	101
राज्य आबकारी राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	6.2	101
बकाया राजस्व का विश्लेषण	6.3	102
संग्रहण की लागत	6.4	102
आंतरिक लेखापरीक्षा	6.5	102
लेखापरीक्षा का प्रभाव	6.6	103
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	6.7	105
आरक्षित मुल्य का गलत निर्धारण	6.8	105
देशी मदिरा की न्यूनतम मात्रा का गलत निर्धारण	6.9	106
विदेशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का गलत निर्धारण	6.10	108

सातवाँ अध्याय : अन्य कर - भिन्न प्राप्तियाँ		
अनुछेद - अ : अलौह एवं धातुकर्म खनन उद्योग		
कार्यपालिका सारांश		109
कर प्रशासन	7.1	111
अलौह एवं धातुकर्म उद्योगों से राजस्व का योगदान	7.2	111
राजस्व का विश्लेषण	7.3	112
आंतरिक लेखापरीक्षा	7.4	113
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.5	113
लेखापरीक्षा टिप्पणी	7.6	115
राज्यांश की कम वसूली	7.7	116
अनिवार्य भाटक एवं ब्याज की अवसूली	7.8	117
अनुछेद - खः वानिकी एवं वन्यजीव (राजस्व)		
कार्यपालिका सारांश		119
कर प्रशासन	7.9	121
वानिकी एवं वन्य जीवन से राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	7.10	122
बकाया राजस्व का विश्लेषण	7.11	122
आंतरिक लेखापरीक्षा	7.12	123
लेखापरीक्षा का प्रभाव	7.13	123
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	7.14	124
बांस एवं बल्ली के लागत की वसूली ना होना	7.15	125
आठवाँ अध्याय : वानिकी एवं वन्य जीवन (व्यय)		
कार्यपालिका सारांश		127
प्रस्तावना	8.1	129
वन विभाग में व्यय की प्रवृत्ति	8.2	129
लेखापरीक्षा का प्रभाव	8.3	129
छत्तीसगढ़ राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा)- एक समीक्षा	8.4	132
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	8.5	172

वृक्षारोपण पर निष्फल व्यय	8.6	172
पुनःउत्पादन कार्य में परिहार्य व्यय	8.7	174
बिगड़े वनों के सुधार में परिहार्य व्यय	8.8	175
आपदा राहत मद से अस्वीकृत कार्यों पर अनियमित व्यय	8.9	176
परिशिष्ट		179

प्राक्कथन

31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अधीन राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन का भाग 'क' वाणिज्यिक कर/मूल्य संवर्धित कर, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, भू-राजस्व, वाहनों पर कर एवं शुल्क, राज्य आबकारी एवं अन्य कर भिन्न प्राप्तियों के लेखा परीक्षा परिणाम को दर्शाता है।

प्रतिवेदन का भाग 'ख' में छत्तीसगढ़ राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के लेखापरीक्षा प्रेक्षण उल्लेखित किया गया है, जिसमें कैम्पा की प्राप्तियाँ, वन भूमि का व्यपवर्तन एवं राज्य कैम्पा से हुए व्यय के लेखापरीक्षा परिणम को दर्शाया है। हमने वन विभाग के अनियमित, अपरिहार्य एवं निष्फल व्यय को भी वर्णित किया है।

प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से है जो वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच के समय ध्यान में आए, साथ ही वे जो पूर्ववर्ती अवधि में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में एक समीक्षा सहित 20 कंडिकायें जिसमें अवनिर्धारण, कर के कम आरोपण/अनारोपण इत्यादि जिसमें राशि ₹ 92.85 करोड़ सन्निहित है जो **'भाग-क'** में उल्लेखित है एवं एक समीक्षा सहित पाँच कंडिकायें जिसमें वन विभाग में गलत दर लगाना, मांग नहीं करना, अनियमित/टालने योग्य व्यय इत्यादि जिसमें राशि ₹ 149.22 करोड़ सन्निहित है जो **'भाग-ख'** में उल्लेखित है। कुछ प्रमुख प्रेक्षण नीचे वर्णित है :

I. सामान्य

गत वर्ष के ₹ 14,770.73 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य शासन की कुल प्राप्तियाँ ₹ 17,650.16 करोड़ रहीं। इसमें से 60 प्रतिशत राशि कर राजस्व (₹ 13,034.21 करोड़) और कर भिन्न राजस्व (₹ 4,615.95 करोड़) द्वारा राज्य को प्राप्त हुई। शेष 40 प्रतिशत राशि भारत शासन के विभाज्य संघीय करों में राज्यांश (₹ 7,217.60 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 4,710.33 करोड़) से प्राप्त हुई।

(कंडिका 1.1)

जून 2013 के अंत में, दिसम्बर 2012 तक जारी, 2,549 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 9,943 लेखापरीक्षा प्रेक्षण जिनमें ₹ 5,930.53 लंबित रही ।

(कंडिका 1.6.1)

वर्ष 2012-13 के दौरान वाणिज्यिक कर, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, भू-राजस्व, वाहनों पर कर, राज्य आबकारी, विद्युत पर कर एवं शुल्क एवं कर भिन्न राजस्व आदि के प्राप्तियों की 115 इकईयों की नमूना जाँच में ₹ 1,334.05 करोड़ अवनिर्धारण/कम आरोपण राजस्व की हानि के 6,407 प्रकरण पाये गये। वर्ष 2012-13 के दौरान सम्बन्धित विभागों द्वारा 4,713 प्रकरणों में, जिसमें ₹ 181.55 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। वर्ष के दौरान इसमें से विभाग द्वारा ₹ 95.53 लाख की वसूली की गई

(कंडिका 1.12.3)

II. वाणिज्यिक कर

कर निर्धारण अधिकारियों ने ₹ 1.34 करोड़ का गलत/अधिक आगत कर प्रदान किया।

(कंडिका 2.11)

कर निर्धारण अधिकारियों के द्वारा गलत कर की दर आरोपित करने से ₹ 3.06 करोड़ का मूल्य संवर्धित कर का कम/अनारोपण शास्ति सहित हुआ।

(कंडिका 2.12)

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 'सी' फार्म के अनाधिकृत उपयोग पर शास्ति आरोपण में असफल होने से शास्ति ₹ 1.19 करोड़ का अनारोपण हुआ।

(कंडिका 2.13)

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त निष्क्रिय अल्कोहल के अनियमित छूट प्रदाय किये जाने से प्रवेश कर ₹ 32.47 लाख का अनारोपण हुआ।

(कंडिका 2.16)

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुसूची की प्रविष्टि का सत्यापन एवं उसके अनुरूप करारोपण करने में असफल रहने से प्रवेश कर ₹ 38.89 लाख का अनारोपण हुआ।

(कंडिका 2.19)

III. मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क

लोक कार्यालयों के साथ समन्वय की कमी से ₹ 67.63 करोड़ के मुद्रांक शुल्क व जनपद शुल्क की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 3.2.12)

उद्योगों को गलत छुट प्रमाण पत्र जारी किये जाने से मुद्रांक शुल्क ₹ 4.65 करोड़ का अनारोपण हुआ।

(कंडिका 3.2.13)

उप पंजीयकों के द्वारा लिखितों में वर्णित विवरण के आधार पर वर्गीकरण न करने से मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस ₹ 1.17 करोड़ का अनारोपण हुआ।

(कंडिका 3.2.22)

उप पंजीयको द्वारा महिला निष्पादकों को मुद्रांक शुल्क में अनियमित कमी दिए जाने से मुद्रांक शुल्क ₹ 22.49 लाख की कम वसूली हुई।

(कंडिका 3.2.23)

उप पंजीयकों द्वारा परिवर्तित भूमि के बाजार मूल्य का सही निर्धारण न करने से मुद्रांक शुल्क व पंजीयन फीस ₹ 40.56 लाख का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 3.2.26)

उप पंजीयको द्वारा छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में वर्णित दरों के अनुरूप बाजार मूल्य का निर्धारण न करने से मुद्रांक शुल्क व पंजीयन फीस ₹ 1.02 करोड़ की कम वसूली हुई।

(कंडिका 3.2.27)

कंपनियों के समामेलन पर जनपद शुल्क ₹ 2.30 करोड़ का अनारोपण हुआ साथ ही अन्य राज्य में जमा की गई ₹ 1.83 करोड़ के मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं की गई।

(कंडिका 3.2.31)

IV. भू - राजस्व

कलेक्टर द्वारा प्रक्रिया शुल्क की वसूली न करने से ₹ 16.76 लाख का कम आरोपण।

(कंडिका 4.7)

V. वाहनों पर कर

डिमाण्ड ड्राफ्टों के प्रेषण, वसूली एवं समाशोधन से सम्बधित कोई उचित व्यवस्था क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर द्वारा न अपनाये जाने के फलस्वरूप शासकीय राजस्व ₹ 1.31 लाख का गबन हुआ।

(कंडिका 5.9)

छः परिवहन कार्योलयों में व्यापार फीस ₹ 1.60 करोड़ का अनारोपण/कम आरोपण था।

(कंडिका 5.10)

डिफाल्टर वाहन स्वामियों को टैक्स की वसूली हेतु नोटिस जारी न करने के फलस्वरूप सात परिवहन कार्यालयों में ₹ 1.73 करोड़ का कर वसूल नहीं किया जा सका।

(कंडिका 5.11)

VI. राज्य आबकारी

सहायक आयुक्त व कलेक्टर द्वारा पूर्व वर्ष के वास्तविक खपत को आबकारी आयुक्त के निर्देशों के बावजूद ध्यान में नहीं रखने से न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का गलत निर्धारण करने के फलस्वरूप ₹ 52.89 लाख की अनुज्ञा शुल्क आरोपित नहीं की गई।

(कंडिका 6.9)

VII. अन्य कर - भिन्न प्राप्तियाँ

खनिज विभाग के उप संचालक द्वारा रॉयल्टी की कम दर अपनाने से ₹ 13.06 लाख कम आरोपित की गई।

(कंडिका 7.7)

VIII. वानिकी एवं वन्य जीवन (व्यय)

राज्य मे क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध होने के बावजूद गैर वनभूमि अनुपलब्धता के प्रमाणपत्र दिये गये तथा बिगड़े वन क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य किया गया।

(कंडिका 8.4.8)

एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम 835.616 हेक्टेयर वन भूमि का, सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने के सात वर्ष बीत जाने के बाद भी बिना भारत सरकार से लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्राप्त किये खनन हेतु उपयोग करता रहा।

(कंडिका 8.4.9.1)

राज्य शासन ने वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए 77.500 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग इको टूरिज्म केन्द्र के विकास में किया।

(कंडिका 8.4.9.2)

दरों के गलत प्रयोग, मार्गदर्शिका/स्वीकृति आदेश की शर्तों का पालन न किये जाने एवं मांग जारी न किये जाने से राशि ₹ 89.56 करोड़ की क्षतिपूर्ति वनीकरण की लागत, शुद्ध प्रत्याशा मूल्य आदि का अनारोपण/कम वसूली हुई।

(कंडिका 8.4.11 एवं 8.4.12)

अयोग्य क्षेत्रों, सघन वनों एवं पूर्व में रोपित किये जा चुके क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य किये जाने से ₹ 2.57 करोड़ का अधिक/निष्फल/संदेहास्पद व्यय हुआ।

(कंडिका 8.4.15 एवं 8.4.17)

छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा ने मार्गदर्शिका एवं भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत वाहनों के क्रय, अधोसंरचना निर्माण एवं इको टूरिज्म गतिविधियों पर ₹ 12.31 करोड़ का अनधिकृत व्यय किया।

(कंडिका 8.4.18)

कैम्पा मद के अंतर्गत विशेष प्रजाति रोपण योजना में विगत वर्षो में रोपण होने के बावजूद क्षेत्र का चयन किये जाने, गलत प्रजातियों का चयन किये जाने तथा उच्चतर दरों पर भुगतान किये जाने से ₹ 1.07 करोड़ का अनियमित/ संदेहास्पद/अधिक व्यय हुआ।

(कंडिका 8.4.19)

छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा मद द्वारा जंगल सफारी के अंतर्गत स्वीकृत कार्यो के अतिरिक्त अन्य कार्य किये जाने से ₹ 2.40 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ एवं साथ ही मुरूम संग्रहण पर ₹ 40.20 लाख का अधिक व्यय तथा वोइड्स का कटौत्रा न किये जाने से ₹ 14.72 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 8.4.23)

कार्यपालिक सारांश

इस अध्याय में हमने क्या रेखांकित किया है।

इस अध्याय में राज्य शासन द्वारा ली गई राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति, बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों में अंतर, लेखापरीक्षा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया, विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठकों की स्थिति, पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन, लेखापरीक्ष द्वारा उठाए गए विषयों पर शासन/विभागों द्वारा कार्यवाही करने की प्रक्रिया, निरीक्षण प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं की स्थिति, परिवहन विभाग के विभिन्न लेखा परीक्षाओं में दिए गए सुझाव पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही एवं लेखापरीक्षा के प्रभाव को प्रस्तुत किया गया है।

राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

छत्तीसगढ़ राज्य शासन की प्राप्तियों में कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है।

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व ₹ 17,650.16 करोड़ कुल राजस्व प्राप्तियों का 60 प्रतिशत था। शेष 40 प्रतिशत प्राप्तियों की राशि ₹ 11,927.93 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल कंडिकाओं का अनुपालन न होना

दिसम्बर 2012 तक जारी 2549 निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल 9,943 कंडिकाएँ राशि ₹ 5,930.53 करोड़ जून 2013 तक अनुपालन के अभाव में लंबित थे।

निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के भीतर प्रथम उत्तर प्राप्त होना आवश्यक था परन्तु मार्च 2013 तक 83 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर विभाग प्रमुखों से प्राप्त (30 जून 2013) नहीं हुए, उत्तरों के प्राप्त नहीं होने से निरीक्षण प्रतिवेदन की अधिक लंबित संख्या इस तथ्य को दर्शित करती है कि कार्यालय/विभाग प्रमुख निरीक्षण प्रतिवेदन में महालेखाकार द्वारा इंगित त्रुटियों, लोप और अनियमितताओं को सुधारने में असफल रहें।

पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए राशि की कम वसूली

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किए गए प्रकरण में विभागों द्वारा ₹ 2,048.57 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की गई जिसमें मार्च 2013 तक मात्र ₹ 300.20 करोड़ (14.65 प्रतिशत) की राशि वसूल की गई।

विभागीय लेखा परीक्षा समिति बैठकें

वर्ष 2012-13 में हमने पाया कि तीन विभागों द्वारा आठ[1] विभागीय लेखा परीक्षा समिति बैठकें की गई जिसमें राशि ₹ 30.34 करोड़ के 252 कंडिकाएँ निर्णित की गई जबकि अन्य विभागों द्वारा विभागीय लेखा परीक्षा समिति बैठकों के लिए कोई पहल नहीं की गई।

अतः यह अनुशंसा की जाती है कि शासन सामयिक रूप से सभी विभागों का विभागीय लेखा परीक्षा समिति बैठक आयोजन करना सुनिश्चित करें ताकि लंबित कंडिकाओं को शीघ्र एवं प्रभावी रूप से निराकरण किया जा सके ।

लेखापरीक्षा से प्रेरित होकर किए गए संशोधन

लेखापरीक्षा से प्रेरित होकर विभाग/शासन ने नियमों में अधिसूचना/परिपत्र द्वारा बदलाव किए। भौमिकी एवं खनन विभाग द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की गणना हेतु संशोधित खनन प्लान को विचार में नहीं लिया जा रहा था। लेखापरीक्षा द्वारा रेखांकित किए जाने पर संबंधित विभाग ने नियमों में आवश्यक संशोधन किए गये।

हमारा निष्कर्ष

वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान ₹ 1,334.05 करोड़ की वित्तीय प्रभाव से संबंधित लेखा परीक्षा प्रेक्षण जारी किए गए। शासन/विभागों द्वारा ₹ 181.55 करोड़ के प्रेक्षण स्वीकार किए। यह सिफारिश की जाती है कि शासन स्वीकृत मामलों की राशि शीघ्र वसूल करने के लिए प्रयास करे।

पाँच वर्ष से अधिक अवधि के लिए बकाया राजस्व राशि कुल लंबित राशि का 47 प्रतिशत से अधिक था। राज्य सरकार जल्द से जल्द लंबित राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करे।

शासन द्वारा लेखा परीक्षा प्रेक्षणों के प्रति उत्तर में प्रभावी प्रक्रिया लागू करने के लिए शीघ्र एवं उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए एवं उन अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करें जिन्होने निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं का जवाब तय समय सीमा पर नहीं भेजा और समयबद्ध तरीके से हानि/बकाया राजस्व को वसूल करने हेतु कार्यवाही करने में विफल रहे है।

विभाग को चाहिए कि कम से कम स्वीकृत मामलों में राशि को वसूलने हेतु उचित कदम उठाए। यह भी सुनिश्चित करें कि आंतरिक नियंत्रण प्रणली की उन्नत्ति कर प्रणाली की कमजोरियों का व्याख्यान करें ताकि हमारे द्वारा दर्शाए गये लोपों को भविष्य में टाला जा सकें।

[1] पंजीयन एक, वाणिज्यिक कर दो एवं भौमिकी एवं खनन विभाग द्वारा पाँच लेखापरीक्षा समिति बैठकें आयोजित की गई।

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2012-13 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित कर तथा कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य निवल आगम संधीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश एवं सहायता अनुदान एवं इससे संबंधित विगत चार वर्ष के आँकड़े नीचे वर्णित हैः

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	**राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व**					
	• कर राजस्व	6,593.72	7,123.25	9,005.14	10,712.25	13,034.21
	• कर भिन्न राजस्व	2,202.21	3,043.00	3,835.32	4,058.48	4,615.95
	योग	**8,795.93**	**10,166.25**	**12,840.46**	**14,770.73**	**17,650.16**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य निवल आगम संधीय करों एवं शुल्को का राज्यांश	4,257.91	4,380.66	5,425.19	6,320.44	7,217.60[2]
	• सहायता अनुदान	2,608.92	3,606.74	4,453.89	4,776.21	4,710.33
	योग	**6,866.83**	**7,987.40**	**9,879.08**	**11,096.65**	**11,927.93**
3.	**राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**15,662.76**	**18,153.65**	**22,719.54**	**25,867.38**	**29,578.09**
4.	**1 से 3 का प्रतिशत**	**56**	**56**	**57**	**57**	**60**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व कुल राजस्व का 60 प्रतिशत रहा। वर्ष 2012-13 के दौरान शेष राजस्व 40 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

[2] विवरण के लिय कृपया छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखा वर्ष 2012-13 (कर राजस्व) तालिका 11 राजस्व का लधु शीर्षवार लेखा देखें। मुख्य शीर्ष 0020- कॉरपोरेशन कर, 0021- आय कर कापॉरेशन कर को छोड़कर, 0032- संपत्ति कर, 0037- सीमा शुल्क, 0038- संध उत्पाद शुल्क एवं 0044- सेवा कर के अंतर्गत लधु शीर्ष 901- राज्यों को समानुदेशित निवल आगमों का हिस्सा के दर्ज राशि कर-राजसव के अंतर्गत दिखाए गए है, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर, विभाज्य संघीय करों में राज्यांश में सम्मिलित किया गया।

1.1.2 वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान संग्रहित कर राजस्व के विवरण नीचे तालिका में वर्णित हैः

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011-12 की तुलना में 2012-13 आधिक्य (+) या कमी (-) का प्रतिशत
1.	• वाणिज्यिक कर	2,946.78	3,031.16	4,094.96	4,886.25	6,072.77	24.28
	• केन्द्रीय विक्रय कर	664.16	681.00	745.83	1,120.00	855.88	(-) 23.58
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	964.10	1,187.72	1,506.44	1,596.98	2,485.68	55.65
3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	495.59	583.13	785.85	845.82	952.47	12.61
4.	विद्युत पर कर और शुल्क	415.10	416.91	502.53	637.97	860.75	34.92
5.	वाहनो पर कर	313.78	351.88	427.52	502.18	591.75	17.84
6.	माल और यात्रियों पर कर	420.71	696.10	675.14	825.67	954.31	15.58
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर होटल प्राप्ति कर सहित व्यवसाय, वृत्ति, व्यवसाय एवं रोजगार पर कर	7.68	8.81	8.82	11.07	6.84	(-) 38.21
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	6.33	6.86	10.68	15.75	19.65	24.76
9.	भू-राजस्व	359.49	159.68	247.37	270.56	234.11	(-) 13.47
योग		**6,593.72**	**7,123.25**	**9,005.14**	**10,712.25**	**13,034.21**	**21.68**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

संबंधित विभागों द्वारा प्राप्तियों में अंतर का कारण नीचे वर्णित हैः

वाणिज्यिक कर : वृद्धि (24.28 प्रतिशत) व्यापारियों को बेहतर सुविधा एवं विशिष्ट निगरानी के कारण हुई।

मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क : वृद्धि (12.61 प्रतिशत) बाजार मूल्य में वृद्धि एवं ₹ 28 करोड़ सरगुजा जिले से पट्टे नामों से प्राप्त हुई।

विद्युत पर कर और शुल्क : वृद्धि (34.92 प्रतिशत) पिछली वर्ष की विद्युत शुल्क एवं उपकर की प्राप्ति से हुई।

वाहनों पर कर : वृद्धि (17.84 प्रतिशत) नए वाहनों की पंजीकरण में वृद्धि के कारण हुई।

भू-राजस्व : कमि(13.47 प्रतिशत) नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भू-राजस्व का संग्रहण न होना एवं कुछ क्षेत्र सूखा ग्रस्त होने से हुई।

अन्य विभागों से अनुरोध किए जाने के बावजूद भी अंतर के कारणों को सूचित नहीं किया गया।

1.1.3 वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक राज्य द्वारा संग्रहित कर-भिन्न राजस्व के विवरण नीचे तालिका में वर्णित हैः

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011-12 की तुलना में 2012-13 आधिक्य (+) या कमी (-) का प्रतिशत
1.	अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग	1,243.24	1,660.87	2,470.44	2,744.82	3,138.18	14.33
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	322.29	345.85	305.17	341.64	363.96	6.53
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	237.40	220.70	170.95	216.57	243.13	12.26
4.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	126.04	105.37	222.00	336.49	357.23	6.16
5.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	135.17	537.82	602.01	325.05	370.44	13.96
6.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	1.67	35.67	10.26	21.11	17.09	(-) 19.04
7.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	11.49	13.03	15.97	16.36	20.34	24.33
8.	पुलिस	8.22	6.69	18.22	19.41	19.39	(-) 0.10
9.	लोक निर्माण	13.59	14.61	15.74	15.81	28.02	77.23
10.	विविध सामान्य सेवाएँ	95.58	96.97	(-) 0.84	0.74	47.63	6336.49
11.	सहकारिता	7.52	5.42	5.40	20.48	10.54	(-) 48.54
योग		**2,202.21**	**3,043.00**	**3,835.32**	**4,058.48**	**4,615.95**	**13.74**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें)

संबंधित विभागों द्वारा प्राप्तियों में अंतर का कारण नीचे वर्णित हैः

अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग : वृद्धि (14.33 प्रतिशत) कोयले की रायल्टि में 10 मई 2012 से वृद्धि के कारण हुई।

वानिकी एवं वन्य जीवन : वृद्धि (6.53 प्रतिशत) बिक्री मूल्य एवं पैदावार में वृद्धि के कारण हुई। अन्य प्राप्ति जैसे लाईसेंस फीस, टी.पी.फीस इत्यादि में भी वृद्धि हुई।

लोक निर्माणः वृद्धि (77.23 प्रतिशत) नए कार्य के लिए ठेके दिए जाने एवं नए पुलों पर पथ कर की वसूली से हुई।

वृहद एवं मध्यम सिंचाई : वृद्धि (6.16 प्रतिशत) कर की दर में वृद्धि एवं राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के अलावा पहले से शत प्रतिशत जल कर वसूल होने से हुई।

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों में अंतर

वर्ष 2012-13 में कर एवं कर भिन्न राजस्व के प्रमुख शीर्ष के संबंध में बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के मध्य अंतर नीचे वर्णित है :

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	अंतर अधिक (+) या कमी (-)	अन्तर प्रतिशत
क. कर राजस्व					
1.	विक्रय, व्यापार पर कर इत्यादि	7,310.20	6,928.65	(-) 381.55	(-) 5.22
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2,200.00	2,485.68	285.68	12.99
3.	विद्युत पर कर एवं अन्य शुल्क	780.00	860.74	80.74	10.35
4.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	950.00	952.47	2.47	0.26
5.	माल एवं यात्रियों पर कर	950.00	954.31	4.31	0.45
6.	वाहनों पर कर	605.71	591.75	(-) 13.96	(-) 2.30
7.	भू-राजस्व	346.00	234.11	(-) 111.89	(-) 32.34
8.	आय एवं व्यय पर अन्य कर व्यवसाय, वृत्ति, व्यवसाय एवं रोजगार पर कर	1.12	2.72	1.60	142.86
9.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	15.50	19.65	4.15	26.77
10.	होटल शुल्क प्राप्तियाँ कर	2.65	4.12	1.47	55.47
ख. कर भिन्न राजस्व					
1.	अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग	3,105.00	3,138.18	33.18	1.07
2.	वानिकी एवं वन्य जीव	405.00	363.96	(-) 41.04	(-) 10.13
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	321.94	243.13	(-) 78.81	(-) 24.48
4.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	391.46	357.23	(-) 34.23	(-) 8.74
5.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	12.25	17.09	4.84	39.51
6.	विविध सामान्य सेवाएँ	18.56	20.34	1.78	9.59
7.	पुलिस	14.00	19.39	5.39	38.50
8.	लोक निर्माण	12.40	28.02	15.62	125.96
9.	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	6.50	5.01	(-) 1.49	(-) 22.92
10.	जेल-अन्य प्राप्तियाँ	3.96	3.37	(-) 0.59	(-) 14.90

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियो के आंकड़ों में (-) 32.34 से 142.86 प्रतिशत अंतर रहा।

संबंधित विभागों द्वारा दिये गए अंतर का कारण नीचे वर्णित है :

वाणिज्यिक करः कमि (5.22 प्रतिशत) धान, लौह अयस्क, लकड़ी, रेल पटरी पर जड़ी जाने वाली लकड़ी की धरन एवं पान मसालों से पिछले वर्ष के मुकाबले कम राजस्व प्राप्त होने से हुई।

अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योगः वृद्धि (1.07 प्रतिशत) कोयले के रायल्टि में 10 मई 2012 से वृद्धि के कारण हुई।

लोक निर्माणः वृद्धि (109.84 प्रतिशत) नये कार्य हेतु ठेके दिए जाने से हुई।

अन्य विभागों से अनुरोध किए जाने के बावजूद भी अंतर के कारणों को सूचित नहीं किया गया (नवम्बर 2013)

अतः राज्य शासन को यह अनुशंसा की जाती है कि बजट अनुमान तैयार करते समय वास्तविक आंकड़ों को ध्यान में रखे क्योंकि अनुमान एवं वास्तव में काफी अंतर पाया गया।

1.3 कुल बकाया राजस्व एवं पाँच साल से अधिक बकाया राजस्व का विश्लेषण

विभागों[3] द्वारा कुछ प्रमुख राजस्व शीर्ष में 31 मार्च 2013 तक बकाया राजस्व ₹1,256.64 करोड़ सूचित किया गया जिसमें से ₹ 600.09 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित था, नीचे वर्णित है :

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 तक बकाया राशि	31 मार्च 2013 तक पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि	टिप्पणी
1.	विक्रय, व्यापार पर कर आदि	556.08	551.67	न्यायालयीन आदेश द्वारा जारी स्थगन के कारण, व्यवसाय बंद होने के कारण, राज्य के बाहर प्रेषित आर. आर. सी. वसूली/ अवसूली योग्य राशि होने से बकाया पाँच सालों से अधिक रहा। मांग पत्र, वारंट, कुर्की अधिपत्र जारी किया गया। कुर्क सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही की गई। बैंक अकाउंट फारफिट किया गया। सरल समाधान योजना लागू कर बकाया राशि वसूल की गई।
2.	वाहनों पर कर	14.99	0.41	₹ 1.13 करोड़ न्यायालय के स्थगनादेश के फलस्वरूप वसूली हेतु स्थगित है। उक्त बकाया राशि में वर्ष 1991 के पूर्व के मार्ग कर एवं यात्री कर की राशि शामिल है एवं वाहन अधिक पुराना होने के कारण कण्डम हो गये है।

[3] भू - राजस्व विभाग को छोड़कर।

				अप्रैल 2013 से जुलाई 2013 तक ₹ 2.47 करोड़ की वसूली की गई। बकाया वाहनों की सूची तैयार कर वसूली के निर्देश दिये गये है।
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	31.04	23.59	बकाया राजस्व वसूली की कार्यवाही भू - राजस्व संहिता के अंतर्गत की जा रही है।
4	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	12.36	1.40	जिला पंजीयकों द्वारा मांग पत्र जारी कर वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	631.76	20.38	वसूली हेतु भरसक प्रयास जारी है।
6	अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग	1.45	1.36	बकाया वसूली हेतु खनि अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर वसूली के निर्देश दिये गये। साथ ही समीक्षा बैठक के दौरान सचिव, छ.ग. शासन खनिज साधन विभाग द्वारा निर्देश दिये गये कि पुरानी बकाया राशि को राईट ऑफ करने शासन को प्रस्ताव भेजा जाए।
7	वानिकी एवं वन्य जीव	8.96	1.28	विभाग द्वारा समय समय पर अधीनस्थ कार्यालयों को बकाया राशि के वसूली के संबंध में लेख किया जाता है।
योग		**1,256.64**	**600.09**	

(स्रोतः विभागो द्वारा प्रदाय किए गये अनुसार)

उपरोक्त तालिका इंगित करता है कि पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि, कुल बकाया राशि का 47 प्रतिशत था।

राज्य शासन को यह अनुशंसा की जाती है कि बकाया राशियों की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करें।

1.4 कर अपवंचन

वर्ष 2012-13 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर अपवंचन के खोजे गए प्रकरणों, अंतिम रूप से निराकृत किए गए प्रकरणों एवं विभागों द्वारा यथा सूचित अतिरिक्त कर माँगों के विवरण नीचे वर्णित है :

स. क्र.	विभाग का नाम	31 मार्च 2012 तक लंबित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2012-13 के दौरान के प्रकरण	कुल	ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/अन्वेषण कर अतिरिक्त मांग शास्ति आदि सम्मिलित कर समुत्थापित की गई		31 मार्च 2013 तक लंबित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि *(₹ करोड़ में)*	
1.	वाणिज्यिक कर	108	64	172	57	125.81	115

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त आकड़ें)

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा 31 मार्च 2013 की स्थिति में कुल प्रकरणों में से केवल 33.14 प्रतिशत प्रकरण का निराकरण किया गया।

सभी 57 प्रकरण जो वर्ष 2012-13 में निराकृत किए गये, वे वर्ष 2012-13 के पहले के प्रकरण थे।

1.5 प्रतिदाय

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सूचित किए गए अनुसार वर्ष 2012-13 के प्रारंभ में लंबित प्रतिदाय प्रकरण, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रतिदायों और वर्ष 2012-13 के अंत में लंबित प्रकरणो की संख्या नीचे वर्णित है :

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	प्रारम्भिक शेष		प्राप्त प्रकरण		अनुमत्य प्रतिदाय		अंत शेष	
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
वाणिज्यिक कर	132	2.95	1,034	578.26	858	531.91	308	49.30

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त आकड़ें)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि 74 प्रतिशत प्रकरणों में प्रतिदाय स्वीकार किए गए।

1.6 लेखा परीक्षा के प्रति विभागों/शासन की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ के द्वारा शासन के विभागों के लेन देन की नमूना जाँच का सामयिक निरीक्षण कर यह सत्यापित करना की महत्वपूर्ण लेखों और अन्य अभिलेखों का संधारण निर्धारित नियमों और विधि के अनुसर किया जा रहा है। इन निरीक्षणों के अनुसरण में जाँच के दौरान पायी गयी अनियमित्ताएँ जिनका स्थल पर निराकरण नहीं किया जा सका, को निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर विभागाध्यक्ष को जारी करते है तथा उसकी प्रति उच्च अधिकारियों को शीघ्र सुधार कार्य करने के भेजा जाता है। कार्यालय प्रमुख/शासन द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित आपत्तियों पर अनुपालन किया जाना अपेक्षित है, लोप और त्रुटियों को सुधार कर प्रारम्भिक उत्तर के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को निरीक्षण प्रतिवेदन के जारी किए जाने के दिनांक से एक माह के भीतर देना होता है। गंभीर वित्तीय अनियमित्ताएँ विभाग के प्रमुख और शासन को प्रतिवेदित किया जाता है।

1.6.1 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षण

दिसम्बर 2012 तक जारी 2,549 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 9,943 कंडिकाओं में ₹ 5,930.53 करोड़ की राशि जून 2013 को लंबित थी जो पिछले दो वर्षो के आंकड़ों के साथ नीचे दर्शित है।

विवरण	जून 2011	जून 2012	जून 2013
निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,094	2,185	2,549
लंबित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	7,874	8,428	9,943
सन्निहित राजस्व राशि *(₹ करोड़ में)*	3,429.36	4,495.26	5,930.53

30 जून 2013 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षा प्रेक्षण एवं उसमें सन्निहित राजस्व का विभागवार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

स. क्र.	विभाग का नाम	वसूली की प्रकृति	लंबित नि. प्रति. की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1.	वित्त	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	391	2,470	362.03
		मनोरंजन कर	70	97	2.06
2.	मुद्रांक एवं पंजीयन	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	200	490	28.62
3.	राजस्व	भू - राजस्व	540	1,624	414.02
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	129	940	124.02
5.	उत्पाद	राज्य उत्पाद	122	346	336.67
6.	भौमिकी एवं खनन	अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	133	456	815.28
7.	वन	प्राप्तियाँ	307	935	1,033.32
		व्यय	356	1,481	518.91
8.	ऊर्जा	विद्युत पर कर एवं शुल्क	13	62	1,644.41
9.	अन्य कर विभाग	अन्य कर प्राप्तियाँ	288	1,042	651.19
योग			**2,549**	**9,943**	**5,930.53**

1.7 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का अनुपालन

निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के भीतर प्रथम उत्तर प्राप्त होना आवश्यक है परन्तु मार्च 2013 तक 83 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर विभाग प्रमुखों से प्राप्त नहीं हुए। निरीक्षण प्रतिवेदन की अधिक लंबित संख्या इस तथ्य को दर्शित करती है कि कार्यालय/विभाग प्रमुख निरीक्षण प्रतिवेदन में महालेखाकार द्वारा इंगित त्रुटियों, लोप और अनियमित्ताओं को सुधारने में पहल नहीं किये।

हम अनुशंसा करते है कि शासन प्रभावकारी प्रक्रिया की संस्थापना करने हेतु जरूरी कदम उठाए जिससे लेखा परीक्षा आपत्तियों पर उचित कार्यवाही हो।

1.8 विभागीय लेखा परीक्षा समिति बैठकें

शासन द्वारा लेखा परीक्षा समिति की स्थापना (विभिन्न समय के दौरान) निरीक्षण प्रतिवेदन और निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति की समीक्षा एवं निगरानी और प्रगति को त्वरित करने के लिए की गई। वर्ष 2012-13 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का विवरण तथा निराकृत कंडिकाओं का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

राजस्व शीर्ष	बैठकों की संख्या	निराकृत कंडिकाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	1	176	1.92
वाणिज्यिक कर	2	48	22.50
अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग	5	28	5.92
योग	**8**	**252**	**30.34**

ऊपर वर्णित ब्यौरे के आधार पर यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 के दौरान पंजीयन विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग एवं खनिज विभाग द्वारा क्रमशः एक, दो एवं पाँच बैठक आहुत की गयी जिसमें 252 कंडिकाएँ (जिसमें ₹ 30.34 करोड़ सम्मिलित है) निराकृत की गयी।

यह सिफारिश की जाती है कि शासन लंबित कंडिकाओं के प्रभावी एवं त्वरित निराकरण के लिए सभी विभागों द्वारा सामयिक विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठको का आयोजन सुनिश्चित करें।

1.9 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

सभी विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित होने वाले प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर छः सप्ताह के भीतर देना होता है। प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए महालेखाकार द्वारा विभागों को भेजे गए प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर को संबंधित विभागों के सचिवों को अर्धशासकीय पत्र प्रेषित कर छः सप्ताह के अंदर उनका जवाब भेजने के लिए कहा गया था। शासन से उत्तर अप्राप्ति के संबंध में इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की संबंधित कंडिका के अंत में इंगित किया गया है।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित 64 प्रारूप कंडिकाऐं (जो 27 कंडिकाओं में एकत्रिक है) संबंधित विभागों के सचिवों को अप्रैल 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य भेजा गया। विभागों द्वारा 10 कंडिकाओं के 15 प्रकरणों की आपत्ति स्वीकार की गयी। शेष कंडिकाओं पर विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं भेजा गया या स्वीकार नहीं किया गया (नवम्बर 2013)।

1.10 लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुसरण - सारांश स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर प्रस्तुत होने के तिथि से तीन माह के अंदर प्रतिवेदन के सभी कंड़िकाओं के व्याख्यात्मक उत्तर (विभागीय टिप्पणी) सभी विभागों को लेखा परीक्षा के मत के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिवालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

मार्च 2013 की स्थिति में भू-राजस्व एवं जल संसाधन विभाग ने वर्ष 2004-05 एवं 2010-11 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल दो एवं एक कंडिका के संबंध में विभागीय टिप्पणी निम्न विवरण के अनुसार 8 से 81 माह के विलंब के बावजूद लेखा परीक्षा के मतांकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था जैसा कि तालिका में नीचे वर्णित है :

स. क्र.	विभाग	प्रतिवेदन का वर्ष	विधान सभा को प्रस्तुत करने का दिनांक	अंतिम दिनांक जबसे विभागीय टिप्पणी देय थी	कंडिकाओं की संख्या जिनकी विभागीय टिप्पणी देय थी	मार्च 2013 के अंत तक महिनों में विलंब
1	भू - राजस्व	2004-05	23.03.2006	23.06.2006	1	81
		2010-11	03.04.2012	03.07.2012	1	8
2	जल संसाधन	2010-11	03.04.2012	03.07.2012	1	8

कार्यपालिका के दायित्व को सुनिश्चित करने हेतु लोक लेखा समिति/(लो.ले.स.) ने समय सीमा निर्धारित की है, जिसके अंतर्गत की गई कार्यवाही की टीप अनुशंसा सहित संबंधित को प्रेषित किया जाता है। लो. ले. स. ने वर्ष 1998-99 से 2009-10 तक की अवधि के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के 82 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा की, तथा 44 कंडिकाओं पर अपनी अनुशंसा दी। परन्तु संबंधित विभाग द्वारा निम्न विवरण के अनुसार 16 अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही की टीप अपेक्षित थी, जैसा कि तालिका में निचे वर्णित है :

वर्ष	विभाग का नाम						कुल
	राज्य उत्पाद	ऊर्जा	पंजीयन	परिवहन	वाणिज्यिक कर	भौमिकी एवं खनिकर्म	
1998-99	-	-	-	-	-	1	1
1999-00	1	1	-	-	-	-	2
2000-01	-	-	1	1	-	-	2
2001-02	1	-	-	-	-	-	1
2002-03	-	-	-	-	3	-	3
2003-04	-	-	-	1	-	1	2
2004-05	-	-	-	1	-	2	3
2005-06	-	-	-	-	-	1	1
2007-08	-	1	-	-	-	-	1
कुल	**2**	**2**	**1**	**3**	**3**	**5**	**16**

1.11 लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गए विषयो पर कार्यवाही करने हेतु प्रक्रिया का विश्लेषण

क्रमवार अनुच्छेद 1.11.1 और 1.11.12 में परिवहन विभाग की प्रगति के बारे में चर्चा की जा रही है जिसमे वर्ष 2003-04 से 2012-13 में ऐसे प्रकरण जो स्थानीय लेखा परीक्षा के दौरान पाये गये। साथ ही साथ ऐसे प्रकरण भी है, जो वर्ष 2002-03 से 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लिए गए है।

1.11.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले 10 वर्षो के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांश स्थिति इन प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाएँ और 31 मार्च 2013 के अनुसार उनकी स्थिति तालिका में नीचे दी गई है:

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान जोड़े गए			वर्ष के दौरान निराकृत प्रकरण			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹ करोड़ में)	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹ करोड़ में)	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹ करोड़ में)	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹ करोड़ में)
2003-04	63	547	143.87	6	35	2.60	4	75	103.59	65	507	42.88
2004-05	65	507	42.88	1	6	1.03	0	0	0.00	66	513	43.91
2005-06	66	513	43.91	8	64	6.73	0	0	0.00	74	577	50.64
2006-07	74	577	50.64	3	25	3.68	0	2	1.97	77	600	52.34
2007-08	77	600	52.34	9	49	14.18	0	7	0.31	86	642	66.21
2008-09	86	642	66.21	13	70	11.11	0	3	0.17	99	709	77.15
2009-10	99	709	77.15	5	26	5.58	2	11	1.80	102	724	80.93
2010-11	102	724	80.93	14	104	14.98	1	58	2.15	115	770	93.76
2011-12	115	770	93.76	8	97	21.73	0	1	0.32	123	866	115.17
2012-13	123	866	115.17	7	87	9.55	0	1	0.10	130	952	124.62

यह सिफारिश की जाती है कि विभाग/शासन राजस्व हित में लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु उचित एवं सामयिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1.11.2 निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाए गए विषयों पर शासन/विभाग द्वारा दिए गए आश्वासन

1.11.2.1 स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

पिछले 10 वर्षों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गई कंडिकाएँ जो परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए तथा जिनसे राशि वसूल की गई है, विवरण नीचे तालिका में वर्णित हैः

(₹ लाख में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	शामिल की गई कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की कुल राशि	स्वीकृत कंडिकाओं की राशि	स्वीकृत प्रकरणों में वसूली की संची स्थिति
2002-03	2	84.14	7.02	7.02
2003-04	1	101.00	12.43	12.43
2004-05	2	349.68	39.39	39.39
2005-06	1	211.00	211.00	निरंक
2006-07	1	127.00	127.00	30.53
2007-08	2	669.00	358.00	104.97
2008-09	2	335.92	37.44	37.44
2009-10	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2010-11	2	20.23	7.73	7.73
2011-12	5	1,789.27	869.81	49.22
योग	**18**	**3,687.24**	**1,669.82**	**288.73**

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2002-03 से 2011-12 तक की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ₹16.70 करोड़ विभाग द्वारा स्वीकृत की गई, जिसके विरूद्ध मात्र ₹ 2.89 करोड़ (17.29 प्रतिशत) ही वसूल की गई।

स्वीकृत प्रकरणों की वसूली हेतु विभाग में मौजूदा यान्त्रिकी प्रणाली के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने सूचित किया कि सभी स्वीकृत मामलों में व्यापारियों को वसूली हेतु मांग पत्र जारी कर दिया गया है। यदि राशि 30 दिनों की अनुमत्य समय के भीतर जमा नहीं किए तो आर.आर.सी जारी कर वसूली की जाती है। तथापि वास्तविकता यह है कि स्वीकृत प्रकरणों में विभाग द्वारा पिछले 10 वर्षो के दौरान मात्र 17.29 प्रतिशत राशि वसूल की गई।

चूँकि स्वीकृत मामलों में विभाग द्वारा की गई प्रगति बहुत कम है, हम अनुशंसा करते है कि विभाग शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए।

1.11.2.2 विभाग/शासन द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा किए गए प्रारूप समीक्षा को संबंधित विभाग/शासन को उनसे उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ प्रेषित किया जाता है। इन निष्पादन लेखापरीक्षा पर बर्हिगमन सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया जाता है एवं विभागो/शासन के मंतव्यों को प्रतिवेदनों में समाहित किया जाता है।

नीचे दिये गए कंडिकाओं में **परिवहन विभाग** की समीक्षा में उठाए गए विषय जो पिछले दस लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए, साथ ही विभाग द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही जो उसके और शासन द्वारा स्वीकृत की गई थी वर्णित है :

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	स्वीकृत अनुशसाओं का विवरण	अद्यतन स्थिति
2009-10	मोटर वाहनों पर करो का आरोपण एवं संग्रहण	8	1) बकाया राजस्व को समय बद्ध रूप से वसूल करने हेतु निर्देश जारी करे।	बकाया राजस्व की समयबद्ध तरीके से वसूली हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किए गये है।
			2) नमूना जांच में लेखा परीक्षा द्वारा पाये गये गबन, दुर्विनियोजन, हेरा फेरी आदि प्रकरणों को दृष्टिगन रखकर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, रोकड़ बही का संधारण करने ओर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, रोकड़ बही का संधारण करने और आंतरिक लेखा परीक्षा को सुदृढ़ करने हेतु तुरंत प्रभावी कार्यवाही करें।	लेखापरीक्षा की अनुशंसानुसार सभी कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा की जावेगी। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त द्वारा कोषालय/बैंक से प्राप्त चालान की दूसरी प्रति से वैधता जाँचने हेतु सभी क्षे.प.अ, अ.क्षे.प.अ एवं जिला प.अ. को निर्देश जारी किए गये है।
			3) स्लीपर कोच बसों के दर निर्धारित कर भविष्य की राजस्व हानि से बचने हेतु उन्हे अधिसूचित करें।	प्रधान सचिव, परिवहन द्वारा लोक लेखा समिति में कहा गया कि स्लीपर बसों की कर की दरों संबंध में विधान सभा के अगले सत्र में बिल प्रस्तुत

				किया जावेगा।
			4) राजस्व की हानि रोकने हेतु व्यापारियों से फार्म-19 प्राप्त करना सुनिश्चित करें।	फरवरी 2011 से ट्रेड टैक्स स्मार्ट कार्ड के अनुसार भुगातान करना आवश्यक कर दिया गया है, जैसा की फार्म-19 में आवश्यकता है।
			5) लोक सुरक्षा हेतु देय वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने बाबत शासन आवश्यक कार्यवाही करें।	विभाग के निर्देशानुसार फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते समय सक्ति बरती जा रही है। कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। लोक लेखा समिति की बैठक में प्रधान सचिव द्वारा आश्वासन दिया गया कि कोई भी वाहन बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़क पर नहीं चलेगी।
			6) राजस्व के मद्देनजर यान अधिक समय तक निष्प्रयोग मे न रहे इस हेतु अधिनियम के प्रावधानों का कडाई से पालन करें।	संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गये है।
			7) वर्तमान में जुड रहे विभिन्न व्हील बेस को ध्यान में रखकर यात्री वाहनों की बैठक क्षमता पुनरीक्षीत करने हेतु शासन विचार करें।	अधि. क्र. 3651/टेक/परि/2012 दिनांक 6 जुलाई, 2012 द्वारा व्हील बेंस की श्रेणियाँ तीन से बढ़ाकर नौ कर दिये गये ताकि पंजीयन अधिकारी द्वारा सही बैठक क्षमता करारोपण के लिए निर्धारित की जा सके।
			8) दोषी वाहन मालिको से बकाया कर की वसूली हेतु मांग पत्र प्रणाली में सुधार किया जावें।	वाहन मालिकों से ₹ 39.79 लाख की वसूली की जा चुकी है।
2010-11	परिवहन विभाग का कम्प्यूटरीकरण	6	1) व्यापार निरतरन्ता योजना को परिभाषित करने के लिए सुरक्षा एवं बैक अप योजना को गठित करना।	विभाग ने कहा कि आवश्यकता को देखते हुए स्मार्ट कार्ड योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के अनुसार एन.आई.सी. द्वारा आपदा सुधार योजना बनाई गई है। वाहन एवं सारथी साफ्टवेयर को राज्य की पंजी में दर्ज कर एन.आई.सी. द्वारा डाटा को सुधार कर लिया जाता है।
			2) योजना में कमियों को विहित करना एवं उन्हे प्रोग्राम में शामिल करना।	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके है कि अभिलेखों के अनुसार सुधार कर लिया जावे।
			3) इनपुट और वैध नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाया जाय	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके है

			जिससे गलत और अपूर्ण डाटा सिस्टम में दर्ज नहीं किया जा सके।	कि अभिलेखों के अनुसार सुधार कर लिया जावे।
			4) पर्याप्त भौतिक एवं तार्किक अभिगम नियंत्रण को सुनिश्चित करना ताकि डाटा की सुरक्षा एवं संरक्षा से समझौता न हो सकें।	28.05.2012 को स्मार्ट कार्ड योजना लागू किया गया। स्मार्ट कार्ड बनाने हेतु मुख्य प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है जो भारत सरकार से एन.आई.सी. प्रमाणित है। यह प्रणालि अनाधिकृत उपयोग को रोकता है।
			5) प्रणाली के प्रभावी पर्यवेक्षण और नियंत्रण सुनिश्चित करें।	प्रणाली की निगरानी हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए गये है।
			6) विभागीय कर्मचारियों को सिस्टम प्रबंधन और डाटा के संचालन हेतु प्रशिक्षित करना।	नियमित डाटा एन्ट्री ऑप्रेटरों को सभी कार्यालयों में पदस्थ कर उन्हे प्रशिक्षण दिया गया ताकि साफ्टवेयर में सुचारू रूप से कार्य कर सकें।

1.12 लेखापरीक्षा का प्रभाव

1.12.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12):

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में अवनिर्धारण, करो का अनारोपण/कम आरोपण, राजस्व की हानि, माँग सृजित करने में विफलता इत्यादि के ₹ 2,591.57 करोड़ के प्रकरण इंगित किए गए। विभागों द्वारा ₹ 2,048.57 करोड़ (वाणिज्यिक करः ₹ 60.96 करोड़, मुद्रांक शुल्कः ₹ 1.87 करोड़, राज्य उत्पादः ₹ 11.63 करोड़, परिवहनः ₹ 18.99 करोड़, भू-राजस्वः ₹ 2.78 करोड़, उत्खननः ₹ 124.68 करोड़, वन (राजस्व): ₹ 10.73 करोड़, वन (व्यय): ₹ 36 लाख, विद्युतः ₹ 1,216.06 करोड़ एवं अन्य ₹ 600.51करोड़) की लेखा परीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की, जिसमें मार्च 2013 तक मात्र ₹300.20 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल राशि	स्वीकृत राशि	मार्च 2013 तक वसूल की गई राशि
1.	2007-08	92.87	52.88	6.66
2.	2008-09	486.08	446.33	127.35
3.	2009-10	99.21	20.84	12.59
4.	2010-11[4]	344.50	129.39	76.98
5.	2011-12	1,568.91	1,399.13	76.62
योग		**2,591.57**	**2,048.57**	**300.20**

[4] वर्ष 2010-11 के दौरान दो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिवेदन क्र. 1 एवं 4) राजस्व क्षेत्र से प्रकाशित किए गए।

ऊपर वर्णित तालिका से यह देखा जा सकता है कि स्वीकृत राशि में से पिछले पाँच वर्षो मे विभागों द्वारा केवल 14.65 प्रतिशत की वसूली की गई।

यह सिफारिश की जाती है कि कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में राजस्व की त्वरित वसूली के लिए शासन द्वारा उचित कदम उठाए जाए।

1.12.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12):

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान हमारे द्वारा वाणिज्यिक कर, पंजीयन, भू-राजस्व, परिवहन, राज्य उत्पाद, खनिज एवं वन विभागों के 505 इकाईयों का लेखा परिक्षण किया गय। हमारे निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा हमने 47,620 प्रकरण जिनमें ₹ 1,140.79 करोड़ सन्हित है इंगित किए। विभागों द्वारा ₹ 362.55 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की गई, जिसमें मार्च 2013 तक 735 प्रकरणों में ₹ 41.49 करोड़ वसूल किए गये जो नीचे तालिका में वर्णित है :

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकृत राशि		वसूल की गई राशि	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2007-08	91	6,747	132.91	5,665	96.15	67	0.54
2008-09	105	7,466	136.85	4,120	60.32	19	1.01
2009-10	108	7,437	188.79	5,421	56.54	538	14.06
2010-11	105	7,289	185.88	4,335	43.30	83	3.55
2011-12	96	18,681	496.36	5,701	106.24	28	22.33
योग	**505**	**47,620**	**1,140.79**	**25,242**	**362.55**	**735**	**41.49**

1.12.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालन की स्थिति(2012-13):

वर्ष 2011-12 के दौरान वाणिज्यिक कर, मुद्रांक एवं पजीयन शुल्क, भू-राजस्व, वाहनों पर कर, राज्य उत्पादन, विद्युत पर कर एवं शुल्क एवं अन्य कर प्राप्तियों/व्यय के 115 ईकाइयों[5] के अभिलेखों की नमूना जाँच किया गया और 6,407 मामलों में सम्मिलित ₹ 1,334.05 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि का अवलोकन किया। वर्ष

5

स. क्र.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की संख्या		प्रकरणों की संख्या	राशि	स्वीकृत प्रकरण	स्वीकृत राशि	प्रकरणों की संख्या	वसूल की गई राशि
1.	वाणिज्यिक कर	15		210	14.27	14	1.00	4	0.16
2.	पंजीयन	38		193	81.13	73	0.53	निरंक	निरंक
3.	भू - राजस्व	20		3,475	15.01	3,216	6.83	निरंक	निरंक
4.	परिवहन	6		1,255	9.14	861	4.93	निरंक	निरंक
5.	उत्पाद	9		700	20.02	364	4.55	निरंक	निरंक
6.	विद्युत	4		63	949.56	41	72.07	2	72.07
7.	खनन एवं उत्खनन	4		204	8.39	133	6.75	2	0.07
8.	वानिकी एवं वन्य जीवन	18	प्राप्तियाँ	142	16.48	4	0.50	निरंक	निरंक
			व्यय	155	219.92	1	84.38	1	23.23
9.	अन्य	1		10	0.13	6	0.01	निरंक	निरंक
योग		**115**		**6,407**	**1334.05**	**4,713**	**181.55**	**9**	**95.53**

के दौरान संबंधित विभागों ने 4,713 मामलों में सम्मिलित राशि ₹ 181.55 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया। इनमें से विभागों ने ₹ 95.53 करोड़ की वसूली की।

1.12.4 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में एक समीक्षा **(मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का आरोपण एवं संग्रहण)** सहित 20 कंडिकायें जिसमें अवनिर्धारण, कर के कम आरोपण/अनारोपण इत्यादि जिसमें राशि ₹ 92.81 करोड़ सन्निहित है जो '**भाग–क**' में उल्लेखित है एवं एक समीक्षा **(छत्तीसगढ़ राज्य क्षतिपूर्ति वर्गीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण)** सहित पाँच कंडिकायें जिसमें वन विभाग में गलत दर लगाना, योग नहीं करना, अनियमित/टालने योग्य व्यय इत्यादि जिसमें राशि ₹ 149.22 करोड़ सन्निहित है जो '**भाग–ख**' में उल्लेखित है। कुछ प्रमुख प्रेक्षण नीचे वर्णित है। शासन ने ₹ 158.94 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की जिसमें से ₹ 19.64 करोड़ की वसूली की गई। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए। इनकी चर्चा अनुवर्ती अध्याय दो से आठ में की गई है।

1.13 लेखापरीक्षा से प्रेरित होकर किए गये संशोधन

लेखापरीक्षा से प्रेरित होकर विभाग/शासन द्वारा नियमों में किए गये संशोधन जो इस प्रतिवेदन में सम्मिलित है नीचे वर्णित है :

स. क्र.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए प्रेक्षण	अधिसूचना/परिपत्र क्र.	किया गया बदलाव	कंडिका क्र.
1.	भौमिकी एवं खनिज	छ.ग. गौण खनिज नियमावली, 1996 में खनन योजना में संशोधन होने पर मुद्रांक एवं पंजीयन फीस के आरोपण हेतु कोई प्रावधान नहीं।	एफ-7-1/2004/12, दिनांक 24 नवम्बर 2011	अधिसूचना के अनुसार खनन योजना में उत्पादन की अनुमानित मात्रा में परिवर्तन/संशोधन होने पर, मुद्रांक शुल्क के अंतर की राशि के भुगतान हेतु पट्टेदार से एक शपथ पत्र लिया जाएगा।	3.3.2 वर्ष 2010-11 का प्रतिवेदन (वर्ष 2012 का प्रतिवेदन क्र 4)

कार्यपालिक सारांश

हमने इस अध्याय में जो मुख्यांकित किया	इस अध्याय में हमने ₹ 7.48 करोड़ के उल्लेखित प्रकरण प्रस्तुत किए है जो हमारे द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अभिलेखों के नमुना जाँच में पाए गए प्रेक्षणों से लिए गए है जो आगत कर का गलत/अधिक प्रदाय किया जाना, मूल्य संवर्धित कर का अव/अनारोपण, 'सी' फार्म का अनाधिकृत उपयोग पर शास्ति का अनारोपण, प्रवेश कर का अव/अनारोपण इत्यादि से संबंधित थे।
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	राज्य की कर प्राप्तियों में से विक्रय कर की प्राप्ति का योगदान गत पाँच वर्षो में 52 से 56 प्रतिशत के मध्य रहा। वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्ति बजट अनुमान की तुलना में 5.22 प्रतिशत कम था। जिसका कारण विभाग द्वारा धान, लौह-अयस्क, स्पंज आयरन, लकड़ी, स्लीपर और पान मसाला की प्रांतीय बिक्री एवं डीजल, सीमेंट, लौह अयस्क, एल्यूमिनियम, खाद, लकड़ी, साबुन इत्यादि की केन्द्रीय बिक्री में कमी बताया गया था।
आंतरिक लेखापरीक्षा	आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन नहीं करने के कारण विभाग द्वारा वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए कोई भी इकाई का योजना नही बनाई गई थी।
लेखापरीक्षा का प्रभाव	हमने वर्ष 2012-13 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग के 15 इकाइयों का अभिलेखों के नमूना जाँच की और कर का अव/अनारोपण, छुट/कटौती का अनुचित प्रदाय करना, गलत कर की दर का अनुप्रयोग, करयोग्य आवर्त्त का गलत निर्धारण और अन्य अनियमितताऐं के ₹ 14.27 करोड़ के 210 प्रकरणों में पाये। वर्ष के दौरान विभाग ने ₹ 1 करोड़ के 14 प्रेक्षणों को स्वीकार किया और चार प्रकरणों में ₹ 15.74 लाख वसूल किया था।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को चाहिए कि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन करें और नियमित रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा करें जिससे कि हमारे द्वारा इंगित की गई त्रुटियों की प्रवृत्ति को भविष्य में बचा जा सके। हमारे द्वारा इंगित आगत कर का गलत /अधिक प्रदाय करना, मूल्य संवर्धित कर का अव/अनारोपण,

	'सी' फार्म का अनाधिकृत उपयोग पर शास्ति का अनारोपण, प्रवेश कर का अव/अनारोपण इत्यादि और अधिकतर उन प्रकरणों में जहाँ हमारे मत को स्वीकार किया गया है, त्वरित कार्यवाही हेतु पहल की आवश्यकता है।

2.1 कर प्रशासन

राज्य में व्यवसायियों के प्रकरणों के निर्धारण द्वारा विक्रय कर, मूल्य संवर्धित कर (मू.सं.क.), केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.), प्रवेश कर (प्र.क), वृति कर (वृ.क.) एवं विलासिता कर (वि.क) के करारोपण एवं संग्रहण हेतु छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर विभाग उत्तरदायी है। वाणिज्यिक कर विभाग राज्य के लिए राजस्व के अधिकतम भाग का योगदान करता है। विभाग निम्नलिखित अधिनियमों एवं उनके अधीन बने नियमों को लागु करता है।

- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (छ.ग. मू.सं. क);
- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (के.वि.क.अधिनियम);
- छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 (छ.ग.प्र.क.अधिनियम);
- छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (छ.ग.व.क.अधिनियम);
- छत्तीसगढ़ वृति कर अधिनियम, 1995 और
- छत्तीसगढ़ विलासिता कर अधिनियम, 1988;

वाणिज्यिक कर विभाग (वा.क.वि) वित्त विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण में होता है और आयुक्त, वाणिज्यिक कर इसका प्रमुख होता है। उसको अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए चार अपर आयुक्त, (अ.आ) 12 उपायुक्त (उ.आ), 26 सहायक आयुक्त (स.आ), 69 वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ) और 168 वाणिज्यिक कर निरीक्षक (वा.क.नि.) सहायता करते है।

2.2 विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर से प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान विक्रय व्यापार इत्यादि[1] पर कर की वास्तविक प्राप्तियों सहित कुल कर प्राप्तियाँ निम्न तालिका में प्रदर्शित हैः

[1] मुख्य शीर्ष 0040-विक्रय, व्यापार आदि पर कर (101-केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्ति,याँ 102-राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ, 103-मोटर स्पिरट और स्नेहको की बिक्री पर कर, 104-बिक्री कर पर अधिभार, 105-अपरिष्कृत तेल की बिक्री पर कर, 106-गन्ने की खरीद पर कर, 107-आवर्त्त कर की प्राप्तियाँ, 108-अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत किसी प्रयोजन के लिए माल का उपयोग करने के अधिकारों के अन्तरण पर कर, "109-निर्माण कार्य करार अधिनियम, 1985" के निष्पादन में सम्मिलित सम्पतियों के अन्तरण पर कर, 111-मूल्य संवर्धित कर, 800-अन्य प्राप्तियाँ।)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अंतर (+)अधिक्य / कमियाँ (-)	अंतर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2008-09	3,470.00	3,610.94	(+) 140.94	4.06	6,593.72	54.76
2009-10	3,447.12	3,712.16	(+) 265.04	7.69	7,123.25	52.11
2010-11	4,524.13	4,840.79	(+) 316.66	7.00	9,005.14	53.76
2011-12	6,000.00	6,006.25	(+) 6.25	0.10	10,712.25	56.07
2012-13	7,310.20	6,928.65	(-) 381.55	(-) 5.22	13,034.21	53.16

(स्रोतः छत्तीसगढ शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर से संग्रहण राज्य के कुल कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। वर्ष 2012-13 जहाँ संग्रहण, बजट अनुमान से कम था, के अतिरिक्त अवधि 2008-09 से 2011-12 के दौरान विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर से कुल राजस्व संग्रहण बजट अनुमान से अधिक रहा। गत पाँच वर्षो के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ में से व्यापार विक्रय पर कर की प्राप्तियों का योगदान का प्रतिशत 52 से 56 के मध्य रहा। वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्ति बजट अनुमान की तुलना में 5.22 प्रतिशत कम था जिसका कारण विभाग द्वारा धान, लौह अयस्क, स्पंज आयरन, लकड़ी, स्लीपर और पान मसाला का प्रांतीय बिक्री एवं डीजल, सीमेंट, लौह अयस्क, एल्युमिनियम, खाद, लकड़ी ,साबुन, इत्यादि की केन्द्रीय बिक्री में कमी बताया।

2.3 बकाया राजस्व का विश्लेषण

विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर (मूल्य संवर्धित कर और केन्द्रीय विक्रय कर सम्मिलित), प्रवेश कर और वृति कर की बकाया राजस्व की राशि 31 मार्च 2013 को ₹ 556.08 करोड़ थी। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान बकाया राजस्व की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का प्रारम्भिक शेष	बकाया का अंतिम शेष
2008-09	183.33	194.39
2009-10	194.39	438.57
2010-11	438.57	450.85
2011-12	450.85	556.09
2012-13	556.09	556.08

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

निरंतर अनुरोध किये जाने के बावजूद भी विभाग ने वर्षवार बकाया राजस्व की जानकारी उपलब्ध नही कराई (नवम्बर 2013)।

2.4 प्रत्येक कर निर्धारिती पर वेट का संग्रहण

वर्ष	कर निर्धारितियों की संख्या	विभाग के अनुसार वेट राजस्व (₹करोड़ में)	वित्त लेखे के अनुसार वेट राजस्व (₹ करोड़ में)	राजस्व/ कर निर्धारिती (₹ में)
2008-09	63,446	2,968.09	2,943.67	4,67,813.57
2009-10	69,727	3,085.12	3,031.15	4,42,457.01
2010-11	58,299	4,047.58	4,031.50	6,94,279.49
2011-12	64,393	5,269.97	4,884.97	8,18,407.28
2012-13	71,903	6,072.76	6,072.76	8,44,576.72

(स्रोतः विभाग प्रदत्त आंकड़े और छत्तीसगढ शासन के वित्त लेखे)

वर्ष 2010-11 से राजस्व प्राप्ति प्रति कर निर्धारिती में निरंतर वृद्धि हुई है।

2.5 कर निर्धारण हेतु बकाया

वर्ष 2012-13 के प्रारम्भ में कर निर्धारण के लंबित प्रकरणों की संख्या वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत एवं वर्ष 2012-13 के अंत में लंबित प्रकरण जैसा कि विभाग द्वारा प्रदत्त किया गया निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित हैः

कर का नाम	प्रारम्भिक शेष (2012-13)	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल कर निर्धारण योग्य प्रकरणों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत प्रकरण	वर्ष के अंत मे लंबित प्रकरण	निराकरण का प्रतिशत (कॉलम 5 से 4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मूल्य संवर्धित कर	53,952	58,168	1,12,120	52,511	59,609	46.83
वृत्ति कर	8,890	6,694	15,584	8,115	7,469	52.07
प्रवेश कर	22,891	31,450	54,341	29,995	24,346	55.20
विलासिता कर	65	32	97	64	33	65.98
निर्माण कार्य करार पर कर	419	253	672	258	414	38.39
योग	**86,217**	**96,597**	**1,82,814**	**90,943**	**91,871**	**49.75**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 2012-13 के अंत तक कुल कर निर्धारण योग्य प्रकरणों का 50 प्रतिशत ही विभाग द्वारा निराकरण किया जा सका।

राजस्व हित में शासन इन लंबित प्रकरणों के अतिशीघ्र निराकरण हेतु समयबद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

2.6 संग्रहण की लागत

संग्रहण पर व्यय के ससंगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशत सहित वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर के संबंध में सकल

संग्रहण, संग्रहण पर किये गये व्यय एवं पूर्व वर्षो के सकल संग्रहण पर किये गये व्यय निम्न तालिका में दर्शाये गये हैः

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	पूर्व वर्ष के सकल संग्रहण में व्यय का आखिल भारतीय औसत प्रतिशत
विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर	2010-11	4,840.79	29.99	0.62	0.96
	2011-12	6,006.25	40.63	0.68	0.75
	2012-13	6,928.65	37.42	0.47	0.83

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

तीन वर्षो के दौरान संग्रहण की लागत अखिल भारतीय औसत की तुलना में निम्नतर थी।

2.7 संग्रहण का विश्लेषण

वर्ष 2012-13 के दौरान विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर, प्रवेश कर, वृत्ति कर और विलासिता कर पर कर निर्धारण पूर्व स्थिति और नियमित कर निर्धारण के पश्चात् सकल संग्रहित कर के विवरण और वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रदत्त पूर्व चार वर्षो का संगत विवरण नीचे तालिका में वर्णित हैः

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	पूर्व कर निर्धारण स्थिति में संग्रहित राशि	नियमित कर निर्धारण के पश्चात संग्रहित राशि	कर एवं शुल्क भुगतान में विलंब के लिए शास्ति	वापसी की राशि	विभाग के अनुसार शुद्ध संग्रहण	वित्त लेखे के अनुसार शुद्ध संग्रहण	संग्रहण का प्रतिशत (कॉलम 3 से 7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
विक्रय, व्यापार पर कर, प्रवेश कर, वृत्ति कर और विलासिता कर	2008-09	4,004.34	52.77	8.12	18.35	4,046.88	4,038.41	98.95
	2009-10	4,249.74	190.93	87.35	57.33	4,470.69	4,325.16	95.06
	2010-11	5,121.05	387.55	41.78	60.15	5,490.23	5,355.67	93.28
	2011-12	6,329.89	618.59	18.86	62.18	6,905.16	6,837.80	91.67
	2012-13	6,458.43	525.98	19.20	125.84	6,877.77	7,883.63	93.90

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़े एवं छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कर निर्धारण के पूर्व कर का संग्रहण का प्रतिशत 91.67 और 98.95 के मध्य था।

2.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा (आ.ले. प. शा.) किसी संगठन के आंतरिक नियंत्रण तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है और सामान्य तौर पर सभी नियंत्रणों के ऊपर नियंत्रण के रूप में

परिभाषित है। यह संगठन को यह आश्वासन देने योग्य बनाती है कि निर्धारित पद्धतियाँ उचित रूप से कार्यशील है।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि संभागीय उपायुक्त कार्यालय का दिनांक 01.11.2009 से तीन संभागीय उपायुक्त कार्यालयों में विभाजन होने के पश्चात् आयुक्त द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन और नियंत्रण संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। इसके पूर्व आ.ले.प.शा. में सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर का केवल एक पद स्वीकृत था।

शासन आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन करने पर विचार करें जिससे कि कर का आरोपण एवं संग्रहण की सत्यता का निगरानी हो सके।

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका क्रमांक 2.10 में समान आक्षेप को इंगित किया गया था; फिर भी विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन अभी तक नहीं किया है।

2.9 लेखापरीक्षा के प्रभाव

2.9.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12): विगत पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में कर का कम आरोपण/अनारोपण, अवनिर्धारण आदि के प्रकरणों में राशि ₹ 86.20 करोड़ सन्निहित था, को हमारे द्वारा इंगित किया गया था। विभाग द्वारा राशि ₹ 60.96 करोड़ के प्रेक्षण मान्य किये गये जिसमें से मार्च 2013 तक ₹ 44 लाख की वसूली कर ली गई जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

(₹ करोड़ में)

स.क्र	लेखपरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल राशि	स्वीकार राशि	मार्च 2013 तक की गई वसूली
1.	2007-08	0.73	0.32	निरंक
2.	2008-09	49.46	47.49	0.09
3.	2009-10	3.37	3.37	0.01
4.	2010-11	18.57	3.07	0.23
5.	2011-12	14.07	6.71	0.11
	कुल	**86.20**	**60.96**	**0.44**

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि मात्र 0.72 प्रतिशत वसूली ही विभाग द्वारा की जा सकी जो कि स्वीकार की गई राशि की तुलना में नगण्य है।

हम यह अनुशंसा करते है कि विभाग कम से कम मान्य किये गये प्रकरणों में सम्मिलित राशि की वसूली हेतु कदम उठाये जैसा कि कार्यवाही कालातीत हो जाने के कारण राजस्व की हानि का खतरा है।

2.9.2. लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12): वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान हमने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से कर का कम आरोपण/अनारोपण, अव/अवसूली, अवनिर्धारण राजस्व हानियाँ, त्रुटिपूर्ण छुट, त्रुटिपूर्ण गणना, इत्यादि के 997 प्रकरणों में ₹ 101.1 करोड़ राजस्व सन्निहित था, को

इंगित किया। इसमें से विभाग/शासन ने 112 प्रकरणों के जिसमें ₹ 3.55 करोड़ सन्निहित था, के लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किये। निम्नलिखित तालिका में विस्तृत विवरण दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकार राशि		वसूल की गई राशि	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2007-08	04	37	0.03	16	0.07	निरंक	निरंक
2008-09	20	185	0.62	10	0.48	निरंक	निरंक
2009-10	32	295	35.93	10	0.30	निरंक	निरंक
2010-11	28	362	55.08	73	2.59	निरंक	निरंक
2011-12	11	118	9.35	3	0.11	3	0.11
योग		**997**	**101.01**	**112**	**3.55**	**3**	**0.11**

2.9.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालन की स्थिति (2012-13): हमने वर्ष 2012-13 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग के 58 इकाईयों में से 15 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की। हमारे द्वारा कर का अव/अनारोपण, छूट/ कटौती का त्रुटिपूर्ण प्रदाय, कर का त्रुटिपूर्ण दर का प्रयोग, कर योग्य आवर्त्त का गलत निर्धारण और अन्य अनियमितताऐं इत्यादि के ₹ 2,490.95 करोड़ के 21,392 प्रकरणों में से ₹ 14.27 करोड़ के 210 प्रकरण पाये जिन्हे निम्नानुसार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

स.क्र	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि	स्वीकृत प्रकरण	राशि
1	कर का अव/अनारोपण	103	9.39	6	0.61
2	छूट/कटौती का त्रुटिपूर्ण प्रदाय	32	2.96	निरंक	निरंक
3	कर का त्रुटिपूर्ण दर का प्रयोग	19	0.51	6	0.25
4	कर योग्य आवर्त्त का गलत निर्धारण	8	0.31	निरंक	निरंक
5	अन्य अनियमितताएँ	48	1.10	2	0.14
योग		**210**	**14.27**	**14**	**1.00**

विभाग ने वर्ष के दौरान ₹ 1 करोड़ के 14 प्रकरण स्वीकार किया। वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग ने चालू वर्ष के चार प्रकरणों में ₹ 15.74 लाख वसूल किये।

कुछ उल्लेखनीय प्रकरणों जिसमें पूर्व वर्षो में पाये गये प्रेक्षण भी शामिल है जिसमें राशि ₹ 7.48 करोड़ सन्निहित है, को अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

2.10 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने वाणिज्यिक कर विभाग में विक्रय कर /मूल्य संवर्धित कर (मू.सं. क.), केन्द्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर इत्यादि के कर निर्धारण अभिलेखों का सूक्ष्म निरीक्षण किया और कुछ प्रकरणों में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करना, आगत कर का गलत /अधिक प्रदाय करना, मूल्य संवर्धित कर का अव/अनारोपण,/ प्रवेश कर का अनारोपण 'सी' फार्म का अनाधिकृत उपयोग पर शास्ति का अनारोपण, प्रवेश कर का अनारोपण, प्रवेश कर का गलत छूट प्रदाय करना और अन्य प्रकरणों में पाये गये जैसा कि इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में दर्शाया गया है। हमारे द्वारा ये प्रकरण केवल उदाहरणस्वरूप और नमूना जाँच के आधार पर किए गये है। प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा मे इंगित की गई कुछ त्रुटियां जो कर निर्धारण अधिकारी से संबंधित है किन्तु न केवल यह अनियमितताएँ बनी रहती है बल्कि लेखापरीक्षा के संपादित होने तक इनका पता नहीं लग पाता है। शासन को चाहिए कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए जिससे ऐसी गलतियों से बचा जा सके।

2.11 गलत/अधिक आगत कर प्रदाय करना

छ.ग.मू.सं.क.अधिनियम के धारा 13(1) के अनुसार जब कोई पंजीकृत व्यवसायी अनुसूची III (निर्माण अथवा व्यवसाय में उपयोग के लिये भूमि एवं सिविल निर्माण जिसमें कार्यालय भवन तथा अन्य संबंधित निर्माण सम्मिलित है, पर किया गया पूंजीगत व्यय, फर्नीचर एवं फिक्शचर जिसमें वातानुकूलन तथा प्रशीतक सम्मिलित है, पेट्रोल और डीजल और मोटर कार, दो पहिया मोटरयान, उसके पूर्जे तथा उपसाधन इत्यादि) में विनिर्दिष्ट से भिन्न अनुसूची II के भाग I,II और IV में विनिर्दिष्ट कोई माल छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यवसायी से आगत कर का भुगतान करने के पश्चात ऐसे माल का अनुसूची II विनिर्दिष्ट किसी माल के राज्य में विनिर्माण के लिये उपयोग या उपभोग के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर विक्रय के लिए या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य के बाहर निर्यात के अनुक्रम में या छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर व्यवसाय के दौरान पूँजीगत माल के रूप में उपयोग के लिये क्रय करता है तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में ऐसी कालावधि के भीतर जैसा कि विहित की जाए, करेगा या ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम के धारा 2(ई) के अनुसार पूँजीगत माल से तात्पर्य है ऐसे प्लांट, मशीनरी और यंत्र जो व्यवसाय के अनुक्रम में निर्माण की प्रक्रिया में सीधे प्रयुक्त हो।

अप्रैल 2012 से अक्टुबर 2012 के मध्य 15 इकाईयों के नमूना जाँच के दौरान चार सहायक आयुक्तों के कर निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच में हमने पाया कि कर निर्धारण अधिकारियों ने पाँच व्यवसायियों के अवधि 2006-07 से 2008-09 के कर निर्धारण प्रकरणों, जो मई 2010 से सितम्बर 2011 के मध्य निराकृत किए गये थे, में व्यवसायियों के द्वारा किए गये क्रय पर ₹ 1.34 करोड़ का गलत आगत कर छूट प्रदान किया। इससे ₹ 1.34 करोड़ का गलत/अधिक आगत कर प्रदाय हुआ जो निम्न वर्णित है।

(₹ लाख में)

स.क्र	इकाइयों का नाम	कर निर्धारण वर्ष(कर निर्धारण का माह व वर्ष)	देय आगत कर	प्रदाय आगत कर	प्रदाय अधिक आगत कर	प्रेक्षण की प्रकृति
1	स.आ.वा.क. रायपुर	2006-07 (मई 2010)	0	10.26	10.26	कर निर्धारण अधिकारी ने बिक्री ₹ 2.57 करोड़ पर ₹ 10.26 लाख आगत कर यह मानते हुए प्रदाय किया कि व्यवसायी ने अपने नागपुर शाखा को माल 'एफ' फार्म से जाब वर्क हेतु भेजा था और वापसी पश्चात् माल का विक्रय प्रांत अंदर किया गया। 'एफ' फार्म की जाँच में लेखापरीक्षा में पाया गया कि ये प्रपत्र मुम्बई से जारी हुआ था। इससे ₹ 10.26 लाख का अधिक आगत कर प्रदाय किया गया।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (जून 2013) विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि माल जॉब वर्क हेतु नागपुर भेजा गया था और प्राप्ति पश्चात						

छत्तीसगढ़ राज्य में बेचा गया था। अतः प्रदाय आगत कर सही था। हम असहमत है क्योंकि प्रकरण नस्ती में सलंग्न 'एफ' फार्म से स्पष्ट था कि माल नागपुर की जगह मुम्बई भेजा गया था इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रदत्त आगत कर ₹ 10.26 लाख नियमानुसार नहीं था।						
2	स.आ.वा. क. रायपुर	2006-07 (जून 2010)	0	85.45	85.45	अचल संपत्ति/पूँजीगत माल (सिविल निर्माण हेतु एम.एस.बीम, एम.एस.चैनल, एम.एस एंगल, आई.एस.बी.सी. चैनल और अन्य सामान और रेलवे साइडिंग हेतु पी.एस. सी.स्लीपर) जो कि प्लांट एवं मशीनरी नहीं है और निर्माण की प्रक्रिया में सीधे प्रयुक्त नहीं होते है, पर आगत कर प्रदाय किया गया।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (जून 2013) विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि प्रकरण को धारा 22(1) के अन्तर्गत खोला गया है और ₹ 85.45 लाख की वसूली के लिए व्यवसायी को मांग पत्र जारी किया गया है। वसूली की जानकारी अप्राप्त है। (नवम्बर 2013)						
3	स.आ.-II, संभाग-I, बिलासपुर	2008-09 (सितम्बर 2011)	0	26.93	26.93	छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पूँजीगत माल यथा प्रशीतक, बर्फ बाक्स जो निर्माण की प्रक्रिया में सीधे उपयोग नहीं होते है पर आगत कर प्रदाय किया जाना अनुचित था।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने से (मई 2012) कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (मई 2012) कि सत्यापन पश्चात् कर्यवाही की जावेगी।						
4	स.आ.वा.क., रायपुर	2006-07 (जून 2010)	130.32	138.44	8.12	कर निर्धारण अधिकारी ने क्रय ₹ 39.12 करोड़ पर ₹ 1.38 करोड़ का आगत कर प्रदान किया। यद्यपि संपरीक्षक के संपरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार व्यवसायी ने मात्र ₹ 36.83 करोड़ का क्रय किया था फलस्वरूप कर निर्धारिती को क्रय राशि ₹ 36.83 करोड़ पर ₹ 1.30 करोड़ का आगत कर योग्य था।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (जून 2013) विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि प्रकरण धारा 22 (1) में खोला गया है और ₹ 8.12 लाख का मांग पत्र जारी किया गया। वसूली की जानकारी अप्राप्त है। (नवम्बर 2013)						
5	स.आ.वा.क रायपुर	2006-07 (जून 2010)	0	3.73	3.73	व्यवसायी ने ₹ 3.09 करोड़ का कर मुक्त डी-ओएल्ड केक(डी.ओ.सी.) प्रान्त के अंदर और प्रांत बाहर बेचा जो कि कर चुका सोयाबीन बीज से बना था जो कि कुल बिक्री (₹ 13.97 करोड़) का 22.12 प्रतिशत था। चुँकि व्यवसायी ने कर चुका माल से निर्मित कर मुक्त माल का बिक्री किया था, अतः संगत आगत कर कम किया जाना चाहिए था।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (जून 2013) विभाग ने बताया (मई 2013) कि प्रकरण धारा 22(1) में खोला गया और ₹ 8.65 लाख की मांग जारी की गई है। आक्षेपित राशि एवं मांग राशि में अंतर का कारण व्यवसायी द्वारा सोया डी.ओ.सी. के निर्यात बिक्री पर आगत कर प्रदाय न किया जाना।						

हमने शासन को अभिमत के लिए प्रतिवेदित किया (जून 2013); उनके उतर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

2.12 मूल्य संवर्धित कर का कम/अनारोपण

छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम की धारा 8 वस्तुओं के वर्गीकरण के आधार पर अधिनियम के अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर कर का आरोपण को प्रावधानित करता है। परंतु जहाँ माल अनुसूची के किसी निर्दिष्ट प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आता है उस पर अवशिष्ट प्रविष्टि में दर्शित कर की सामान्य दर लागु होगी। अनुसूची II भाग IV प्रविष्टी क्रमांक 1 के अनुसार वैसे माल जो अनुसूची I और इस अनुसूची के भाग I (1 प्रतिशत) भाग II (4 प्रतिशत) और भाग III (25 प्रतिशत) में सम्मिलित नहीं है, पर कर की दर 12.5 प्रतिशत है।

छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम की धारा 22 यह प्रावधानित करती है कि आयुक्त जहाँ कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण व्यापारी की भूल के कारण हुआ है निर्धारित या पुनः निर्धारित की गई कर की रकम के दो गुना अधिकतम शास्ति अधिरोपित करेगा लेकिन वह निर्धारित कर की राशि से कम नहीं होगा।

फरवरी 2012 से नवम्बर 2012 के मध्य 15 इकाइयों के नमूना जाँच के दौरान चार इकाइयों[2] के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच में हमने पाया कि कर निर्धारण अधिकारियों ने कर निर्धारण के निराकरण मार्च 2010 से जून 2012 के दौरान सात व्यवसायियों को अवधि 2006-07 से 2008-2009 के मध्य माल के गलत वर्गीकरण के ₹ 20.49 करोड़ मूल्य पर कम दर का आरोपण किया। इन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारियों ने माल का गलत वर्गीकरण पर उपयुक्त दर से करारोपण नहीं किया। आरोपणीय कर एवं आरोपित कर में अंतर चार से लेकर 25 प्रतिशत के मध्य था। इससे ₹ 3.06 करोड़ के कर का अन/अवरोपण शास्ति सहित हुआ जो निम्न तालिका में वर्णित है:

(₹ लाख में)

स.क्र	वस्तु	कर निर्धारण वर्ष (माह व कर निर्धारण वर्ष)	अनुसूची क्र./भाग क्र./प्रविष्टि क्र.	सकल विक्रय	करारोपणीय दर / आरोपित दर	कर का कम/ अनारोपण/ न्यूनतम शास्ति	प्रेक्षण की प्रकृत्ति
1	इलेक्ट्रॉनिक्स सामान/इंटर सेलुलर एडहेसन (आई.सी.ए.एम) मोलीकुल	2007-08 (अगस्त 2011)	II/IV/1	45.40	12.5/4	3.86/3.86	कर निर्धारण अधिकारी ने इलेक्ट्रॉनिक सामान और आई.सी.ए.एम. सिस्टम पर पूँजीगत माल मानते हुए 4 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।

[2] वा.क.आ.-दो, दुर्ग स.आ.वा.क.(रायपुर), स.आ.वा.क.-दो (बिलासपुर) वा.क.अ.-(जगदलपुर)

हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 2013) विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि ये सामान अभियांत्रिकी उद्योग, धातु और मिश्र धातु उद्योग और लौह उद्योग के लिए मशीनरी है इसलिए ये पूँजीगत सामान होने से अधिसूचना क्रमांक 45 दिनांक 28.04.2006 के अनुसार चार प्रतिशत की दर से करारोपणीय है। हम असहमत है क्योंकि व्यवसायी के 59-ए[3] प्रपत्र एवं अन्य अभिलेखों से स्पष्ट था कि वह इलेक्ट्रॉनिक्स माल और आई. सी. ए. एम. सिस्टम (एक अवर्गीकृत माल) के क्रय विक्रय करता था। आगे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान और आई.सी ए. एम. सिस्टम पूँजीगत माल की सूची में वर्णित नहीं है। इसलिए 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।							
2	प्रोटीन /प्रोटीन पावडर	2008-09 (जून 2012)	II/IV/1	67.17	12.5/4	5.71/ 5.71	कर निर्धारण अधिकारी ने प्रोटीन पावडर पर 12.5 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जून 2013) विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि प्रकरण को धारा 22(1) के अर्न्तगत खोला गया और व्यवसायी ने वर्ष के दौरान मेसर्स ब्रिटिश बाईलोजिकल, बंगलौर से ₹ 58.12 लाख का दवाईयों और ₹ 7.68 लाख का प्रोटीन क्रय किया था। आगे यह बताया गया कि ₹ 9.05 लाख के प्रोटीन के बिक्री पर अंतर दर 8.5 प्रतिशत से ₹ 1.54 लाख का मांग पत्र जारी किया गया है। हम असहमत है क्योंकि 59-ए प्रपत्र से स्पष्ट था कि व्यवसायी ने उक्त व्यवसायी से केवल प्रोटीन क्रय किया था न कि दवाइयाँ।							
3	डीजल	2007-08 (अगस्त 2011)	II/III/1	58.84	25/4	12.36/ निरंक	कर निर्धारण अधिकारी ने हाइड्रोकार्बन मानते हुए चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 2013) विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि प्रकरण धारा 22(1) के अन्तर्गत खोला गया और ₹ 11.18 लाख का मांग पत्र जारी किया गया। वसूली की जानकारी अप्राप्त है (नवम्बर 2013)।							
4	कार्बन क्रेडिट	2007-08 (अगस्त 2011)	II/II/5	245.75	4/0	9.83/ निरंक	कर निर्धारण अधिकारी ने कार्बन क्रेडिट की बिक्री ₹ 2.46 करोड़ पर कर आरोपण नहीं किया। चूँकी कार्बन क्रेडिट अर्मूत माल है अतः चार प्रतिशत की दर से करारोपणीय है।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2012) कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (नवम्बर 2012) कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।							

[3] घोषणा पत्र 59-ए एक दस्तावेज जो कि पंजीकृत व्यवसायी को प्रांत बाहर से माल का आयात करने हेतु विभाग द्वारा जारी किया जाता है जिस पर माल भेजनेवाला और पानेवाला का नाम, जगह जहां से माल भेजा गया, गंतव्य स्थान और माल का विवरण, मात्रा और मूल्य रहता है।

5	रेलवे केबल	2007-08 (अगस्त 2011)	II/IV/1	1461.92	12.5/4	124.26/ 124.26	कर निर्धारण अधिकारी ने चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई 2012) कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (मई 2012) कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी।							
6	टोस्ट	2006-07 (अप्रैल 2010), 2007-08 (जुलाई 2011)	II/IV/1	110.21	12.5/0	13.78/ निरंक	कर निर्धारण अधिकारी ने कर मुक्त मानते हुए करारोपण नहीं किया।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (जून 2013) विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि ₹ 27.55 लाख का मांग पत्र जारी किया गया है। वसूली की जानकारी अप्राप्त है (नवम्बर 2013)।							
7	द्रवित पेट्रोलियम गैस	2006-07 (मार्च 2010)	अधिसूचना क्रमांक 34 दिनांक 13.04.2006	59.75	4/0	2.39/ निरंक	कर निर्धारण अधिकारी ने एल.पी.जी. को करमुक्त माल मानते हुए कर का आरोपण नहीं किया।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (अक्टुबर 2012) कर निर्धारण अधकारी ने बताया (अक्टुबर 2012) कि प्रकरण का पुनः निर्धारण किया जावेगा और सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।							
कुल				**2,049.04**		**172.19/ 133.83**	

हमने शासन को अभिमत के लिए प्रतिवेदित किया (जून 2013); उनके उतर अप्राप्त है (नवम्बर 2013)।

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम

2.13 'सी' फार्म के अनाधिकृत उपयोग पर शास्ति का अनारोपण

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 10-ए सहपठित धारा 10 (ब) के तहत यदि कोई व्यवसायी 'सी' फार्म के तहत ऐसे वस्तुओं को क्रय करता है जो कि उनके पंजीयन प्रमाण-पत्र (प्र.प.) में दर्ज नहीं है तो प्राधिकारी व्यवसायी के उपर कर जो देय होता, का डेढ गुणा शास्ति आरोपित कर सकता है। आगे माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रकरण तामिलनाडु राज्य बनाम अख्तर (1998) 108 एस.टी.सी. में निर्णित किया कि वैसे माल जो पंजीयन प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं है, को 'सी' फार्म के विरूद्ध क्रय करना एक अपराध है और शास्ति आरोपित की जा सकती है। केन्द्रीय विक्रय कर नियम (पंजीयन और आवर्त्त) 1957 के नियम 13 के अनुसार एक पंजीकृत व्यसायी 'सी' फार्म के विरूद्ध कच्चे माल, प्रसंस्करण माल, मशीनरी, प्लांट, यंत्र, टुल्स इत्यादि विक्रय के लिए माल के बनाने/ प्रसंस्करण में या खनन में या विद्युत या किसी प्रकार की शक्ति उत्पादन या वितरण के उद्देश्य के लिए माल क्रय कर सकता है।

15 इकाइयों के नमूना जाँच के दौरान दो इकाइयों[4] के कर निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच में हमने पाया कि (अप्रैल 2012) कि दो व्यवसायी जिसमें एक कोयला के तुड़ाव और कोयला/ओवर बर्डेन ढुलाई का व्यवसाय करता था और अन्य व्यवसायी जो निर्माण सामग्री एवं जमीन खुदाई के कार्य से संबंधित था, ने 'सी' फार्मों के विरूद्ध क्रमशः टिप्पर/डम्पर और ई. एक्स-70 मॉडल हाईड्रोलिक मशीन क्रय किया। क्रय के दौरान ये सामान पंजीयन प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं था। चूँकी व्यवसायी सेवा प्रदायकर्ता थे और वस्तुओं के क्रय-विक्रय से संबंधित नहीं थे अतः 'सी' फार्म के अनाधिकृत उपयोग के विरूद्ध क्रय राशि ₹ 8.94 करोड़ पर ₹ 1.19 करोड़ शास्ति आरोपणीय था (**परिशिष्ट 2.1** में दर्शित)। इसके बावजूद भी कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कोई शास्ति आरोपित नहीं की गई।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित करने पर (जून 2013) विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि धारा 10-ए के अन्तर्गत शास्ति ₹ 1.19 करोड़ की आरोपित की गई है। वसूली की जानकारी अप्राप्त है (नवम्बर 2013)।

हमने शासन को अभिमत के लिए प्रतिवेदित किया (जून 2013), उनके उतर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका क्रमांक 2.12.21 में समान तथ्य को इंगित किया गया था जिसमें विभाग/ शासन ने बताया था कि तीन प्रकरणों में से दो प्रकरणों में मांग जारी की गई थी।

[4] स.आ.वा.क.-I, संभाग- I (बिलासपुर) और वा.क.अ.वृत-IV (रायपुर)

कमियों /अनियमितताएँ की प्रकृति की निरंतरता यह प्रदर्शित करती है कि विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र प्रभावी नहीं है जो राजस्व के रिसाव को रोक सके।

प्रवेश कर अधिनियम

2.14 विस्फोटक पर प्रवेश कर का अनारोपण

छत्तीसगढ़ प्रवेश कर (छ.ग.प्र.क.) अधिनियम के धारा 4-ए सहपठित अधिसूचना क्रमांक 66 दिनांक 27.07.2006 के अनुसार जब कोई छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवसायी अन्य किसी ऐसे पंजीकृत व्यवसायी से कर के भुगतान के पश्चात् विस्फोटक क्रय करता है तो उस पर छः प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय होगा। आगे छ.ग.प्र.क. अधिनियम की धारा 13 सहपठित छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम की धारा 22 के अनुसार आयुक्त, जहां कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण व्यापारी की भूल के कारण हुआ है निर्धारित या पुनः निर्धारित की गई कर की रकम के दो गुना अधिकतम शास्ति अधिरोपित करेगा लेकिन वह निर्धारित कर की राशि से कम नहीं होगा।

15 इकाइयों के नमूना जाँच में से स.आ.वा.क., रायपुर के कर निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच के दौरान हमने पाया (अप्रैल 2012) कि एक व्यवसायी जो स्पंज आयरन का क्रय-विक्रय, विधुत का उत्पादन और कोयला का खनन का व्यवसाय करता था, का वर्ष 2006-07 का कर निर्धारण जून 2010 में हुआ था। व्यवसायी ने ₹ 1.34 करोड़ के विस्फोटक खनन के लिए लाकर उपयोग किया। उद्योग संचालक, छत्तीसगढ़ ने दिनांक 09.02.2009 को करमुक्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया था जिसमें स्पंज आयरन निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल, आनुषंगिक माल और पैकिंग सामग्री को अवधि 17.03.2006 से 16.03.2011 तक प्रवेश कर के भुगतान से मुक्त किया गया था। चुँकि कोयला का खनन प्रवेश कर के भुगतान से मुक्त नहीं था अतः छः प्रतिशत की दर से ₹ 8.04 लाख [5] का कर आरोपणीय था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र और कर मुक्ति प्रमाण पत्र के सत्यापन में असफल रहने से ₹ 8.04 लाख का प्रवेश कर का अनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 8.04 लाख का शास्ति भी आरोपणीय था।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने (जून 2013) पर विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि ₹ 8.04 लाख का मांग पत्र जारी हुआ है। शास्ति के आरोपण की जानकारी और वसूली की जानकारी अप्राप्त है (नवम्बर 2013) ।

हमने शासन को अभिमत के लिए प्रतिवेदित किया (जून 2013); उनके उतर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

[5] ₹ 134 लाख x 6/100 = ₹ 8.04 लाख

2.15 अनुसूची III के मालों पर प्रवेश कर का अनारोपण

छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार एक व्यवसायी द्वारा व्यवसाय के अनुक्रम में अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को अन्य स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या उपयोग पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है न की बिक्री पर। अनुसूची III में विनिर्दिष्ट कर की दर एक प्रतिशत है। बिटुमीन अनुसूची III के माल के अन्तर्गत आता है।

2.15.1 15 इकाइयों के नमूना जांच में से स.आ.वा.क. संभाग -एक बिलासपुर के अवधि 2007-08 एव 2008-09 के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया (मई 2012) कि आठ व्यवसायी जो संकर्म संविदा के व्यवसाय में संलग्न थे और जिनके कर निर्धारण अक्टुबर 2010 से सितम्बर 2011 के मध्य किये गये थे, ने ₹ 14.24 करोड़ का बिटुमीन क्रय किया और सड़क निर्माण कार्य में उपयोग किया। चूँकी स्थानीय क्षेत्र (रायपुर) के बाहर से समस्त क्रय किये गये थे, अतः एक प्रतिशत की दर से करारोपणीय था। इसके बावजूद भी कर निर्धारण अधिकारी ने कर चुका माल मानते हुए कमी प्रदान की। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनियमित छूट प्रदान किये जाने से प्रवेश कर ₹ 14.24 लाख का अनारोपण हुआ (**परिशिष्ट 2.2** में दर्शित)।

हमने शासन को अभिमत के लिए प्रतिवेदित किया (जून 2013); उनके उतर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

छत्तीसगढ प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार व्यवसायी द्वारा व्यवसाय के अनुक्रम में अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को अन्य स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या उपयोग पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है न कि बिक्री पर ।
भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण मेसर्स सीनियर संभागीय यांत्रिकी अभियंता विरूद्ध उड़ीसा राज्य और अन्य (अगस्त 2008) में निर्णित किया कि रेलवे स्थानीय क्षेत्र में अन्य स्थानीय क्षेत्र से मालों के प्रवेश पर प्रवेश कर आरोपणीय है। आगे, आयुक्त वाणिज्यिक कर ने मई 2011 में उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में ऐसे सभी व्यवसायियों या संकर्म संविदाकर्मी जो रेलवे स्थानीय क्षेत्र में काम कर रहे थे, उनके प्रकरणों को समीक्षा करने एवं तदनुसार कर का आरोपण करने का निर्देश दिया था।

2.15.2 15 इकाइयों के नमूना जाँच में से स.आ.वा.क.-II संभाग-I, बिलासपुर के कर निर्धारण अभिलेखों के नमूना जांच में हमने पाया (मई 2012) कि दो व्यवसायियों जो संकर्म संविदा के व्यवसाय में थे, का अवधि 2006-07 और 2007-08 का कर निर्धारण अप्रैल 2010 से जुलाई 2011 के मध्य किया गया था। अभिलेखों के जाँच में यह पाया गया कि ₹ 2.39 करोड़ मूल्य के कच्चे माल क्रय कर रेलवे स्थानीय क्षेत्र में उपयोग किया गया था। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार एक प्रतिशत के दर से ₹ 2.39 लाख का प्रवेश कर आरोपणीय था। इसके बावजूद भी कर निर्धारण अधिकारी ने रेलवे क्षेत्र स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं

आता है, के आधार पर अनियमित छूट प्रदाय किया। इसीलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनियमित छूट प्रदान किये जाने और आयुक्त के निर्देशों का अनुपालन न करने से एवं प्रकरणों के समीक्षा न करने से ₹ 2.39 लाख के कर का अनारोपण हुआ (**परिशिष्ट 2.3** में दर्शित)।

हमने शासन/विभाग को अभिमत के लिये प्रतिवेदित किया (जून 2013); उनके उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2013)।

2.16 अतिरिक्त निष्क्रिय अल्कोहल पर प्रवेश कर का अनारोपण

छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार व्यवसायी द्वारा व्यवसाय के अनुक्रम में अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को अन्य स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या उपयोग पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है न की बिक्री पर । छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची I सहपठित छत्तीसगढ़ मू.सं.क. अधिनियम के अनुसार औषधीय तथा प्रसाधनीय निर्मितयों (आबकारी शुल्क) अधिनियम, 1955 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई औषधीय तथा प्रसाधनीय निर्मितयों से भिन्न माल, जिस पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन शुल्क उदग्रहित किया जाता है या उदगृहित किया जा सकता है, प्रवेश कर से कर मुक्त है। शराब एक आबकारी शुल्क आरोपणीय वस्तु है जबकि अतिरिक्त निष्क्रिय अल्कोहल (अ.नि.अ.) नहीं।

आगे माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रकरण आयुक्त आयकर विरूद्ध मेसर्स विनब्रास और कंपनी (अक्टुबर 2007) में निर्णित किया कि भारत में निर्मित विदेशी मदिरा की विनिर्माण में अतिरिक्त निष्क्रिय अल्कोहल का सम्मिश्रण करना विनिर्माण की प्रक्रिया है। अतः अ.नि.अ. मदिरा के लिये कच्चा माल है।

15 इकाइयों के नमूना जाँच में से 2[6] इकाइयों के कर निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच में हमने पाया (मई 2012 से अक्टुबर 2012 के मध्य) कि तीन व्यवसायी जो अतिरिक्त निष्क्रिय अल्कोहल से मदिरा का निर्माण और बिक्री का व्यवसाय में थे, का अवधि 2006-07 और 2007-08 का कर निर्धारण जून 2010 से अगस्त 2011 के मध्य किया गया था। अभिलेखों की जाँच में यह पाया कि व्यवसायी ने मूल्य ₹ 32.47 करोड़ का अतिरिक्त निष्क्रिय अल्कोहल क्रय किया और मदिरा का निर्माण में उपयोग किया। चूँकी अतिरिक्त निष्क्रिय अल्कोहल आबकारी शुल्क आरोपणीय वस्तु नही है अतः एक प्रतिशत की दर से ₹ 32.47 लाख का प्रवेश कर आरोपणीय था। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उसे कर मुक्त मानते हुए कमी प्रदान की। इसीलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनियमित छूट प्रदाय किये जाने से ₹ 32.47 लाख प्रवेश कर का अनारोपण हुआ (**परिशिष्ट 2.4** में दर्शित)।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 2013) विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि दो प्रकरणों में ₹ 5.02 लाख का मांग पत्र जारी हुआ है और शेष प्रकरणों

[6] स.आ.वा.क-II, संभाग-I, बिलासपुर और स.आ.वा.क., रायपुर

के संबंध में यह बताया गया कि प्रकरणों की समीक्षा की जा रही है और लेखापरीक्षा को तत्पश्चात् अवगत कराया जावेगा। आगे की जानकारी अप्राप्त है (नवम्बर 2013)।

हमने शासन को अभिमत के लिए प्रतिवेदित किया (जून 2013); उनके उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

2.17 प्रवेश कर का अनारोपण

छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम के धारा 3 के अनुसार एक व्यवसायी द्वारा व्यवसाय के अनुक्रम में अनुसूची- II में विनिर्दिष्ट मालों के प्रवेश पर उसके उपभोग, उपयोग या बिक्री पर प्रवेश कर का आरोपण होगा। उपरोक्त अनुसूची- II के प्रविष्टि क्रमांक 27(अ) यह प्रावधानित करता है कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स पर पाँच प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

2.17.1 15 इकाईयों के कर निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच में हमने पाया (जूलाई 2012) कि स.आ.वा.क. रायपुर के दो व्यवसायी जो नागरिक निर्माण कार्य करते थे, का अप्रैल 2007 से मार्च 2008 का कर निर्धारण अगस्त 2011 में किया गया था। एक प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण के समय ₹ 30.59 लाख के फ्लाई ऐश ब्रिक्स पर पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 1.53 लाख कर का आरोपण नहीं किया। इसी तरह अन्य प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने अन्य स्थानीय क्षेत्र से फ्लाई ऐश ब्रिक्स ₹ 54.33 लाख के क्रय पर ₹ 2.72 लाख के प्रवेश कर कर आरोपण नहीं किया। इसके फलस्वरूप ₹ 4.25 लाख[7] के प्रवेश कर का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 2013) विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि एक प्रकरण में ₹ 3.06 लाख का मांग जारी किया गया है और अन्य प्रकरण के संबंध में यह बताया गया कि प्रकरण धारा 22(1) में पुनः खोला जायेगा। आगे उत्तर और वसूली की जानकारी अप्राप्त है (नवम्बर 2013।)

हमने शासन को अभिमत के लिए प्रतिवेदित किया (जून 2013); उनके उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013 ।)

[7] ₹ (54.33 + 30.59) लाख X 5/100 = ₹ 4.25 लाख

2.17.2 15 नमूना जाँच इकाइयों में से स.आ.वा.क., रायपुर के कर निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच में हमने पाया (अप्रैल 2012) कि एक व्यवसायी जो रोलिंग स्टील और स्ट्रक्चर का निर्माण और बिक्री का व्यवसाय करता था, का अवधि 2007-08 का कर निर्धारण मई 2011 में हुआ था। व्यवसायी ने स्थानीय क्षेत्र के बाहर से ₹ 3.42 करोड़[8] का आयरन स्क्रेप, स्लीपर और ट्राली क्रय किया और उसका निर्माण में उपयोग किया। कर निर्धारण अधिकारी ने इस क्रय को स्थानीय क्षेत्र में क्रय माल और अधिसूचना क्रमांक 33 दिनांक 13.04.2000 के अन्तर्गत शामिल माल मानते हुए प्रवेश कर की छूट प्रदान की। परंतु हमें गेट पास सहित चालान, क्रय सूची और अन्य रसीदों से पता चला कि माल स्थानीय क्षेत्रों[9] के बाहर से लाया गया था। इसीलिए ₹ 3.42 करोड़ पर एक प्रतिशत की दर से ₹ 3.42 लाख का प्रवेश कर आरोपणीय था। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनियमित छूट प्रदाय किये जाने से ₹ 3.42 लाख प्रवेश कर का अनारोपण हुआ।

छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम सहपठित अधिसूचना क्रमांक 33 दिनांक 13.04.2000 के अनुसार जब एक व्यवसायी, जो छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कर भुगतान का दायी है, के द्वारा आयरन और स्टील जैसा कि केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) अधिनियम 1956 के धारा 14 के उपबंध(iv) के श्रेणी (ii) और (xvi) में विनिर्दिष्ट है, को माल के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के उपभोग या उपयोग के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो प्रवेश कर के भुगतान से मुक्त होगा। आयरन स्क्रेप के.वि.क. अधिनियम धारा 14 के भाग उपबंध (iv) के श्रेणी (i) में विनिर्दिष्ट है अतः उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत प्रवेश कर के भुगतान से मुक्त नहीं है।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 2013) विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि ₹ 3.26 लाख का मांग पत्र जारी हुआ। वसूली की जानकारी अप्राप्त है (नवम्बर 2013।)

हमने शासन को अभिमत के लिए प्रतिवेदित किया (जून 2013); उनके उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013।)

[8] स्क्रेप ₹ 2.38 करोड़, स्लीपर ₹ 85.86 लाख और ट्राली ₹ 18.17 लाख।

[9] डोगरगढ़, भिलाई, आमासिवनी इत्यादि।

2.18 प्रवेश कर की गलत छूट प्रदाय करना

छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम सहपठित अधिसूचना क्रमांक 24 दिनांक 2 अप्रैल 2007 के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्थित किसी उद्योग द्वारा निर्मित माल, कोयला और लौह अयस्क को छोड़कर को जब किसी लघु उद्योग जिसका प्लांट और मशीनरी में निवेश एक करोड़ रूपये से अधिक नहीं हो द्वारा निर्माण की प्रक्रिया के कच्चे माल के उपभोग या उपयोग के लिए प्रवेश कराया जाता है तो अवधि 2007-08 के लिए प्रवेश कर के भुगतान से मुक्त होगा अन्यथा ऐसे मालों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने से एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय होगा।

2.18.1 15 इकाईयों के कर निर्धारण अभिलेखों के नमूना जांच में से सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर (स.आ.वा.क.) रायपुर के कार्यालय में हमने पाया (अप्रैल 2012) कि दो व्यवसायी जो एम.एस.इंगाट, एम.एस.सीटीडी बार, राउंड, एंगल, चैनल, रोल्ड प्रोडक्ट इत्यादि के निर्माण एवं बिक्री करते थे, का अवधि 2007-08 का कर निर्धारण जून 2011 में किया गया था। कर निर्धारितयों ने वर्ष 2007-08 के दौरान ₹ 62 करोड़ का कच्चा माल स्थानीय क्षेत्र के बाहर से क्रय किये थे। कर निर्धारण अधिकारी ने कच्चे माल ₹ 62 करोड़ के क्रय की प्रवेश कर की गलत छूट प्रदान की। इन दो व्यवसायियों को अधिसूचना क्रमांक 24 दिनांक 2 अप्रैल 2007 के अन्तर्गत कर से छूट के पात्रता नहीं थे क्योंकि प्लांट और मशीनरी में निवेश एक करोड़ रूपये से अधिक था। तदनुसार क्रय राशि ₹ 62 करोड़ पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर ₹ 62 लाख आरोपणीय था, जो आरोपित नहीं किया गया (**परिशिष्ट 2.5** में दर्शित)।

हमारे द्वारा विभाग/शासन को इंगित किये जाने पर (जून 2013) विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि ₹ 62 लाख का मांग पत्र जारी किया गया। वसूली की जानकारी अप्राप्त है (नवम्बर 2013)।

हमने शासन को अभिमत के लिए प्रतिवेदित किया (जून 2013); उनके उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

2.18.2 15 इकाईयों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में से सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, रायपुर के कार्यालय में हमने पाया (नवम्बर 2012) कि एक व्यवसायी जो आयरन और स्टील के निर्माण और बिक्री करता था, अवधि 2007-08 का कर निर्धारण अगस्त 2011 में किया गया था। व्यवसायी ने वर्ष 2007-08 के दौरान स्थानीय क्षेत्र के बाहर से ₹ 11.22 करोड़ का कच्चा माल क्रय किया। कर निर्धारण अधिकारी ने कच्चे माल के क्रय पर गलत प्रवेश कर की छूट प्रदान की। व्यवसायी अधिसूचना क्रमांक 24 दिनांक 02 अप्रैल 2007 के अर्न्तगत कर से छूट का पात्रता नहीं था क्योंकि प्लांट और मशीनरी में निवेश एक करोड़ रूपये से अधिक था। तदनुसार क्रय किये गये माल

पर एक प्रतिशत की दर से ₹ 11.22 लाख का प्रवेश कर आरोपणीय था। इसीलिए कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा गलत छूट प्रदाय किये जाने से ₹ 11.22 लाख के प्रवेश कर का अनारोपण हुआ (**परिशिष्ट 2.5** में दर्शित)।

हमारे द्वारा शासन/विभाग को इंगित किये जाने पर (जून 2013) विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि व्यवसायी के पास लघु उद्योग प्रमाण-पत्र है अतः प्रवेश कर आरोपित नहीं किया जा सकता। हम असहमत है क्योंकि प्लांट एवं मशीनरी में ₹ एक करोड़ से अधिक के निवेश की शर्त (अधिसूचना क्रमांक 24 दिनांक 2 अप्रैल 2007 के अन्तर्गत) को पूरा नहीं किया गया था।

हमने शासन को अभिमत के लिए प्रतिवेदित किया (जून 2013); उनके उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013।)

2.18.3 15 इकाइयों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर (स.आ.वा.क), बिलासपुर के कार्यालय के दौरान हमने पाया (अप्रैल 2012) कि एक व्यवसायी, जो रसायन के निर्माण एवं विक्रय करते थे, के अवधि 2007-08 के कर निर्धारण मार्च 2011 में हुआ था। कर निर्धारिती ने अवधि 2007-08 के दौरान स्थानीय क्षेत्र के बाहर से ₹ 3.05 करोड़ का कच्चा माल क्रय किया था। कर निर्धारण अधिकारी ने कच्चे माल के क्रय पर प्रवेश कर की गलत छूट प्रदान की। व्यवसायी अधिसूचना क्रमांक 24 दिनांक 02 अप्रैल 2007 के अन्तर्गत छूट के योग्य नहीं था क्योंकि प्लांट और मशीनरी में निवेश ₹ 1 करोड़ से अधिक था। तदनुसार एक प्रतिशत की दर से ₹ 3.05 लाख का प्रवेश कर आरोपणीय था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत छुट प्रदान किये जाने से ₹ 3.05 लाख का अनारोपण हुआ (**परिशिष्ट 2.5** में दर्शित)।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित करने पर (अप्रैल 2012) कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (अप्रैल 2012) कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी।

हमने विभाग/शासन को अभिमत के लिए प्रतिवेदित किये (जून 2013); उनके उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

2.19 मोबाइल हैंडसेट पर प्रवेश कर का अनारोपण

छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम के धारा 3(1) (अ) के अनुसार एक व्यवसायी द्वारा व्यवसाय के अनुक्रम में अनुसूची- II में विनिर्दिष्ट मालों के प्रवेश पर, उसके उपभोग, उपयोग या बिक्री पर प्रवेश कर का आरोपण होगा। अनुसूची की प्रविष्टि क्रमांक 53 प्रावधानित करता है कि 'सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक सामानों जो अन्य जगह विनिर्दिष्ट न हो' पर एक प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। मोबाइल हैंडसेट जो कि इलेक्ट्रानिक माल है अनुसूची में विनिर्दिष्ट नही है अतः प्रविष्टि क्रमांक 53 के अनुसार करारोपणीय है। आगे माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रकरण मेसर्स ड्राइव इंडिया डॉट काम विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य और अन्य 2011 (19) एस.टी.जे. में निर्णित किया कि मोबाइल हैंडसेट वायर लेस रिसेप्शन यंत्र के अन्तर्गत शामिल है यथाक्रम, यह प्रविष्टि 53 में भी शामिल किया जा सकता है जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान से संबंधित है।

15 इकाईयों के नमूना जांच में से चार[10] इकाईयों के कर निर्धारण अभिलेखों के नमूना जांच में हमने पाया (अक्टुबर 2012) कि चार व्यवसायियों जो मोबाइल हैंडसेट और सिमकार्ड आदि का क्रय-विक्रय करते थे, का अवधि 2006-07 से 2008-09 का कर निर्धारण जून 2010 और अगस्त 2011 के मध्य हुआ था। कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण के दौरान माल को करमुक्त मानते हुए प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया। हालाकि मोबाइल हैंडसेट इलेक्ट्रॉनिक का सामान है और अधिनियम के प्रविष्टि क्रमांक 53 के अनुसार करारोपणीय है इसीलिए ₹ 38.89 करोड़ पर एक प्रतिशत की दर से ₹ 38.89 लाख का प्रवेश कर आरोपणीय था **(परिशिष्ट 2.6** में दर्शित)। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुसूची की प्रविष्टि का सत्यापन एवं उसके अनुरूप करारोपण करने में असफल रहने से प्रवेश कर ₹ 38.89 लाख का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (जून 2013) विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि तीन प्रकरणों को धारा 22 के अन्तर्गत पुनः खोला गया और ₹ 37.35 लाख का मांग पत्र जारी किया गया। वसूली की जानकारी अप्राप्त है (नवम्बर 2013)। शेष प्रकरण के संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

हमने शासन को अभिमत के लिए प्रतिवेदित किया (जून 2013); उनके जानकारी प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013) ।

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेक्षापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका क्रमांक 2.20 के समान तथ्य इंगित किये गये थे जिसमें विभाग/शासन ने बताया था कि एक परिपत्र सभी संभागों को जारी किया गया (अक्टूबर 2012) जिसमें उनको निर्देशित किया गया था कि मोबाइल हैंटसेट पर प्रवेश कर की जांच करें एवं

[10] स.आ.वा.क. (श्री एस.एस.पाण्डेय) रायपुर, स.आ.वा.क. (श्री उदय शंकर) रायपुर, स.आ.वा.क. (श्री के.के. आर्य) रायपुर और स.आ.वा.क. (श्री टी. एल.ध्रुव) रायपुर।

एक प्रतिशत की दर से करारोपण करे जहां करारोपण नहीं हुआ है। कमियाँ/अनियमितताएँ की प्रकृति की निरंतरता यह प्रदर्शित करती है कि विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र प्रभावी नहीं है जो राजस्व के रिसाव को रोक सके।

तीसरा अध्यायः मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

कार्यपालिक सारांश

इस अध्याय में हमने जो मुख्यांकित किया	इस अध्याय में हमनें मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के आरोपण एवं संग्रहण में हमारे द्वारा पाये गये ₹ 80.40 करोड़ के वित्तीय प्रभाव को प्रस्तुत किया है।
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	वर्ष 2008-09 और 2011-12 में मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस से प्राप्तियाँ बजट अनुमानों में क्रमशः 4.69 और 3.33 प्रतिशत कम थी। वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमानों से क्रमशः 13.23 प्रतिशत और 20.83 प्रतिशत से अधिक रही, जबकि वर्ष 2012-13 के दौरान बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्ति के मध्य अंतर नगण्य (0.26 प्रतिशत) था।
आंतरिक लेखापरीक्षा को महत्व नहीं दिया गया	वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में वर्ष 2010-11 से आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में स्वीकृत दो सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के विरूद्ध मात्र एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी पदस्थ था। वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा ने लेखापरीक्षा हेतु 101 इकाईयों की योजना बनाई। यद्यपि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा वर्ष 2010-11 को छोड़कर पूरी क्षमता से कार्यरत थी, तथापि वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा ने मात्र 32 इकाईयों की लेखापरीक्षा की। पुनः वर्ष 2011-12 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु कोई योजना नहीं बनाई गयी और वर्ष 2012-13 के लिए अनुमोदित 51 इकाईयों के विरूद्ध एक भी इकाई की लेखापरीक्षा नहीं की गई।
लेखापरीक्षा का प्रभाव	हमने अप्रैल से जुलाई 2013 के दौरान मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के आरोपण और संग्रहण की लेखापरीक्षा की, जिससे अवसूली/कम वसूली, मुद्रांक शुल्क के भुगतान से अनियमित छूट, अन्य विभागों के साथ समन्वय की कमी से मुद्रांक शुल्क की अवसूली, जिला पंजीयकों द्वारा निर्णित प्रकरणों का पुनरीक्षण न होना, छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में स्पष्ट प्रावधानों का अभाव, जिला पंजीयकों को संदर्भित प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलंब, बाजार मूल्य मार्गदर्शिका का अनुपालन न होना, कूटरचित राजस्व अभिलेखों से

	समर्थित दस्तावेजों का पंजीयन और अन्य अनियमितताओं के प्रकरण पाये गये।
हमारा निष्कर्ष	हमने देखा कि उद्योग, ऊर्जा और वाणिज्यकि कर (पंजीयन) विभागों के मध्य समन्वय की कमी से उचित मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस की वसूली के बिना दस्तावेज स्वीकार/पंजीयन कर लिए गए थे। सम्पत्ति के अवमूल्यांकन सहित दस्तावेजों का पंजीयन, मुख्य मार्ग के मापदंड़ में स्पष्टीकरण के अभाव, औद्योगिक नीति के प्रावधानों के विपरीत छूट प्रमाण पत्र जारी करने इत्यादि के कारण भी मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का अनारोपण /कम आरोपण हुआ। भारतीय मुद्रांक अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के तहत जिला पंजीयक द्वारा निर्णित प्रकरणें का पुनरीक्षण नहीं हुआ। लंबित प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब हुआ और राजस्व वसूली के प्रमाणपत्रों को शीघ्र निराकृत करने हेतु प्रयास अपर्याप्त थे। आंतरिक नियंत्रण तंत्र नियमित रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा न करने, जिला पंजीयको द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण और उप पंजीयको द्वारा अपर्याप्त स्थल निरीक्षण से कमजोर था।

3.1 लेखापरीक्षा का प्रभाव

निरीक्षण प्रतिवेदनों (2012-13) के पालन की स्थति :

हमने वर्ष 2012-13 के दौरान वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के 38 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और 193 प्रकरणों मे मुद्रांक शुल्क व पंजीयन फीस के अनारोपण/कम आरोपण, जिला पंजीयको को संदर्भित प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलंब और अन्य अनियमितताएं देखी जिसमें राशि ₹ 81.13 करोड़ का प्रभाव सन्निहित है, जो निम्न श्रेणीयों में वर्गीकृत हैः-

(₹करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	**"मुद्रांक शुल्क व पंजीयन फीस के आरोपण व संग्रहण" एक समीक्षा**	**1**	**80.40**
2	सम्पत्तियों के न्यून मूल्यांकन, लिखतों के गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का अनारोपण/कम आरोपण	170	0.62
3	प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलंब	7	0.07
4	अन्य अनियमितताएं	15	0.04
	योग	**193**	**81.13**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 73 प्रकरणों में ₹ 52.65 लाख के अवमूल्यांकन को स्वीकार किया जो 2012-13 में इंगित किए गए थे।

मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस के आरोपण एवं संग्रहण की लेखापरीक्षा में पाई गई कमियाँ जिसमें राशि ₹ 80.40 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है उत्तरवर्ती कंडिकाओं में दर्शाई गई हैं।

3.2 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का आरोपण एवं संग्रहण

मुख्यांश

- लोक कार्यालयों के साथ समन्वय की कमी से ₹ 67.63 करोड़ के मुद्रांक शुल्क व जनपद शुल्क की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 3.2.12)

- उद्योगों को गलत छुट प्रमाण पत्र जारी किये जाने से मुद्रांक शुल्क ₹ 4.65 करोड़ का अनारोपण हुआ।

(कंडिका 3.2.13)

- उप पंजीयकों के द्वारा लिखितों में वर्णित विवरण के आधार पर वर्गीकरण न करने से मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस ₹ 1.17 करोड़ का अनारोपण हुआ।

(कंडिका 3.2.22)

- उप पंजीयको द्वारा महिला निष्पादकों को मुद्रांक शुल्क में अनियमित कमी दिए जाने से मुद्रांक शुल्क ₹ 22.49 लाख की कम वसूली हुई।

(कंडिका 3.2.23)

- उप पंजीयकों द्वारा परिवर्तित भूमि के बाजार मूल्य का सही निर्धारण न करने से मुद्रांक शुल्क व पंजीयन फीस ₹ 40.56 लाख का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 3.2.26)

- उप पंजीयको द्वारा छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में वर्णित दरों के अनुरूप बाजार मूल्य का निर्धारण न करने से मुद्रांक शुल्क व पंजीयन फीस ₹ 1.02 करोड़ की कम वसूली हुई।

(कंडिका 3.2.27)

- कंपनियों के समामेलन पर जनपद शुल्क ₹ 2.30 करोड़ का अनारोपण हुआ साथ ही अन्य राज्य में जमा की गई ₹ 1.83 करोड़ के मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं की गई।

(कंडिका 3.2.31)

3.2.1 प्रस्तावना

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग राज्य के मुख्य राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में से एक है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य के कुल कर राजस्व में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का योगदान 7.31 और 8.73 प्रतिशत के मध्य था। मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस की प्राप्ति शासन के राजस्व का मुख्य स्रोत है। मुद्रांक शुल्क दस्तावेज के निष्पादन पर आरोपणीय हैं तथा पंजीयन फीस दस्तावेज के पंजीयन के समय विहित दरों पर देय है। पुनः बाजार मूल्य के एक प्रतिशत की दर से जनपद शुल्क, बाजार मूल्य के एक प्रतिशत की दर से निगम शुल्क (यदि सम्पत्ति नगर निगम क्षेत्र में स्थित है) एवं मुद्रांक शुल्क के पाँच प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क के रूप में उपकर भी आरोपणीय है। शासन द्वारा समय-समय पर जारी औद्योगिक नीति के अंतर्गत नई औद्योगिक इकाईयों को निर्धारित शर्तों के पूर्ण करने पर मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है। शासन महिलाओं के पक्ष में सम्पत्ति के अंतरण पर मुद्रांक शुल्क के भुगतान पर रियायत प्रदान करती है।

3.2.2 संगठनात्मक संरचना

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग का प्रमुख शासन स्तर पर सचिव तथा विभाग स्तर पर महानिरीक्षक पंजीयन सह-अधीक्षक मुद्रांक (म.नि.पं.) है जिसकी सहायता के लिए दो उप-महानिरीक्षक पंजीयन, 10 जिला पंजीयक-सह मुद्रांक संग्राहक (जि.पं.) तथा 88 उप पंजीयक (उ.पं.) हैं।

3.2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

हमने मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के आरोपण और संग्रहण की लेखापरीक्षा 2006-07 में की थी जो 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की कंडिका क्र. 4.2 में सम्मिलित थी, जिसमें मुद्रांक शुल्क के अनारोपण/कम आरोपण, लिखतों के गलत वर्गीकरण, प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब आदि को रेखांकित किया गया था।

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के आरोपण एवं संग्रहण पर वर्तमान लेखापरीक्षा के लिए हमने 2008-09 से 2012-13 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच की। मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के आरोपण एवं संग्रहण हेतु विभाग में प्रवर्तन तंत्र और निहित प्रक्रिया की दक्षता और प्रभावकारिता के मूल्यांकन हेतु म.नि.पं. के कार्यालय, तीन जि.पं[1] और 21 उप पंजीयकों[2] का चयन सिम्पल रैन्डम सैंपलिंग के आधार पर किया गया। 2008-09 से 2011-12 के दौरान इन 21 उप पंजीयको की इकाईयों का राज्य के कुल मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस में योगदान 74.10 प्रतिशत था। पुनः मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस से संबंधित जानकारियाँ/अभिलेख उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सी.एस.आई.डी.सी.) और मुख्य विद्युत निरीक्षक (सी.ई.आई.) के कार्यालयों से प्राप्त किए गए तथा वाणिज्यिक कर (पंजीयन)

1 दुर्ग, रायगढ़ एवं रायपुर।

2 अभनपुर, अम्बिकापुर, आरंग, बलौदाबाजार, भाटापारा, बिलासपुर, बिल्हा, चाँपा, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, जांजगीर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, मुंगेली, महासमुंद, पाटन, राजनांदगाँव, रायगढ़ एवं रायपुर।

विभाग के अभिलेखों से इनका प्रतिसत्यापन किया गया। लेखापरीक्षा अप्रैल और जुलाई 2013 के मध्य की गई। लेखापरीक्षा में प्रणाली/अनुपालन की अनेक कमियाँ पाई गई जिनकी चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

3.2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने हेतु की गई कि :

- क्या अधिनियमों/नियमों/प्रक्रियाओं आदि में विहित प्रावधानों के अनुरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के आरोपण एवं संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में पर्याप्त प्रणाली विद्यमान थी;
- क्या अधिनियमों एवं नियमों में विहित प्रावधानों के अनुरूप छूट/ रियायत प्रदान की गई थी एवं
- क्या मुद्रांक शुल्क, पंजीयन फीस आदि की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए विभाग में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी।

3.2.5 लेखापरीक्षा मानदंड

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग की निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों एवं परिपत्रों का उपयोग लेखापरीक्षा मानदण्ड हेतु किया गया है,

- भारतीय मुद्रांक अधिनियम, (मु.शु.अधि.) 1899;
- पंजीयन अधिनियम, (पं.अधि.) 1908;
- भारतीय मुद्रांक नियम,1975;
- छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शिका (मार्गदर्शिका) और
- शासन/विभाग द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाएं/आदेश

3.2.6 अभीस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, वाणिज्यिक कर (पंजीयन), उद्योग एवं ऊर्जा विभागों द्वारा लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के सहयोग को अभिस्वीकृत करता है। लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यपद्धति पर सचिव, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग से दिनांक 5 जून 2013 को प्रवेश सम्मेलन में चर्चा की गई। प्रारूप प्रतिवेदन शासन और विभाग को 10 जुलाई 2013 को भेजा गया था। बहिर्गमन सम्मेलन अगस्त 2013 में सम्पन्न हुआ जिसमें लेखापरीक्षा उपलब्धियाँ, निष्कर्ष और अनुशंसाओं पर चर्चा हुई। शासन की तरफ से सचिव, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग तथा विभाग की तरफ से उप-महानिरीक्षक पंजीयन उपस्थित थे। बहिर्गमन सम्मेलन एवं अन्य समय पर प्राप्त उत्तरों को समुचित रूप से संबंधित कंड़िकाओं में सम्मिलित किया गया है।

3.2.7 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस से प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस से वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान वास्तविक प्राप्तियां, राज्य की इस अवधि की कुल कर प्राप्तियों के साथ निम्न तालिका में दर्शायी गयी है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अंतर आधिक्य (+)/ कमी)-(	अंतर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियां	कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2008-09	520.00	495.59	(-) 24.41	(-) 4.69	6,593.72	7.52
2009-10	515.00	583.13	68.13	13.23	7,123.25	8.19
2010-11	650.35	785.85	135.50	20.83	9,005.14	8.73
2011-12	875.00	845.82	(-) 29.18	(-) 3.33	10,712.25	7.90
2012-13	950.00	952.47	2.47	0.26	13,034.21	7.31

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उक्त तालिका को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि वर्ष 2008-09 एवं 2011-12 में बजट अनुमान से वास्तविक प्राप्तियाँ क्रमशः 4.69 और 3.33 प्रतिशत कम थी। वर्ष 2009-10 और 2010-11 में बजट अनुमान से वास्तविक प्राप्तियाँ क्रमशः 13.23 और 20.83 प्रतिशत बढ़ गईं। जबकि 2012-13 में बजट अनुमान से वास्तविक प्राप्तियों का अंतर का प्रतिशत नगण्य (0.26 प्रतिशत) था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा कि (अगस्त 2013) वर्ष 2009-10 और 2010-11 में पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या तथा बाजार मूल्य में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ कुछ उद्योगों के अधिक मूल्य के दस्तावेजों के पंजीयन के कारण प्राप्त राजस्व बजट अनुमानों से अधिक था।

3.2.8 बजट अनुमानों का तैयार करना

बजट अनुमान की कंडिका 18 के अनुसार प्राप्तियों का बजट अनुमान, करों, शुल्कों,फीस,आदि के वर्तमान दरों के आधार पर होनी चाहिए तथा उन दरों में वृद्धि या कमी जो शासन द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है को बजट अनुमानों में प्रस्तावित की जानी चाहिए। बजट तैयार करने में जहाँ तक संभव हो संभावित वास्तविक प्राप्तियों के लगभग नजदीक तक पहुंचने का उद्देश्य होना चाहिए। राजस्व के अनुमान हेतु अधिकतम दुरदृष्टि का उपयोग करना चाहिए। यह राजस्व के आकलन हेतु आवश्यक है।इसलिए यह आवश्यक है कि राजस्व की सभी मदें जिनका आकलन किया जा सकता है उन पर ध्यान देना चाहिए। अगर शुद्धता की जांच से संतुष्ट हो, न मात्र सभी मद जो आगे उपलब्ध कराए गए थे परन्तु जो आवश्यक है उसे भी उपलब्ध कराना चाहिए। पुनः बजट नियमावली की कंड़िका 58 प्रावधानित करता है कि पुनरीक्षित अनुमान सामान्यतः चालू वर्ष के प्रथम पाँच माहों व पिछले वर्ष के सात माहों के वास्तविक को मिलाकर तैयार किया जाता है या यह मानते हुए कि चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित अनुमान वर्तमान वर्ष

के प्रथम पाँच माह का वास्तविक एवं पिछले वर्ष का प्रथम पाँच माह का वास्तविक का समानुपातिक होगा।

वित्त विभाग ने विभिन्न विभागों के सचिव को निर्देशीत किया कि बजट अनुमान पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्ति और वर्तमान वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान को ध्यान में रखकर तैयार किये जावे। बजट अनुमान के पुनरीक्षण हेतु पिछले 12 माह की वास्तविक प्राप्तियों को ध्यान में रखा जावे।

विभाग द्वारा प्रस्तावित बजट अनुमान तथा वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान की तुलना वर्ष में वास्तविक प्राप्तियों के साथ वर्णित हैं :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विभाग द्वारा प्रस्तावित बजट अनुमान	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान	वित्त विभाग द्वारा संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2008-09	478.75	549.23	520.00	495.59	3.52
2009-10	569.16	600.01	515.00	583.13	2.45
2010-11	561.13	561.13	650.35	785.85	40.05
2011-12	660.23	750.00	875.00	845.82	28.11
2012-13	950.00	1,000.00	950.00	952.47	0.26

(स्रोतः *विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े*)

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2012-13 में विभाग द्वारा प्रस्तावित बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों का अंतर पांच प्रतिशत से कम था। परंतु वहीं वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान क्रमशः 40 और 28 प्रतिशत अधिक था जो बजट अनुमानों को तैयार करने के कमी की ओर इंगित करता है। यदि विभाग बजट अनुमान पिछले वर्षों के वास्तविक प्राप्तियों और वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश का पालन करता तो उक्त अंतर को कम किया जा सकता।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा (अगस्त 2013) कि वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान कुछ बड़े उद्योगों के दस्तावेजों के पंजीयन के कारण वास्तविक प्राप्तियाँ बढ़ गईं। पुनः शासन ने बताया कि प्राप्तियों की प्रवृत्ति की तिमाही निगरानी हेतु एक प्रणाली लाई जावेगी।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को बजट मैन्यूअल के प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बजट अनुमान की तैयारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

3.2.9 राजस्व की बकाया

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की बकाया 31 मार्च 2013 की स्थिती में ₹ 12.36 करोड़ थी जिसमें से ₹ 1.40 करोड़ पाँच वर्षों से पूर्व अवधि से बकाया थे। 2008-09 से 2012-13 के दौरान राजस्व के बकाया की स्थति निम्न तालिका में दर्शाई गई हैः

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान शामिल	वर्ष के दौरान की गई वसूली	बकाया का अंतिम शेष
2008-09	3.06	1.02	0.39	3.69
2009-10	3.69	2.00	0.99	4.70
2010-11	4.70	3.46	2.72	5.44
2011-12	5.44	3.08	3.49	5.03
2012-13	5.03	11.92	4.59	12.36

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि मार्च 2013 के अंत में अप्रैल 2008 से बकाया ₹ 3.06 करोड़ से बढ़कर ₹ 12.36 करोड़ हो गया। इसमें से राशि ₹ 2.12 करोड़ न्यायालयों में निर्णय हेतु अभी तक लंबित है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (अगस्त 2013) कि वर्ष 2012-13 के दौरान बकाया में अचानक वृद्धि का कारण जिला पंजीयकों के पास लंबित 561 प्रकरणों के निराकरण करने से हुआ, जिसकी वसूली नहीं की जा सकी। पुनः शासन ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक जिला पंजीयक को बकाया की समय पर वसूली हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा तथा बकाया को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग बकाया राजस्व की वसूली के लिए तत्काल कदम उठाए जो बढ़ती प्रवृत्ति दर्शा रहा है।

3.2.10 राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों में अग्रेतर कार्यवाही की कमी

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 48 प्रावधानित करती है कि इस अधिनियम के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित सभी शुल्क शास्तियाँ और अन्य राशियाँ उस व्यक्ति की, जिस द्वारा वे देय हैं, जंगम सम्पत्ति के कुर्की और विक्रय द्वारा या भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य प्रक्रिया की तरह वसूली जा सकेगी।

तीन चयनित जिला पंजीयक कार्यालय में संधारित दायरा पंजी[3] की जांच में हमने देखा कि वर्ष 1989-90 से 661 प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आर.आर.सी) से ₹ 8.40 करोड़ वसूली हेतु लम्बित थे। परन्तु जारी करने के पश्चात् जिला पंजीयको द्वारा वसूली हेतु कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की गई। पुनः म.नि.पं. के कार्यालय में भी इन प्रकरणों के संकलित अभिलेख संधारित नहीं थे और सम्पत्ति की कुर्की एवं इनके निराकरण हेतु कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी। निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति में विभाग ₹ 8.40 करोड़ का राजस्व वसूल नहीं कर पाया।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा (अगस्त 2013) की आर.आर.सी में लंबित राजस्व की वसूली के लिए पूर्व में कोई बलपूर्वक कार्यवाही जैसे कि न्यायालय द्वारा कुर्की,

[3] एक पंजी जिसमें राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों के प्रकरणों को दर्ज किया जाता है।

सम्पत्ति की नीलामी इत्यादि नहीं की थी। किन्तु उसकी वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी तथा म.नि.प. स्तर से इसकी निगरानी की जाएगी।

3.2.11 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

3.2.11.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा (आ.ले.) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक प्रमुख घटक है और इसे सामान्यतः समस्त नियंत्रणों पर नियंत्रण रखने के रूप में परिभाषित किया जाता है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निहित प्रणालियां समुचित रूप से कार्यरत है।

हमने देखा कि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में वर्ष 2010-11 से दो सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के स्वीकृत पदों विरूद्ध मात्र एक सहायक लेखापरीक्षा पदस्थ था। वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा ने 101 इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु योजना बनाई जिसके विरूद्ध केवल 32 इकाईयों की लेखापरीक्षा की जा सकी। पुनः विभाग ने वर्ष 2011-12 में लेखापरीक्षा हेतु कोई योजना अनुमोदित नहीं कराई। यद्यपि वर्ष 2012-13 में 51 इकाईयों की लेखापरीक्षा हेतु योजना बनाई गई परंतु किसी भी इकाई की लेखापरीक्षा नहीं की गई। आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा निरीक्षण की गई इकाईयों का वर्षवार विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजना बनाई गई इकाईयों की संख्या	निरीक्षण की गई इकाईयों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	आक्षेपित प्रकरणों की संख्या	आक्षेपित राशि	निराकृत प्रकरणों की संख्या	वसूली की गई राशि	लंबित प्रकरणों की संख्या
2008-09	40	16	49	142	0.86	4	0.004	138
2009-10	25	5	10	23	0.20	4	निरंक	19
2010-11	36	11	21	61	0.13	12	0.04	49
2011-12	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2012-13	51	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने बताया कि (अगस्त 2013) आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के लिए अतिरिक्त मानव शक्ति की स्वीकृति हेतु बजट में प्रावधान किया गया है।

पंजीयन विभाग के कार्यपालिक अनुदेश की कंडिका 469 में प्रावधान है कि जिला पंजीयक अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उप पंजीयक कार्यालयों का वर्ष में दो बार निरीक्षण करेगा। इसके अलावा, वह इन कार्यालयों का आकास्मिक निरीक्षण भी करेगा। पुनः पंजीयन मैनुअल की कंडिका 467 के अनुसार म.नि.प. एवं उ.म.नि.पं. भी जिला पंजीयक के कार्यालयों का निरीक्षण करेगें।

3.2.11.2 निरीक्षण

हमने देखा कि वर्ष 2008-2009 से 2012-13 के दौरान निरीक्षण हेतु लक्षित 815 कार्यालयों के विरूद्ध मात्र 232 कार्यालयों का ही जिला पंजीयको द्वारा निरीक्षण किया गया। पुनः

म.नि.पं. एवं उ.म.नि.पं. द्वारा लक्षित क्रमशः 10 और 40 इकाईयों के विरूद्ध केवल 4 और 23 इकाईयों का निरीक्षण किया गया। जिसका वर्षवार विवरण नीचे दर्शाया गया हैः

वर्ष	म.नि.पं		उ.म.नि.पं.		जि.पं	
	लक्ष्य	निरीक्षण	लक्ष्य	निरीक्षण	लक्ष्य	निरीक्षण्
2008-09	02	01	08	03	161	58
2009-10	02	01	08	02	175	51
2010-11	02	01	08	08	162	57
2011-12	02	01	08	07	144	27
2012-13	02	निरंक	08	03	173	39
योग	**10**	**04**	**40**	**23**	**815**	**232**

(स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी)

उपरोक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि म.नि.पं.,उ.म.नि.पं. एवं जि.पं., द्वारा अवधि 2008-09 से 2012-13 के दौरान किया गया निरीक्षण क्रमशः शून्य से 50 प्रतिशत, 25 से 100 प्रतिशत और 18 से 36 प्रतिशत के मध्य रहा। अतः लक्ष्य पूर्ण करने के लिए निरीक्षणों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने बताया कि (अगस्त 2013) मापदंड के अनुसार कार्यालयों के निरीक्षण हेतु जिला पंजीयको को निर्देश जारी किए जाएगें।

पंजीयन मैन्युअल की कंडिका 408 और फरवरी 2004 में विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित उप पंजीयक पंजीयन के पूर्व स्थल निरीक्षण निम्नानुसार करेगाः

1. नगर निगम क्षेत्र (बिलासपुर, दुर्ग, और रायपुर) में ₹ 3 लाख अथवा अधिक की बाजार मूल्य की सम्पत्ति ।
2. नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र (उपरोक्त को छोड़कर) में ₹ 2 लाख अथवा अधिक बाजार मूल्य की सम्पत्ति ।
3. अन्य नगरीय क्षेत्र में ₹ 1 लाख या अधिक बाजार मूल्य की सम्पत्ति।

पुनः मकान विक्रय के प्रकरण में स्थल निरीक्षण अनिवार्य है।

3.2.11.3 स्थल निरीक्षण

21 चयनित उपपंजीयक के कार्यालय में संधारित स्थल निरीक्षण अभिलेखों की जाँच में हमने देखा कि उप पंजीयको द्वारा मापदण्डों का पालन नहीं किया गया था। पुनः यह भी देखा गया कि उप पंजीयकों ने स्थल निरीक्षण के विवरण भी उचित रूप से संधारित नहीं किए थे। उप पंजीयकों द्वारा पंजीकृत किए गए दस्तावेजों, की कुल संख्या वास्तविक रूप में किया गया स्थल निरीक्षण आदि का विवरण नीचे वर्णित हैं:–

वर्ष	पंजीकृत किए गए मकानों की संख्या	किए गए स्थल निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण का प्रतिशत	₹ 1 लाख से अधिक मूल्य के पंजीकृत किए गए दस्तावेजों की संख्या	किए गए स्थल निरीक्षण की संख्या	सत्यापन का प्रतिशत	रिमार्क/ उप पंजीयको की संख्या जिन्होने विवरण प्रस्तुत नहीं किए
2008-09	6,902	132	1.91	8,301	418	5.04	14
2009-10	12,374	271	2.19	7,587	451	5.94	12
2010-11	13,967	505	3.62	11,089	700	6.31	12
2011-12	14,133	1,145	8.10	13,659	520	3.80	12
2012-13	14,673	1,308	8.91	14,388	681	4.73	11

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त संकलित आंकड़ों से)

यह देखा जा सकता है कि पंजीकृत मकानों के लिए उपपंजीयकों द्वारा किया गया स्थल निरीक्षण 1.91 और 8.91 प्रतिशत के मध्य था तथा ₹ 1 लाख से अधिक मूल्य वाले दस्तावेज के पंजीयन में यह 3.80 प्रतिशत से 6.31 प्रतिशत के मध्य रहा।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने बताया (अगस्त 2013) कि या तो पुराने प्रावधानों को हटाया जाएगा या स्थल निरीक्षण हेतु बाजार मूल्य की सीमा को बढ़ाया जाएगा।

शासन संबंधित अधिकारीयों द्वारा विहित निरीक्षण/स्थल निरीक्षण में संहितीय प्रावधानों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त निगरानी तंत्र स्थापित करने बाबत विचार करें।

3.2.12 दूसरे विभागों से समन्वय का अभाव

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा-33 प्रावधानित करती है कि प्रत्येक लोक अधिकारी सम्यक रूप से अमुद्रांकित प्रकरणों को परिबद्ध करेगा तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 38 के अनुसार कार्यवाही करेगा।

कार्यपालिक अनुदेश की कंडिका 469 के अनुसार, जिला पंजीयको को लोक कार्यालय के अभिलेखों का आकस्मीक निरीक्षण के अलावा वर्ष में दो बार निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना चाहिये कि मुद्रांक शुल्क का सही भुगतान किया गया है और जो दस्तावेज जिनका पंजीयन आवश्यक है वह उप पंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत किये गये है। भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अनुसूचि-एक (क) के अनुच्छेद 23 के अनुसार जहाँ किसी लिखित से उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 394 के अनुसार कम्पनियों का समामेलन अथवा पुर्ननिर्माण हुआ हो तब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सम्पति के बाजार मूल्य पर शुल्क सात प्रतिशत से या जारी शेयर के बाजार मूल्य या स्थानांतरण पर भुगतान की गई राशि, इसमें से जो भी अधिक हो का 0.7 प्रतिशत के बराबर राशि प्रभारणीय है। शासन की अधिसूचना (जुलाई 2006) द्वारा शुल्क की अधिकतम राशि ₹ 10 करोड़ प्रभारणीय है। पुनः हस्तांतरण पर जनपद शुल्क एक प्रतिशत की दर से वसूली योग्य है।

यह पाया गया कि जिला पंजीयको द्वारा लोक कार्यालय का निरीक्षण का कोई मापदण्ड विभाग में निर्धारित नहीं था। उद्योग विभाग और उर्जा विभाग के छूट नस्ती की समीक्षा के दौरान हमने पाया कि राज्य के भीतर स्थित सात कंपनियों ने व्यवसाय को चलाने और प्रबंधन हेतु अन्य कंपनियों के साथ समामेलन/पट्टा अनुबंध किया।

3.2.12.1 मार्च 2012 एवं जून 2013 में ऊर्जा विभाग और उद्योग विभाग के छूट नस्ती की जाँच में हमने पाया कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित छः कंपनियाँ जिसका समामेलन अन्य कंपनियों के साथ हुआ जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

(₹ करोड़ में)

उच्च न्यायालय का नाम /आदेश का माह	कंपनी का नाम (मेसर्स)	समामेलित/कंपनी के साथ स्थानांतरित (मेसर्स)	स्थिर परिसम्पत्ति का मूल्य (देयता सहित)	स्थिर परिसम्पत्ति का मुद्रांक शुल्क 7 प्रतिशत की दर से	वसूलनीय मुद्रांक शुल्क (अधिकतम)	कार्यालय का नाम जहां पर अनियमितता पाई गई
मध्य प्रदेश/फरवरी 2010	ग्रासिम इंडस्ट्रीज	समृद्धि सीमेंट लिमिटेड	462.06	32.34	10.00	मुख्य विद्युत निरीक्षक
गुजरात /जुलाई 2010	समृद्धि सीमेंट लिमिटेड	अल्ट्राटेक लिमिटेड	462.06	32.34	10.00	मुख्य विद्युत निरीक्षक
महाराष्ट्र/नवंबर 2009	कारपोरेट इस्पात एलाएस	जायसवाल नीको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	408.51	28.60	10.00	मुख्य विद्युत निरीक्षक
महाराष्ट्र/नवंबर 2009	अभिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	जायसवाल नीको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	145.70	10.20	10.00	मुख्य विद्युत निरीक्षक
महाराष्ट्र/फरवरी 2007	छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी लिमिटेड	रायपुर एलाएस एवं स्टील लिमिटेड	249.48	17.46	10.00	उद्योग विभाग
महाराष्ट्र/फरवरी 2007	रायपुर गैसेस प्रा. लिमिटेड					
योग			**1,727.81**	**120.94**	**50.00**	

भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अनुसार इन छः प्रकरणों में मुद्रांक शुल्क ₹ 50 करोड़ और जनपद शुल्क ₹ 17.28 करोड़ वसूली योग्य था। यद्यपि पुनः जून 2013 में कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग विभाग और संबंधित जिला पंजीयको की संवीक्षा में पाया गया कि जिला पंजीयक ने सितम्बर 2012 में दो प्रकरणों का निराकरण कर मुद्रांक शुल्क ₹ 20 करोड़ का आरोपण किया, जबकि अन्य चार प्रकरणों में नोटिस जारी किये गये थे। यह भी देखा गया कि न ही कंपनी ने मुद्रांक शूल्क का भुगतान किया और न ही मुख्य विद्युत निरीक्षक और उद्योग विभाग जो कि मुद्रांक अधिनियम के अनुसार लोक कार्यालय[4] घोषित थे, मुद्रांक शुल्क के भुगतान को सुनिश्चित किया। जिला पंजीयको ने भी आवश्यक लोक कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया। अतः अन्य विभागों से समन्वय की कमी और लोक कार्यालय के निरीक्षण की निगरानी प्रणाली के अभाव में राजस्व राशि ₹ 67.28 करोड़ का पता नहीं चला।

पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार बारह माह से अधिक पट्टा अवधि के लिखत का पंजीयन अनिवार्य है। भारतीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूचि-एक (क) में उल्लेखित दर के अनुसार ऐसी लिखतों पर मुद्रांक शुल्क के तीन चौथाई की दर से पंजीयन फीस आरोपणीय है।

3.2.12.2 कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक के छूट नस्ती की संवीक्षा में पाया गया कि अक्टूबर 2009

[4] भारतीय मुद्रांक अधिनियम हेतु अधिसूचना क्रमांक-196-छः-एस.आर.-80 दिनांक 20 मार्च 1980 द्वारा शासकीय विभाग, गृह निर्माण मण्डल, स्थानिय निकाय, निगम एवं बैंक को लोक कार्यालय घोषित किया है।

में मेसर्स इंड पावर्स लिमिटेड (पट्टादाता) ने मेसर्स इंड सिनेर्जी लिमिटेड (पट्टा ग्राहिता) को व्यवसाय संचालन हेतु भूमि और निर्मित सम्पत्ति सभी लायसेंस, अनुज्ञप्ति लाभ इत्यादि सहित उद्योग को माननीय उच्च न्यायालय से पट्टादाता और पट्टाग्राहिता का समामेलन मंजूर किये जाने तक या तिन वर्ष इससे जो पहले हो की अवधि तक पट्टा किराया ₹ 5 करोड़ वार्षिक की दर से पट्टे का अनुबंध किया। पुनः अक्टूबर 2009 से पट्टेदार ने प्रबंधन और व्यवसाय के संचालन संबंधित सभी अधिकार, उद्योग का हस्तांतरण सहित दो वर्ष की किराये के बराबर सिक्यूरिटी जमा करने पर मान्य किया। जैसा कि पट्टे की अवधि 12 महीने से अधिक थी, इसलिए इसको पंजीयन करना आवश्यक था और पट्टाग्रहिता से वार्षिक किराया के चार प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क ₹ 20 लाख और वसूलनीय मुद्रांक शुल्क से तीन चौथाई की दर से पंजीयन फीस ₹ 15 लाख वसूली योग्य थी। परन्तु पट्टाग्रहिता ने बिना किसी आधार पर ₹ 50 के शुल्क का भुगतान कर पट्टा करार का निष्पादन किया। किन्तु मुख्य विद्युत निरीक्षक ने पट्टा अनुबंध स्वीकार करते समय न ही मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस के भुगतान के लिए प्रेरित किया और न ही उसकी वसूली के लिए कोई प्रयास किये। जिला पंजीयक द्वारा भी लोक कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस की राशि ₹ 35 लाख का कम आरोपण हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन (अगस्त 2013) नें कहा कि लोक कार्यालय में प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों की निगरानी हेतु एक तंत्र का विकास किया जावेगा। पुनः शासन ने कहा कि मुख्य विद्युत निरीक्षक और उद्योग विभाग को दस्तावेज जिला पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा गया है ताकि राजस्व की वसूली की जा सके। जिला पंजीयको को यह निर्देश दिए गए हैं कि लोक कार्यालयों का निरीक्षण समयावधि में करें और जिला पंजीयक द्वारा लोक कार्यालयों के निरीक्षण की समीक्षा त्रैमासिक बैठक में की जावेगी।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन एक उचित तंत्र अपनाने पर विचार कर सकती है, जिससे लोक कार्यालय का सामयिक निरीक्षण और दूसरे विभागों से आवश्यक समन्वय सुनिश्चित हो जिससे मुद्रांक शुल्क प्राप्त हो सके।

3.2.13 औद्योगिक नीति के अंतर्गत अनियमित छूट

औद्योगिक नीति 2009-14 के अनुसार, जिन मध्यम, वृहद् औद्योगिक इकाईयों, मेगा प्रोजेक्ट तथा अति वृहद् उद्योगों ने नियत दिनांक 01 नवंबर 2009 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु ई.एम.औद्योगिक अनुज्ञाप्ति पारित किया हो अथवा राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. किया हो एवं उनकी वैधता अवधि समाप्त न हुई हो किंतु औद्योगिक नीति 2004-09 की कालावधि समाप्त होने के दिनांक 31 अक्टूबर 2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो, वह 31 अक्टूबर 2010 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर अनुदान/छूट/रियायतें प्राप्त करने हेतु पात्र है।

औद्योगिक नीति के तहत शासन द्वारा समय-समय पर औद्योगिक इकाईयों को मुद्रांक शुल्क से छूट कुछ

निबन्धनों और शर्तों के साथ दी जाती है। ऐसा प्रोत्साहन एक निश्चित अवधि के लिए देय है और इकाई को प्रोत्साहन की पात्रता निश्चित अचल पूँजी के निवेश के दिनांक के आधार पर प्राप्त होती है। उद्योग विभाग छूट प्रमाण पत्र जारी करता है और वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग,छूट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करता है।

उद्योग विभाग के छूट नस्ती की जांच में पाया गया कि दिसम्बर 2007 एवं जुलाई 2010 के मध्य उद्योग विभाग ने नौ कंपनियों को 2,339.548 हेक्टेयर भूमि के विक्रय/पट्टा विलेख के निष्पादन पर मुद्रांक शुल्क से भुगतान हेतु छूट प्रमाण पत्र जारी किया। ये सभी प्रमाण पत्र औद्योगिक नीति 2004-09 के अंतर्गत जारी किये गये थे। प्रमाण पत्र में उल्लेखित निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार इन कंपनियों को भूमि का क्रय प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से छः माह के भीतर किया जाना था। प्रमाण पत्र की बढ़ी हुई वैधता अवधि के समय औद्योगिक नीति 2009-14 प्रभावी थी, जिसमें मध्यम, वृहद् औद्योगिक ईकाइयों और मेगा प्रोजेक्ट[5] को 31 अक्टूबर 2010 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2004-09 के अंतर्गत छूट की प्रात्रता थी।

3.2.13.1 पंजीयन विभाग में पंजीकृत लिखतों के प्रति सत्यापन पर हमने पाया कि इन कम्पनियां ने भूमि का क्रय किया और संबंधित उप पंजीयक द्वारा मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई जो निम्नानुसार है :

[5] मध्यम औद्योगिक ईकाई अर्थात वो औद्योगिक इंटर प्राइजेज जिसका प्लांट एवं मशीनरी में पूँजी निवेश ₹ 10 करोड़ से कम हो, वृहद् औद्योगिक इकाई अर्थात वो औद्योगिक इंटरप्राइजेस जिसका प्लांट एवं मशीनरी में पूँजी निवेश ₹ 10 करोड़ से अधिक किन्तु ₹ 100 करोड़ से कम हो, मेगा प्रोजेक्ट अर्थात एक औद्योगिक इंटरप्राईजेस जिसका अचल पूँजी निवेश ₹100 करोड़ से अधिक किन्तु ₹1,000 करोड़ से कम हो, अति वृहद् उद्योग अर्थात एक औद्योगिक इंटर प्राईजेस जिसकी अचल पूँजी निवेश ₹1,000 करोड़ से अधिक हो।

स. क्र.	कम्पनी का नाम	जारी छूट प्रमाण पत्र (माह)	कुल क्षेत्रफल जिसमें छूट प्रदान की गई (हेक्टेयर)	छूट प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाई गई(माह)	कुल भूमि का क्रय (हे. में)				
					2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	मेसर्स एथेना छत्तीसगढ़, प्राइवेट लिमिटेड	फरवरी 2009	477.350	निरंक	निरंक	3.678	8.320	निरंक	निरंक
2	मेसर्स श्री बजरंग पावर और इस्पाट लिमिटेड	अप्रैल 2010 और जुलाई 2010	182.763	अप्रैल 2011	निरंक	निरंक	निरंक	6.304	निरंक
3	मेसर्स डी.बी. पावर प्राइवेट लिमिटेड	फरवरी 2009 और अगस्त 2009	306.588	फरवरी 2010 और फरवरी 2011	निरंक	5.508	14.960	1.923	27.060
4	मेसर्स इमामी सिमेंट लिमिटेड	फरवरी 2008	201.265	अप्रैल 2011	39.070	20.346	निरंक	18.119	निरंक
5	मेसर्स फार्चुन मेटालीक्स लिमिटेड	जनवरी 2009	9.328	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.975	निरंक
6	मेसर्स वंदना इस्पात	अप्रैल 2008 और मार्च 2010	234.356	निरंक	निरंक	0.846	17.742	9.402	0.405
7	मेसर्स वंदना विद्युत लिमिटेड	दिसम्बर 2007, फरवरी 2008 और जनवरी 2010	326.819	जनवरी 2011	निरंक	3.558	निरंक	निरंक	निरंक
8	मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड	जून 2008, जुलाई 2008 और मार्च 2010	400.779	मार्च 2011	निरंक	0.997	16.240	निरंक	निरंक
	योग		**2,139.248**		**39.070**	**34.933**	**57.262**	**36.723**	**27.465**

चुंकि यह कंपनियाँ निर्धारित समयावधि में भूमि क्रय करने में असफल रही एवं औद्योगिक नीति 2009-14 के अंतर्गत निर्धारित समयवधि 31 अक्टूबर 2010 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रांरभ न किये जाने से मुद्रांक शुल्क में छूट हेतु प्रात्र नहीं थी। भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अनुसार, ₹ 1.96 करोड़ का मुद्रांक शुल्क वसूलनीय था जो निम्नानुसार है।

(₹ लाख में)

वर्ष	उद्योग द्वारा खरीदी गई कुल भूमि	सम्पत्ति का कुल बाजार मूल्य	शुल्क की दर (प्रतिशत)	वसूलनीय मुद्रांक शुल्क
2007-08	39.070	201.75	8.875	17.91
2008-09	34.933	236.83	8.875	21.02
2009-10	57.262	496.03	7.825	38.81
2010-11	36.723	874.71	7.3	63.85
2011-12	27.465	802.18	6.775	54.35
योग	**195.453**	**2,611.50**		**195.94**

3.2.13.2 इसी तरह निम्नलिखित उद्योगों ने पट्टा अनुबंध का निष्पादन किया और संबंधित उप-पंजीयक द्वारा मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई जो नीचे उल्लेखित है :

(₹ लाख में)

स.क्र.	उद्योग का नाम	जारी प्रमाण पत्र (माह)	दस्तावेज क्र./दिनांक	कुल क्षेत्रफल हैक्टेयर में	पट्टे भूमि का मूल्य	वसूलनीय मु.शु. @ 6.5 प्रतिशत
1	मेसर्स डी.बी. पावर प्राइवेट. लिमिटेड.	दिसंबर 2009	1071/ 19.02.2010	29.22	206.50	13.42
2	मेसर्स जी.एम.आर. एम.जी. लिमिटेड	दिसम्बर 2009	1459/ 16.12.2009	171.08	3,934.35	255.73
योग				**200.30**	**4,140.85**	**269.15**

संबंधित उप-पंजीयक द्वारा मुद्रांक शुल्क के भूगतान से छूट, उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र की वैधता की जांच किए बिना दी गई। अतः 31 अक्टूबर 2010 के पश्चात् छूट प्रमाण पत्र उद्योग विभाग द्वारा जारी की गई और उसे उप पंजीयक द्वारा संवीक्षा करने से न केवल मुद्रांक शुल्क ₹ 2.69 करोड़ की अवसूली हुई बल्कि कंपनीयों को अनुचित रूप से फायदा पहुचाया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने लेखापरीक्षा प्रक्षणों को स्वीकार किया और कहा कि प्रकरण उद्योग विभाग से संबंधित है, अतः उचित कार्यवाही हेतु इसे वहाँ भेजा जावेगा। छूट प्रकरणों की निगरानी के लिए एक निगरानी तंत्र का विकास किया जावेगा। उप पंजीयकों को औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन से संबंधित मार्गदर्शिका जारी की जायेगी।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन औद्योगिक नीति के शर्तों की पूर्ति के संबंध में मुद्रांक शुल्क की छुट देने के पहले वाणिज्यकर (पंजीयन) विभाग एवं उद्योग विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करें।

3.2.14 भूमि क्रय और वाणिज्यिक उत्पादन की निगरानी न करना

उद्योग विभाग द्वारा जारी छूट प्रमाण पत्र के शर्तो के अनुसार, उद्योगो को छूट प्रमाण पत्र जारी किये जाने के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रांरभ करना था। पुनः यह भी आवश्यक है कि कम्पनी उद्योग विभाग को पंजीकृत लिखत की प्रति उपलब्ध करायें। छूट प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तो के पालन में असफल रहने पर कम्पनी मुद्रांक शुल्क की छूट की राशि 12.50 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित भुगतान हेतु दायी होगा।

उद्योग विभाग मे छूट नस्तीयां और चयनित उप पंजीयक में छूट पंजीयों की जांच में पाया गया कि जिन कंपनीयों को छुट प्रदान की गई थी उनके वाणिज्यिक उत्पादन की स्थिती के संबंध में विभाग मे कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। पुनः कम्पनी को चाहिए था कि लिखत की प्रति विभाग को उपलब्ध कराये जो नहीं कराई गई। इन दस्तावेजों के अभाव में उद्योग विभाग यह जानने में असमर्थ था कि छूट प्रमाण की उपयोगिता निश्चित समय सीमा के भीतर है। ऐसी जानकारी/लिखत को प्राप्त करने हेतु न ही उद्योग विभाग और न ही पंजीयन विभाग ने कोई कार्यवाही की।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विभाग में निगरानी तंत्र कमजोर था जिससे यह सूनिश्चित हो सके कि छूट का लाभ उन्ही उद्योगों को मिल रही है जो औद्योगिक निजी के उद्देश्यों की पूर्ती करते थे।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन (अगस्त 2013) ने कहा कि छूट के दस्तावेजों की जाँच की जायेगी एवं वाणिज्यिक उत्पादन की निगरानी के लिए एक तंत्र का विकास किया जायेगा।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन एक ऐसे तंत्र की स्थापना करें जिसमें मुद्रांक शुल्क की छुट से संबंधित विवरण/लिखत समयावधि में प्रस्तुत की जावें।

3.2.15 जिला पंजीयको द्वारा निर्णीत प्रकरणों का पुनरीक्षण न होना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम के धारा 47 क (4) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जिला पंजीयक द्वारा इस अधिनियम की धारा 47 क के उपधारा 2 और 3 के तहत पारित आदेश से व्यथित हो तो ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील राज्य शासन द्वारा नियुक्त संभागीय आयुक्त के पास निर्धारित रिती से कर सकता है। पुनः कार्यपालिका अनुदेश के कंडिका 216 के अनुसार जिला पंजीयक आदेश की एक प्रति जिलाधीश की ओर प्रेषित करेगा। जिलाधीश आदेश की जांच करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो 30 दिवस के अंदर आदेश के विरूद्ध अपील करने हेतु उप पंजीयक को निर्देशित करेगा।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम के धारा 47 क के अंतर्गत मार्च 2012 और मार्च 2013 के मध्य जिला पंजीयक को संदर्भित प्रकरणों में पारित आदेशों की जांच में पाया गया कि उप पंजीयक द्वारा प्रस्तावित संपत्ती

के बाजार मूल्य में जिला पंजीयक ने 8.06 और 75.96 प्रतिशत के मध्य से कम किया जो नीचे दर्शित है:

(₹ लाख में)

स. क्र.	जिला पंजीयक का नाम	प्रकरणों की संख्या	अवधि जिसके मध्य निष्पादन हुआ	उप पंजीयक के द्वारा प्रस्तावित मूल्य	वसूलनीय मुद्रांक शुल्क/ पंजीयन फीस	जिला पंजीयक द्वारा प्रस्तावित मुल्य	वसूला गया मुद्रांक शुल्क/ पंजीयन फीस	मुद्रांक शुल्क/ पंजीयन फीस में अंतर
1	अंबिकापुर	8	दिसंबर 2010 एवं जून 2010	262.96	21.20	127.92	9.97	11.23
2	दुर्ग	13	मार्च 2012	2,498.07	203.67	1,449.24	117.54	86.13
3	मुंगेली	1	मई 2012	33.66	2.71	8.09	0.65	2.06
4	राजनांदगाँव	12	जूलाई 2012 एवं मार्च 2013	416.15	33.54	277.58	22.22	11.32
5	रायपुर	7	मार्च 2012 एवं अप्रैल 2012	422.24	36.22	316.68	27.17	9.05
	योग	**41**		**3,633.08**[6]	**297.34**	**2,179.51**	**177.55**	**119.79**

उपरोक्त तालिका से देखा गया कि जिला पंजीयक द्वारा निर्धारित सम्पत्तियों का बाजार मूल्य उप पंजीयक द्वारा प्रस्तावित बाजार मूल्य से कम था एवं कमी का प्रतिशत 8.06 से 75.96 के मध्य था। मार्च 2012 एवं सितम्बर 2012 के मध्य जारी किये गये 16 आदेशों की संविक्षा में पाया गया कि एक ही क्षेत्र के अंतर्गत एक ही व्यक्ति को एक से अधिक लिखत पर कमी प्रदान की गई थी। जिला पंजीयक रायपुर को छोड़कर अन्य जिला पंजीयको ने आदेशों की प्रतिलिपि जिलाधीश के पास भेजी थी। किन्तु कोई भी ऐसा प्रकरण सामने नहीं आया जिनमें मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण, (सी.सी.आर .) के पास अपील की गई थी। आगे यह भी ज्ञात हुआ कि पांचों उप पंजीयक मे से किसी ने भी जिलाधीश की अनुमति से आदेश को चुनौती नहीं दी गई। पुनः जिला पंजीयक द्वारा पारित सभी आदेश की प्रतिलिपि विभाग को उपलब्ध करायी गयी थी लेकिन विभाग ने मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने हेतु कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की थी।

6

(राशि ₹ में)

वर्ष	बाजार मूल्य	शुल्क की दर (पु./म.)	आरोपणीय शुल्क	आरोपित
2010-11	38,66,908	8.3%(पु)	3,20,955	2,33,387
2011-12	25,75,66,200	7.775%(पु)	2,00,25,772	1,20,90,877
2011-12	5,03,00,700	5.675% (म)	28,54,565	18,16,320
2012-13	1,13,12,400	6.2% (म)	7,01,369	3,11,605
2012-13	4,02,61,849	7.25%(पु)	29,18,986	15,57,689
	36,33,08,057		**2,68,21,648**	**1,60,09,878**

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन (अगस्त 2013) ने कहा कि प्रकरणों की पुनः जांच की जावेगी और जिला पंजीयक का आदेश सही न पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। पुनः यह कहा गया कि जिला पंजीयक द्वारा सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर 10 प्रतिशत से अधिक की कमी प्रदान करने की दशा में प्रकरणों की सामयिक समीक्षा की जावेगी। यह भी कहा गया कि एक तंत्र की स्थापना की जावेगी जिससे जिला पंजीयको के निर्णीत प्रकरणों पर निगरानी रखी जा सके।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन राजस्व के हित में जिला पंजीयक द्वारा निर्णीत आदेशों के पुनरीक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाये।

3.2.16 मार्गदर्शिका में मुख्य मार्ग का मापदण्ड और स्पष्ट प्रावधान न होना

छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के प्रारूप तीन की कंडिका-9 के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राज्यमार्ग और जिला सड़क (डब्ल्यू.बी.एम सड़क) के निकट स्थित भूमि का मूल्य क्रमशः 30,20 और 10 प्रतिशत से बढ़ाया जावेगा। यदि मार्गदर्शिका में उपरोक्त मार्गों हेतु पृथक से दर निर्धारित की गई हो तो यह उपबंध मान्य नहीं है।

3.2.16.1 पांच[7] उप पंजीयक द्वारा पंजीकृत लिखतों की जांच के दौरान हमने पाया कि नौ लिखतों में समर्थित साक्ष्य जैसे पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार सम्पत्ति डब्ल्यू.बी एम[8] मार्ग के समीप स्थित थी जो नीचे उल्लेखित है :

स. क्र	उप पंजीयक का नाम	दस्ता क्र./दिनांक	विक्रेता	क्रेता	सम्पत्ति का विवरण	रकबा
1	आरंग	1146/ 05.10.2012	मिशल	सुजीत कुमार	ग्राम भटिया-पहन-39	0.81 हे.
2	आरंग	1150/ 08.10.2012	बुधारा, लेखापाल	सुजीत कुमार	ग्राम भटिया पहन-39	4.31 हे.
3	दुर्ग	577/ 24.04.2012	ऋषिदेव	पी.लक्ष्मी	ग्राम दरगांव, पहन-3,धमधा	2.27 हे.
4	दुर्ग	578/ 24.04.2012	ऋषिदेव	पी.एन.के.मोहन	ग्राम दरगांव पहन-3,धमधा	2.03 हे.
5	कांकेर	1496/ 18.03.2013	कुलवन्त	नारायण	ग्राम-मद्रा दरहा	0.80 हे.
6	मुंगेली	2940/ 20.03.2013	गणेश राम	सुगहर्रा बाई	ग्राम खमहरिया पहन-40	1.966 हे.
7	रायगढ़	3931/ 05.11.2012	किशन अग्रवाल	हिमालय इंफ्राटेक	ग्राम-नटवरपुर पहन 17/34	7.718 हे.
8	रायगढ़	3932/ 05.11.2012	रमेश अग्रवाल	हिमालय इंफ्राटेक	ग्राम-नटवरपुर पहन 17/34	8.013 हे.
9	रायगढ़	3933/ 05.11.2012	विष्णु अग्रवाल	हिमालय इंफ्राटेक	ग्राम-नटवरपुर पहन 17/34	8.094 हे.

7 आरंग, दुर्ग, कांकेर, मुंगेली एवं रायगढ़।

8 वाटर बाउंड मेकॉडम

आगे छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शिका[9] के संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने पृथक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और जिला सड़क (डब्ल्यू.बी.एम.सड़क) के निकटतम सम्पत्तियों का बाजार मूल्य अनूमोदित नहीं किया है बल्कि उपरोक्त उल्लेखित सभी मार्ग के लिए मूख्य मार्ग की दर का अनुमोदन किया है। पुनः मागदर्शिका में मूख्य मार्ग का मापदण्ड परिभाषित नहीं था। अतः मार्गदर्शिका में मुख्य मार्ग का मापदंड के अभाव में उप पंजीयक द्वारा भूमि का मूल्यांकन सड़क से दूर मानते हुए 10 प्रतिशत बढ़ाकर किया गया। चूँकि इन क्षेत्रों के लिए मुख्य मार्ग से लगी सम्पत्ती का बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में अलग से उल्लेखित है। अतः भूमि के मूल्यांकन की गणना मुख्य मार्ग से लगी उल्लेखित दर के अनुसार किया जाना चाहिए था। इन सम्पत्तियों का बाजार मूल्य ₹ 5.78 करोड़[10] निर्धारित किया जाकर मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस ₹ 39.96 लाख आरोपणीय थी। किन्तु उप पंजीयकों द्वारा सम्पत्तियों का बाजार मूल्य सड़क से दूर मानते हुए 10 प्रतिशत बढ़ाकर ₹ 3.61 करोड़ निर्धारित किया और राशि ₹ 24.67 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित की। अतः मार्गदर्शिका में मुख्यमार्ग का मापदण्ड के अभाव में शासन को मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस ₹ 15.29 लाख प्राप्त नहीं हो सकी।

बहिर्गमन सम्मेनल के दौरान शासन (अगस्त 2013) ने कहा कि मुख्य मार्ग के मापदण्ड परिभाषित किए जाएगे।

> छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के प्रारूप-III के कंडिका-10 के अनुसार, मुख्यमार्ग से 46 मीटर तक की दुरी की भूमि का मूल्यांकन मुख्य मार्ग से लगी मानकर किया जावेगा। लेकिन अगर कोई क्रेता 46 मीटर से अधिक दुरी तक मुख्य मार्ग से लगी भूमि क्रय करता है तब समस्त भूमि का मूल्यांकन मुख्य मार्ग से लगी भुमि की दर से किया जावेगा।

3.2.16.2 बाजार मूल्य मार्गदर्शिका वर्णित करती है कि मुख्य मार्ग से 46 मीटर की गहराई तक की भूमी का मूल्यांकन मुख्य मार्ग से लगी मानकर किया जाना चाहिए, लेकिन यह उस समय लागू नहीं होती जब एक ही दिन एक सम्पत्ति को दो दस्तावेजों में बांटकर मार्गदर्शिका की कंडिका-10 का फायदा पाने की दृष्टि से पंजीकृत किया जाता है जैसे एक भाग (मुख्य मार्ग से लगी) उच्च दर से और दूसरा भाग सड़क से दूर न्यून दर से हो।

उप पंजीयक दुर्ग, जांजगीर और रायपुर में पंजीकृत चार लिखतों की संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि सम्पत्ति का मूल्य सड़क से दूर मानते हुए निर्धारण किया गया था जो नीचे उल्लिखित हैः

9 छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शिकः- केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सम्पत्ति के बाजार मूल्य की गणना हेतु दर एवं प्रावधान प्रारूप- I, II एवं III मार्गदर्शिका में उल्लेखित रहते है।

10 गणना मुख्य मार्ग से लगी मानते हुए की गई।

स. क्र.	उप-पंजीयको का नाम	दस्तावेज क्रमांक	विक्रेता	क्रेता	सम्पत्ति का विवरण	रकबा	दस्तावेज क्रमांक/दिनांक पूर्व में क्रय की गई भूमि से लगकर
1	दुर्ग	11171/ 01.03.2012	सीमा	प्रतीक	ग्राम-अण्डा खसरा नं.-1,363/6	0.18 हे.	11185/ 01.03.2012 ख.न. 1363/5
2	दूर्ग	15685/ 12.03.2013	वसंत	पेमेन्दर	ग्राम-उतई ख.न. 84/3, 91	0.79 हे.	15684/ 12.03.2013 ख.न. 90,133
3	जाँजागीर	3836/ 21.03.2013	कृष्णाबाई	श्वेता सिंह	ग्राम अरस मेंटा,ख.न. 426/1,2	0.619 हे.	3838/ 21.03.2013 ख.न. 426/1
4	रायपुर	8049/ 29.03.2012	पुरूषोत्तम पटेल	सिल्क वुड फर्नीचर प्रा.लि.	वार्ड-27, ख.न. 89/2, 90/2	425.83 वर्ग मी.	8048/ 20.03.2012 ख.न. 89/2, 90/2

मार्गदर्शिका के अनुसार सम्पत्ति का मूल्य ₹ 1.65 करोड़[11] था, जिस पर मुद्रांक शुल्क ₹ 12.13 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 1.32 लाख आरोपणीय थी। किन्तु यदि एक संपती को एक ही दिन में दो पृथक भागों मे विभक्त करने पर बाजार मुल्य के निर्धारण हेतु प्रावधान के अभाव में उप पंजीयक द्वारा बाजार मूल्य ₹ 80.02 लाख मुख्य मार्ग से अंदर मानकर निर्धारित की एवं मुद्रांक शुल्क ₹ 5.73 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 63,734 आरोपित की।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन (अगस्त 2013) ने बताया कि प्रकरणें की समीक्षा कर उचित कदम उठाये जायेंगे।

हम अनुशंसा करते है कि शासन स्पष्ट प्रावधान एवं मुख्य मार्ग का मापदण्ड, लिखतों का पंजीयन जहाँ एक क्रेता द्वारा एक विक्रेता से भूमि क्रय को दो अलग-अलग लिखतों में निष्पादित किया जाता है तो मार्गदर्शिका में स्पष्ट प्रावधान जारी करें, जिससे सम्पत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण बाबत् राजस्व की सुरक्षा की जा सके।

3.2.17 सम्पत्ति का विक्रय एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक ही दस्तावेज से किया जाने पर मार्गदर्शिका में प्रावधानों का न होना

छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की मार्गदर्शिका के प्रारूप एक की कंडिका एक के अनुसार शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि 0.243 हेक्टेयर अथवा 0.243 हेक्टेयर से कम होने पर बाजार मूल्य की गणना स्लैब आधार पर की जाएगी। पुनः, यदि एक दस्तावेज द्वारा एक से अधिक खसरा की भूमि 0.243 हेक्टैयर से अधिक होने पर मूल्यांकन हेक्टैयर दर से किया जाएगा।

उप पंजीयक रायपुर के कार्यालय में अप्रैल 2012 में पंजीकृत एक लिखत की जाँच में हमने देखा कि भूमि दो विक्रेताओं से क्रय की गई थी। प्रत्येक विक्रेता की स्वयं की सम्पत्ति 0.243 हेक्टेयर से कम थी। प्रत्येक विक्रेता की भूमि के टुकड़े का खसरा एवं ऋण पुस्तिका अलग अलग थे जिससे प्रत्येक की सम्पत्ति का मूल्यांकन अलग-अलग किया जाना चाहिए था। किन्तु निष्पादक द्वारा दोनों विक्रेताओं की सम्पत्ति

[11] मुख्य मार्ग से लगा मानकर गणना की गई।

को एक साथ सम्मिलित किया गया, जिससे दस्तावेज का रकबा 0.243 हेक्टेयर की सीमा से अधिक हुआ एवं हेक्टेयर दर से मूल्यांकन किया गया।

मार्गदर्शिका के अनुसार इस सम्पत्ति का स्लैब दर से बाजार मूल्य ₹ 85.29 लाख था, जिस पर मुद्रांक शुल्क ₹ 6.18 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 68,381 आरोपणीय था। किन्तु जब कोई एक क्रेता एक से अधिक विक्रेताओं से जिनकी ऋण पुस्तिका एवं खसरा अलग-अलग है एक दस्तावेज निष्पादित कर भूमि क्रय करता है, इस बाबत मार्गदर्शिका में बाजार मूल्य के निर्धारण के संबंध में स्पष्ट प्रावधान न होने से उप पंजीयक द्वारा उपरोक्त भूमि का मूल्यांकन ₹ 16.75 लाख निर्धारित कर मुद्रांक शुल्क ₹ 1.22 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 13.545 आरोपति की गई। इस प्रकार एक दस्तावेज जिसमें एक क्रेता द्वारा एक से अधिक विक्रेताओं से भूमि के क्रय करने पर मुल्यांकन संबंधी स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से शासन द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 5.51 लाख की प्राप्ती नहीं की जा सकी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (अगस्त 2013) कि इन दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात उचित कदम उठाये जाऐंगे। आगे उत्तर अप्राप्त है। (नवम्बर 2013)

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन जब एक से अधिक विक्रेताओं द्वारा एक दस्तावेज से भूमि विक्रय किये जाने पर बाजार मूल्य निर्धारण हेतु स्पष्टीकरण जारी करें।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु के अंतर्गत कंडिका क्रमांक 3.14 समान कंडिका के रूप में वर्णीत हैं। विभाग ने उनके व्याख्यात्मक/विभागीय टिप्पणी द्वारा सूचित किया है कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रकरण जिला पंजीयक के पास निर्णय हेतु लंबित है।

3.2.18 मुद्रांक की पूर्ती एवं वितरण

राज्य में महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मुख्य नियंत्रण अधिकारी होता है। मुद्रांक के पूर्ति एवं वितरण के पुनरीक्षित नियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार मुद्रांक की आवश्यकता हेतु म.नि.प. मांग पत्र जारी करता है।

पूर्ति की आवश्यकता होने या न होने के बावजूद सभी मूल्य वर्ग के मुद्रांक के लिए मांग पत्र में अलग अलग कॉलम में मांग की जावेगीः-

- अंतिम माग पत्र के समय प्रारंभिक शेष, इसके पश्चात पूर्ति की प्राप्ति, सकल विक्रय (पिछली तिमाही के दौरान शाखा डिपो सहित) एवं अन्य मुद्दे तथा माह की पहली तारीख को जब मांग पत्र प्रस्तुतीकरण हेतु देय है का अंत शेष्,
- पूर्व मांग पत्र के पालन में शेष देय मात्रा ;
- आगामी तिमाही के लिए आवश्यक मात्रा एवं
- जांच अधिकारी द्वारा पारित मात्रा।

मांग पत्र केन्द्रीय मुद्रांक स्टोर्स, नासिक एवं हैदराबाद को भेजा जाता है। जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर को मुद्रांक की प्राप्ति एवं मुद्रांक अभिकर्ताओं तथा राज्य में स्थित अन्य कोषालयों को वितरण हेतु नोडल अधिकारी घोषित किया गया है।

जारी मांग पत्र, मुद्रांक प्राप्ति एवं वितरण की स्थिति निम्न तालिका में दर्शित हैः-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	म.नि.प. द्वारा मांग	वर्ष के दौरान मुद्रांक की प्राप्ति	कोषालयों को वितरण	अंतशेष	मुद्रांक विक्रय से प्राप्ति (फ्रेकिंग मशीन से प्राप्ति को छोड़कर)
2008-09	92.37	787.31	459.34	407.83	143.88	385.14
2009-10	143.88	670.26	767.74	555.32	356.30	453.71
2010-11	356.30	202.46	621.73	535.98	442.05	606.29
2011-12	442.05	527.08	311.56	584.03	169.58	703.69
2012-13	169.58	1,259.75	1,192.34	957.06	404.86	766.52

(स्रोतः विभाग एवं नोडल अधिकारी से प्राप्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान मुद्रांक से कुल प्राप्तियों में बढ़ोत्तरी 9 एवं 33 प्रतिशत के मध्य थी। पुनः नोडल अधिकारी के पास मुद्रांक का अंतशेष आगे भी लगातार बढ़ता रहा। किन्तु म.नि.प. ने अंतशेष तथा लंबित मांग पत्रों को संज्ञान में न लेते हुए केंद्रीय मुद्रांक स्टोर्स को मुद्रांक हेतु नया मांग पत्र जारी किया। परिणामतः मार्च 2013 के अंत में नोडल अधिकारी के पास ₹ 404.86 करोड़ के मुद्रांक पड़े रहे। जो यह दर्शाता है कि मुद्रांक की उपयोगिता का निरीक्षण उचित रूप से नहीं किया गया एवं बिना आवश्यकता की निर्धारित किये मांग पत्र जारी किये गये।

निधि के अवरूद्ध न होने के परिप्रेक्ष्य में शासन मुद्रांक के उपयोग पर अवधिवार निगरानी के लिए तंत्र के विकास पर विचार करें।

3.2.19 मुद्रांक का विक्रय

छत्तीसगढ़ मुद्रांक नियम, 1942 के नियम 25 के अनुसार विक्रताओं के दो वर्ग होंगे, पदेन विक्रेता एवं अनुज्ञप्ति विक्रेता। कोषालय अधिकारी एवं उप पंजीयक पदेन विक्रेता समझे जाएगें एवं कलेक्टर किसी व्यक्ति को या किसी वर्ग के व्यक्तियों को जो, उसके द्वारा ऐसे मुद्रांक के विक्रय के लिए योग्य तथा उचित व्यक्ति समझा जाए, मुद्रांको के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा। अनुज्ञप्ति विक्रेता कोई स्थानीय पदेन विक्रेता अथवा जिले में स्थित शाखा डिपो जहाँ अनुज्ञप्ति जारी की गई है नगद भुगतान कर मुद्रांक प्राप्त करेगें। अनुज्ञप्ति विक्रेता उनके द्वारा जनता को विक्रय किये जाने वाले मुद्रांक की पंजी रखेगा एवं दैनिक संव्यवहारों की पंजी भी रखेगा। शेष (स्टॉक), विक्रय एवं मुद्रांक का मिलान नोडल अधिकारी रखेगा जिसका परीक्षण कलेक्टर, आयुक्त एवं निर्देशक कोष एवं लेखा द्वारा समय-समय पर किया जायेगा। अनुज्ञप्ति विक्रेता के मुद्रांक विक्रय का लेखा संबंधित जिला पंजीयक के द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

विभाग ने फर्जी/जाली मुद्रांक के उपयोग को रोकने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये थें :-

- मुद्रांक पर राज्य का नाम एवं सरल क्रमांक मुद्रित रहेगा;
- पदेन विक्रेता द्वारा जारी मुद्रांक पर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुद्रा होगी;

- अनुज्ञप्ति विक्रेता का नाम मुद्रांक पर अंकित होगा एवं
- अनुज्ञप्ति विक्रेता के अभिलेखों का सत्यापन नियत अवधि में उप पंजीयक एवं जिला पंजीयक द्वारा किया जावेगा एवं वित्तीय वर्ष के अंत में अनुज्ञप्ति विक्रेता उनके अभिलेख संबंधित उप पंजीयक के पास जमा किये जावेगे।

पुनः छत्तीसगढ़ मुद्रांक नियम 1942 के अनुसार अनुज्ञप्ति विक्रेता नगद भुगतान कर मुद्रांक प्राप्त करेगें (इसके पश्चात विहित किया गया बट्टा काटकर उस जिले में, जिसके लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, स्थित किसी स्थानीय पदेन विक्रेता तथा शाखा डिपो से प्राप्त)। प्रत्येक मुद्रांक विक्रेता उनके द्वारा जनता को विक्रय किये जाने वाले विमुद्रिक पृष्ठ के भाग पर अनुक्रमांक, विक्रय का दिनांक, मुद्रांक का पूरा मूल्य शब्दों में तथा वास्तविक क्रेता का नाम एवं पता, क्रय करने का प्रयोजन, करारनामें के साथ इस पर अभिलिखित किये जाने वाले संव्यवहार के पक्षकारों के नाम एवं उनके पते, पृष्ठांकन पर अपना नाम तथा विक्रय के स्थान की मुहर के साथ-साथ सुवाच्य हस्ताक्षर करेगा। उसी समय, वह संव्यवहार की प्रविष्टि विक्रय पंजी में करेगा। प्रत्येक विक्रेता जनता को विक्रय के लिए किये गये छापित पन्नों इम्प्रेस्ड शीट का एक रजिस्टर परिशिष्ट तीन में प्रारूप 'घ' रखेगा। तथापि, क्रेता शिक्षित हो तो उससे मुद्रांक के पृष्ठांकन तथा रजिस्टर की प्रविष्टि को हस्ताक्षरित करने के लिए कहा जाएगा तथा यदि अशिक्षित हो तो मुद्रांक के पृष्ठांकन के नीचे तथा रजिस्टर की प्रविष्ठी के सामने उसके बांये हाथ के अंगूठे के चिन्ह की छाप ली जाएगी। प्रत्येक विक्रेता जिला पंजीयक या उप पंजीयक को या पदीय कर्त्तव्य पर नायब तहसीलदार के पद से अनिम्न पद के किसी राजस्व अधिकरी को, जिसे कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, किसी भी समय अपने विक्रय पंजी का निरीक्षण करने तथा अपनी अनुज्ञप्ति तथा अपने कब्जे में मुद्रांक के शेष का परीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा।

सभी चयनित उप पंजीयक कार्यालयों के दस्तावेजों की जाँच में पाया गया कि दस्तावेज की दो प्रतियाँ तैयार की जाती हैं। दस्तावेज के पंजीयन पश्चात्, दस्तावेज की मूल प्रति जो मुद्रांक पर तैयार की जाती है निष्पादक को दी जाती है। उप पंजीयक द्वारा इस दस्तावेज की सत्यापित (द्वितीय) प्रति रखी जाती है, जिस पर अनुज्ञप्ति विक्रेता का नाम, विक्रय पंजी की क्रम संख्या, मूल्य वर्ग के साथ अंकित होती है। हमारे द्वारा सभी 21 उप पंजीयक के 42 अनुज्ञप्ति विक्रताओं के विक्रय पंजी की जाँच की गई एवं पाया गया कि सत्यापित प्रति में मूल्य वर्ग के साथ सभी प्रविष्टियाँ की गई थीं, जो विभागीय निर्देशानुसार थी।

3.2.20 प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलंब

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 (क) के अनुसार, यदि पंजीयन प्राधिकारी के पास विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि उस सम्पत्ति का, जो कि ऐसे लिखत की विषय वस्तु है, बाजार मूल्य न्यूनतम मूल्य से कम उपवर्णित किया है तो वह ऐसे लिखत का पंजीयन करने के पूर्व उसे ऐसी सम्पत्ती के बाजार मूल्य के अवधारण के लिए मुद्रांक संग्राहक को प्रषित करेगा। महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा सितम्बर 2003 में जारी निर्देशानुसार, भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 (क) के अंतर्गत जिला पंजीयक की ओर बाजार मूल्य निर्धारण हेतु प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण 90 दिवस के अंदर किया जायेगा।

मार्च 2009 एवं मार्च 2013 के मध्य जिला पंजीयकों द्वारा महानिरीक्षक पंजीयन को प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जाँच के दौरान देखा गया कि अप्रैल 2008 एवं मार्च 2013 के मध्य 13,166 दस्तावेज उप पंजीयकों द्वारा जिला पंजीयको को बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु प्रेषित किये गये। किन्तु मार्च 2013 के अंत में 1,424 प्रकरण निर्णय हेतु लंबित थे। जिला पंजीयको के पास निर्णय हेतु लंबित प्रकरणों संबंधी कोई अभिलेख महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा संधारित नहीं था। तीन चयनित जिला पंजीयको द्वारा संधारित दायरा पंजी के अनुसार यह प्रकरण वर्ष 2001-02 से लंबित थे। आगे जाँच में यह भी देखा गया कि जिला पंजीयको द्वारा प्रतिवेदन महानिरीक्षक पंजीयन को समय पर भेजे गये थे परंतु विभाग द्वारा प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। उपरोक्त तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि विभाग में निरिक्षण प्रणाली कार्यरत थी परंतु उच्च प्राधिकारी द्वारा लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु उचित जाँच नहीं की गई। परिणामतः शासन को ₹ 12.63 करोड़ का राजस्व से प्राप्त नहीं हो सका।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (अगस्त 2013) कि प्रकरणों का निरीक्षण जिलेवार किया जावेगा। उन्होने पुनः कहा कि चार से छः माह में प्रकरणों के निराकरण करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समान कंडिका क्रमांक 5.4 वर्णित थी। लोक लेखा समिति के द्वारा (नवम्बर 2009) संबंधित जिला पंजीयकों के विरूद्ध कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई, तथापि समान अनियमितता निरंतर जारी है।

अनुपालन की कमियाँ

3.2.21 नकली दस्तावेज के आधार पर भूमि का विक्रय

पंजीयन अधिनियम की धारा 21 के अनुसार स्थावर सम्पत्ति से संबंधित कोई भी निर्वसीयती दस्तावेज, जब तक की उसमें ऐसी सम्पत्ति की पहचान के लिए पर्याप्त ऐसी सम्पत्ति का वर्णन अन्तर्विष्ट न हो रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिग्रहित न की जायेगी। पुनः पंजीयन अधिनियम की धारा 82 के अनुसार जो कोई,कोई मिथ्या कथन, मिथ्या अनुवाद की प्रति, किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करेगा एवं दुष्प्रेषण करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनो से दण्डनीय होगा।

उप पंजीयक, कोरबा द्वारा पंजीकृत दस्तावेज की जाँच के दौरान हमने देखा कि श्री दिग्विजय सिंह एवं मेसर्स सर्वमंगला कंस्ट्रक्शन के मध्य एक हक त्याग विलेख (सितम्बर 2012) 2.754 हेक्टेयर भूमि हेतू निष्पादित किया गया। श्री दिग्विजय सिंह द्वारा मेसर्स सर्वमंगला कंस्ट्रक्शन जिसका वह स्वयं एक भागीदार था के पक्ष में अपने सभी अधिकारों का हक त्याग किया गया, इस हक त्याग विलेख द्वारा मेसर्स सर्वमंगला कंस्ट्रक्शन उपरोक्त भूमि का वैधानिक स्वामी बन गया। इसके पश्चात् दिसंबर 2012 में श्री सुखसाय पैकरा जो मेसर्स सर्वमंगला कंस्ट्रक्शन का संचालक था, ने उपरोक्त वर्णित भूमि को 29 वर्ष हेतु मेसर्स सर्वमंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को पट्टे द्वारा हस्तांतरित कर दिया एवं कंपनी ने दिसंबर 2012 में पट्टा अनुबंध पंजीकृत किया। चूंकि भूमि पूर्व से ही कंपनी के नाम पर पंजीकृत थी, फलस्वरूप श्री सुखसाय पैकरा एवं मेसर्स सर्वमंगला कंस्ट्रक्शन के मध्य पट्टा अनुबंध नियमानुसार नहीं था एवं व्यवहार संदेहास्पद था। लेखापरीक्षा में अभिलेख, खसरा की जांच की गई और पाया गया कि श्री प्यारा सिंह 1981 से भूमि के वैधानिक स्वामी थे। उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि दोनो हक त्याग विलेख (सितंबर 2012 में पंजीकृत) एवं पट्टा अनुबंध (दिसंबर 2012 में पंजीकृत) नकली राजस्व अभिलेखों के आधार पर पंजीकृत किये गये थे। इसप्रकार नकली राजस्व अभिलेख से भूमि का हस्तांतरण दण्डनीय अपराध था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा कि (अगस्त 2013) प्रकरण की समीक्षा की जायेगी एवं आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। आगामी उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2013)।

3.2.22 दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, की धारा 3(5) के अनुसार लिखतों पर मुद्रांक शुल्क का आरोपण वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुसूची-एक (क) में विनिर्दिष्ट दरों अथवा शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संपत्ती के बाजार मुल्य के अनुसार होगा। सम्पत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में दर्शित मूल्य के अनुसार होगा। पुनः भारतीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची-एक (क) के अनुच्छेद 5 के अनुसार ऐसे भू-स्वामी या पट्टेदार के अलावा अन्य व्यक्ति जो इस भूमि भवन निर्माण से संबंधित अनुबंध करता है तो भूमि के बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से शुल्क आरोपणीय होगा और इस निर्माण पश्चात् ऐसा भवन संयुक्त या एकल रूप से उनके अधीन होगा या उसका एक भाग संयुक्त या एकल रूप से अधीन होगा या उसका शेष भाग संयुक्त या एकल रूप से विक्रय किया जायेगा।

3.2.22.1 उप पंजीयक धमतरी, कोरबा एवं रायपुर में पंजीकृत लिखतों की जाँच के दौरान हमने देखा कि जुलाई 2009 एवं मार्च 2012 के मध्य उप पंजीयको द्वारा चार लिखतो का पंजीयन मुख्तारनामा (पी. ए. ओ.) के रूप में किया गया। एक मुख्तारनामा में वर्णित तथ्य में पाया गया कि मुख्तारनामा के निष्पादक द्वारा मात्र 10,995 वर्ग मीटर आवासीय भूमि के विक्रय के हेतु अधिकृत किया गया था। पुनः समान उप पंजीयक द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख के प्रति सत्यापन में पाया गया कि जिस व्यक्ति के पक्ष में मुख्तार नामा निष्पादित किया गया, भूमि पर नींव स्तर तक भवन निर्माण कर विक्रय किया जा रहा था। यह तथ्य विक्रय विलेखों में स्पष्ट रूप से वर्णित था। इस प्रकार जिस व्यक्ति के पक्ष में मुख्तारनामा निष्पादित किया गया था, वह विकास करने के उपरांत भूमि का विक्रय कर रहा था।

पुनः तीन लिखतों में 79,083 वर्ग मीटर के वैधानिक भूमि स्वामियों द्वारा भूमि का विकास कर एवं उसपर भवन का निर्माण कर विक्रय करने हेतु मुख्तार नामा धारकों को अधिकृत किया था। अतः उपरोक्त लिखतों का वर्गीकरण मुख्तारनामा के ऐवज में विकास अनुबंध में किया जाकर दो प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपणीय था। सम्पत्ति का बाजार मूल्य ₹ 14.87 करोड़ होता है। जिस पर मुद्रांक शुल्क ₹ 29.74 लाख[12] एवं पंजीयन फीस ₹ 11.90 लाख आरोपणीय थी, किंतु संबंधित उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज को मुख्तारनामा मानकर पंजीकृत किया गया एवं ₹ 400 मात्र शुल्क वसूल किया गया। परिणाम स्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 41.64 लाख का कम आरोपण हुआ।

3.2.22.2 उप पंजीयक कोरबा में पंजीकृत लिखतों की जाँचके दौरान हमने पाया कि एक दस्तावेज घोषणा पत्र शीर्षक से उप पंजीयक द्वारा सितम्बर 2008 में पंजीकृत किया एवं मुद्रांक शुल्क ₹ 100 आरोपित किया गया। आगे घोषणा पत्र की घोषणा की जाँच में देखा गया कि भूमि के वैधानिक स्वामी द्वारा अन्य व्यक्ति /संस्था को भूमि पर

[12] ₹14,87,23,497 (बाजार मूल्य) X 2 प्रतिशत =29,74,470 (आरोपणीय मुद्रांक शुल्क)

निर्माण कर विक्रय करने हेतु अधिकृत किया गया था। उपरोक्त दस्तावेज का वर्गीकरण विकास अनुबंध में किया जाकर एवं भूमि के बाजार मूल्य पर 2 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क आरोपित किया जाना था। यद्यपि भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क के आरोपण हेतु घोषणा पत्र शब्द परिभाषित नहीं है, उप पंजीयक द्वारा इसकी स्विकार्यता वैधानिक नहीं है। परिणाम स्वरूप सम्पत्ति के बाजार मूल्य ₹ 71.04 लाख पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 1.99 लाख का कम आरोपण हुआ।

3.2.22.3 उप पंजीयक, जगदलपुर, कवर्धा एवं रायपुर में पंजीकृत लिखतों की के दौरान पाया गया कि अक्टूबर 2008 एवं मार्च 2012 के मध्य विकास अनुबंध के नौ लिखतों का पंजीयन किया गया । इन अनुबंधों में वर्णित तथ्यों की जाँच में पाया गया कि सम्पत्ति का हस्तांतरण विकास हेतु विकास कर्ता को निश्चित मूल्य के रूप में पूर्व निर्धारित प्रतिफल के साथ किया गया। अतः उपरोक्त दस्तावेजो का वर्गीकरण हस्तांतरण के रूप में किया जाकर हस्तांतरण के अनुसार मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित की जानी थी। सम्पत्ति का बाजार मूल्य ₹ 8.24 करोड़ था, जिस पर मुद्रांक शुल्क ₹ 65.03 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 6.60 लाख आरोपित की जानी चाहिए थी। किंतु संबंधित उप पंजीयको द्वारा विकास अनुबंध मानकर दस्तावेजों का पंजीयन किया गया एवं मुद्रांक शुल्क ₹ 12.20 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 4.90 लाख आरोपित की गई। परिणाम स्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 54.53 लाख का कम आरोपण हुआ।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2010-11 में कंडिका क्रमांक 3.11 समान कंडिका के रूप में वर्णित है।

3.2.22.4 दो उप पंजीयक[13] कार्यालयों में पंजीकृत लिखतों की जाँच के दौरान हमने पाया कि दो लिखतों जिसका रकबा 0.677 हेक्टेयर था भूमि के विक्रय हेतु अनुबंध में वर्गीकृत कर जुलाई 2012 से नवम्बर 2012 के मध्य पंजीकृत किये गये। पुनः अनुबंध की जाँच में देखा गया कि ₹ 94.50 लाख प्रतिफल प्राप्त कर क्रेता को उक्त भूमि का स्वामित्व सौंपा गया था। अतः यह अनुबंध हस्तांतरण पत्र में वर्गीकृत किया जाना था। इस सम्पत्ति का बाजार मूल्य रू 2.56 करोड़ था, जिस पर मुदांक शुल्क ₹ 15.99 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 2.05 लाख आरोपणीय थी। किन्तु उप पंजीयकों द्वारा मुद्रांक शुल्क ₹ 1.05 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 93,158 आरोपित की गई। परिणाम स्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 16.06 लाख का कम आरोपण हुआ।

3.2.22.5 उप पंजीयक रायपुर द्वारा जनवरी 2013 में पंजीकृत लिखत की जाँच के दौरान पाया गया कि सम्पत्ति के एक भागीदार द्वारा दूसरे भागीदार से प्रतिफल प्राप्त कर अपने अधिकारों को अंतरित किया था। अतः यह लिखत निर्मुक्ति विलेख के रूप में वर्गीकृत की जानी चाहीये थी। छत्तीसगढ़ बाजार मुल्य मार्गदर्शिका के अनुसार सम्पत्ति का बाजार मूल्य ₹ 64.34 लाख था, जिस पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 4.10 लाख आरोपणीय थी। किन्तु उप पंजीयक द्वारा इस लिखत को बंटवारा नामा मानकर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 1.20 लाख आरोपित की गई। परिणाम स्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क ₹ 2.90 लाख का कम आरोपण हुआ।

[13] कोरबा एवं राजनांदगांव

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (अगस्त 2013) कि दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात उचित कार्यवाही की जावेगी। आगामी उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2013)।

3.2.23 दान पत्रों पर मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची-एक (क) के अनुच्छेद 33 के अनुसार दान की की लिखत पर वही मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है जो उस सम्पत्ति के जो कि दान की विषय वस्तु है के बाजार मूल्य के बराबर हस्तांतरण पत्र पर लगता है। शासन ने अधिसूचना मार्च 2008 एवं फरवरी 2012 द्वारा महिला के पक्ष में अनन्यतः अंतरित की जाने वाली सम्पत्ति के प्रकरणों में अधिनियम के अनुच्छेद 23 के अधीन प्रचलित दरों में दो प्रतिशत एवं एक प्रतिशत की कमी की। पुनः 'ज्वाला प्रसाद विरूद्ध उ.प्र. राज्य' (ए.आई.आर.) के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि हस्तांतरण पर मुद्रांक शुल्क में कमी दान की लिखितों पर लागू नहीं होगी।

10 उप पंजीयक[14] कार्यालय में पंजीकृत लिखतों की नमूना जाँच के दौरान हमने देखा कि 51 दान के विलेख जिनका बाजार मूल्य ₹ 12.58 करोड़ था, सितम्बर 2009 एवं मार्च 2013 के मध्य पंजीकृत किये गये थे। दान विलेख महिला के पक्ष में थे अतः उप पंजीयक द्वारा विलेखों पर छूट मान्य करते हुए मुद्रांक शुल्क ₹ 73.55 लाख आरोपित किया गया। किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार उप पंजीयक द्वारा दी गई छूट अनियमित थी और इन विलेखों पर मुद्रांक शुल्क राशि ₹ 96.04 लाख आरोपणीय था। फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क ₹ 22.49 लाख का कम आरोपण हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (अगस्त 2013) कि दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। आगामी उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2013)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011-12 में कंडिका क्रमांक 3.11 समान कंडिका के रूप में वर्णित है। विभाग ने उनके व्याख्यात्मक/विभागीय टिप्पणी द्वारा सूचित किया है कि छः प्रकरण में ₹ 3 लाख वसूल की जा चूकी है और शेष आठ प्रकरण जिला पंजीयक द्वारा उचित मुद्रांकित घोषित किये गये है

3.2.24 सिंचित/सिंचित दो फसली भूमि के विक्रय पर मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण

छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के प्रारूप-तीन के प्रावधानों की कंडिका 6 के अनुसार सिंचित दो फसली भूमि का बाजार मूल्य सिंचित भूमि की दर में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर निर्धारित किया जाएगा। पुनः वाणिज्यिक फसल (मार्गदर्शिका में वर्णित) के लिए अतिरिक्त 25 प्रतिशत बाजार मूल्य में जोड़े जावेगें।

नौ उप पंजीयक[15] कार्यालयों में पंजीकृत लिखतों की जाँच में हमने पाया कि

[14] अभनपुर, भाटापारा, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, जाँजगीर, कवर्धा, पाटन, रायगढ़ एवं रायपुर।

[15] अभनपुर, आरंग, भाटापारा, चाँपा, महासमुंद, मुंगेली, पाटन, राजनाँदगाँव एवं रायपुर।

16 दस्तावेजों में से, 10 दस्तावेजों[16] में संलग्न राजस्व अभिलेखों द्वारा 16.449 हेक्टेयर भूमि सिंचित घोषित थी। किन्तु उप पंजीयक ने उनको असिंचित भूमि के रूप में पंजीकृत किया था। चार दस्तावेजों (उप पंजीयक अभनपुर, भाटापारा, चाँपा, एवं पाटन) में पटवारी प्रतिवेदनों और अभिलेखों (खसरा, ऋण पुस्तिका) से 5.684 हेक्टेयर भूमि सिंचित दो फसली घोषित थी। किन्तु उप पंजीयक ने उनको केवल सिंचित भूमि के रूप में पंजीकृत किया एवं दो दस्तावेजों (उप पंजीयक महासमुंद एवं राजनांदगांव) में 5.428 हेक्टेयर के बाजार मूल्य के निर्धारण में उप पंजीयक ने वाणिज्यिक फसल का ध्यान नहीं दिया।

मार्गदर्शिका के अनुसार इन सम्पत्तियों का बाजार मूल्य ₹ 4.23 करोड़[17] था, जिस पर मुद्रांक शुल्क ₹ 28.03 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 3.41 लाख आरोपणीय थी। किन्तु उप पंजीयको ने बाजार मूल्य ₹ 2.32 करोड़ निर्धारित कर मुद्रांक शूल्क ₹ 14.27 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 1.88 लाख आरोपित किया। अतः उप पंजीयको द्वारा संलग्न अभिलेखों के आधार पर सम्पत्ति का मूल्यांकन न करने के परिणामतः सम्पत्तियों का ₹ 1.91 करोड़ का अवमूल्यांकन हुआ एवं मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 15.29 लाख का कम आरोपण हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (अगस्त 2013) कि दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जावेगें। आगामी उत्तर अप्राप्त है. (नवम्बर 2013)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011-12 में कंडिका क्रमांक 3.10 समान कंडिका के रूप में वर्णित है। विभाग ने उनके व्याख्यात्मक/विभागीय टिप्पणी द्वारा सूचित किया है कि एक प्रकरण में मुद्रांक शुल्क ₹ 20,000 की वसूली हुई एवं शेष प्रकरण जिला पंजीयक के पास निर्णय हेतु लंबित है।

3.2.25 छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शिका का पालन न किया जाना

छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के प्रारूप एक के प्रावधानों की कंडिका एक के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में 0.243 हेक्टेयर से कम या बराबर कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना स्लैब आधार पर की जावेगी। उपरोक्त मार्गदर्शिका के प्रारूप तीन की कंडिका 5 के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में भूमि 0.243 हेक्टेयर से कम या बराबर हो एवं क्रेता की भूमि से लगी हो, कृषि प्रयोजनार्थ ही क्रय की गई हो तो कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना हेक्टेयर दर से की जायेगी। विचाराधीन भूमि क्रेता की भूमि से लगी होने का प्रमाण पत्र पटवारी द्वारा प्रदाय किया जायेगा।

चार उप पंजीयक कार्यालयों[18] में पंजीकृत लिखतों की जाँच के दौरान हमने देखा कि सात दस्तावेजों में 0.876 हेक्टेयर भूमि नगर पालिका क्षेत्र/नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित थी। पुनः प्रत्येक दस्तावेज में 0.243/0.202

16 उप पंजीयक आरंग- 3 प्रकरण, मुंगेली-2 प्रकरण एवं रायपुर-5 प्रकरण

17 हेक्टेयर दर से गणना की गई है

18 धमतरी, दुर्ग, कांकेर एवं रायपुर

हेक्टेयर से कम भूमि नगरपालिका/नगर पंचायत क्षेत्र मे स्थित थी। पटवारी प्रमाण पत्र में भूमि की स्थिति क्रेता की भूमि से लगी होना नहीं दर्शाया गया था। इसप्रकार सम्पत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण स्लैब दर के अनुसार किया जाना चाहिए था, किन्तु संबंधित उप पंजीयको द्वारा इन सम्पत्तियों के बाजार मूल्य की गणना हेक्टेयर दर से की गई। उपरोक्त छत्तीसगढ़ बाजार मुल्य मार्गदर्शिका के अनुसार इन सम्पत्तियों का बाजार मूल्य ₹ 1.56 करोड़[19] था, जिस पर मुद्रांक शुल्क ₹ 10.89 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 1.26 लाख आरोपणीय थी। किन्तु उप पंजीयको द्वारा सम्पत्ति का बाजार मूल्य ₹ 63.88 लाख निर्धारित किया गया एवं मुद्रांक शूल्क ₹ 4.58 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 51,993 आरोपति की गई। परिणामतः सम्पत्ति का ₹ 92.24 लाख से अवमूल्यांकन हुआ एवं परिणाम स्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 7.05 लाख का कम आरोपण हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (अगस्त 2013) कि दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जावेगें। आगामी उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2013)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011-12 में कंडिका क्रमांक 3.9.3 समान कंडिका के रूप में वर्णित है। विभाग ने उनके व्याख्यात्मक/विभागीय टिप्पणी द्वारा सूचित किया है कि प्रकरण जिला पंजीयक के पास निर्णय हेतु लंबित है।

3.2.26 परिवर्तित भूमि का कम मूल्यांकन

छत्तीसगढ़, बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के प्रारूप एक के प्रावधानों की कंडिका 3 के अनुसार यदि परिवर्तीत भूमि नगरीय क्षेत्र में स्थित है, तब भूमि का मूल्यांकन स्लैब आधार पर किया जायेगा।

3.2.26.1 तीन उप पंजीयक[20] कार्यालयों में पंजीकृत लिखतों की जाँच के दौरान हमने देखा कि 4 दस्तावेजों में 14,491.84 वर्ग मीटर परिवर्तित भूमि नगरीय क्षेत्र में विक्रय की गई थी। अतः भूमि के मूल्य की गणना स्लैब आधार पर की जानी चाहिए थी। किन्तु उप पंजीयकों द्वारा इस सम्पत्ति का बाजार मूल्य का निर्धारण हेतु हेक्टेयर दर लागू की गई। मार्गदर्शिका के अनुसार, इस सम्पत्ति का बाजार मूल्य ₹ 5.29 करोड़[21] था, जिस पर मुद्रांक शुल्क ₹ 40.52 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 4.23 लाख आरोपणीय थी। किन्तु उप पंजीयको द्वारा बाजार मूल्य ₹ 79.39 लाख निर्धारित कर मुद्रांक शुल्क ₹ 6.07 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 64,347 आरोपित किया। इसप्रकार सम्पत्ति का ₹ 4.49 करोड़ से अवमूल्यांकन हुआ एवं परिणाम स्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 38.04 लाख का कम आरोपण हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (अगस्त 2013) कि दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। आगामी उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2013)

19 स्लैब दर से गणना की गई

20 बलौदाबाजार, चाँपा एवं रायपुर

21 स्लैब दर से गणना की गई

छत्तीसगढ़, बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के प्रारूप एक की कंडिका 8 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तित भूमि का बाजार मूल्य उसी क्षेत्र में स्थित सिंचित भूमि के दर के ढ़ाई गुना होगा।

3.2.26.2 उप पंजीयक कांकेर एवं रायपुर में पंजीकृत लिखतों की जांच के दौरान हमने देखा कि चार दस्तावेजों में 1.457 हेक्टेयर भूमि ग्रामीण क्षेत्र में विक्रय की गई थी। आगे दस्तावेजों के साथ संलग्न राजस्व अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि भूमि कृषि प्रयोजन के अलावा परिवर्तित भूमि थी। अतः सम्पत्ति का बाजार मूल्य उस क्षेत्र में स्थित कृषि/सिंचित कृषि भूमि के मूल्य के ढ़ाई गुना होगा। किन्तु उप पंजीयकों द्वारा उक्त प्रावधान का उपयोग बाजार मुल्य के निर्धारण हेतु नहीं किया और कृषि भूमि के लिए लागू हेक्टेयर दर से बाजार मुल्य की गणना की गई।

मार्गदर्शिका के अनुसार, सम्पत्ति का बाजार मूल्य ₹ 1.33 करोड़[22] था जिस पर मुद्रांक शुल्क ₹ 9.33 लाख और पंजीयन फीस ₹ 1.07 लाख वसूलनीय था। किन्तु उप पंजीयक द्वारा सम्पत्ति का बाजार मूल्य ₹ 1.01 करोड़ निर्धारित किया और उसपर मुद्रांक शुल्क ₹ 7.07 लाख और पंजीयन फीस ₹ 81,340 वसूला गया। परिणामस्वरूप सम्पत्ति का न्यून मूल्यांकन ₹ 32 लाख से हुआ और मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 2.52 लाख का कम आरोपण हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन (अगस्त 2013) ने कहा कि दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। आगामी उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2013)।

समान कंडिका लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु में कंड़िका 3.9 में परिलक्षित हुई। विभाग ने अपने व्याख्यात्मक/विभागीय टीप से सूचित किया है कि प्रकरण जिला पंजीयक के पास निर्णय हेतु लंबित है।

3.2.27 सम्पत्ति का न्यून मूल्यांकन

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 (क) के अनुसार, लिखतों के पंजीयन करते समय यह उप पंजीयक को विश्वास करने योग्य कारण हो कि उस सम्पत्ति का बाजार मूल्य जो कि लिखत की विषय वस्तु है सही मूल्य अवधारित नहीं किया गया है, तो वह ऐसे लिखत की पंजीयन करने के पूर्व उसे ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य के अवधारण के लिए जिला पंजीयक की ओर प्रेषित करेगा।

नौ उप पंजीयकों[23] द्वारा फरवरी 2012 और मार्च 2013 के मध्य पंजीबद्ध 27 लिखतों की संविक्षा के दौरान हमने पाया कि संबंधित उप पंजीयको द्वारा सम्पत्ति का बाजार मूल्य की गणना मागदर्शिका के दर एवं उपबन्ध अनुसार नहीं की गई थी। इनमें से 15 लिखतों में उप पंजीयको द्वारा मार्गदर्शिका से भिन्न दर

[22] हेक्टेयर दर से गणना की गई

[23] अंबिकापुर, धमतरी, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, मुंगेली, पाटन, राजनांदगाँव एवं रायपुर।

अपनाया गया था और शेष 12 लिखतों में सम्पत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु मार्गदर्शिका के उपबंधों का पालन नहीं किया गया था। मार्गदर्शिका के अनुसार, इन सम्पत्तियों का बाजार मूल्य ₹ 18.72 करोड़ था, जिस पर मुद्रांक शुल्क ₹ 1.41 करोड़ और पंजीयन फीस ₹ 15.02 लाख वसूलनीय था। किन्तु उप पंजीयक द्वारा बाजार मूल्य ₹ 7.96 करोड़ निर्धारित किया गया, जिस पर मुद्रांक शुल्क ₹ 46.95 लाख और पंजीयन फीस ₹ 6.46 लाख वसूला गया। यद्यपि लिखतों में सम्पत्ति का बाजार मूल्य विश्वास करने योग्य नहीं था, उप पंजीयक ने लिखतों को सम्पत्ति के सही निर्धारण के लिए जिला पंजीयक को प्रेषित नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप सम्पत्ति का न्यूनमूल्यांकन ₹ 10.06 करोड़ से हुआ और मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 1.02 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (अगस्त 2013) कि दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2013)।

इसी प्रकार की कंडिका लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 2011-12 के कंडिका 3.12 में ज्ञात हुआ। विभाग ने अपने व्याख्यात्मक/विभागीय टिप्पणी से सूचित किया कि सात प्रकरणों में मुद्रांक शुल्क रू 1.66 लाख वसूला गया और शेष प्रकरण जिला पंजीयक के पास निर्णय हेतु लंबित थे।

3.2.28 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में 2012-13 से लाए गए विशेष उपबन्ध के अनुसार अगर कोई औद्योगिक इकाई कषि भूमि का क्रय करती है तब पड़त,[#] असिंचित और सिंचित दो फसली भूमि के मूल्य का निर्धारण क्रमशः ₹ 6 लाख, ₹ 8 लाख, ₹ 10 लाख प्रति एकड़ की दर से किया जायेगा।

[#]पड़त भूमि का तात्पर्य ऐसे कृषि भूमि से है जो वर्तमान में कृषि उपयोग हेतु नहीं लाई जा रही हो अर्थात बंजर भूमि।

कार्यालय उप पंजीयक कवर्धा में पंजीकृत लिखतों की संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि एक लिखत में मेसर्स लेंको अमरकंटक पावर लिमिटेड द्वारा असिंचित भूमि कुल 19.62 एकड़ (7.904 हेक्टेयर) क्रय किया गया था। विशेष उपबंध के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य की गणना ₹ 1.57 करोड़ की जानी थी, जिस पर मुदांक शुल्क ₹ 9.81 लाख और पंजीयन फीस ₹ 1.26 लाख वसूलनीय था। किन्तु उप पंजीयक द्वारा उपरोक्त उपबंध को अपनाये जाने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से बाजार मूल्य का निर्धारण ₹ 47.85 लाख छत्तीसगढ़ बाजार मुल्य मार्गदर्शिका में दर्शित ग्राम दर के अनुसार किया और मुद्रांक शुल्क ₹ 2.99 लाख और पंजीयन फीस ₹ 38,425 वसूली की। परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस ₹ 7.69 लाख का कम आरोपण हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (अगस्त 2013) कि दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। आगामी उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2013)।

3.2.29 मुद्रांक शुल्क के भुगतान से अनियमित छूट

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 2 (10) के अनुसार हस्तांतरण पत्र के अंतर्गत विक्रय पर हस्तांतरण सम्मिलित है और ऐसी प्रत्येक लिखत है जिसके द्वारा सम्पत्ति चाहे वो जंगम हो या स्थावर जीवित व्यक्तियों के बीच अंतरित की जाती है। सरकार राजपत्र में प्रकाशित नियम या आदेश द्वारा अपने प्रशासन के अधीन के राज्य क्षेत्रों के सम्पूर्ण या किसी भाग में शुल्क को भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से कम कर सकेगी या छूट दे सकेगी। शासन द्वारा घोषित औद्योगिक नीति के अंतर्गत उद्योगों को मुद्रांक शुल्क से भुगतान की छूट निश्चित शर्तो की पूर्ती करने पर दिया जाता है।

तीन उप पंजीयकों[24] के द्वारा पंजीकृत लिखतों की जाँच में पाया गया कि पांच प्रकरणों में उद्योग विभाग द्वारा जारी छूट प्रमाण पत्र के आधार पर उप पंजीयक द्वारा मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान कि गयी थी। पुनः छूट प्रमाण पत्र की जांच में पाया गया कि एक प्रकरण में छूट प्रमाण पत्र मेसर्स सिद्धिदात्री वेयर हाउसिंग के पक्ष में जारी किया गया था, जब कि विलेख श्रीमति रीता शर्मा के पक्ष में निष्पादित किया गया था। दो प्रकरणों में छूट अवधि के समाप्त होने के पश्चात छुट दी गयी थी, और शेष दो प्रकरणों में छूट प्रमाण पत्र में खसरा (भूमि का भाग) संख्या का उल्लेख न होने के बावजूद भी छूट प्रदान की गई। सम्पत्ति का बाजार मूल्य इन लिखतों में ₹ 99.42 लाख था जिस पर मुदांक शुल्क ₹ 6.73 लाख वसूलनीय था। इसके बावजूद संबंधित उप पंजीयक ने मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की। परिणाम स्वरूप मुद्रांक शुल्क ₹ 6.73 लाख का अवसूली हुई ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (अगस्त 2013) कि दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. (नवम्बर 2013)

3.2.30 मुख्यमार्ग पर स्थित सम्पत्तियों का न्यून मूल्यांकन

छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के प्रारूप-एक के उपबंध-6 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में मुख्य मार्ग से 20 मीटर की गहराई तक की भूमि का मूल्यांकन मुख्य मार्ग से लगे दर से किया जाना चाहिए । लेकिन अगर कोई क्रेता मुख्य मार्ग से लगे 20 मीटर से अधिक गहराई तक की भूमि क्रय करता है तब सम्पूर्ण भूमि का मूल्यांकन मुख्य मार्ग से लगी अनुसार किया जावेगा। आगे यह सीमा कृषि भूमि के लिए 46 मीटर गहराई तक है।

13 उप पंजीयकों[25] द्वारा पंजीकृत लिखतों की जाँच के दौरान हमने पाया कि 39 लिखतों में समर्थित साक्ष्य जैसे पटवारी

24 चांपा, रायगढ़ एवं रायपुर

25 अभनपुर, अंबिकापुर, आरंग, बिल्हा, चाँपा, धमतरी, दुर्ग, जाँजगीर, मुंगेली, पाटन, राजनांदगाँव, रायगढ़ एवं रायपुर।

प्रतिवेदन और नक्शें इंगित करते थे कि सम्पत्ति मुख्य मार्ग से लगी है। अतः मार्गदर्शिका के अनुसार उन सम्पत्तियां का मूल्यांकन मुख्य मार्ग से लगी मानते हुए ₹ 14.01 करोड़ किया जाना चाहिए जिस पर मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस ₹ 98.97 लाख वसूली योग्य था। किन्तु उप पंजीयक द्वारा सम्पत्ति का मूल्य सडक से दूर मानते हुए ₹ 4.85 करोड़ निर्धारित किया गया और मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस ₹ 34.66 लाख वसूला गया। इसके परिणामस्वरूप सम्पत्तियों का ₹ 9.16 करोड़ से न्यून मूल्यांकन हुआ और मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस ₹ 64.31 लाख का कम आरोपण हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (अगस्त 2013) कि दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जावेगी आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2013)।

इसी प्रकार की कंडिका लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010-11 और 2011-12 के कंडिका क्रमांक 3.10 और 3.13 में क्रमशः वर्णित है। विभाग ने अपने व्याख्यात्मक/विभागीय टिप्पणीं से सूचित किया कि 11 प्रकरणों में मुदांक शुल्क ₹ 1.48 लाख वसूल किये जा चुके हैं और शेष प्रकरण जिला पंजीयक के पास निर्णय हेतु लंबित है।

3.2.31 जनपद शुल्क/मुद्रांक शुल्क की अवसूली

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 2(10) के 14 के अनुसार जब स्वैच्छिक अपाकरण से कम्पनी के सम्पत्ति का विलय एक नई कम्पनी में होता है तब हस्तांतरण के तरह शुल्क प्रभार्य है। आगे एक लिखत संविलयन के उद्देश्य से आस्तित्व में आने पर हस्तांतरण की तरह शुल्क प्रभार्य है। हस्तांतरण पर क्रय सम्पत्ति के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत की दर से जनपद शुल्क वसूलनीय है।

जिला पंजीयक रायपुर द्वारा निर्णीत प्रकरणों की जाँच में पाया गया कि एक प्रकरण में मेसर्स गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का संविलियन नवम्बर 2006 में मेसर्स अंबुजा सीमेंट ईस्टर्न लिमिटेड के साथ हुआ। जिला पंजीयक ने प्रकरण का निराकरण फरवरी 2008 में किया और संविलियन पर मुद्रांक शुल्क ₹ 10 करोड़ वसूल किया। आगे आदेश की जाँच में प्रकट हुआ कि संविलियन के दिनांक पर परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य ₹ 229.65 करोड़ था जिस पर जनपद शुल्क एक प्रतिशत की दर से वसूलनीय था। किन्तु जिला पंजीयक ने जनपद शुल्क ₹ 2.30 करोड़ का आरोपण नहीं किया।

इसी प्रकार जुलाई 2009 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से मेसर्स इटेरियाआयरन और स्टील प्रायवेट लिमिटेड, मेसर्स कार्पोरेट इस्पात लिमिटेड और मेसर्स अभिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का संविलियन जायसवाल नीको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ हुआ। जिला पंजीयक रायपुर ने प्रकरणों का निराकरण सितंबर 2012 में किया और मुदांक शुल्क ₹ 30 करोड़ और जनपद शुल्क ₹ 7.42 करोड़ का आरोपण किया। किन्तु स्थानांतरित कंपनी ने संविलियन पर महाराष्ट्र राज्य में मुद्रांक शुल्क ₹ 1.83 करोड़ का भुगतान किया था। जिला पंजीयक के महाराष्ट्र राज्य में भुगतान कि गई राशि को कम कर मांग पत्र जारी किया । जैसा कि यह राशि छत्तीसगढ़ शासन का राजस्व था, जिला पंजीयक को राशि की वसूली हेतु प्रयास किये जाने थे। अतः जिला पंजीयक के कार्य स्थिरता के परिणाम स्वरूप मुद्रांक शुल्क ₹ 1.83 करोड़ की अवसूली हुई। पुनः

यद्यपी प्रकरणों का निराकरण दिसंबर 2012 में हो चुका था, मुद्रांक शुल्क ₹ 28.17 करोड़ और जनपद शुल्क ₹ 7.42 करोड़ की वसूली लेखापरीक्षा दिनांक तक नहीं की गई थी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (अगस्त 2013) कि दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

3.2.32 निष्कर्ष

हमने देखा कि उद्योग, ऊर्जा और वाणिज्यकि कर (पंजीयन) विभागों के मध्य समन्वय की कमी से उचित मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस की वसूली के बिना दस्तावेज स्वीकार/पंजीयन कर लिए गए थे। सम्पत्ति के अवमूल्यांकन सहित दस्तावेजों का पंजीयन, मुख्य मार्ग के मापदंड़ में स्पष्टीकरण के अभाव, औद्योगिक नीति के प्रावधानों के विपरीत छूट प्रमाण पत्र जारी करने इत्यादि के कारण भी मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का अनारोपण /कम आरोपण हुआ। भारतीय मुद्रांक अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के तहत जिला पंजीयक द्वारा निर्णित प्रकरणें का पुनरीक्षण नहीं हुआ। लंबित प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब हुआ और राजस्व वसूली के प्रमाणपत्रों को शीघ्र निराकृत करने हेतु प्रयास अपर्याप्त थे। आंतरिक नियंत्रण तंत्र नियमित रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा न करने, जिला पंजीयको द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण और उप पंजीयको द्वारा अपर्याप्त स्थल निरीक्षण से कमजोर था।

3.2.33 अनुशंसाएं

शासन को चाहिए कि वह निम्नलिखित अनुशंसाओं को कार्यान्वित करेः-

- आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करे ताकि राजस्व वसूली समय से हो और मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का अनारोपण/कम आरोपण को टाला जा सके।
- विभागों के मध्य आवश्यक समन्वय स्थापित करे ताकि छूट प्रमाण पत्र जारी करने पर मुद्रांक शुल्क के भुगतान पर राजस्व हानि को टाला जा सके और
- मुख्य मार्ग के मापदण्ड, जब एक क्रेता द्वारा भूमि दूसरे एक विक्रेता से क्रय कर दस्तावेजों का पंजीयन और निष्पादन दो अलग भागों में करने पर आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करे और जिला पंजीयको द्वारा आवधिक पुनरीक्षण संबंधी निर्देश जारी करे।

कार्यपालिक सारांश

हमने इस अध्याय में जो मुख्यांकित किया	इस अध्याय में हमने ₹ 16.76 लाख के उदाहरणात्मक प्रकरण प्रस्तुत किए है जो प्रक्रिया व्यय की कम आरोपण से संबंधित है। जिसे हमने अभिलेखों की नमूना जाँच में देखा था।
भू - राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भू-राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमान से क्रमशः 32.67 प्रतिशत 45.51 प्रतिशत एवं 8.22 प्रतिशत अधिक थी किन्तु वर्ष 2012-13 में यह 32.34 प्रतिशत कम थी। यह कमि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भू-राजस्व की अवसूली एवं अधोसंरचना विकास उपकर की अपेक्षित राशि की अवसूली से हुई है।
आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव	विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आ.ले. शा) नहीं है। आ.ले. शा. के अभाव में विभाग बकाया की वसूली, नियमित माँग श्रृजित करना इत्यादि पर प्रभावी नियंत्रण रखने में असफल रहा।
हमार निष्कर्ष	विभाग के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबुत करने के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन करें ताकि प्रणाली के कमियों को सुधारा जा सके एवं हमारे द्वारा संज्ञान में लाई गई कमियों को भविष्य में दूर किया जा सकें।

4.1 कर प्रशासन

भू-राजस्व विभाग राजस्व का संग्रहण कृषि और वाणिज्यिक फसलों पर कर, भूमि विकास कर, ग्रामीण विकास कर, पर्यावरण एवं विकास उपकर, शाला भवन उपकर, प्रब्याजी और भाटक, भूमि के व्यपवर्तन पर कर, भू-भाटक और शास्तियों इत्यादि के रूप में करता है। शासकीय देय बकायादारों से राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (रा.व.प्र.प.) जारी करके वसूल की जाती है। तहसीलदारों की बकायादारों से शासकीय देय वसूल करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

- भू-राजस्व सहिता 1959
- छत्तीसगढ़ लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) नियम 1988;
- राजस्व पुस्तक परिपत्र (रा.पु.प.) खण्ड I से VI एवं
- छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर अधिनियम, 2005

शासन स्तर पर भू-राजस्व विभाग का प्रमुख, प्रमुख सचिव होता है। इनकी सहायता के लिए आयुक्त, बंदोबस्त एवं भू-अभिलेख (आ.बं.भू.अभि.) तथा चार संभागीय आयुक्त (सं.आ.) होते है, संभागों के अंतर्गत शामिल जिलों के उपर संभागीय आयुक्त, प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखते है। प्रत्येक जिले में, विभाग की गतिविधियों को कलेक्टर प्रशासित करता है। जिले में एक या अधिक सहायक कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/जिले के उप संभागों के प्रभारी/डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर को सहायता प्रदान करते है।

4.2 भू-राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान भू-राजस्व की वास्तविक प्राप्तियों सहित कुल कर प्राप्तियाँ उक्त अवधि के दौरान निम्न तालिका में प्रदर्शित है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अंतर आधिक्य (+)/ कमी (-)	अंतर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2008-09	100.00	359.49	(+) 259.49	259.49	6,593.72	5.45
2009-10	120.36	159.68	(+) 39.32	32.67	7,123.25	2.24
2010-11	170.00	247.37	(+) 77.37	45.51	9,005.14	2.75
2011-12	250.00	270.56	(+) 20.56	8.22	10,712.25	2.53
2012-13	346.00	234.11	(-) 111.89	(-) 32.34	13,034.21	1.80

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

राज्य में पिछले पाँच वर्षों के दौरान भू-राजस्व की प्राप्तियां कुल कर प्राप्तियों की 1.80 और 5.45 प्रतिशत के मध्य रही। उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमान से वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में क्रमशः 259.49 प्रतिशत, 32.67 प्रतिशत, 45.51 प्रतिशत, 8.22 प्रतिशत आधिक थी। जो वर्ष 2012-13 में 32.34 प्रतिशत कम थी। उपरोक्त अंतर त्रुटि पूर्ण बजट बनाने को प्रदर्शित करता है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से वर्ष 2010-11 में अधोसंरचना विकास उपकर, पर्यावरण उपकर और पंचायत कर की अधिक वसूली से हुई।

वर्ष 2012-13 के संबंध में विभाग ने सूचित किया कि नये जिला बनाने एवं बस्तर, दन्तेवाड़ा एवं सुकमा जिसे नकसल प्रभावित क्षेत्र होने से अधोसंरचना विकास उपकर, पर्यावरण उपकर के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सका।

4.3 बकाया राजस्व का विश्लेषण

विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार 31 मार्च 2013 की स्थिति में ₹ 31.65 करोड़ का राजस्व बकाया था। अवधि 2008-09 से 2012-13 तक के दौरान राजस्व बकाया का विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का प्रारंभिक शेष	बकाया का अंतिम शेष	वसूली कि गई राशि	बकाया का अंतिम शेष
2008-09	9.52	37.75	35.42	11.85
2009-10	11.85	56.06	30.54	37.37
2010-11	37.37	29.52	32.37	34.52
2011-12	34.52	61.48	72.83	23.17#
2012-13	23.17	42.19*	33.71*	31.65

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त आकड़ें)

* राज्य के 27 जिलों में से 15 जिलों[1] के संदर्भ में दी गई जानकारी पर आधारित।

राज्य के 27 जिलों में से 14 जिलों के संदर्भ में दी गई जानकारी पर आधारित।

विभिन्न स्मरण पत्र दिये जाने पर भी विभाग द्वारा पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि का विवरण उपलब्ध नहीं कराया है।

4.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा, (आं.ले.प.शा.) किसी संगठन में आंतरिक नियंत्रण तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, और सामान्य तौर पर सभी नियंत्रणों के ऊपर नियंत्रण के रूप में परिभाषित है। यह संगठन को आश्वासन देने योग्य बना है कि निर्धारित पद्धतियां उचित रूप

[1] बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबाद, जशपुर, कांकेर, सुकमा, कुंड़ागांव, नरायणपुर, महासमुंद्र, सुरगुजा और जांजगीर-चांपा।

से कार्यशील है। कर्मचारी वर्ग की कमी के कारण विभाग में आ.ले.प.शा. की स्थापना नहीं की गई और इससे 2012-13 में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

हम यह अनुशंसा करते है कि शासन को विभाग में आं.ले.प.शा. की स्थापना पर विचार करना चाहिए जिससे राजस्व का कम/अवसूली, रिसाव इत्यादि को रोका जा सके।

4.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

4.5.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति (2007-08 से 2011-12):

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा कर का अनारोपण/कम आरोपण शास्ति इत्यादि पर राशि ₹ 14.91 करोड़ के प्रकरण इंगित किए गए। विभाग द्वारा ₹ 4.96 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया गया जिसमें से ₹ 2.82 करोड़ राशि वसूली की गई, जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	कुल राशि	स्वीकार राशि	मार्च 2013 तक की गई वसूली
1	2007-08	0.07	निरंक	निरंक
2	2008-09	2.23	2.23	2.23
3	2009-10	0.71	0.65	0.57
4	2010-11	10.86	2.08	0.02
5	2011-12	1.04	निरंक	निरंक
योग		**14.91**	**4.96**	**2.82**

4.5.2 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति (2007-08 से 2011-12):

विगत पाँच वर्ष के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 26,378 प्रकरणों में प्रक्रिया फीस, प्रब्याजी, शास्ति इत्यादी की अवसूली जिसमें राजस्व ₹ 173.36 करोड़ सन्निहित था को इंगित किया गया। इनमें से 13,506 प्रकरणों में ₹ 125.85 करोड़ सन्निहित को लेखापरीक्षा प्रेक्षण विभाग/शासन द्वारा स्वीकार किए गए एवं ₹ 72.17 लाख की वसूली है। निम्न तालिका में विस्तृत विवरण दर्शाया गया है।

(₹ लाख में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकार राशि		वसूली कि गई राशि	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2007-08	24	2,721	2,570.00	2,700	2,516.00	1	0.36
2008-09	24	3,616	6,023.00	2,566	4,147.92	3	65.75
2009-10	20	4,037	2,744.00	3,099	2,710.00	360	5.77
2010-11	19	4,042	1,244.41	2,160	610.13	निरंक	निरंक
2011-12	38	11,962	4,755.00	2,981	2,601.00	18	0.29
योग		26,378	17,336.41	13,506	12,585.05	382	72.17

उपरोक्त तालिका से प्रतित होता है कि स्वीकार की गई राशि में से विभाग द्वारा विगत पांच वर्षो में 0.57 प्रतिशत वसूली हुई है जो कि बहुत कम है।

4.5.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालन की स्थिति (2012-13):

हमने वर्ष 2012-13 के दौरान भू-राजस्व विभाग को 165 इकाइयों में से 20 इकाइयों की अभिलेखों को नमूना जाँच की और भू-राजस्व और प्रब्याजी की वसूली न होना, प्रक्रिया फीस की अवसूली/कम वसूली, आकर का अनारोपण/अप्राप्ति इत्यादि के ₹ 15.01 करोड़ के 3,475 प्रकरण पाए गए जिसे निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रीणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	भू-राजस्व और प्रब्याजी की वसूली न होना	41	6.04
2.	उपकर का अनारोपण/अवसूली	8	0.09
3.	प्रक्रिया फीस की अवसूली/कम वसूली	750	0.30
4	रा.व.प्र.प. के निर्गम में विलम्ब	2	0.49
5	अन्य अनियमितताएँ	2674	8.09
योग		**3,475**	**15.01**

हमारे द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान, भू-भाटक और प्रब्याजी की वसूली न होना, प्रक्रिया फीस का अनारोपण/कम आरोपण, उपकर का अनारोपण/अवसूली, रा.व.प्रा.प. के निर्गम में विलम्ब इत्यादि के इंगित 3,216 प्रकरणों में जो ₹ 6.83 करोड़ के थे। को विभाग ने मान्य किया किन्तु कोई वसूली नहीं की।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण जिसमें ₹ 16.76 लाख समाहित है, को निम्न कंडिका में दर्शाया गया है :

4.6 लेखापरीक्षा टिप्पणी

हमारे द्वारा भू-राजस्व के निर्धारण तथा संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की जांच में भू-राजस्व और प्रब्याजी का कम आरोपण पाया गया, जो इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है। यह उदाहरणात्मक प्रकरण है एवं हमारे द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित है। इस प्रकार की अनियमितताएं लेखापरीक्षा में प्रत्येक वर्ष इंगित की जाती है लेकिन ये अनियमितताएं न केवल बनी रहती है, बल्कि लेखापरीक्षा सम्पादित होने तक इनका पता नहीं लगा पता है। शासन के लिए यह आवश्यक है कि, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए एवं आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना की जाए जिससे इन त्रुटियों को टाला, पता लगाया तथा सुधारा जा सके।

4.7 प्रक्रिया व्यय की कम वसूली

मध्यप्रदेश लोकवन नियम, 1988(शाब्द राशियों की वसूली) के नियम 4(क) के अनुसार (छ.ग. शासन द्वारा अंगीकृत) मूल राशि के वसूली पर तीन प्रतिशत की दर से प्रक्रिया व्यय के आरोपण कर वसूली की जावेगी, तथा वसूले गये प्रक्रिया व्यय को मूख्य शीर्ष 0070, अन्य प्रशासनिक सेवा, विविध प्राप्ति के अंतर्गत कोषालय में जमा की जावेगी (प्रक्रिया व्यय)

हमने 20 कलेक्टर/तहसील कार्यालयों में अवधि अक्टूबर 2001 से मार्च 2013 तक के राजस्व वसूली प्रमाणक पंजी की जाँच की (मई 2012 से मार्च 2013 के मध्य) और देखा कि कार्यालय कलेक्टर कांकेर द्वारा मूल राशि ₹ 19.90 करोड़ के 1,941 प्रकरणों के विरूद्ध राजस्व वसूली के प्रमाण पत्र जारी किए गये, जिसमें से अप्रैल 2008 से मार्च 2012 के दौरान 463 प्रकरणों से ₹ 5.65 करोड़ की वसूली की गई थी। वसूली गई राशि पर तीन प्रतिशत की दर से ₹ 16.94 लाख प्रक्रिया व्यय का आरोपण कर वसूलनीय था। जिसके विरूद्ध केवल ₹ 17,569 की वसूली की गई थी। इस प्रकार राजस्व वसूली प्रमाण पत्र में प्रक्रिया व्यय को राशि न जोड़ने से ₹ 16.76 लाख की कम वसूली हुई। (विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 4.1** में दिया गया है)

हमने शासन/विभाग को इस संबंध में इंगित किया (जून 2013) शासन से लेखापरीक्षा आपत्ती को स्विकार किया (सितम्बर 2013) तथा प्रक्रिया व्यय के बकाया लंबित राशियों की वसूली हेतु निर्देश जारी किया गया।

लेखापारीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्ति) वर्ष 2007-08 एवं 2010-11 में कंडिका क्र 6.2 एवं कंडिका क्र. 5.8.8 में इस प्रकार की कंडिका जारी की गई थी। कंडिका क्र 6.2

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 आक्षेपित राशि ₹ 6.35 लाख में से ₹ 3.55 लाख की वसूली विभाग द्वारा की गई, तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 का कंडिका क्र 5.88 का कोई जवाव प्राप्त नहीं हुआ।

कार्यपालिक सारांश

इस अध्याय में हमने क्या मुख्यांकित किया है	इस अध्याय में हमने परिवहन विभाग में ₹ 3.34 करोड़ के उदाहरणात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है जिसे हमने अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया। हमने परिवहन विभाग में शासकीय राजस्व का गबन, व्यवसायियों पर ट्रेड फीस का अनारोपण/कम आरोपण एवं मालयान एवं यात्रीयान के स्वामियों से कर एवं शास्ति की अवसूली, से संबंधित बहुत से उदाहरण पाया है।
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	यद्यपि वास्तविक प्राप्तियाँ में 2008-09 में 0.55 प्रतिशत तथा 2012-13 में 2.30 प्रतिशत गिरावट थी लेकिन वही 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में इनमें क्रमशः 0.12 प्रतिशत, 4.27 प्रतिशत एवं 5.72 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई।
आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा द्वारा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाना	वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग 16 ईकाईयाँ आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु चयनित की गयी जिसमें से केवल चार ईकाईयों की लेखा परीक्षा की गई।
लेखापरीक्षा का प्रभाव	हमने वर्ष 2012-13 में परिवहन विभाग से संबंधित 20 में से छह ईकाईयों की अभिलेखों की नमूना जाँच की एवं 1,255 प्रकरणों में ₹ 9.14 करोड़ के वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण, व्यापार कर एवं व्यापार फीस के कम आरोपण से राजस्व हानि का पता लगाया। विभाग ने 861 प्रकरणों में ₹ 4.93 करोड़ के वाहनो पर कर का अनारोपण, राजस्व हानि एवं अन्य अनियमित्ताओं को स्वीकार किया।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को अपने आंतरिक लेखा परीक्षा को मजबूत करने के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में भी सुधार लाने की आवश्यकता है जिससे कि प्रणाली में व्याप्त कमियों को सुधारा जा सके एवं हमारे द्वारा संज्ञान में लायी गयी कमियों का भविष्य में टाला जा सके। हमारे द्वारा इंगित किये गये कर की अवसूली, कम आरोपण इत्यादि को वसूल करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए, विशेष रूप से उन प्रकरणों में, जिनमें हमारे विचारो को मान्य किया गया है।

5.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग राज्य के प्रमुख राजस्व संग्रहणाकर्ता विभागों में से एक है। राज्य मे वाहनों पर कर का आरोपण एवं संग्रहण निम्नलिखित नियमों के अधीन किया जाता है :

- मोटरयान अधिनियम, 1988(मो. या. अधिनियम)
- केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 (के.मो.या. नियम)
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम (छ.ग.मो.या.क.अ.) 1991 एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम एवं
- छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994

व्यापार कर के अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस, अन्य फीस जैसे पंजीयन फीस, फिटनेस फीस और अनुज्ञा फीस, मोटरयान अधिनियम 1988 और उसके अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार आरोपणीय है। समय पर करों के भुगतान न हाने की स्थिति में निर्धारित दर से शास्ति और ब्याज भी आरोपणीय है। गैर परिवहन यानों[1] के प्रकरण में कर की प्राप्ति जीवनकाल कर के रूप में एकमुश्त और परिवहन यानों के प्रकरणों में अधिनियम के प्रावधानानुसार मासिक/त्रैमासिक रूप में किया जाता है।

मोटरयानों पर कर के उदग्रहण का प्रशासन, शासन स्तर पर प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त (प.आ.) द्वारा किया जाता है जिन्हे मुख्यालय स्तर पर सहायता प्रदान करने हेतु एक अति प.आ. एक संयुक्त प.आ. एक सहायक प.आ. एवं एक उप संचालक (वित्त) होते है। इसके अतिरिक्त चार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (क्षे. प. अ.) दो अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (अति. क्षे. प. अ.) दस जिला परिवहन अधिकारी (जि.प.अ.) परिवहन आयुक्त के प्रशासकीय नियंत्रण में होते है। इसके अतिरिक्त पंद्रह चेक पोस्ट एवं दो उप चेक पोस्ट संबंधित क्षे. प. अ./अति. क्षे. प. अ./जि. प. अ. के पर्यवेक्षी नियंत्रण में रहते है।

5.2 बजट तैयारियों का विश्लेषण

विभाग की बजट फाइल का अवलोकन किया गया और यह संज्ञान में आया कि प्राकलन बनाते समय विभाग द्वारा वित्त विभाग निर्धारित किए गए प्रक्रिया का पालन किया गया।

बजट अनुमान तैयार करते समय सभी कारक जैसे पिछले वर्ष के दौरान राजस्व की वास्तविक संग्रह, संदर्भित पिछले साल की प्राप्ति के साथ चालू वर्ष विकास दर की तुलना और विभाग द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों ध्यान में रखा गया।

5.3 वाहनों पर कर से प्राप्त राजस्व रूझान

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान वाहनों पर कर से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियाँ उस अवधि में कुल कर प्राप्तियों के साथ निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है :

[1] गैर परिवहन यान- लोक सेवा, माल यान, शैक्षणिक संस्थान बस अथवा निजि सेवा यान को छोड़कर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अंतर कमी (-) अधिक (+)	अंतर का प्रतिशत (कॉलम 2 से 3)	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों में वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2008-09	315.50	313.78	(-) 1.72	(-) 0.55	6,593.72	4.76
2009-10	351.47	351.88	(+) 0.41	(+) 0.12	7,123.25	4.94
2010-11	410.00	427.52	(+) 17.52	(+) 4.27	9,005.14	4.75
2011-12	475.00	502.18	(+) 27.18	(+) 5.72	10,712.25	4.69
2012-13	605.71	591.75	(-)13.96	(-) 2.30	13,034.21	4.54

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उपरिलिखित तालिका से स्पष्ट है कि राजस्व संग्रहण 2008-09 में ₹ 313.78 करोड़ से 2012-13 में ₹ 591.75 करोड़ बढ़ गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2012-13 में वाहनों पर कर के संग्रहण में 17.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विभाग द्वारा इस वृद्धि का कारण नई वाहनों के पंजीयन में वृद्धि होने को दिया। बजट अनुमान एवं वास्तविक के प्रतिशत में 2008-09 से 2012-13 के बीच 0.12 से 5.72 प्रतिशत के मध्य अंतर था जो यह प्रदर्शित करता है कि बजट अनुमान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तैयार किया गया था।

5.4 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2013 की स्थिति में ₹ 14.99 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 41 लाख का बकाया पाँच वर्षो से अधिक समय से था। निम्नलिखित तालिका वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक के बकाया राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती है :

(₹करोड़ में)

वर्ष	बकायों का प्रारम्भिक शेष	बकायों का अंतशेष
2008-09	3.92	4.01
2009-10	4.01	8.57
2010-11	8.57	14.65
2011-12	14.65	9.50
2012-13	9.50	14.99

(स्रोतः परिवहन विभाग द्वारा दिये गये आंकड़ें)

5.5 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक नियंत्रण जो कानूनी, नियमों और विभागीय निर्देश के समुचित प्रवर्तन के उचित आश्वासन प्रदान करते है एवं जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम में मदद करते है आंतरिक लेखा परीक्षा संगठन को निर्धारित प्रणालियों के अनुपालन को आश्वस्त करने के लिए सक्षम बनाता है।

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा कार्यालय परिवहन आयुक्त में संबंध है जिसका प्रमुख उप संचालक (वित्त) है कुल स्विकृत चार पद (दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक और दो कनिष्ठ

लेखापरीक्षक) के विरूद्ध मात्र दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक कार्यरत थे और वर्ष 2012-13 में कुल चयनित 16 इकाईयों में से चार इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई। जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा द्वारा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया।

हम सुझाव देते है कि विभाग नियमित रूप से लेखा परीक्षा करने के लिए अतिरिक्त मानव क्षमता को नियुक्त करें।

5.6 संग्रहण की लागत

सकल संग्रहण पर व्यय के संसगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशत सहित वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान यान पर कर का सकल संग्रहण, संग्रहण पर किए गए व्यय एवं पूर्व वर्षो के सकल संग्रहण पर किए गए व्यय निम्न तालिका में दर्शाए गए है :

(₹करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	विगत वर्ष के संग्रहण पर व्यय का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
2010-11	427.52	7.93	1.85	3.07
2011-12	502.18	10.00	1.99	3.71
2012-13	591.75	10.73	1.81	2.96

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि संग्रहण की लागत का प्रतिशत अखिल भारतीय औसत प्रतिशत से कम ही था, जिसकी सराहना की जाती है।

5.7 लेखापरीक्षा का प्रभाव

5.7.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति (2007-08 से 2011-12) वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से ₹ 34.32 करोड़ की कर और शास्ति के अनारोपण/कम आरोपण, से संबंधित प्रकरण इंगित किये थे। विभाग ने इनमें से ₹ 19.24 करोड़ के आपत्तियाँ स्वीकार कर ₹ 2.62 करोड़ की वसूली (मार्च 2013 तक) की, जो निम्न तालिका में दर्शित है :

(₹करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल राशि	स्वीकृत राशि	मार्च 2012 तक वसूल की राशि
2007-08	6.69	3.58	1.05
2008-09	3.48	0.37	0.37
2009-10	5.96	5.85	0.63
2010-11	0.30	0.27	0.08
2011-12	17.89	9.17	0.49
योग	**34.32**	**19.24**	**2.62**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शायें गये स्वीकार्य प्रकरणों में विभाग द्वारा केवल 13.62 प्रतिशत की वसूली की है।

5.7.2 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति (2007-08 से 2011-12) :

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान हमने लेखापरीक्षा प्रतिवदेनों के माध्यम से कर और शास्ति की अवसूली, कर का अनारोपण और व्यापार कर एवं फीस के कम आरोपण के ₹ 58.30 करोड़ के 6,569 प्रकरणों को इंगित किया था, जिसमें से शासन ने ₹ 32.53 करोड़ के 4,737 प्रकरणों को मान्य किया। विस्तृत विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकृत राशि		मार्च 2013 तक वसूल की राशि	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2007-08	7	1,686	14.18	1,051	7.61	निरंक	निरंक
2008-09	8	1,758	11.89	746	3.89	निरंक	निरंक
2009-10	11	345	6.85	344	0.89	49	0.04
2010-11	3	357	3.25	314	1.08	निरंक	निरंक
2011-12	9	2,423	22.13	2,282	19.06	निरंक	निरंक
योग		**6,569**	**58.30**	**4,737**	**32.53**	**49**	**0.04**

5.7.3 निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति (2012-13)

हमने परिवहन विभाग के 16 में से नौ ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में वर्ष 2011-12 के दौरान मोटरयान कर एवं शास्ति की अ/कम वसूली, कर का अनारोपण एवं राजस्व की हानि, व्यापार कर एवं शुल्क का कम आरोपण राशि ₹ 9.14 करोड़ के 1,255 प्रकरणों इंगित किये गये, जिन्हे मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	व्यापार कर की कम वसूली	356	4.80
2.	कर एवं शास्ति की अवसूली	778	2.99
3.	अन्य अनियमितताएं	121	1.35
योग		**1,255**	**9.14**

2012-13 के दौरान विभाग ने 861 प्रकरणों में ₹ 4.93 करोड़ के व्यापार कर का कम आरोपण, वाहनों पर कर एवं शास्ति के अनारोपण, राजस्व की हानि एवं अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया।

सात परिवहन कार्यालयों में व्यापार कर की कम वसूली के एक प्रकरण में विभाग ने ₹ 59.04 लाख की वसूली की।

₹ 3.34 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे कंडिकाओं में इंगित है।

5.8 लेखापरीक्षा टिप्पणी

कई परिवहन कार्यालयों[2] के अभिलेखों की जाँच में अधिनियम/नियम/शासकीय नोटिफिकेशन/निर्देश के पालन न होने से कर के अनारोपण/कम आरोपण के अनेक प्रकरण प्रकाश में आये जो इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लेखित है। ये उदाहरणात्मक प्रकरण है एवं हमारे द्वारा किये गये नमुना जाँच पर आधारित है। जो विभागीय कार्यवाही में कमियों को दर्शाता है लेकिन अनियमितताएँ न केवल बनी रहती है बल्कि लेखापरीक्षा के होने तक संज्ञान में नहीं आती। अतः विभाग को इस प्रकार की अनियमितता का दोहराव न होने देने के लिए नियंत्रण प्रणाली को बेहतर करने की आवश्यकता है।

5.9 शासकीय राजस्व का गबन

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रायपुर के डिमाण्ड ड्राफ्ट अभिलेखों की सूक्ष्म परीक्षण (सितम्बर 2012) में हमने पाया कि माह अप्रैल 2011 से मार्च 2012 के दौरान डिमाण्ड ड्राफ्ट अनुभाग ने 10 वाहन स्वामियों से ₹ 1.31 लाख के छह डिमाण्ड ड्राफ्ट 22 मालयानों के कर अदायगी संदर्भ में स्वीकार किए और उन्हे डिमाण्ड ड्राफ्ट रजिसटर में इंद्राज किया। डिमाण्ड ड्राफ्ट अनुभाग ने माल यान शाखा को इन वाहनों के कर के संबंध में डिमाण्ड ड्राफ्ट लेने बाबत सूचना दी। तदनुसार माँग एवं वसूली पंजी में कर के संदाय होने की सूचना दर्ज की गयी तथापि इन डिमाण्ड ड्राफ्ट को जारी कर्ता बैंक से प्रति सत्यापन से हमे पता चला उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट वाहन स्वामियों द्वारा 21 जुलाई 2012 को निरस्त करा लिये गये थे। एक साल तीन माह बाद डिमाण्ड ड्राफ्ट को निरस्त कराने से स्पष्ट है कि इन बैंक ड्राफ्टों को क्षे. प. अधिकारी रायपुर द्वारा समाशोधन हेतु बैंक में जमा नहीं किया गया था परन्तु इन्हें वाहन स्वामियों को वापस कर दिया गया था। डिमाण्ड ड्राफ्ट और बैंक रिकार्ड में निर्यक जाँच से संबंधित ऐसी कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है, जो यह सुनिश्चित कर सके कि इन डिमाण्ड ड्राफ्टों को बैंक में जमा किया गया है एवं लेखे मे लिया गया है। विभाग में भी यह जाँच करने के लिए कि प्राप्त किए सभी डिमाण्ड ड्राफ्ट बैंक में समाशोधन हेतु भेज दिये गए है, कोई प्रणाली अंगीकृत नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 1.31 लाख के शासकीय राजस्व का गबन हुआ।

> **मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के भाग एक के अध्याय दो के नियम 3 के अनुसार कोई भी शासकीय धन, जो किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा शासन को देय है या शासन की तरफ से देय है को लेखा में अविलंब लेने चाहिए एवं बिना विलंब के शासकीय कोषालय या बैंक में (जैसा भी प्रकरण हो) जमा करना चाहिए। आगे मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 12 के अनुसार संबंधित अधिकारी शासकीय धन के दुर्विनियोजन, अनियमितता एवं दुरूपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है।**

हमने शासन/विभाग को उनके टिप्पणी हेतु प्रकरण प्रतिवेदित किया (मई 2013)। बैठक के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2013) कि प्रकरण में शामिल राशि मय

[2] क्षे.प.का. अम्बिकापुर, जगदलपुर एवं रायपुर अति क्षे. प. का दुर्ग एवं राजनांदगाँव एवं जि.प.का. कवर्धा।

शास्ति के वसूल की जा चुकी है एवं एक जाँच समिति उप संचालक (वित्त) के पर्यवेक्षण में गठित की जा चुकी है।

5.10 व्यवसायियों से व्यापार फीस की कम/अवसूली

तीन[3] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों, दो[4] अति क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों एवं एक[5] जिला परिवहन अधिकारी के पंजीयन अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2007 से मार्च 2012) में हमने पाया कि 2007-08 से 2011-12 के बीच 1,68,288 मोटर साइकल/मोपेड एवं 38,700 अन्य वाहन पंजीकृत किए गए। नियमानुसार इन वाहनों से ₹ 1.62 करोड़ व्यापार फीस वसूलनीय थी। इसके विपरीत दो[6] क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ. द्वारा केवल ₹ 1.11 लाख आरोपित एवं वसूल किया गया। बाकी चार[7] परिवहन अधिकारियों द्वारा कोई व्यापार फीस न तो आरोपित और न ही वसूल किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 1.60 करोड़[8] की ट्रेड फीस का कम आरोपण/अनारोपण हुआ। **(परिशिष्ट 5.1 में दर्शित)**

> केंद्रीय मोटर यान नियम के नियम 34 (1) के अनुसार व्यापार प्रमाण पत्र के नवीन अथवा नवीनीकरण आवेदन के साथ नियम 81 में वर्णित फीस भी संलग्न होनी चाहिए।

हमने शासन/विभाग को उनके टिप्पणी हेतु प्रकरण प्रतिवेदित किया (मई 2013)। बैठक के दौरान शासन ने कहा (जुलाई 2013 एवं सितम्बर 2013) कि क्षे.प.अ./जि.प.अ. को माँग पत्र जारी करने हेतु निर्देश जारी किए गये है एवं ₹ 35.66 लाख की वसूली अभी तक की जा चुकी है।

यही प्रकरण लेखा परीक्षा द्वारा 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका क्र 5.9 में भी उठाया गया था। विभाग ने कंडिका क्र 5.9 में हमारे द्वारा उठाए गए ₹ 4.43 करोड़ में से ₹ 9.37 लाख वसूल कर लिए है।

अब 1 फरवरी 2012 से आगे विभाग व्यापार फीस की वसूली प्रति वाहन के हिसाब से कर रहा है। पूर्ववर्ती वर्षो के व्यापार फीस के कम/अनारोपण हेतु व्यवसायियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे है।

3 अम्बिकापुर, जगदलपुर एवं रायपुर

4 दुर्ग एवं राजनांदगाँव

5 कांकेर

6 अम्बिकापुर एवं दुर्ग

7 जगदलपुर, कांकेर, रायपुर एवं राजनांदगाँव

8 मोटरसाइकिल/मोपेड की संख्या X प्रति वाहन कर की दर (1,68,288 X ₹ 50) = ₹ 84,14,400 और अन्य वाहन की संख्या X प्रति वाहन कर की दर (38,700 X ₹ 200) = ₹ 77,40400 कुल आरोपणीय फीस : ₹ 1,61,54,400 एवं आरोपित फीस : ₹ 1,10,660 कम आरोपण : ₹ 1,60,43,740

5.11 यात्री यान एवं मालयान के स्वामियों से कर की अवसूली

छ.ग. मो.क. अधिनियम की धारा 3 एवं 5 अनुसार वाहन जो कि राज्य में उपयोग किये गये या उपयोग हेतु रखे गये है पर प्रथम अनुसूची में उल्लेखित दर के अनुसार कर आरोपित किया जावेगा। यदि शोध्य कर का संदाय नहीं किया गया है तो वाहन स्वामी शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त प्रत्येक मास या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिये कर की असंदत रकम के एक बारहवें की दर से किंतु रकम से अनाधिक ऐसी शास्ति के लिये दायी होगा जो अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार अधिरोपित की गई है। यदि कोई वाहन स्वामी शोध्य कर शास्ति अथवा दोनों का संदाय करने में असफल रहता है तो कराधान अधिकारी को चाहिए की मांग पत्र जारी करके राशि को भूराजस्व के बकाया की भांति वसूल करने की कार्यवाही करें। संदर्भित अधिनियम की धारा 11 के अनुसार यदि कोई वाहन स्वामी किसी निश्चित समयावधि के लिए अपने वाहन को आफ रोड रखना चाहता है तो उसे वह समयावधि प्रारम्भ होने के पूर्व प्रारूप ट में एक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होता है।

सात[9] परिवहन कार्यालयों के माँग एवं वसूली पंजी की जाँच (जनवरी 2012 से दिसम्बर 2012) में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 4,299 में से 443 मालयानों, नमूना जाँच किए गए 733 में से 152 मैक्सी केब एवं नमूना जाँच किए गए 1,424 में से 181 यात्रीयानों के स्वामियो ने वाहन कर ₹ 1.73 करोड़ (**परिशिष्ट 5.2 में दर्शित**) संदाय नहीं किया। इन वाहन के स्वामियों द्वारा आफ रोड़ घोषणापत्र भी नहीं प्रस्तुत किया गया था। इसके बावजूद परिवहन अधिकारियों ने इन डिफाल्टर वाहन स्वामियों से कर की वसूली हेतु मांग पत्र जारी करने हेतु कोई कदम नहीं उठाए। इसके चलते ₹ 1.73 करोड़ का कर वसूल नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, असंदत रकम पर शास्ति भी आरोपणीय थी।

हमने शासन/विभाग को उनके टिप्पणी हेतु प्रकरण प्रतिवेदित किया (मई 2013) बैठक के दौरान शासन ने कहा (सितम्बर 2013) कि ₹ 59.94 लाख की वसूली अभी तक की जा चुकी है।

यद्यपि इसीप्रकार की अनियमितता 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष हेतु लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) में लेखा परीक्षा कंडिका क्र. 5.10.1 के में सम्मिलित की गई थी और विभाग ने मांग जारी की थी किन्तु विभाग में यही समान अनियमितता पुनः पाई जा रही है। इसलिए शासन को चाहिए कि आंतरिक नियंत्रण को मजबुत करे ताकि ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृती टाली जा सके।

[9] क्षे.प.का. अम्बिकापुर, जगदलपुर एवं रायपुर, अति क्षे प का दुर्ग एवं राजनांदगाँव, जि.प.का. कवर्धा एवं कोरबा

अध्याय छ : राज्य आबकारी

कार्यपालीक सारांश

इस अध्याय में हमने जो मुख्यांकित किया	इस अध्याय में हमने ₹ 71.04 लाख के उदाहरणात्मक प्रकरण सम्मिलित किये है जो पापीस्ट्रा के आरक्षित मुल्य का गलत निर्धारण एवं देशी/विदेशी मंदिरा के न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा (एम.जी.क्यू.) का गलत निर्धारण किया जाने बाबत है। जो आबकारी विभाग अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाये गये,
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	वर्ष 2008-09 से 2012-13 के अवधि के दौरान बजट अनुमान से वास्तविक प्राप्तियाँ अधिक रही। वर्ष 2012-13 के दौरान प्रोसेस फीस की वृद्धि से 12.99 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त हुआ।
लेखापरीक्षा द्वारा लक्ष्य न प्राप्त किया जाना	वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग द्वारा 21 ईकाईयों की लेखापरीक्षा किये जाने हेतु योजना बनाई थी, परन्तु विभाग ने किसी भी ईकाई की लेखापरीक्षा नहीं की। हम अनुशंसा करते है कि विभाग जरूरी पदों की भर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही करे, जिससे आंतरिक लेखापरीक्षा नियमित रूप से की जा सकें।
लेखापरीक्षा का प्रभाव	हमने वर्ष 2012-13 में राज्य आबकारी विभाग से संबंधित नौ ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की एवं 700 प्रकरणों में ₹ 20.02 करोड़ के शुल्क की अवसूली, शास्ति का अनारोपण मनोरंजन शुल्क की अवसूली/कम वसूली इत्यादि प्रकरणों को पाया। विभाग ने 364 प्रकरणों में सन्निहित ₹ 4.55 करोड़ के अवनिर्धारण, शुल्क, अनुज्ञाप्ति फीस के अनारोपण/कम आरोपण इत्यादी को स्वीकार किया।
हमारा निष्कर्ष	आबकारी विभाग को आवश्यकता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा को क्रियान्वित कर आंतरिक लेखापरीक्षा को नियमित रूप से परिचालन करे ताकि भविष्य में हमारे द्वारा पाई गई कमीयों की प्रकृत्तियों को टाला या रोका जा सके। यह भी अनुशंसा कि जाती है कि विभाग लेखा परीक्षा निरीक्षणों की निगरानी हेतु विशेष रूप से मान्य किये गये प्रकरणों में वसूली हेतु निरीक्षण प्रणाली सुदृढ़ करें।

6.1 कर प्रशासन

आबकारी विभाग राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त कर देने वाला विभाग है। राजस्व आम में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं इसके अंतर्गत जारी किए गए नियमों तथा अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार आरोपित अथवा आदेशित शुल्क फीस अथवा राजसात के द्वारा होने वाली आय समाहित होती है। इसमें मंदिरा के निर्माण, धारण तथा विक्रय,भांग तथा पोस्ता शीर्ष द्वारा होने वाली आय भी सम्मिलित है। विभाग मदिरा दुकानों को संधारित करता है तथा निजी अनुज्ञप्तिधारियों को इन दुकानों से देशी/विदेशी मदिरा, भांग तथा पोस्ता विक्रय करने की अनुमति देता है। मदिरा के निर्माण हेतु आबकारी आयुक्त राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर प्रतिवर्ष अनुज्ञप्ति प्रदान करता है। विभाग के अधिनियम एवं नियम नीचे दिए गए है :

- छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम,1915;
- छत्तीसगढ़ आसवनी नियम,1995;
- छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम,1996; एवं
- छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995

छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 के प्रावधानों के अंतर्गत आबकारी विभाग मनोरंजन शुल्क के रूप में भी राजस्व एकत्र करता है।

शासन स्तर पर सचिव सह आबकारी आयुक्त आबकारी विभाग के प्रमुख है। उनकी सहायता अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, उप आयुक्त, सहायक आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा की जाती है। जिले के जिलाधीश आबकारी प्रशासन के प्रमुख है।

6.2 राज्य आबकारी राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के अवधि के दौरान राज्य आबकारी द्वारा राज्य की वास्तविक प्राप्तियो के साथ कुल प्राप्त कर का विवरण नीचे प्रदर्शित किया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर आधिक्य (+) / कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियाँ का कुल प्राप्तियाँ के साथ प्रतिशत
2008-09	950.00	964.10	(+) 14.1	1.48	6,593.72	14.62
2009-10	1,158.00	1,187.72	(+) 29.72	2.57	7,123.25	16.67
2010-11	1,390.00	1,506.44	(+)116.44	8.38	9,005.14	16.73
2011-12	1,550.00	1,596.98	(+)46.98	3.03	10,712.25	14.91
2012-13	2,200.00	2,485.68	(+)285.68	12.99	13,034.21	19.07

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 में ₹ 2,200.00 करोड़ का बजट स्वीकृत किया जिसके विरूद्ध वास्तविक प्राप्तियां ₹ 2,485.68 करोड़ थी। चुंकि 12 प्रतिशत से अधिक अंतर आने के कारण वित्त विभाग को बजट अनुमान बनाते समय और अधिक सटीक होना चाहिए। विभाग ने कहा कि प्रोसेस फीस की प्राप्ति के कारण अंतर था।

6.3 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2013 की स्थिति में बकाया राजस्व ₹ 31.04 करोड़ था, निम्न तालिका में अवधि 2008-09 से 2012-13 के दौरान राजस्व बकाया की स्थिति को दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान जारी मांग	वर्ष के दौरान राशि का संग्रहण	बकाया का अंतिम शेष
2008-09	22.82	0.49	0.05	23.26
2009-10	23.26	2.42	0.08	25.60
2010-11	25.60	0.37	0.67	25.30
2011-12	25.30	0.04	0.46	24.88
2012-13	24.88	6.57	0.41	31.04

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदाय आंकड़े अनुसार)

6.4 संग्रहण की लागत

राज्य आबकारी से संबंधित सकल प्राप्तियों के संग्रहण पर हुआ व्यय, कुल संग्रहण पर वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में हुए संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत तथा पूर्व वर्षों का सकल संग्रहण का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत नीचे दी गयी तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	संग्रहण प्राप्ति पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	पूर्व वर्षो का सकल संग्रहण का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
2010-11	1,506.44	40.68	2.70	3.64
2011-12	1,596.98	52.06	3.26	3.05
2012-13	2,485.68	46.63	1.88	2.98

विभाग संग्रहण पर होने वाले व्यय को वर्ष 2012-13 में अखिल भारतीय औसत से काफी नीचे रखने में सफल रहा। यह प्रशंसनीय है

6.5 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आ.ले.शा) एक ऐसा संगठन है जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है एवं सामान्य तौर पर सभी नियंत्रणों के रूप में परिभाषित है जो संगठन को योग्य बनाती है कि निर्धारित पद्धतिया उचित रूप से कार्यशील है।

यद्यपि विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में एक संयुक्त संचालक एवं दो सहायक आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी स्विकृत पूर्ण पद पर कार्यरत है किन्तु हमने देखा कि वर्ष

के दौरान विभाग द्वारा 21 ईकाईयों की लेखापरीक्षा किये जाने का आयोजन किया था, परन्तु एक भी ईकाई की लेखापरीक्षा नहीं की गई।

हम अनुशंसा करते है कि विभाग जरूरी पदों की भर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही करे, जिससे आंतरिक लेखापरीक्षा नियमित रूप से की जा सके।

6.6 लेखापरीक्षा का प्रभाव

6.6.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12) : वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा निरिक्षण प्रतिवेदनों में हमने देखा है कि हमारे निरिक्षण प्रतिवेदनों में शुल्क की अवसूली, अनुज्ञाप्ति फीस की कम वसूली, मनोरंजन शुल्क की अवसूली/कम वसूली प्रकरणों में ₹ 24.61 करोड़ सन्निहित थी। विभाग द्वारा ₹ 11.63 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 1.66 करोड़ मार्च 2012 तक वसूल किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	निरीक्षण प्रतिवेदनों का वर्ष	कुल मुल्य राशि	स्वीकार राशि	31 मार्च 2013 तक की वसूली
1	2007-08	14.95	8.68	निरंक
2.	2008-09	1.20	0.07	0.03
3.	2009-10	0.48	0.48	0.04
4.	2010-11	2.47	2.39	1.58
5.	2011-12	5.51	0.01	0.01
	योग	**24.61**	**11.63**	**1.66**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि विभाग ने स्वीकार किये गये राशि का 14 प्रतिशत वसूला।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन स्वीकृत किये गये प्रकरणों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु शीघ्र कार्यवाही करें।

6.6.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12):

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान हमारे निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा शुल्क की अवसूली, अनुज्ञाप्ति फीस की कम वसूली, शास्ति का अनारोपण, मनोरंजन शुल्क की अवसूली/कम वसूली के साथ 4,321 प्रकरणों में ₹ 131.78 करोड़ का राजस्व प्रभावित हुआ। इसमें से विभाग/शासन द्वारा 2,471 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 41.21 करोड़ लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया गया। विस्तृत विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया हैः

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकार राशि		वसूली गयी राशि (31 मार्च 2013 तक)	
		प्रकरण	राशि	प्रकरण	राशि	प्रकरण	राशि
2007-08	12	1,143	18.74	912	0.54	55	0.04
2008-09	10	223	17.79	56	2.85	2	0.02
2009-10	16	1,036	16.71	337	7.52	निरंक	निरंक
2010-11	9	1,332	64.62	1,084	22.02	6	3.37
2011-12	6	587	13.92	82	8.28	निरंक	निरंक
योग		**4,321**	**131.78**	**2,471**	**41.21**	**63**	**3.43**

उपर्युक्त सारणी में देखा जा सकता है कि विभाग ने स्वीकृत राशि के केवल 8 प्रतिशत राशि की वसूली की।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन स्वीकृत किये गये प्रकरणों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु शीघ्र कार्यवाही करें।

6.6.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012-13):

हमने आबकारी विभाग के 16 ईकाइयों में से नौ ईकाइयों जिनका कुल राजस्व (2011-12) राशि ₹ 1,024.04 करोड़ था के अभिलेखों की वर्ष 2012-13 में नमूना जाँच की। हमने 700 प्रकरणों में ₹ 20.02 करोड़ राशि के आबकारी शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण, मद्यभण्डागार में स्पिरिट का न्यूनतम संग्रह न रखें जाने पर शास्ति के अनारोपण, मनोरंजन शुल्क की बकाया एवं शास्ति का अनारोपण तथा अन्य अनियमिततायें देखी। प्रेक्षणों को निम्न क्षेणीयों में मुख्यतः वर्गीकृत किया गया है :

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	आबकारी शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण ।	109	10.11
2.	भाण्डागारों में स्पिरिट का न्यूनतम स्कंध न रखने पर शास्ति का अनारोपण।	66	5.78
3.	मनोरंजन शुल्क का बकाया एवं शास्ति का अनारोपण।	126	0.32
4.	अन्य अनियमितताये।	399	3.81
योग		**700**	**20.02**

वर्ष के दौरान, विभाग द्वारा 364 प्रकरणों में सन्निहित ₹ 4.55 करोड़ के अवनिर्धारण, शुल्क, अनुज्ञप्ति फीस के अनारोपण/कम आरोपण इत्यादि स्वीकार किया गया है।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण में जिसमें ₹ 71.04 लाख सन्निहित है कंडिका में नीचे वर्णित है :

6.7 लेखापरीक्षा टिप्पणी

हमारे द्वारा जिला आबकारी कार्यालयों के आबकारी शुल्क, फीस एवं प्रभार के निर्धारण संबंधित अभिलेखों की जांच में देखा गया की कई प्रकरणों में अधिनियम/नियमों/वार्षिक आबकारी नितियों को प्रावधानो का नहीं किया गया, जिसमें पालन पर आरक्षित मुल्य का गलत निर्धारण एवं देशी/विदेशी मदिरा का न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का गलत निर्धारण के प्रकरण पाये गये, जैसा कि अनुवर्ती कंडिका में वर्णित है। यह प्रकरण उदाहरणात्मक है और लेखापरीक्षा नमूनां जाँच पर आधारित है। सहायक आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा की गई इस प्रकार की अनियमितताए प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा में इंगित की जाती है लेकिन यह अनियमितताए न केवल बनी रहती है बल्की लेखापरीक्षा संपादित होने तक इनका पता नहीं लग पाता है। विभाग को आवश्यकता है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर किया जावे साथ ही आंतरिक लेखापरीक्षा को सदृढ़ किया जावे ताकि इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकी जा सकें।

6.8 आरक्षित मुल्य का गलत निर्धारण

राज्य आबकारी आयुक्त के पत्र क्र. 436 दिनांक 21.02.2011 के अनुसार वर्ष 2010-11 में पापीस्ट्रा दुकानों के लिये जो अनुज्ञप्ति फीस प्राप्त हुई थी, उसी को वर्ष 2011-12 के लिये न्यूनतम निलामी हेतु आरक्षित मुल्य होगी। जिला आबकारी, अधिकारी जगदलपुर द्वारा वर्ष 2010-11 में ₹ 8.85 लाख अनुज्ञप्ति फीस प्राप्त हुई थी। यदि न्यूनतम आरक्षित मुल्य से कम निर्धारण किय गया हो तो आयुक्त कार्यालय का एक प्रतिनिधि निलामी के समय उपस्थित रहना चाहिए एवं बाद में परिपत्र निकालना चाहिए

नौ इकाईयों की नमूना जाँच में से जिला आबकारी अधिकारी, जगदलपुर के जी-I पंजी[1] के नमूना जाँच (सितम्बर 2012) में हमने देखा कि एक पापीस्ट्रा दुकान समुह (5 खुदरा एवं एक थोक दुकान) की निलामी जिलाध्यक्ष, जगदलपुर द्वारा ₹ 5 लाख में की गई थी।

अभिलेखों की जाँच पर देखा गया कि वर्ष 2010-11 के दौरान इस समूह कि लिये ₹ 8.85 लाख लायसेंस फीस प्राप्त की गई थी। इसलिये आयुक्त के आदेश के अनुसार न्यूनतम आरक्षित मुल्य ₹ 5 लाख के स्थान पर ₹ 8.85 लाख रखा जाना चाहिए था। अतः न्यूनतम आरक्षित मुल्य के निर्धारण में आयुक्त के आदेश का पालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 3.85 लाख का कम राजस्व प्राप्त हुआ।

हमने विभाग/शासन को स्थिति से उनकी टिप्पणी हेतू अवगत कराया (जून 2013) और बहिर्गमन बैठक के दौरान (अगस्त 2013) शासन ने उत्तर दिया कि दिनांक 30.03.2011 को जिलाध्यक्ष द्वारा निलामी की प्रक्रिया चलाई गई थी। जिसमें अधिकतम बोली ₹ 5 लाख थी। कलेक्टर ने अधिकतम बोली ₹ 5 लाख को मान्य कर आबकारी आयुक्त को कार्योउपरान्त अनुमोदन के लिए भेजा (मार्च 2011)।

[1] माहवार अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान की पंजी जी-I अभिलेख।

उत्तर समाधान कारक नहीं है, क्योंकि सामान्य आरक्षित मुल्य के निर्धारण की स्विकृति आयुक्त से अनुमोदित नहीं थी जो आरक्षित मुल्य के निर्धारण हेतु सामान्य रूप से आवश्यक है।

6.9 देशी मदिरा का न्यूनतम मात्रा का गलत निर्धारण

आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ ने समस्त जिलाध्यक्ष को निर्देशित किया गया था (अक्टुबर 2009) की वर्ष 2010-11 के लिए देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का प्रस्ताव भेजने के पूर्व प्रत्येक देशी मदिरा के दुकान की वास्तविक मांग एवं खपत का परिक्षण किया जाय, तत्पश्चात जिलाध्यक्ष, आबकारी सलाहकार समिति की सहमति तथा परामर्श लेकर देशी मदिरा दुकान का न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का निर्धारण कर अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त को भेजेंगा ।

आबकारी विभाग में राजस्व के दो भाग होते है यथा अनुज्ञप्ति फीस एवं आबकारी शुल्क। अनुज्ञप्ति फीस नियत है जो लक्ष्य का 60 प्रतिशत होता है, जिसे मदिरा के वास्तविक विक्री के अनपेक्ष अनिवार्य रूप से संदत्त करना होता है, दुसरा भाग वास्तविक विक्रय पर आबकारी शुल्क है, जो नियत लक्ष्य के 40 प्रतिशत तक है, इसिलिए यह आबकारी राजस्व का परिवर्तनशील धटक है।

नौ इकाईयों की नमूना जांच में से सहायक आयुक्त कोरबा के अभिलेखों[2] में हमने देखा (अक्टुबर 2012) की वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 10.95 लाख प्रूफ लीटर का प्रस्ताव आबकारी आयुक्त को अनुमोदन हेतु कलेक्टर द्वारा भेजा गया। (नवम्बर 2009) सहायक आयुक्त द्वारा पुनः ₹ 10.30 लाख प्रूफ लीटर का संशोधित प्रस्ताव भेजा (फरवरी 2010) जिसे आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया जबकि लक्ष्य कम किए जाने का कोई विशिष्ट कारण अभिलेखित नहीं था। इसप्रकार अनुमोदित वर्ष 2010-11 का न्यून्तम प्रत्याभूत मात्रा पिछले वर्ष की न्यून्तम प्रत्याभूत मात्रा से 4.6 प्रतिशत कम था।

किन्तु सहायक आयुक्त के अभिलेखों से हमने पिछले चार वर्ष की देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं वास्तविक खपत देखा जो निम्नानुसार है :

[2] मदिरा दुकानों की आबंटित नास्तियाँ।

वर्ष	देशी मदिरा का न्यूनतम प्रत्यभूत मात्रा का वार्षिक लक्ष्य (फ्रू .ली.में)	न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का वार्षिक अंतर (प्रतिशत में)	देशी मदिरा की वास्तविक खपत (फ्रू.ली. में)	अंतर (प्रतिशत में) कॉलम 4 से 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007-08	10,30,000	-	10,86,104	5.44
2008-09	10,60,900	3.00	10,86,390	2.40
2009-10	10,80,000	1.80	11,33,043	4.91
2010-11	10,30,000	(-) 4.63	11,98,198	16.32

उपर्युक्त सारणी से देखा जा सकता है कि वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं वास्तविक खपत में बढ़ोत्तरी हुई थी। इसके बावजूद भी वर्ष 2010-11 का लक्ष्य पिछले वर्ष के तुलना में 50,000 फ्रूफ लीटर से कम रखा गया, जिसका कोई कारण लिखित में प्रस्तावित नहीं था।

इस प्रकार, आबकारी आयुक्त के निर्देश के बावजूद सहायक आयुक्त एवं जिलाध्यक्ष द्वारा वास्तविक खपत के आधार पर लक्ष्यो का निर्धारण न किये जाने तथा आबकारी आयुक्त द्वारा अपने ही निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न कर उक्त लक्ष्यो का अनुमोदन किये जाने के परिणाम स्वरूप देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का गलत निर्धारण हुआ, जिससे अनुज्ञा शुल्क के रूप में ₹ 52.89 लाख[3] की कम प्राप्ति हुई।

हमने मामलों को विभाग/शासन को प्रतिवेदित कराया (जून 2013) शासन द्वारा बहिर्गमन बैठक के दौरान (अगस्त 2013) के टिप्पणी में कहा कि न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के कम किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव जिला कार्यालय में भेजा गया था, जिसमें कोई राजस्व हानि नही हुई।

उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योकि मूल प्रस्ताव का लक्ष्य कम किये जाने का कोई कारण प्रस्तावित नहीं था। यद्यपि कोरबा छोड़कर राजस्व के सभी जिलों में पिछले वर्ष 2009-10 के तुलना में वर्ष 2010-11 में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की बढ़ोतरी हुई है।

3

वर्ष 2010-11 के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित एम.जी.क्यू	वर्ष 2010-11 के लिये कलेक्टर द्वारा एम.जी.क्यू निर्धारण का प्रस्ताव	मात्रा में अंतर
10,30,000 फ्रू.ली.	10,95,300 फ्रू.ली.	65,300 फ्रू.ली

आबकारी शुल्क : 65,300 X 54 = ₹ 35,26,200/-

अनुज्ञा फीस : 35,26,200 X 60/40 = ₹ 52,89,300/-

6.10 विदेशी मदिरा का न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का गलत निर्धारण

आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ ने समस्त जिलाध्यक्ष को निर्देशित किया गया था (अक्टूबर 2009) की वर्ष 2010-11 के लिये देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का प्रस्ताव भेजने के पूर्व प्रत्येक देशी मदिरा के दुकानों की वास्तविक मांग एवं खपत का परिक्षण किया जाय, तत्पश्चात न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा का प्रस्ताव भेजा जाय।

नौ इकाईयों की नमूना जांच में से सहायक आयुक्त कोरबा के अभिलेखों में हमने देखा (अक्टूबर 2012) कि विदेशी मदिरा दुकानों के आवंटित नास्ति के छः[4] विदेशी मदिरा दुकानों के प्रकरणों में वर्ष 2010-11 के लिये 90,000 बल्क लीटर का लक्ष्य रखने का प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त रायपुर को भेजा गया। (नवम्बर 2009) आगे बिना कारण दिये हुए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को कम किये जाने हेतु 82500 बल्क लिटर का लक्ष्य रखे जाने का संशोधित प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा पुनः भेजा गया। (फरवरी 2010) आगे, हमने सहायक आयुक्त के अभिलेखों से किया गया कि उक्त दुकानों के द्वारा माह दिसम्बर 2009 के अन्त तक माल्ट की वास्तविक खपत 1,30,163.06 बल्क लीटर थी। आगे यह भी देखने में आया की विदेशी मदिरा दुकानों द्वारा वर्ष 2009-10 में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का वार्षिक लक्ष्य पहले से ही दिसम्बर 2009 के अन्त में ही खपत की जा चुकी थी। इसके बावजूद भी, वर्ष 2010-11 के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का प्रस्ताव रखा जबकि वास्तविक खपत को सहायक आयुक्त ने लेखो में नहीं लिया। इस प्रकार, आबकारी आयुक्त के निर्देशों के बावजूद सहायक आयुक्त एवं जिलाध्यक्ष द्वारा वास्तविक खपत के आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण न किये जाने तथा आबकारी आयुक्त द्वारा अपने ही निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित न कर उक्त लक्ष्यों का अनुमोदन किये जाने के परिणामस्वरूप विदेशी मदिरा (माल्ट) का न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का गलत निर्धारण हुआ, जिससे अनुज्ञा शुल्क ₹ 14.30 लाख की कम प्राप्ति हुयी। (**परिशिष्ट 6.1 में** विवरण दिया है।)

हमारे द्वारा मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदीत किया गया (जून 2013) शासन द्वारा बहिर्गमन बैठक के दौरान कहा (अगस्त 2013) कि वर्ष 2010-11 में छः दुकानों की निर्धारित प्रत्याभूत मात्रा के लक्ष्य की तुलना में वास्तविक खपत में 153.8 प्रतिशत की वृद्धि थी। एवं कुल मिलाकर 78.67 प्रतिशत औसत खपत में वृद्धि हुई थी।

उत्तर से स्वतः ही स्पष्ट होता है कि न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का लक्ष्य से अवास्तविक रूप से 78.67 प्रतिशत खपत में वृद्धि थी।

[4] कोठारी, राजगामार, हरदीबाजार, कठधोरा, चोटिया एवं पाली

सातवाँ अध्यायः अन्य कर भिन्न प्राप्तियां

कार्यपालिक सारांश

इस अध्याय में हमने जो मुख्यांकित किया	इस अध्याय में हमने ₹ 15.65 लाख के उदाहरणात्मक प्रकरण प्रस्तुत किए हैं जो खनिज संसाधन विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच में पाये गए प्रेक्षणों जो रायल्टी की कम वसूली, रायल्टी की गलत दर अपनाने तथा पट्टेदार से अनिवार्य भाटक एवं ब्याज की अवसूली से संबंधित है।
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	यद्यपि वर्ष 2009-10 के दौरान वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमान से 1.46 प्रतिशत कम थी, परन्तु 2008-09, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में यह क्रमशः 4.87 प्रतिशत, 14.90 प्रतिशत, 1.66 प्रतिशत, तथा 1.07 प्रतिशत वृद्धि हुई।
आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लक्ष्य न प्राप्त किया जाना।	वर्ष 2012-13 के दौरान, विभाग द्वारा 13 इकाईयों की आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु योजना बनाई थी तथा सिर्फ 10 इकाईयों की आंतरिक लेखा परीक्षा की गई।
लेखा परीक्षा के परिणाम	हमने वर्ष 2012-13 में खनिज साधन विभाग से संबंधित चार इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की एवं 204 प्रंकरणों में ₹ 8.39 करोड़ के रायल्टी एवं ब्याज का अवनिर्धारण, मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क के कम आरोपण एवं वसूली, अनिवार्य भाटक एवं ब्याज के कम आरोपण/अनारोपण पाया। विभाग ने 133 प्रकरणों से ₹ 6.75 करोड़ के अवनिर्धारण को स्वीकार किया। विभाग ने दो प्रकरणों में ₹ 7.48 लाख भी वसूली कर ली थी।

हमारा निष्कर्ष	विभाग को अपने आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करने के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में भी सुधार लाने की आवश्यकता है जिससे कि प्रणाली में व्याप्त कमियों को सुधारा जा सके एवं हमारे द्वारा संज्ञान में लायी गयी कमियों को भविष्य में टाला जा सके। हमारे द्वारा इंगित किये गये रायल्टी की अवसूली, रायल्टी के कम निर्धारण इत्यादि को वसूल करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए विशेष रूप से उन प्रकरणों में, जिनमें हमारी आपत्तियों को मान्य किया गया है।

भाग अ : अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग

7.1 कर प्रशासन

छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी खनिज[1] संपदा राज्यों मे से एक है। प्रदेश लौह अयस्क, कोयला, हीरा, चूना पत्थर, बाक्साईट, सोना, डोलोमाइट, टिन अयस्क, फायर क्ले के वृहद भण्डारों से संपन्न है। इन सभी खनिजों का राज्यांश एवं किराया खनिज संपदा से राजस्व का मुख्य स्त्रोत है। खनिजों का दोहन एवं विकास हेतु राज्य में संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म (डी.जी.एम) द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किए जाते है जिससे की राज्य में खनिजों पर आधारित उद्योगो को उसके उत्पादन क्षमता के अनुसार खनिजों की प्राप्ति हो सके। खनिजों का खनन निजी तथा सरकारी क्षेत्रों उपक्रम तथा पट्टेदारों द्वारा किया जाता है। खनिज साधन विभाग की प्रशासन में आवेदन शुल्क की प्रक्रिया कर निर्धारण, राजस्व की वसूली, अवैध उत्खनन और राजस्व के क्षरण की रोकथाम के लिए अन्य गतिविधियाँ है।

अधिनियम नियम व परिपत्र जिनसे राज्यांश का निर्धारण व वसूली शासित है वे निम्नवत है :

- खान व खनिज (विकास एवं विनियमन अधिनियम), 1957;
- खनिज रियायत नियम, 1960;
- खनिज सरक्षण एवं विकास नियम, 1988;
- छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 एवं
- समय समय पर जारी आदेश, परिपत्र एवं निर्देश।

शासन स्तर पर, सचिव, खनिज साधन विभाग एवं संचालनालय स्तर पर आयुक्त सह-संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म (स.भौ.ख.) संबंधित खनन अधिनियमों एवं नियमों के क्रियान्वयन एवं प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। वे एक उप संचालक, खनि प्रशासन आठ जिला खनि अधिकारी एवं 16 सहायक खनि अधिकारीयों से सहायता प्राप्त करते है। इसके अलावा 25 खनि निरीक्षक अपने नियंत्रण क्षेत्रों में खनिजो के अवैध उत्खनन एवं परिवहन और राजस्व के रिसाव से संबंधित अन्य गतिविधियों की रोकथाम के अलावा राजस्व के निर्धारण और संग्रहण हेतु उत्तरदायी है। स.भौ.ख. के नियंत्रण में एक उड़न दस्ता कार्यरत है।

7.2 अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों से राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2008-2009 से 2012-13 के दौरान अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगो से वास्तविक प्राप्तयाँ, राज्य शासन की कुल कर भिन्न प्राप्तियों के साथ निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

[1] खनिजों को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, मुख्य खनिज जो पुनः हाइड्रोकार्बन या उर्जा खनिज (जैसा कोयला, लिग्नाईट इत्यादि) आण्विक खनिज तथा धात्विक एवं अधात्विक खनिजों एवं गौण खनिजों जिनमें भवन निर्माण पत्थर, फर्शी पत्थर, साधारण मिट्टी, साधारण रेत और अन्य खनिज जो केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तिया	अन्तर आधिक्य (+)/कमी (-)	अंतर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर भिन्न प्राप्तिया	कुल कर भिन्न प्राप्तियो में खनन प्राप्तियों का प्रतिशत
2008-09	1,185.50	1,243.24	(+) 57.74	(+) 4.87	2,202.21	56.45
2009-10	1,685.40	1,660.87	(-) 24.53	(-) 1.46	3,043.00	54.58
2010-11	2,150.00	2,470.44	(+) 320.44	(+)14.90	3,835.32	64.41
2011-12	2,700.00	2,744.82	(+) 44.82	(+)1.66	4,058.48	67.63
2012-13	3,105.00	3,138.18	(+) 33.18	(+)1.07	4,615.95	67.99

(स्रोतः वित्त लेखे छत्तीसगढ़ शासन)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों से प्राप्तियों का योगदान विगत पांच वर्षो में राज्य की कुल कर भिन्न प्राप्तियों में 54.58 और 67.99 प्रतिशत के मध्य था। उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 2009-10 के दौरान वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमान से 1.46 प्रतिशत कम थी जबकि वर्ष 2008-2009, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में क्रमश 4.87 प्रतिशत, 14.90 प्रतिशत, 1.66 प्रतिशत तथा 1.07 प्रतिशत बजट अनुमान से अधिक वृद्धि हुई थी। विभाग द्वारा प्रस्ताव के अनुसार वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 में ₹ 3,105 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया था। वर्ष के दौरान विभाग की वास्तविक प्राप्तियां ₹ 3,138.18 करोड़ थी, जो कि स्वीकृत बजट प्रावधान से 1.07 प्रतिशत अधिक थी।

पिछले वर्ष 2011-12 से रायल्टी प्राप्तियों में वृद्धि का कारण विभाग द्वारा कोयले के राज्यांश दर में मई 2012 से वृद्धि प्रतिवेदित किया गया।

7.3 राजस्व बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को राजस्व की बकाया ₹ 1.45 करोड़ थी जिसमें से ₹ 1.36 करोड़ पिछले पांच वर्ष से अधिक की बकाया राशि है। निम्नांकित तालिका अवधि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान राजस्व बकाया की स्थिति दर्शाती हैः-

(₹ करोड में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष में बढ़ोतरी		वर्ष में संग्रहित राशि		अंतिम शेष
		चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	
2008-09	1.76	0.14	निरंक	0.21	निरंक	1.69
2009-10	1.69	0.64	निरंक	0.23	निरंक	2.10
2010-11	2.10	0.17	निरंक	0.48	निरंक	1.79
2011-12	1.79	0.02	निरंक	0.17	निरंक	1.64
2012-13	1.64	0.00	निरंक	0.17	निरंक	1.45

(स्रोतः खनिज साधन विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े)

विभाग बकाया राजस्व ₹ 1.45 करोड़ में से ₹1.34 करोड़ राशि का विभाजन दे पाया जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

(₹ लाख में)

क्रं.सं.	बकाया का प्रकार	बकाया राजस्व
1	प्रकरण जो शासन/न्यायालय में लंबित है	26.89
2	लिक्विडेट हो चुकी कंपनियों द्वारा चूक	1.31
3	बकायादार जिनके ठिकाने ज्ञात नहीं है	23.43
4	राज्य के अंदर चूककर्त्ता को जारी राजस्व वसूली प्रमाण पत्र	12.08
5	बकाया वसूली प्रगति पर है	70.45
	योग	**134.16**

विभाग द्वारा शेष बकाया राशि *₹ 11 लाख की जानकारी प्रदाय नहीं की गई ।*

शासन को चाहिए कि वह बकाया राशि की त्वरित वसूली हेतु उचित उपाय करें तथा इसकी शीघ्र वसूली हेतु-समय सीमा तैयार करें।

7.4 आंतरिक लेखा परीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा किसी संगठन को इसके विहित तंत्र के पालन की कोटि सुनिश्चित करता है। हमने देखा कि वर्ष 2012-13 में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ में एक संयुक्त संचालक एवं तीन लेखापरीक्षक के पद स्वीकृत है परंतु विभाग में मात्र एक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की है। वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग द्वारा 13 ईकाईयों को आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया था तथा सिर्फ 10 ईकाईयो की आंतरिक लेखापरीक्षा पूर्ण कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किये गये।

पुनः आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में देखा गया कि ली गई आपत्ति मजदूरो को अनियमित भुगतान, अस्थायी अग्रिम का समायोजन न होना, पंजियो का रखरखाव न होना, रोकड़ बही का अनुचित रखरखाव, बकाया राजस्व इत्यादि पर आपत्ति ली गई है।

प्रमुख आपत्ति जैसे राज्यांश का अनारोपण/कम आरोपण इत्यादि पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं ली गई।

हम अनुशंसा करते है कि विभाग अधिक श्रमशक्ति की तैनाती करे ताकि आंतरिक लेखापरीक्षा नियमित रूप से हो सके।

7.5 लेखापरीक्षा के प्रभाव

7.5.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के पालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12): अवधि 2007-08 से 2011-12 के दौरान, लेखापरीक्षा ने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवदेनों के द्वारा रायल्टी, अनिवार्य भाटक, ब्याज के अना/कम आरोपण/संग्रहण, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के कम निर्धारण के प्रकरण जिनमें राजस्व ₹ 301.08 करोड़, सन्निहत था, इंगित किये गये थे। इनमें से विभाग ने ₹ 124.68 करोड़ राशि के लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 76.90 करोड़ की वसूली मार्च 2013 तक हो चुकी थी जो निम्न तालिका में दर्शायी गई है:-

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल आक्षेपित राशि	स्वीकार राशि	मार्च 2013 तक की गई वसूली
1.	2007-08	4.56	4.36	1.08
2.	2008-09	0.47	0.47	0.29
3.	2009-10	1.51	1.51	1.49
4.	2010-11	294.54	118.34	74.04
5.	2011-12	निरंक	निरंक	निरंक
योग		**301.08**	**124.68**	**76.90**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011-12 तक विभाग द्वारा स्वीकृत लेखापरीक्षा आपत्तियों में से 62 प्रतिशत राशि वसूली की गई।

7.5.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के पालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12):

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के मध्य हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनो से राज्यांश, अनिवार्य भाटक के अनारोपण/कमआरोपण, राज्यांश, अनिवार्य भाटक के कम वसूली, ब्याज, शस्ति के अनारोपण से राजस्व हानि, आदि के राशि ₹ 492.39 करोड़ के 4,841 प्रकरणो की इंगित किया जिसमें से विभाग/शासन ने 1,690 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 120.90 करोड़ को स्वीकार किया और ₹ 27.75 करोड़ राशि 125 प्रकरणों में वसूल की।

विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है -:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखा परीक्षित इकाईयो की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकृत राशि		मार्च 2013 तक वसूल की गई राशि	
		प्रकरण	राशि	प्रकरण	राशि	प्रकरण	राशि
2007-08	13	640	68.09	470	56.62	7	0.47
2008-09	12	764	20.09	473	1.45	5	0.18
2009-10	7	396	4.64	335	4.83	46	4.83
2010-11	9	302	23.71	149	6.14	61	0.06
2011-12	12	2,739	375.86	263	51.86	6	22.21
योग	**53**	**4,841**	**492.39**	**1,690**	**120.90**	**125**	**27.75**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि स्वीकृत प्रकरणों में राजस्व की वसूली 23 प्रतिशत थी।

यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग स्वीकृत प्रकरणों में शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करे।

7.5.3 निरीक्षण प्रतिवेदन के पालन की स्थिति (2012-13):

हमने भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग के 16 ईकाईयों में से चार[2] ईकाईयों जिनकी कुल राजस्व राशि ₹ 1,033.44 करोड़ थी के अभिलेखों की वर्ष 2012-13 में नमूना जांच की तथा खनिपट्टा धारको पर राज्यांश एवं ब्याज का अवनिर्धारण, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण/वसूली, अनिवार्य भाटक एवं ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण तथा अन्य अनियमितताओं के राशि ₹ 8.39 करोड़ के 204 प्रकरण इंगित किए गए, जिन्हे निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः

(₹ लाख में)

सं.क्र.	श्रेणी	प्रकरणो की संख्या	राशि
1.	राज्यांश एवं ब्याज का अवनिर्धारण	29	776.05
2.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपन/वसूली	1	0.06
3.	अनिवार्य भाटक एवं ब्याज का अनारोपण/कम आरोपन	39	16.49
4.	अन्य अनियिमतताएं	135	46.00
योग		**204**	**838.60**

वर्ष के दौरान विभाग ने 133 प्रकरणो में ₹ 6.75 करोड़ के अवनिर्धारण को स्वीकार किया तथा दो प्रकरणों में ₹ 7.48 लाख वसूल किया।

दृष्टातंस्वरूप *₹ 15.65 लाख के कुछ प्रकरण अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैः*

7.6 लेखापरीक्षा टिप्पणी

हमने खनिज साधन विभाग के रायल्टी निर्धारण प्रकरणों की जाँच की और रायल्टी की कम वसूली, अनिवार्य भाटक व ब्याज के अनारोपण के कई प्रकरण प्रकाश में आए जो इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लेखित है। यह उदाहरणात्मक प्रकरण है एवं लेखापरीखा के नमूना जांच पर आधारित है। उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. द्वारा की गई इस प्रकार की अनियिमतताएं लेखापरीक्षा में प्रत्येक वर्ष इंगित की जाती है लेकन ये अनियमितताएं न केवल बनी रहती है बल्कि लेखापरीक्षा संपादित होने तक इनका पता नहीं लग पाता है, शासन को आवश्यकता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर किया जाये ताकि इस तरह की त्रुटियों का पता चल सके और उन्हे सुधारा जा सके।

[2] अम्बिकापुर, जशपुर, कांकेर एवं कोरबा

7.7 राज्यांश की कम वसूली

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार प्रत्येक पट्टेदार पट्टा क्षेत्र से हटाए/उपभोग किए गए खनिज पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से रायल्टी का भुगतान का उत्तरदायी है। कोयला मंत्रालय की अधिसूचना 1 अगस्त 2007 के अनुसार, रायल्टी की दर निश्चित एवं एड् वेलोर दर का योग होगा। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26 फरवरी 2011, के अनुसार अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 तक रानीअटारी क्षेत्र में आर ओ एम 'बी' ग्रेड कोयले पर न्यूनतम ₹ 329.50 प्रति टन से राज्यांश देय है एवं स्टीम बी ग्रेड कोयला जो बांकी क्षेत्र में है ₹ 318.5 प्रति टन से राज्यांश देय है। जनवरी 2012 से ₹ 298.50 प्रति टन राज्यांश देय है। सचालक भौमिकी एवं खनिकर्म के आदेश (अप्रैल 2006) के अनुसार राज्यांश का निर्धारण प्रत्येक छः माह में किया जायेगा।

उप संचालक खनि प्रशासन कोरबा को साउथ इर्स्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणियों की जांच में हमने देखा (अक्टूबर 2012) कि पट्टेदार[3] साऊथ इस्टर्न कोल्फील्डस लिमिटेड (एस.ई.सी.एल) ने 68274.96 मै. टन-स्टीम बी ग्रेड कोयला[4] अप्रैल 2011 एवं जनवरी 2012 के मध्य कोरबा कोल्फील्ड[5] से एवं 12400.12 में टन आर.ओ.एम बी ग्रेड कोयला फरवरी 2011 एवं मई 2011 के मध्य कोरिया रीवा[6] कोल्फील्डस से प्रेषित किया। अधिसूचना के अनुसार राज्यांश राशि ₹ 2.16 करोड़ एवं ₹ 40.86 लाख क्रमशः कोरबा एवं कोरिया रीवा कोल्फील्ड क्षेत्र से पट्टेदार पर आरोपनीय था। इसके विरूद्ध एस.ई.सी.एल द्वारा क्रमशः ₹ 2.11 करोड़ एवं ₹ 32.77 लाख राज्यांश जमा किया गया। इसके परिणामस्वरूप राज्यांश ₹ 13.06 लाख का कम आरोपण हुआ। **(परिशिष्ट- 7.1)**। यदि उपसंचालक खनि प्रशासन द्वारा छ माह में राज्यांश का निर्धारण किया गया होता तो उपरोक्त त्रुटि से बचा जा सकता था।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने (अक्टूबर 2012) पर शासन द्वारा स्पष्ट (सितम्बर 2013) किया गया कि, कोरिया रीवा कोल्फील्ड क्षेत्र से प्रेषित कोयले पर ₹ 8.09 लाख की मांग जारी की जा चुकी है। बांकी कालरी के सम्बंध में स्पष्ट किया गया कि कुछ अवसरों पर रायल्टी का कम भुगतान पाया गया है तथा ₹ 7.34 लाख की मांग जारी की गई है।

3 मे. साऊथ इस्टर्न कोल्फील्ड लिमिटेड (एस.ई.सी.एल)

4 उपयोगी उष्मीय ऊर्जा 5600 किलो कैलोरी प्रति किलो ग्राम से अधिक किन्तु 6200 किलो कैलोरी से अधिक नहीं

5 बांकी कॉलरी

6 रानी आटारी कॉलरी

7.8 अनिवार्य भाटक एवं ब्याज की अवसूली

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली, के नियम 30(1) 'अ' एवं 'घ' के अनुसार पट्टेदार पट्टे के प्रथम वर्ष के सिवाय प्रत्येक वर्ष के लिए अनुसूची-IV में वर्णित दर से वार्षिक अनिवार्य भाटक का भुगतान अग्रिम में प्रथम माह की 20 तारीख या उसके पूर्व करेगा। यदि पट्टेदार अनिवार्य भाटक का समयावधि में भुगतान करने में असफल रहता है तो वह विलम्बित अवधि के लिए 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर से ब्याज भुगतान के लिए दायी होगा।

जिला खनि अधिकारी जशपुर के खतोनी एवं पट्टे के नस्तियों की नमूना जांच (अक्टूबर 2012) में हमने पाया कि छ पट्टेदारों ने वर्ष जनवरी 2007 से दिसम्बर 2012 के मध्य ₹ 1.56 लाख का अनिवार्य भाटक का भुगतान नहीं किया। जिला खनि अधिकारी द्वारा भी न तो अनिवार्य भाटक ₹ 1.56 लाख का आरोपण किया गया और न ही उसपर ब्याज ₹ 1.03 लाख की मांग सूचना जारी की गई। जिला खनि अधिकारी की तरफ से खदानों के अकार्यशील होने को मॉनीटर न कर पाने तथा अनिवार्य भाटक की वसूली में विफल रहने से राजस्व ₹ 2.59 लाख (**परिशिष्ट 7.2** में दर्शाए अनुसार) की अवसूली हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन द्वारा (सितम्बर 2013) स्पष्ट किया गया कि ₹ 1.48 लाख की वसूली की जा चुकी है तथा शेष राशि के वसूली हेतु प्रक्रिया जारी है।

कार्यपालिक सारांश

इस अध्याय में हमने क्या रेखांकित किया है	इस अध्याय में, हमने वन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा दौरान पायी गयी ₹ 1.18 लाख के वनोपज का अवसूली के एक उदाहरणात्मक प्रकरण प्रस्तुत किया है।
लेखापरीक्षा का प्रभाव	हमने वर्ष 2012-13 में वन विभाग की 11 ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की एवं बांस/काष्ठ के विदोहन न करने, वनोपज की कमी वजह से राजस्व की अवसूली एवं कमवसूली पायी गयी, काष्ठ का कम उत्पादन इत्यादि के 142 प्रकरण में ₹ 16.48 करोंड़ का राजस्व हानी पायी गयी। वर्ष 2012-13 में विभाग द्वारा चार प्रकरणों में ₹ 50.11 लाख राजस्व हानी मानी गयी किन्तु कोइ भी राशि का वसूली नहीं हुआ है
निष्कर्ष	विभाग को आवश्यकता है की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर करने के साथ साथ आंतरिक लेखापरीक्षा को भी मजबूत करे ताकि इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृति रोकी जा सके।

अनुछेद- खः
वानिकी एवं वन्यजीव (राजस्व)

7.9 कर प्रशासन

वन विभाग मुख्यताः कास्ट,जलाऊ लकड़ी, वांस एवं लधु वनोपज के विक्रय से राजस्व अर्जित करता है, जो कि शासन के मुख्य राजस्व स्त्रोत है। वनोपज का निवर्तन निलामी, निविदा आमंत्रण आदि के माध्यम से होता है वनों कि सुरक्षा, संरक्षण, विकास तथा पुनरोत्पादन, कास्ठ का विदोहन एवं वनों कि स्थायी वृद्धि विभाग में व्यय के विभिन्न मद है।

वन विभाग, मुख्य सचिव (वन) के अधीन कार्य करता है। रायपुर स्थित प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्र.मु.व.स.) का कार्यालय विभाग के पूर्णरूपेण प्रशासन हेतु उत्तरदायी है। मुख्यालय स्तर पर प्र.मु.व.सं. के सहायक के रूप में अतिरिक्त प्र.मु.व.सं. एवं मु.व.सं. रहते है।

राज्य का वन क्षेत्र रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर एवं दुर्ग में स्थित छः वन संरक्षको द्वारा पर्यवेक्षित किया जाता है। राज्य का वन क्षेत्र 32 वनमंडलों में विभाजित है। वनमंडलों के प्रशासन, वनोपज के विक्रय, राजस्व संग्रहण के साथ साथ वनों कि सुरक्षा, संरक्षण, विकास तथा पुनरोत्पादन, स्थायी वृद्धि तथा कास्ठ विदोहन का उत्तरदायित्व वनमंडलाधिकारी (व.म.अ.) का है। व.म.अ. की सहायता हेतु वनमंडल में उपवनमंडलाधिकारी (उ.व.म.अ.) रहते है। वनों की सुरक्षा के अतिरक्त, वनक्षेत्रपाल रोपण कार्य, वृक्षों के अंकन एवं विदोहन, कास्ठ एवं जलाऊ लकड़ी के कूप[7] से कास्ठागारों में परिवहन आदि हेतु उत्तरदायी है। कार्य आयोजना वृत (बिलासपुर) एवं वनमंडलो का उत्तरदायित्व कार्य आयोजनाओं को समयसीमा के अंतर्गत तैयार करना है। विभाग निम्न अधिनियमों, नियमों एवं आदेशों का पालन करता है :

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं उसके अंतर्गत वने नियम;
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं उसके अंतर्गत वने नियम;
- छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत
- वने नियम;
- वन वित्तीय नियम;
- राष्ट्रीय कार्य आयोजना सहिता 2004;
 वन मैनुअल एवं
- राजस्व निर्धारण एवं संग्रहण के संबंध में शासन/विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गए आदेश/दिशा निर्देश

[7] कार्यआयोजन में वनक्षेत्र को भिन्न कार्य वृतों में विभक्त किया जाता है। कार्यवृतों को कक्षों में तथा कक्षों को कूपों मे विभक्त किया जाता है।

7.10 वानिकी एवं वन्य जीवन से राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के मध्य वन विभाग की वास्तविक प्राप्तियों एवं राज्य की कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विवरण निम्न तालिका में वर्णित है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनरीक्षित प्राक्लन	वास्तविक प्राप्तयाँ	विचलन आधिक्य (+) कमी (-)	विचलन का प्रतिशत	राज्य की कुल कर भिन्न प्राप्तयाँ	कुल कर भिन्न प्राप्तियाँ के विरूद्ध वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2008-09	280.00	322.29	42.29	15.10	2,202.21	14.63
2009-10	365.00	345.85	(-) 19.15	(-) 5.25	3,043.00	11.36
2010-11	400.00	305.17	(-) 94.83	(-) 23.71	3,835.32	7.95
2011-12	400.00	341.64	(-) 58.36	(-) 14.59	4,058.48	8.42
2012-13	405.00	363.96	(-) 51.18	(-) 12.64	4,588.87	7.93

(स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका इंगित करती है की 2008-09 के अलावा वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमानों से कम थी एवं उपरोक्त वर्षो में कमी का प्रतिशत पॉच से 24 प्रतिशत के मध्य था। विभाग ने (अगस्त 2013) अपना उत्तर में 2012-13 का राजस्व लक्ष्य का उपलबद्धि ना होना को क्षेत्र विशेष परिस्थितियों को श्रेय दिया गया। इसीप्रकार, वर्ष 2008-09 में राज्य के कर भिन्न राजस्व में वन प्राप्तियों का हिस्सा 14.63 प्रतिशत था एवं बाद के वर्षों में लगातार प्राप्तियों में कमी आई। केवल वर्ष 2011-12 में सामान्य प्रगति को छोड़कर।

7.11 बकाया राजस्व का विश्लेषण

दिनांक 31 मार्च 2013 को बकाया राजस्व की राशि ₹ 8.96 करोड़ थी, अवधि 2008-09 से 2012-13 के मध्य राजस्व बकाया की स्थिति निम्न तालिका मे दर्शित है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का पूर्व शेष	बकाया का अंत शेष
2008-09	0.30	0.45
2009-10	0.45	2.39
2010-11	2.39	2.45
2011-12	2.45	1.62
2012-13	1.62	8.96

(स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह दर्शाता है की वर्ष 2012-13 में बकाया राशि की बढ़त मनमाना राहा। उनमें से ₹ 7.67 करोड़ राज्य विभाजन से पहले से संबंधित है जिसको विभाग ने इसीवर्ष सूचित किया।

7.12 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अतिमहत्वपूर्ण अंग है जो की संगठन को स्वयमेव आश्नस्त करता है कि निर्धारित पद्धतियों उचित रूप से कार्यशील है।

विभाग कि आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई ने वर्ष 2012-13 में 12 इकाईयों कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जिसमे 26 कंडिका एवं राशि ₹ 21.98 लाख समाहित थी इकाईयों को जारी की गयी।

7.13 लेखापरीक्षा का प्रभाव

7.13.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2009-10 से 2011-12) के पालन करने की स्थिति :

वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि में हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनो के माध्यम से राजस्व की अनारोपण/कम आरोपण, वनोपजो की कमी इत्यादि जिसमें ₹ 102.81 करोड़ सम्मिलित थी के बारे में इंगित किया था। विभाग/शासन ने उनमें से प्रकरणों जिनमें राशि ₹ 10.73 करोंड़ समाहित था का स्वीकार किया है। निम्न तालिका में विस्तृत विवरण दिया गया है।:

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	आक्षेपित राशि	स्वीकृत राशि	असुलागया राशि	
			कंडीकायों की संख्या	राशि ₹ में
2009-10	87.19	9.02	3	0.05
2010-11	14.90	1.64	1	0.01
2011-12	0.72	0.07	-	-
योग	**102.81**	**10.73**	**4**	**0.06**

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया की विभाग द्वारा स्वीकृत राशि कुल आक्षेपित राशि का 9 से 11 प्रतिशत है उनमे से असुलागया राशि स्वीकृत राशि की तुलना में नगण्य है अतः विभाग को कम से कम स्वीकृत राशियों की वसूली में तत्परता दिखाना चाहिए था जिससे पिछले वर्षो का बकाया का निपटारा हो पाता।

7.13.2 लंबित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2007-08 से 2011-12) के पालन करने की स्थिति :

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से बांस/काष्ठ के विदोहन न करने, बांस/काष्ठ के कम उत्पादन,वनोपजों का कम उत्पादन, राजस्व की हानी आदि के 1,979 प्रकरणों जिनमें राशि ₹ 163.93 समाहित है, को इंगित किया था। इनमें से 1,342 प्रकरणों, जिनमें राशि ₹ 31.89 करोड़ समाहित है, के लेखापरीक्षा आक्षेपों को विभाग/शासन ने स्वीकृत किया है। विस्तृत विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखा परीक्षित इकाईयो की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकृत राशि		असुलागया राशि	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2007-08	01	5	5.17	5	5.17	निरंक	निरंक
2008-09	11	285	19.60	256	9.79	1	0.13
2009-10	11	1,002	95.29	998	15.58	1	9.00
2010-11	9	352	20.49	69	1.17	निरंक	निरंक
2011-12	12	335	23.38	14	0.18	निरंक	निरंक
योग		**1,979**	**163.93**	**1,342**	**31.89**	**2**	**9.13**

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया की स्वीकृत प्रकरणों के संबंध में वसूली केवल 29 प्रतिशत रहा। विभाग को स्वीकृत प्रकरणों में वसूली को प्रगति देने के लिए समुचित उपाय अपनाना चाहिए था।

7.13.3 निरीक्षण प्रतिवेदन (2012-13) के पालन प्रतिवेदन की स्थिति :

हमने वर्ष 2012-13 में वन विभाग के 11 इकाईयों के अभिलेखों का नमूना जांच में पाया की 142 प्रकरणों में वनोपज की मूल्य हास/वनोपज की कमी, वनोपज की कम उत्पादन से राजस्व की अनारोपण/कम आरोपण, अपसेट प्राइज से कम मूल्य पर विक्रय से राजस्व की कम वसूली जिसमें से ₹ 16.48 करोड़ समाहित है निम्न तालिका में वर्णन किया गया है :

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	वर्ग	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	अपसेट प्राइज से कम मूल्य पर विक्रय करने पर कम वसूली	24	0.57
2	वनोपज की मूल्य ह्रास/कमी वजह से वसूली ना होना	30	0.41
3	काष्ठ की कम उत्पादन वजह से राजस्व हानी	32	1.32
4	अन्य अनियमियतायें	56	14.18
योग		**142**	**16.48**

वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग ने चार प्रकरण में राजस्व हानि की ₹ 50.11 लाख का स्वीकार किया परन्तु कोई राशि वसूला नहीं गया है।

बांस एवं बल्ली की लागत ₹ 1.18 लाख का वसूली ना किए जाने का एक उदहरणात्मक प्रकरण अनुवर्ती कंडिका में वर्णित है।

7.14 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने 11 वनमंडलाधिकारी कार्यालयों के अभिलखों की जांच की एवं अधिनियमों/नियमों/शासकीय अधिसूचना/निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के एक प्रकरण पाया जिससे बांस एवं बल्ली के लागत का वसूली नहीं हुआ है जिसका वर्णन इस अध्याय का अनुवर्ती कंडिका में किया गया है।

7.15 बांस एवं बल्ली के लागत की वसूली ना होना

शासन ने आदेश (जुलाई 2002) दिया था की प्रत्येक जिला में लोक कार्यक्रम में अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में उपयोग हुए बांस एवं बल्लियों के लागत को राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा।

बस्तर वनमंडलाधिकारी के जून 2009, जून 2010, जून 2011 के भौतिक सत्यापन का नमूना जांच (दिसम्बर 2012) में हमने पाया की 69,428 बांस एवं 15807 बल्ली जिनका मूल्य ₹ 18.16 लाख है शासन के अन्य विभागों, स्थानीय निकाय, एन.एम.डी.सी. इत्यादि द्वारा विभिन्न उद्देश्य जैसे की अतिविशिष्ट व्यक्तियों की लोक कार्यक्रमों, मेंलो, धार्मिक कार्यक्रमों, बाढ़ राहत कार्य इत्यादि के लिए निस्तार[8] डिपों परपा से वितरण किया गया था। इनमें से 41,928 बांस एवं 10,084 बल्ली को अतिविशिष्ट व्यक्तियों की लोक कार्यक्रमों के लिए वितरीत किया गया है। वनमंडलाधिकारी ने सूचित किया कि 64,151 बांस एवं 15,026 बल्ली संबंधित विभागों द्वारा लौटाया गया है। इसप्रकार 5,277 बांस एवं 781 बल्ली जिनका मूल्य ₹ 1.18 लाख की कम वसूली हुई थी।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर शासन ने (अगस्त 2013) कहा की इस संबंध में पत्राचार किया गया है और वनोपजों को न लौटाने की दशा में वनोपज का मुल्य ₹ 1.18 लाख की वसूली संबंधितों से की जावेगी।

[8] निस्तार का अर्थ है वन क्षेत्र के पाँच की.मी. के भीतर रहने वाले जरूरतमंद ग्रामीणो को बांस, बल्ली और जलाऊबट्टा की आपूर्ति राज्य साहाय्य दर पर उपलब्ध कराना।

अध्याय आठः वानिकी एवं वन्य जीवन (व्यय)

कार्यपालिक सारांश

इस अध्याय में हमने क्या मुख्यांकित किया है

इस अध्याय में हमने छत्तीसगढ़ राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) की समीक्षा के परिणाम प्रस्तुत किये हैं जिनमें कैम्पा के अंतर्गत प्राप्तियों, वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों में भू-प्रबंध तथा राज्य कैम्पा निधि से व्यय से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षो को मुख्यांकित किया है जिनमें कुल ₹ 140.07 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है।

साथ ही हमने ₹ 9.5 करोड़ के परिहार्य, अनियमित एवं निष्फल व्यय के उल्लेखनीय प्रकरणों को भी प्रस्तुत किया है।

वर्ष 2012-13 में हमारे द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने सितम्बर 2012 एवं जून 2013 के मध्य लेखापरीक्षा कार्य किया जिसमें राज्य कैम्पा मद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण की लागत एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की अवसूली/कम वसूली, वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन तथा अनियमित, संदेहास्पद, अधिक एवं निरर्थक व्यय के कई प्रकरण पाये गये।

साथ ही हमने वर्ष 2012-13 के दौरान वन विभाग की 18 ईकाईयों के लेखाओं की नमूना जांच की। हमने कैम्पा निधि में प्राप्तियों, वन व्यपवर्तन प्रकरणों में भू-प्रबंध, कैम्पा निधि से व्यय में अनियमितताओं तथा अनियमित, परिहार्य, निष्फल, अधिक व्यय आदि के 155 प्रकरण पाये जिसमें ₹ 219.92 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहत था।

हमारा निष्कर्ष

हमने देखा कि राज्य में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु राजस्व भूमि की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद उपयोगकर्त्ता संस्थानों को बिगड़े वनों में क्षतिपूर्ति वनीकरण किये जाने की शर्त के साथ वन भूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृति दी गई। वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निजी संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ ही साथ वन विभाग द्वारा वन भूमियों का गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जा रहा था। उपयोगकर्त्ता संस्थानों से प्राप्त राजस्व भूमि को आरक्षित/संरक्षित वनों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। दरों की गलत गणना के कारण उपयोगकर्त्ता संस्थानों से क्षतिपूर्ति वनीकरण की लागत की वसूली कम दरों पर की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका एवं निर्देशों के विपरीत वाहनों के क्रय एवं

	संधारण, अधोसंरचना निर्माण तथा इको टूरिज्म मदों में व्यय किया गया। वन क्षेत्रों में किये गये कार्यो के अभिलेखों का संधारण कार्य आयोजना पुनरीक्षण मैन्युअल के प्रावधानों के अनुरूप नही किया गया। समझौता ज्ञापन के निष्पादन में देरी होने के कारण कार्यो का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

8.1 प्रस्तावना

वन विभाग मुख्यतः वनों की सुरक्षा, संवर्द्धन, विकास एवं पुनरोत्पादन, काष्ठ एवं अन्य वनोत्पादों के दोहन तथा वनों की सतत वृद्धि हेतु व्यय करता है।

वन विभाग, प्रमुख सचिव (वन) के अधीन कार्य करता है। रायपुर स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.), छत्तीसगढ़, विभाग के सम्पूर्ण प्रशासन हेतु उत्तरदायी है। मुख्यालय स्तर पर अपर प्र.मु.व.सं. एवं मु.व.सं. उसके सहायक के रूप में रहते हैं।

8.2 वन विभाग में व्यय की प्रवृत्ति

वन विभाग में वर्ष 2008-09 से 2012-13 के मध्य किये गये व्यय का विवरण निम्न तालिका में दिया गया हैः

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	आवंटन	वास्तविक व्यय	*बजट अनुमानों एवं वास्तविक व्यय में भिन्नता (प्रतिशत में)*	वास्तविक व्यय आवंटन के प्रतिशत के रूप में
2008-09	649.20	614.62	566.43	87.25	92.16
2009-10	716.37	659.53	647.14	90.34	98.12
2010-11	852.02	665.86	676.31	79.38	101.57
2011-12	1,065.13	772.03	763.98	71.73	98.96
2012-13	957.60	884.33	864.56	90.28	97.76

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि में वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से कम था तथा व्यय का प्रतिशत 71.73 एवं 90.34 के मध्य था। साथ ही, 2010-11 को छोड़कर, वास्तविक व्यय आवंटन से कमतर था। 2010-11 में विभाग के गैर योजनागत व्यय के बढ़ जाने से वास्तविक व्यय आवंटन से अधिक हो गया था।

8.3 लेखापरीक्षा का प्रभाव

8.3.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थितिः

2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में हमने अधिनियमों/नियमों/शासकीय आदेशों/निर्देशों का पालन न किये जाने के प्रकरणों को इंगित किया था जिनके कारण क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि की कम वसूली, रोपण, सड़क निर्माण अन्य वानिकी कार्यो के क्रियान्वयन आदि में अनियमित, निरर्थक, संदेहास्पद व्यय आदि हुआ जिसमें कुल राशि ₹ 14.48 करोड़ समाहित थी जैसा कि निम्न तालिका में वर्णित है :

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल इंगित राशि	स्वीकार्य राशि	वसूली गई राशि	
			कंडिकाओं की संख्या	राशि
2011-12	14.48	0.36	-	-
योग	**14.48**	**0.36**	-	-

उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है कि वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन में इंगित कुल राशि ₹ 14.48 करोड़ में से विभाग ने ₹ 36 लाख की राशि स्वीकार की जिसमें से मार्च 2013 की स्थिति में कोई वसूली नहीं की गई थी।

8.3.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों (2008-09 से 2011-12) के अनुपालन की स्थितिः

2008-09 से 2011-12 की अवधि में हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से अनियमित, निरर्थक, संदेहास्पद व्यय आदि के ₹ 277.74 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले 443 प्रकरण इंगित किये। विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है :

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	इंगित राशि		स्वीकार्य राशि		वसूली गई राशि	
		प्रकरण	राशि	प्रकरण	राशि	प्रकरण	राशि
2008-09	12	82	63.82	-	-	-	-
2009-10	7	39	12.93	-	-	-	-
2010-11	19	179	141.66	-	-	-	-
2011-12	15	143	59.33	-	-	-	-
योग	**53**	**443**	**277.74**	-	-	-	-

8.3.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों (2012-13) के अनुपालन की स्थिति :

हमने छत्तीसगढ़ राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा) की लेखापरीक्षा की जिसमें ₹ 140.07 करोड़ का वित्तीय प्रभाव समाहित है। साथ ही हमने वर्ष 2012-13 में वन विभाग की 18 इकाइयों की नमूना जांच की। हमने कैम्पा में प्राप्तियों, वन व्यपवर्तन प्रकरणों में भू-प्रबंध, कैम्पा निधि से व्यय में अनियमितताओं तथा अनियमित, परिहार्य, निष्फल, अधिक व्यय आदि के 155 प्रकरण पाये जिसमें निम्नानुसार ₹ 219.92 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित था :

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	**छत्तीसगढ़ राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा)- एक समीक्षा**	1	140.07
2	अनियमित व्यय	73	50.28
3	परिहार्य व्यय	3	0.32
4	निष्फल व्यय	34	14.01
5	अधिक व्यय	20	5.97
6	अन्य अनियमितताए	24	9.27
योग		**155**	**219.92**

शासन ने ₹ 84.38 करोड़ के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए मांग पत्र जारी किये जिसमें से बारह प्रकरणों में ₹ 23.23 करोड़ की वसूली हो गई जिन्हें संबंधित कंडिकाओं में यथानुरूप वर्णित किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा) की लेखापरीक्षा के परिणाम, जिनमें ₹ 140.07 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है एवं परिहार्य, अनियमित, निष्फल व्यय आदि के उल्लेखनीय प्रकरणों, जिनमें ₹ 9.15 करोड़ की राशि समाहित है, का वर्णन अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

8.4 छत्तीसगढ़ राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा)- एक समीक्षा

मुख्यांश :

- राज्य मे क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध होने के बावजूद गैर वनभूमि अनुपलब्धता के प्रमाणपत्र दिये गये तथा बिगड़े वन क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य किया गया।

(कंडिका 8.4.8)

- एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम 835.616 हेक्टेयर वन भूमि का, सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद सात वर्ष बीत जाने के बाद भी बिना भारत सरकार से लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्राप्त किये खनन हेतु उपयोग करता रहा।

(कंडिका 8.4.9.1)

- राज्य शासन ने वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंधन करते हुए 77.500 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग इको टूरिज्म केन्द्र के विकास में किया।

(कंडिका 8.4.9.2)

- दरों के गलत प्रयोग, मार्गदर्शिका/स्वीकृति आदेश की शर्तो का पालन न किये जाने एवं मांग जारी न किये जाने से राशि ₹ 89.56 करोड़ की क्षतिपूर्ति वनीकरण की लागत, शुद्ध प्रत्याशा मूल्य आदि का अनारोपण/कम वसूली हुई।

(कंडिका 8.4.11 एवं 8.4.12)

- अयोग्य क्षेत्रों, सघन वनों एवं पूर्व में रोपित किये जा चुके क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य किये जाने से ₹ 2.57 करोड़ का अधिक/निष्फल/संदेहास्पद व्यय हुआ।

(कंडिका 8.4.15 एवं 8.4.17)

- छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा ने मार्गदर्शिका एवं भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत वाहनों के क्रय, अधोसंरचना निर्माण एवं इको टूरिज्म गतिविधियों पर ₹ 12.31 करोड़ का अनधिकृत व्यय किया।

(कंडिका 8.4.18)

- कैम्पा मद के अंतर्गत विशेष प्रजाति रोपण योजना में विगत वर्षो में रोपण होने के बावजूद क्षेत्र का चयन किये जाने, गलत प्रजातियों का चयन किये जाने तथा उच्चतर दरो पर भुगतान किये जाने से ₹ 1.07 करोड़ का अनियमित/संदेहास्पद/अधिक व्यय हुआ।

(कंडिका 8.4.19)

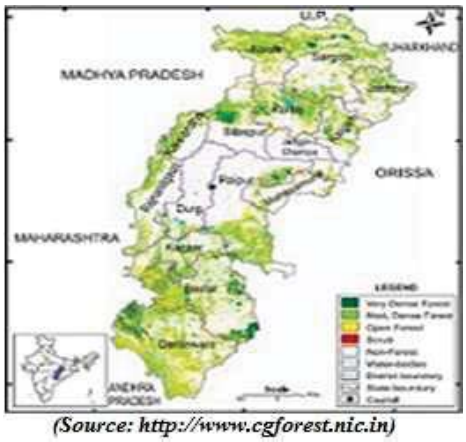
- छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा मद द्वारा जंगल सफारी के अंतर्गत स्वीकृत कार्यो के अतिरिक्त अन्य कार्य किये जाने से ₹ 2.40 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ एवं

साथ ही मुरूम संग्रहण पर ₹ 40.20 लाख का अधिक व्यय तथा वायड्स का कटौत्रा न किये जाने से ₹ 14.72 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 8.4.23)

8.4.1 प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्र देश के सम्पूर्ण वन क्षेत्र का 8.04 प्रतिशत है। राज्य का अभिलिखित वन क्षेत्र 55,674 वर्ग किमी (राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44.21 प्रतिशत) है। चैम्पियन एवं सेठ[1] के वर्गीकरण के अनुसार राज्य में 10 प्रकार के वन है जोकि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती (47.89 प्रतिशत) उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती (51.65 प्रतिशत) एवं अन्य (0.46 प्रतिशत वर्गो में आते है।



(Source: http://www.cgforest.nic.in)

वनावरण- वन प्रकार (हेक्टेयर में)

वनावरण घनत्व के आधार पर राज्य में 4,163 वर्ग किमी अति सघन वन, 34,911 वर्ग किमी कम सघन वन एवं 16,600 वर्ग किमी खुला वन है। 2009 के मूल्यांकन की तुलना में 2011 के मूल्यांकन[2] में वनावरण में चार वर्ग किमी की कमी आई।

शासन ने बताया (सितम्बर 2013) कि वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत भूमि के अंतरण एवं वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमियों के गैर वानिकी कार्यो हेतु व्यपवर्तन के कारण वन क्षेत्र मे कमी आई।

8.4.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, वन राज्य के वन विभाग के प्रशासन का प्रभारी होता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.) राज्य में विभाग का विभागाध्यक्ष होता है। मुख्यालय स्तर पर चार अपर प्र.मु.व.सं. एवं 13 मु.व.सं. उसके सहायक होते है। विभाग राज्य में वन क्षेत्र का प्रशासन 35 वनमंडलों के माध्यम से करता है। ये वनमंडल छः क्षेत्रीय वन संरक्षकों के नियंत्रण में कार्य करते है जोकि बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, कांकेर, रायपुर एवं सरगुजा वन वृत्तों में पदस्थ है।

8.4.3 छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा की स्थापना

माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण की एक तदर्थ संस्था (एड-हॉक कैम्पा) की स्थापना एवं उसमें वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु व्यपवर्तन के विरूद्ध प्राप्त समस्त राशियों को अंतरित किये जाने हेतु निर्देशित (मई 2006) किया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशो में राज्य कैम्पा की स्थापना किये जाने हेतु मार्गदर्शिका जारी (जुलाई 2009) की। इस मार्गदर्शिका के आधार पर राजपत्र

1 चैम्पियन एवं सेठ ने भारत के वनों का वर्गीकरण (1967) किया था जिसे प्रामाणिक माना जाता है।

2 प्रस्तावना में वर्णित भौगोलिक आंकड़ों का स्रोत- भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारत के वनों की स्थिति का प्रतिवेदन 2011

दिनांक 24 जुलाई 2009 द्वारा एड-हॉक कैम्पा, नई दिल्ली से प्राप्त निधियों के उपयोग के प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा की स्थापना की गई। उक्त राजपत्र द्वारा ही प्रक्रियाओं के निर्धारण, निधियों के उपयोग की समीक्षा, वार्षिक कार्य आयोजनाओं के अनुमोदन आदि हेतु राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति की स्थापना भी की गई। रायपुर स्थित वन विभाग के मुख्यालय में पदस्थ अपर प्र.मु.व.सं., राज्य कैम्पा को एड-हॉक कैम्पा से प्राप्त होने वाली निधियों के प्रशासन की देखभाल करता है।

8.4.4 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

निम्नांकित अधिनियमों, नियमों तथा परिपत्रों/मार्गदर्शी सिद्धांतो को लेखापरीक्षा के मापदण्डों के रूप में प्रयोग किया गया है :

- वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972;
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 1988;
- वन संरक्षण नियम, 2003 यथा संशोधित 2004 ;
- वन संरक्षण अधिनियम पर भारत सरकार द्वारा मई 2004 में जारी की गई हस्तपुस्तिका ;
- छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता;
- छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002;
- छत्तीसगढ़ कार्य आयोजना मैन्यूअल एवं
- माननीय उच्चतम न्यायालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वारा जारी मार्गदर्शिकाएं, निर्देश एवं आदेश

8.4.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

यह निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की गई कि क्या :

- वन भूमियों का गैर वानिकी कार्यो हेतु व्यपवर्तन वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों एवं भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया गया;
- उपयोगकर्त्ता संस्थानों से क्षतिपूर्ति वनीकरण, शुद्ध प्रत्याशा मूल्य आदि की वसूली नियमों, प्रावधानों तथा भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप की गई;
- एड-हॉक कैम्पा से प्राप्त राशियों का प्रशासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार किया गया एवं
- कैम्पा मद से व्यय इस हेतु स्थापित किये गये उद्देश्यों एवं सिद्धांतो के अनुरूप किया गया।

8.4.6 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्य पद्धति

लेखापरीक्षा का कार्य सितम्बर 2012 से जून 2013 के मध्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, छत्तीसगढ़ की राज्य कैम्पा एवं भू-प्रबंध शाखाओं तथा 35 वनमंडलों में से 12

वनमंडलों[3], जहां राज्य कैम्पा मद से आवंटन दिया गया था, में सम्पादित किया गया। इन वनमंडलों का चयन सरल यादृच्छिक नमूना पद्धति से किया गया था। लेखापरीक्षा के सम्पादन के दौरान उक्त कार्यालयों में 2006-07 से 2012-13 की अवधि के अभिलेखों की जांच की गई। राज्य कैम्पा एवं भू-प्रबंध शाखाओं में हमने अन्य वनमंडलों के लेखाओं की जांच भी की।

8.4.7 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक जानिकारियां एवं अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु वन विभाग के सहयोग को अभिस्वीकृत करता है। लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं कार्यपद्धति पर प्रमुख सचिव, वन विभाग के साथ 12 सितम्बर 2012 को हुए एक अंर्तगामी सम्मेलन के दौरान मंत्रणा हुई थी। शासन एवं विभाग को मसौदा प्रतिवेदन 23 जुलाई 2013 को प्रेषित किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा की लेखापरीक्षा के निष्कर्षो पर मंत्रणा हेतु शासन के साथ बर्हिगामी सम्मेलन 2 सितम्बर 2013 को हुआ। बर्हिगामी सम्मेलन में शासन एवं विभाग का प्रतिनिधित्व क्रमशः विशेष सचिव एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने किया। बर्हिगामी सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा दिये गये अभिमतों को संबंधित कंडिकाओं में यथानुरूप सम्मिलित किया गया है।

[3] धमतरी, धरमजयगढ़, जशपुर, कटघोरा, कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव, सुकमा, सरगुजा (उत्तर) एवं सरगुजा (दक्षिण) क्षेत्रीय वनमंडल, बिलासपुर एवं रायपुर अनुसंधान एवं विस्तार वनमंडल

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

भू - प्रबंध के मुद्दे

वन भूमियों के गैर वनीय कार्यो हेतु व्यपवर्तन से संबंधित अभिलेखों की जांच में हमने कई अनियमितताएं पाई जैसे कि वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत वन भूमि का उपयोग, व्यपवर्तन के प्रकरणों को स्वीकृति हेतु अनुमोदित करने की प्रक्रिया में कमियां, राजस्व भूमि को वन भूमि के रूप में घोषित न करना आदि जिनका वर्णन अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

8.4.8 वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किये बिना वन भूमि का गैर वनीय कार्यो हेतु उपयोग

हस्तपुस्तिका की कंडिका 3.2 के अनुसार प्रयुक्त वन भूमि एक हेक्टेयर से अधिक होने पर उपयोगकर्त्ता संस्थान द्वारा प्रदत्त गैर वन भूमि के बराबर क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु भूमि की पहचान राज्य में कहीं भी व्यपवर्तित क्षेत्र के यथासंभव नजदीक की जा सकेगी। जिससे क्षेत्र की सुक्ष्म पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कमतर किया जा सके। यदि गैर वन भूमि उपलब्ध न हो तो क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र में किया जावेगा। साथ ही, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में गैर वन भूमि की अनुपलब्धता केवल मुख्य सचिव के इस आशय के प्रमाण पत्र पर ही स्वीकार किया जावेगी। हालाकि, भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु ऐसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ राज्य में वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों की प्रारंभिक प्रक्रिया वनमंडल स्तर पर होती है। वन संरक्षण अधिनियम में उल्लिखित समस्त शर्तो के अनुपालन के बाद वनमंडलाधिकारी प्रकरणों को संबंधित वन संरक्षक एवं मु.व.सं. (भू-प्रबंध शाखा) को भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित करता है।

राज्य में अक्टूबर 2002 से मार्च 2013 की अवधि में 176 प्रकरणों में 12,202.852 हेक्टेयर वन भूमि का गैर वनीय प्रयोजनों यथा खनन, सिंचाई, ऊर्जा परियोजनाएं, पारेषण लाईनों, प्रकाश तंतु तार बिछाने, उद्योग आदि हेतु व्यपवर्तन किया गया जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा 20,224.507 हेक्टेयर क्षेत्र को क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु चिन्हित किया गया जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

वृत्त का नाम	प्रकरणों की संख्या	व्यपवर्तित वन क्षेत्र	क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु अनुबद्ध क्षेत्रफल		
			वन क्षेत्र (क्षतिपूर्ति वनीकरण के कुल क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में)	गैर वन क्षेत्र	योग
बिलासपुर	72	4,169.323	6,071.313 (93.10 प्रति.)	449.663 (7.90 प्रति.)	6,520.976
दुर्ग	20	717.256	1,080.360 (93.05 प्रति.)	80.647 (7.95 प्रति.)	1,161.007
बस्तर	19	627.335	1,136.801 (94.71 प्रति.)	63.473 (5.29 प्रति.)	1,200.274
कांकेर	25	2,167.701	4,192.716 (98.14 प्रति.)	79.569 (1.86 प्रति.)	4,272.285
रायपुर	17	671.799	1,221.441 (97.45 प्रति.)	31.998 (2.55 प्रति.)	1,253.439
सरगुजा	23	3,849.438	5,798.128 (99.68 प्रति.)	18.398 (0.32 प्रति.)	5,816.526
योग	**176**	**12,202.852**	**19,500.759 (96.42** प्रति.)	**723.748 (3.58** प्रति.)	**20,224.507**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वन वृत्तों में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु चिन्हित वन भूमि 93.05 एवं 99.68 प्रतिशत के मध्य थी जबकि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त राजस्व भूमि 0.32 एवं 7.95 प्रतिशत के मध्य थी।

नमूना परीक्षित वनमंडलों[4] में 45 प्रकरणों में 5,376.328 हेक्टेयर वन भूमि का गैर वनीय कार्यो हेतु व्यपवर्तन हुआ जिसके विरूद्ध 9,484.501 हेक्टेयर क्षेत्र को क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु चिन्हित किया गया था **(विवरण परिशिष्ट 8.1 में दिया गया है)** ।

कार्यालय प्र.मु.व.सं. (भू-प्रबंध शाखा) में व्यपवर्तन के प्रकरणों की जांच (जून 2013) के दौरान हमने देखा कि 2006-07 के बाद से छः नमूना परीक्षित वनमंडलो [5] में 3,793.179 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन की अंतिम स्वीकृति दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वनीकरण करने की शर्त के साथ दी गई। 14 में से तीन प्रकरणों में गैर वन क्षेत्र की अनुपलब्धता के प्रमाण पत्र के आधार पर बिगड़े वन क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वनीकरण किया गया। शेष 11 प्रकरणों में बिना किसी ऐसे प्रमाण पत्र को प्राप्त किये बिगड़े वन क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वनीकरण किया गया। हांलाकि राजस्व विभाग द्वारा जारी पत्र (नवम्बर 2006) की जांच में हमने देखा कि 2006-07 में राज्य में 5.78 लाख हेक्टेयर राजस्व भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु चिन्हित किया गया था। अतः, राजस्व भूमि उपलब्ध होने के बावजूद वन भूमि में क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य किया जाना (जैसा कि परिशिष्ट 8.1 में वर्णित है) न केवल अनियमित है बल्कि इससे उतनी मात्रा में वन क्षेत्रफल मे

[4] धमतरी, धरमजयगढ़, जशपुर, कटघोरा, कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव, सुकमा, सरगुजा (उत्तर) एवं सरगुजा (दक्षिण) क्षेत्रीय वनमंडल, बिलासपुर एवं रायपुर अनुसंधान एवं विस्तार वनमंडल

[5] धमतरी, धरमजयगढ़, कटघोरा, कोरबा, राजनांदगांव एवं सरगुजा (दक्षिण) क्षेत्रीय वनमंडल

कमी भी आई। अग्रेत्तर 5.78 लाख हेक्टेयर राजस्व भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु चिन्हित होते हुए भी मुख्य सचिव द्वारा गैर वन क्षेत्र की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र दिया जाना भी सही नहीं था।

सम्पूर्ण राज्य में 2006-07 के बाद से 50 प्रकरणों में 5,195.71 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन की अंतिम स्वीकृति दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वनीकरण करने की शर्त के साथ दी गई। 50 में से 12 प्रकरणों में गैर वन क्षेत्र की अनुपलब्धता के प्रमाण पत्र के आधार पर बिगड़े वन क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वनीकरण किया गया। शेष 38 प्रकरणों मे मुख्य सचिव से बिना किसी प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिगड़े वन क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वनीकरण किया गया।

शासन ने बताया (सितम्बर 2013) कि दो प्रकरणों भारत सरकार के उपक्रमों से संबंधित होने के कारण मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी। शेष 48 प्रकरणों में मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र के आधार पर दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वनीकरण किये जाने की स्वीकृति दी गई। उनमे से 26 प्रमाण पत्र उपलब्ध है तथा शेष की खोज की जा रही है।

हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि उपरोक्त में से कोई भी प्रकरण भारत सरकार के उपक्रमों से संबंधित नहीं है। साथ ही, क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु 5.78 लाख हेक्टेयर राजस्व भूमि चिन्हित होते हुए भी दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु अनुमति दिया जाना नियमानुकूल नहीं था।

8.4.9 भारत सरकार से बिना अनुमति प्राप्त किये वन भूमि का गैर वनीय कार्यो हेतु उपयोग

वन संरक्षण अधिनियम पर जारी हस्तपुस्तिका की कंडिका 4.2 के अनुसार व्यपवर्तन की स्वीकृति दो चरणों में दी जावेगी। प्रथम चरण में प्रस्ताव को सिद्धांततः सहमति दी जावेगी जिसमें क्षतिपूर्ति वनीकरण की लागत, शुद्ध प्रत्याशा मूल्य आदि के भुगतान के शर्तें अधिरोपित की जावेगी। राज्य शासन से इन शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात भारत सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन औपचारिक स्वीकृति जारी की जावेगी।

8.4.9.1 हमने कार्यालय वनमंडलाधिकारी, कोरबा एवं कटघोरा में वन भूमियों के गैर वनीय कार्यो हेतु व्यपवर्तन किये जाने संबंधी अभिलेखों की जांच (जून 2013) में देखा कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (उपयोगकर्त्ता संस्थान) को तीन खदानों[6] का आवंटन किया गया था जिनकी पट्टावधि मार्च 2003 तक

6

खदान का नाम	वनमंडल	खदान में वनक्षेत्र (हेक्टेयर)	भारत सरकार द्वारा सिद्धांततः सहमति
रजगामार भूमिगत खदान	कोरबा	461.80	मार्च 2006
मानिकपुर खुली खदान	कोरबा	181.77	जून 2006
गेवरा खुली खदान	कटघोरा	192.046	अक्टूबर 2006
योग		**835.616**	

वैध थी। उपयोगकर्त्ता संस्थान ने खनिपट्टा नवीनीकरण के लिये सिद्धांततः सहमति हेतु आवेदन किया जिसे भारत सरकार ने 2006 में प्रदान किया। सिद्धांततः सहमति में अधिरोपित शर्तो के अनुसार उपयोगकर्त्ता संस्थान को क्षतिपूर्ति वनीकरण, शुद्ध प्रत्याशा मूल्य एवं दांडिक क्षतिपूर्ति वनीकरण की लागत के रूप में राशि ₹ 93.13 करोड़ जमा करने थे। इसके विरूद्ध उपयोगकर्त्ता संस्थान द्वारा मार्च 2013 तक ₹ 69.67 करोड़ ही जमा किये गये तथा शेष ₹ 23.46 करोड़ आज दिनांक तक भी जमा नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त उपयोगकर्ता संस्थान सात वर्ष बीत जाने के बाद भी बिना भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त किये इन क्षेत्रों में खनन् गतिविधियां संचालित करता रहा। इसके बावजूद, विभाग ने वनक्षेत्र में बिना औपचारिक स्वीकृति प्राप्त किये खनन् गतिविधियां संचालित करने हेतु उपयोगकर्त्ता संस्थान के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जो कि वन संरक्षण अधिनियम के विरूद्ध है।

शासन ने सूचित किया (सितम्बर 2013) कि उक्त प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वनीकरण की लागत, शुद्ध प्रत्याश मूल्य आदि जमा होना है तथा भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अतः इन खदानों में खनन् गतिविधियां बंद है तथा उनकी स्वीकृति शर्तों के अनुपालन तथा भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही दी जावेगी।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि मु.व.सं. (भू-प्रबंध) द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजे गये प्रतिवेदन (जनवरी 2011) तथा खनिकर्म विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी (जुलाई 2013) से स्पष्ट है कि इन खदानों में खनन गतिविधियां प्रगति पर है। यह वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में विभाग की निष्क्रियता को स्पष्ट रूप से इंगित करता है।

वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार किसी उपयोगकर्त्ता संस्थान द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उपयोग, भारत सरकार से उस कार्य हेतु व्यपवर्तन की स्वीकृति प्राप्त किये बिना नहीं किया जा सकेगा। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों (मई 2008) के अनुसार सार्वजनिक सुविधाओं यथा विद्यालय, अस्पताल, बच्चों के पार्क आदि हेतु एक हेक्टेयर तक के व्यपवर्तन हेतु यद्यपि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के भुगतान न करने की छूट होगी किन्तु वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार से व्यपवर्तन की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

8.4.9.2 वन संरक्षक, बस्तर ने बस्तर वनमंडल के कक्ष क्र. 1720 में वन्यजीव संरक्षण एवं शिक्षण केंद्र (लामनी पार्क) में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 10.5 किमी लम्बी डब्ल्यू.बी.एम. रोड़ बनाने के लिये वनमंडलाधिकारी बस्तर को ₹ 82 लाख की राशि स्वीकृत की (जनवरी 2012) राज्य कैम्पा ने भी ₹ 1.96 करोड़ की राशि ईको पर्यटन मद में अंतर्गत चैनलिंक फेंसिग/ चारदीवारी के निर्माण हेतु वनमंडलाधिकारी, बस्तर को स्वीकृत की तथा ₹1.55 करोड़ की राशि जारी की (जनवरी 2012)। इसके विरूद्ध वनमंडलाधिकारी द्वारा मार्च 2013 तक राशि ₹ 35.38 लाख का व्यय किया।

कार्यालय प्र.मु.व.सं. (भू-प्रबंध शाखा) के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि उक्त पार्क कक्ष क्र. 1,720 के 77.500 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा था जोकि बस्तर वनमंडल के आरक्षित वन का भाग है। नई डब्ल्यू.बी.एम. रोड का निर्माण तथा वन्यजीव संरक्षण एवं शिक्षण केंद्र (लामनी पार्क) का टॉय ट्रेन एवं बच्चों के झूलों की स्थापना के साथ विकास किया जाना गैर वानिकी कार्य है जिनका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। अभिलेखों की आगे की जांच में देखा गया कि कक्ष का कोई भी हिस्सा का ऐसे किसी भी कार्य हेतु व्यपवर्तन नहीं हुआ है। अतः वनमंडलाधिकारी द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उपयोग किया जाना न केवल अनियमित है बल्कि वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंधन भी है।

शासन ने बताया (सितम्बर 2013) कि कक्ष क्र 1,720 का क्षेत्र जगदलपुर शहर में स्थित है। शहरीकरण एवं जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण ऐसे क्षेत्रों में अतिक्रमण का खतरा सदैव बना रहता है। राज्य कैम्पा के शासी निकाय एवं संचालन समित ने ऐसे स्थलों को चैनलिंक फेंसिग एवं चारदीवारी द्वारा सुरक्षित करने का निर्णय लिया। वहां कोइ नई सड़क नहीं बनाई गई है तथा पूर्व से बने हुए वनमागों को ही डब्ल्यू.बी.एम. मार्गो में परिवर्तित किया गया है। टाय ट्रेन की स्थापना मात्र शिक्षण के उद्देश्य से ही की जानी है। वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार वनों की सुरक्षा के लिये किये जाने वाले अस्थाई निर्माणों हेतु वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि विभाग ने गैर वानिकी कार्य करने से पूर्व वन भूमि के व्यपवर्तन संबंधी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशों (मई 2008) का पालन नहीं किया। अग्रेत्तर, लामनी पार्क के परियोजना प्रतिवेदन में क्षेत्र में विचरण हेतु सड़को का जाल प्रदर्शित है। साथ ही लामनी पार्क में आने वाले आगंतुको को सुविधाएं मुहैया कराने हेतु निधियों का आवंटन किया गया।

भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका (जुलाई 2009) के अनुसार राज्य कैम्पा प्राकृतिक वनों के परिरक्षण वन्यजीव प्रबंधन, प्रक्षेत्र में अधोसंरचना के विकास तथा अन्य सहयोगी कार्यों हेतु गतिविधियो को गति देने के माध्यम के रूप में अभिप्रेरित है। राज्य कैम्पा, एड-हॉक कैम्पा से प्राप्त निधियों का प्रशासन करेगा तथा संग्रहित धन का प्रयोग क्षतिपूर्ति वनीकरण, सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन, वनों के संरक्षण एवं सुरक्षा, अधोसंरचना विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं सुरक्षा तथा अन्य संबंधित गतिविधियों एवं उससे संबंधित अथवा उस संबंध में प्रासंगिक मामलों हेतु करेगा।

8.4.9.3 भू-प्रबंध शाखा में अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया कि बारनवापारा अभ्यारण्य के लाटादादर, नवापारा एवं रामपुर ग्रामों के क्रमशः कक्ष क्र. 507 व 509; 500 व 501 तथा 795 व 796 में विस्थापन किये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया (अक्टूबर 2006)। हमने देखा कि भारत सरकार द्वारा उक्त तीन ग्रामों के विस्थापन हेतु 922.30 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई (अक्टूबर 2008)। अग्रेत्तर, यह देखा गया कि राज्य कैम्पा ने नवापारा ग्राम से 83 परिवारों को कक्ष क्र. 795 एवं

796 में विस्थापित करने हेतु वनमंडलाधिकारी, रायपुर को ₹ 10.50 करोड़ का आवंटित किया। महासमुंद वनमंडल की कार्य आयोजना के अनुसार कक्ष क्र 795 एवं 796 सुधार पातन कार्यवृत के अंतर्गत थे जहां परिपक्व वृक्ष खड़े थे। वर्ष 2010-11 में महासमुंद वनमंडल द्वारा 1,47,565 परिपक्व वृक्षों के पातन के पश्चात रायपुर वनमंडल ने विस्थापन कार्य यथा आवासीय भवनो, कृषि भूमि पहुच मार्ग, तालाब आदि के निर्माण पर ₹ 5.12 करोड़ का व्यय किया जोकि कैम्पा के संवर्द्धन एवं संरक्षण के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।

शासन ने बताया (सितम्बर 2013) कि तीनों ग्रामों के विस्थापन हेतु 922.30 हेक्टेयर वन क्षेत्र के व्यववर्तन की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई थी (अक्टूबर 2008)। उसी के अनुसार विस्थापन का कार्य छः कक्षों में किया गया है।

हम सहमत नहीं है क्योंकि कैम्पा के मूल उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण, वन्यजीव प्रबंधन एवं वनों का संवर्द्धन तथा संरक्षण है जोकि 1,47,565 परिपक्व वृक्षों को उखाड़ कर नवापारा के विस्थापित ग्रामीणों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण किये जाने से विफल हो गया।

8.4.10 गैर वनीय भूमि की वन भूमि के रूप में अधिसूचना

वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों, भारत सरकार द्वारा वन भूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृति देते समय अधिरोपित शर्तों तथा वन एंव पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी (फरवरी 2004) दिशा निर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनीय भूमि को भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि अधिसूचित किया जावेगा जिससे उस पर किये गये रोपण का स्थाई तौर पर रख-रखाव किया जा सके। उक्त हस्तांतरण परियोजना प्रारंभ होने के पूर्व किया जाना चाहिए।

कार्यालय प्रधान मुख्य संरक्षक (भू-प्रबंधन इकाई) के वनभूमि व्यपवर्तन से संबंधित अभिलेखों की जाँच (जून 2013) में हमने देखा कि 10 नमूना जाँच वनमंडलों[7] के 45 प्रकरणों के कुल 5,376.328 हे. वनभूमि जिसमें वर्ष 2002-03 से 2012-13 के मध्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अंतिम स्वीकृति प्रदान किये जाने के एवज में उपयोगकर्त्ता संस्थानों द्वारा कुल 313.713 हे. गैर-वनभूमि प्रदान की गई जिसका विवरण **परिशिष्ट 8.3** में दिया गया है। यद्यपि उपयोगकर्त्ता संस्थानों[8] द्वारा व्यपवर्तन की अंतिम स्वीकृति प्रदान किये जाने के पूर्व ही वन विभाग को गैर-वनीय भूमि हस्तांतरण कर दी गई थी किन्तु विभाग अक्टूबर 2013 तक भी उक्त भूमि को वन भूमि के रूप में अधिसूचित नहीं कर सका।

राज्य में वर्ष 2002-03 से 2012-13 तक कुल 176 प्रकरणों **(कंडिका 8.4.8 में वर्णित)** के कुल 12,202.852 हे. व्यपवर्तित वनभूमि जिसमें अंतिम स्वीकृति प्रदान कर

[7] धमतरी, धरमजयगढ, जशपुर, कटघोरा, कोरबा, महासमुन्द, राजनांदगांव, सुकमा एवं सरगुजा (उतर) एव्र सरगुजा(दक्षिण) वनमंडल।

[8] भारत एल्युमिनियम लिमिटेड कम्पनी, छत्तीसगढ राज्य विधुत मंडल, जल संसाधन विभाग।

दी गई है, उसमें से उपयोगकर्त्ता संस्थान द्वारा कुल 723.745 हे.गैर-वनीय भूमि उपलब्ध कराये गये (**परिशिष्ट 8.3** में उल्लेखित)।

शासन ने अपने उत्तर (सितम्बर 2013) में कहा कि दो प्रकरणों के कुल 45.449 हे. गैर वनीय भूमि को अधिसूचित कर दिया गया है (मई 2009 एवं दिसम्बर 2012)। 22 प्रकरण शासन तथा 15 प्रकरण विभाग स्तर पर लंबित है, जबकि एक प्रकरण निरस्त कर दिये गये है।

उत्तर स्वयंमेव विभाग के अक्रिया की पुष्टि करता है तथा लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने के उपरांत ही विभाग द्वारा प्राप्त गैर-वनीय भूमि को अधिसूचित करने हेतु कदम उठाया गया।

कैम्पा में प्राप्तियों का प्रबंधन

वर्ष 2002-03 से 2012-13 के दौरान विभाग द्वारा कुल 176 प्रकरणों के कुल 12,202.852 हे. वनभूमि के व्यपवर्तन के एवज् में उपयोगकर्त्ता संस्थानों से कुल राशि ₹ 1,437.22 करोड़ वसूली का विवरण निम्नलिखित तालिका में हैः

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मद का नाम	वसूल की गई राशि
1.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि	169.91
2.	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य	1,214.41
3.	अन्य (अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, दांडिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण आदि)	52.90
योग		**1,437.22**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

8.4.11 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत

हस्तपुस्तिका के कंडिका 3.1 के अनुसार गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के प्रस्तावों को अनुमोदित करते समय गैर -वनीय भूमि के बराबर या बिगड़े वनों के दुगने क्षेत्र का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि उपयोगकर्त्ता संस्थाओं से वसूल किया जाना एक अहम शर्त है।

गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन से संबंधित अभिलेखों के जाँच में हमने गलत दर निर्धारण, निर्देशों का पालन न किया जाना आदि के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि के वसूली में पाई गई अनियमिताऐं एवं कमियाँ का वर्णन अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

8.4.11.1 वर्ष 2002-03 के बाद के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत के न्यूनतम दर आरोपण करने से राशि की कम वसूली

वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने (मार्च 2002) वर्ष 2001-02 को असिंचित तथा सिंचित वृक्षारोपण हेतु क्रमशः राशि ₹ 29,725 तथा 1,04,500 प्रति हेक्टेयर के दर से तय करत हुऐ उपयोगकर्त्ता संस्थाओं से राशि वसूल किये जाने हेतु निर्देशित किया। इसके बाद के वर्षो में मजदूरी मंहगाई को सम्मिलित करते हुऐ वृक्षारोपण की लागत में प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्वि कर राशि वसूल की जावेगी तथा 25 प्रतिशत परियोजना लागत में आकस्मिक व्यय, आस्था मूलक कार्यो तथा अनुसंधान एवं विकास सम्मिलत करते हुऐ उपयोगकर्त्ता संस्थाओं से वसूल किया जावेगा।

प्र.मु.व.स. (भू- प्रबंधन ईकाई) में संधारित वनभूमि व्यपवर्तन से संबंधित प्रकरणों के नस्तीयों के नमूना जाँच (जून 2013) में हमने देखा की कुल 12 नमूना जाँच वनमंडलों में से आठ वनमंडलों[9] के वर्ष 2004-05 एवं 2012-13 के मध्य 18 प्रकरणों में कुल 3,321.566 हे. व्यपर्तित वनभूमि के विरूद्ध 6,405.806 हे. भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य हेतु कुल राशि ₹ 70.34 करोड़ उपयोगकर्त्ता संस्थाओं से प्राप्त हुए। चूंकि यह प्रकरण वर्ष 2004-05 से 2012-13 के मध्य स्वीकृत हुए थे, अतः इन प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि कर गणना कर राशि वसूल की जानी थी पर हमने देखा की विभाग ने वर्ष 2002-03 के प्रकरणों के गणना कर राशि वसूल की गई। पर हमने देखा की विभाग ने वर्ष 2002-03 के प्रकरणों के गणना करते वक्त 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि न करते हुए वर्ष 2001-02 के दर के अनुसार गणना की। परिणामस्वरूप उसके बाद के वर्षो के स्वीकृत प्रकरणों में मूल दरों में 10 प्रतिशत की निचली दर को मानते हुए गणना कि गई। अगर विभाग ने वर्ष 2002-03 के दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि सम्मिलित कर बाद के वर्षो की गणना की जाती तो विभाग को

[9] धरमजयगढ,धमतरी, कटघोरा, कोरबा, महासमुन्द, राजनांदगांव, सुकमा एवं सरगुजा (दक्षिण) वनमंडल

₹ 70.34 करोड़ की स्थान पर ₹ 77.93 करोड़ की राशि प्राप्त होती। इस तरह वनमंडलाधिकारियों द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि का गलत निर्धारण करने तथा प्र.मु. व.स (भू-प्रबंधन शाखा) द्वारा संबंधित वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रेषित गलत गणना को अनुमोदन करने के फलस्वरूप विभाग को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि ₹ 7.59 करोड़ की कम वसूली हुई जिसका विवरण **परिशिष्ट 8.4** में उल्लेखित है।

कुल 32 क्षेत्रिय वनमंडलों मे से 18 वनमंडलों में वर्ष 2002-03 से 2012-13 के मध्य कुल 53 प्रकरणों जिसमें गैर-वानिकी कार्य हेतु अंतिम स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल 5,388.376 हे. वनभूमि का व्यपवर्तन किया गया। उपरोक्त व्यपवर्तित वनभूमी के एवज में 11,476.90 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु विभाग को वसूलनीय राशि ₹ 104.20 करोड़ के विरूद्ध कुल राशि ₹ 93.35 करोड़ उपयोगकर्त्ता संस्थाओं से प्राप्त हुई। जिसके फलस्वरूप विभाग को राशि ₹ 10.85 करोड़ की कम वसूली हुई (विवरण **परिशिष्ट 8.4** में उल्लेखित है)।

हमने इसी प्रकार की एक कंडिका को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के राजस्व क्षेत्र, छत्तीसगढ शासन प्रतिवेदन के कंडिका क्र. 8.7 में वर्णित किया था। इस हेतु हमें मार्च 2013 के अंत तक शासन की ओर से कोई प्रगति प्राप्त नही हुई है।

शासन ने अपने उतर (सितम्बर 2013) में कहा कि इस हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को उचित वसूली हेतु निर्देश जारी कर दिये गये है (अगस्त 2013) शासन से वसूली हेतु आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अक्टुबर 2013)।

8.4.11.2 खनन कार्यो हेतु सेफ्टी जोन की राशि की कम वसूली

हस्तपुस्तिका के कंडिका 4.7 के अनुसार प्रत्येक खनन कार्यो हेतु वनभूमि के व्यपवर्तन प्रकरणो के प्रस्तावों में वनभूमि में सेफ्टी जोन खनन कार्यो हेतु पृथक से सम्मिलित किया जायेगा। ऐसे क्षेत्र को फेसिंग हेतु खर्च का वहन में संबंधित उपयोगकर्त्ता शामिल संस्थाओं द्वारा किया जावेगा। आगे परियोजना प्राधिकारी को सेफ्टी जोन में सुरक्षा तथा पुनरोत्पादन हेतु वन विभाग के पास राशि जमा कि जायेगी। साथ ही सेफ्टी जोन के डेढ गुना क्षेत्र के बराबर का अन्य क्षेत्र के बिगड़े वनों में वृक्षारोपण की राशि भी इन परियोजना प्राधिकारी द्वारा वन विभाग के पास जमा किया जायगा।

कोरबा वनमंडल के वनभूमि व्यपवर्तन से संबंधित प्रकरणों के नस्तीयों के जाँच (जून 2013) में हमने पाया कि 194.728 हे. खुली खदान हेतु वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु साउथ ईर्स्टन कोल्फील्डस लिमिटेड को सैद्धान्तिक एवं अंतिम स्वीकृति (दिसम्बर 2009 तथा अगस्त 2011) में शर्त थी कि व्यपवर्तित वनभूमि के चारो तरफ 7.5 मीटर चौड़ी पट्टी सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण तथा सेफ्टी जोन के डेढ गुना बराबर बिगड़े वनों में वृक्षारोपण की राशि भी वसूल किया जायेगा। विभाग ने उपयोगकर्त्ता संस्थाओं से सेफ्टी जोन के डेढ़ गुना क्षेत्र में वृक्षारोपण की राशि वसूल कर ली (अप्रैल 2010) परंतु सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण हेतु कोई राशि वसूल नहीं कि गई। वनमंडलाधिकारी ने सेफ्टी

जोन में वृक्षारोपण हेतु राशि वसूल करने हेतु कोई भी कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप राशि ₹ 24.85 लाख की कम वसूली हुई।

शासन ने अपने उत्तर (सितम्बर 2013) में कहा की संबंधित उपयोगकर्त्ता संस्थाओं से राशि वसूल करने हेतु मांग जारी की गई है (जूलाई 2013)। तदोपरांत इस हेतु कोई उत्तर शासन से प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

8.4.11.3 सिंचित/असिंचित दर का मानदंड निर्धारण न किये जाने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि की कम वसूली

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में गैर-वनीय भूमि के बराबर या दुगने बिगड़े वनों के बराबर किये जाने का उद्देश्य यह है कि वनभूमि के व्यपवर्तन से होने वाले पारिस्थितिकीय असंतुलन को बचाया जा सके। राज्य शासन ने (मार्च 2002) में वर्ष 2001-02 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु पृथक-पृथक दर निर्धारण करते हुए उपयोगकर्त्ता अभिकरणों से राशि वसूल किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

प्र.मु व.सं. (भू-प्रबंधन शाखा) में वनभूमि व्यपवर्तन से संबंधित प्रकरणों की जाँच (जून 2013) में हमने पाया कि 12 नमूना परीक्षित वनमंडलों में से पाँच वनमंडल[10] के आठ प्रकरणों में भारत शासन से वर्ष 2008-09 एवं 2012-13 के मध्य कुल 684.125 हे. वनभूमि व्यपवर्तन हेतु अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई। व्यपवर्तित वनभूमि के विरूद्ध कुल 1,345.568 हे. क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जाना चाहिए था। विभाग ने इन व्यपर्तित वन भूमि के एवज में असिंचित वृक्षारोपण की दर के मान से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि ₹ 11 करोड़ वसूल की। यदि विभाग ने सिंचित वृक्षारोपण की दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि माँग की होती तो कुल राशि ₹ 44.28 करोड़ वसूल होती तथा वृक्षारोपण की सफलता, सिंचाई के प्रावधान, सुरक्षा तथा पौधों के रख-रखाव के कारण बेहतर सुनिश्चित की जा सकती थी। लेकिन राज्य शासन ने सिंचित तथा असिंचित दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि वसूलने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये।

राज्य के कुल 32 क्षेत्रिय वनमंडलों में से आठ वनमंडल के वर्ष 2002-03 से 2012-13 तक कुल 14 प्रकरणों में कुल 1,179.76 हे. व्यपवर्तित वनभूमि के एवज् में कुल 2,336.57 हे. क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जाना चाहिए था। विभाग ने इन प्रकरणों में असिंचित दर से राशि वसूल करते हुए राशि ₹ 17.24 करोड़ वसूल की गई। अगर विभाग ने इन प्रकरणों में सिंचित दर से राशि वसूल की होती। तो कुल राशि ₹ 68.98 करोड़ उपयोगकर्त्ता अभिकरणों से वसूल किया जा सकता था (विस्तृत विवरण **परिशिष्ठ 8.5** में वर्णित है) तथा रोपित पौधों की सफलता बेहतर तरीके से सुनिश्चित कि जा सकती थी।

शासन ने अपने उत्तर (सितम्बर 2013) में कहा कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि नियमानुसार असिंचित दर के अनुरूप ही वसूल की है तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किये जाने हेतु कोई विशेष मानदण्ड नहीं है। पर शासन ने यह भी स्पष्ट किया की क्षेत्रीय

[10] धरमजयगढ, कटघोरा, कोरबा, महासमुंद, तथा राजनांदगांव वनमंडल।

कार्यालयों में यह निर्देश दे दिये गये है कि वनभूमि के व्यपवर्तन के नवीन प्रकरणों में उपयोगकर्त्ता संस्थाओंीं से सिंचित दर पर राशि वसूल की जावे।

8.4.12 शुद्ध प्रत्याशा मूल्य

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन के अनुसार शुद्ध प्रत्याशा मूल्य ''रूपये के रियायती मूल्य की वह राशि है, किये गये व्यय को घटाकर, जो वनों के पारिस्थितिकीय संसाधनों एवं सेवाओं से किसी निश्चित अवधि में प्राप्त हो''। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार (अक्टूबर 2002) वनभूमि को गैरवानिकी कार्यो के लिए प्रत्यावर्तन के प्रकरणों में शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि वसूली की जावेगी।

वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु प्रत्यार्वतन के प्रकरणों की जाँच के दौरान हमने शुद्ध प्रत्याशा मुल्य की वसूली से संबंधित अनेक अनियमितताऐं पाई, जैसे गलत दर लागू किया जाना, मार्गदर्शिका का पालन न किया जाना इत्यादि, जो अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

8.4.12.1 प्रत्याशा मूल्य की कम वसूली प्रत्यावर्तित वनभूमि के गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप शुद्ध

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (मार्च 2008) के पालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने (फरवरी 2009) में उपयोगकर्त्ता संस्थानों से पुनरीक्षित दर से शुद्ध प्रत्याशा मूल्य वसूल किये जाने हेतु निर्देश जारी किया। इन निर्देशों में चैम्पियन एवं सेठ द्वारा वनों के वर्गीकरण के आधार पर भारत के वनों को छः पारिस्थितिकीय वर्ग में वर्गीकरण किया गया है। भारत के वनों की स्थिति का प्रतिवेदन वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में दो वर्ग के वन पाए जाते है, अर्थात उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन एवं उष्ण कटिबंध शुष्क पर्णपाती वन जो कि पारिस्थितिकीय वर्ग एक एवं तीन के अंतर्गत आते है। उक्त निर्देशों के अनुसार इन वनों हेतु प्रति हेक्टेयर शुद्ध प्रत्याशा मूल्य निम्नानुसार है :

(प्रति हे. राशि ₹ लाख में)

वनो का प्रकार	पारिस्थितिकीय वर्ग	अति सघन वन	सघन वन	विरल वन
उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन	पारिस्थितिकीय वर्ग एक	10.43	9.39	7.30
उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन	पारिस्थितिकीय वर्ग तीन	8.87	8.03	6.26

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध शाखा) में जून 2013 में वनभूमि के प्रत्यार्वतन से संबंधित प्रकरण नस्तियों की नमूना जाँच में हमने पाया कि वर्ष 2008-09 एवं 2012-13 के मध्य 86 प्रकरणों में 7,963.100 हेक्टेयर वनभूमि गैरवानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तित की गई थी। इनमें छः नमूना परीक्षित वनमंडलों[11] में छः प्रकरणों में 3,167.276 हेक्टेयर वनभूमि का प्रत्यावर्तन किया गया था एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के रूप में राशि ₹ 223.51 करोड़ की वसूली की गयी। प्रकरणों एवं संबंधित वनमंडलों के कार्य आयोजनाओं की आगे जाँच में पाया गया कि पाँच नमूना परीक्षित वनमंडलों (चार प्रकरण) में वन पारिस्थितिकीय वर्ग तीन एवं शेष दो नमूना परीक्षीत वनमंडलों (दो प्रकरण) में पारिस्थितिकीय वर्ग एक के अन्तर्गत आते है। उपरोक्त दरों के अनुसार आवेदक संस्थानों से शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि ₹ 269.47 करोड़ वसूल की जानी थी। इस प्रकार वर्गीकरण के आधार पर शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की गणना न किये जाने के फलस्वरूप शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि ₹ 45.96 करोड़ की कम वसूली हुई, पूर्ण विवरण परिशिष्ट 8.6 में दर्शित है।

पूरे राज्य में उक्त वर्गीकरण का पालन न किये जाने से 14 वनमंडलों से संबंधित 11 प्रकरणों में शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि ₹ 48.01 करोड़ की कम वसूली हुई, पूर्ण विवरण **परिशिष्ट 8.6** में दर्शित है।

शासन ने 11 प्रकरणों में से आठ प्रकरणों से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) एवं दो प्रकरणों में राशि ₹ 40.16 करोड़ की मांग जारी की

[11] कटघोरा, कोरबा, महासमुंद, सुकमा (उत्तर) एवं सरगुजा (दक्षिण)

जिसके विरूद्ध राशि ₹ 7.71 करोड़ की वसूली की गई। एक प्रकरण में जिसमें लेखापरीक्षा ने राशि ₹ 9.59 करोड़ कम वसूली से संबंधित आक्षेप लिया था शासन ने कहा कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार राशि ₹ 4.26 करोड़ की शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की वसूली हेतु मांग जारी कि गई। शेष तीन प्रकरणों के संबंध में विभाग ने आश्वासित किया कि परिक्षण उपरांत उत्तर प्रस्तुत की जावेगी।

उपरोक्त उत्तर से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पारिस्थितिकीय वर्गीकरण के आधार पर वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। एक प्रकरण में जिसमें शासन द्वारा आंशिक राशि की मांग जारी की गयी, उत्तर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार नहीं है। इस प्रकार शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की अंतर की राशि ₹ 5.33 करोड़ (₹ 9.59 करोड़ - ₹ 4.26 करोड़) भी वसूलनीय है।

8.4.12.2 शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की कम वसूली

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की दरों के पुनरीक्षण के दौरान वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धांतिक/अंतिम स्वीकृति प्रदान करते समय (वर्ष 2005-06 एवं 2011-12 के मध्य) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अनेक शर्ते अधिरोपित किया था, जिसमें शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की दरों में, जो कि विशेषज्ञ समिति के विचाराधीन था, उर्द्धगामी पुनरीक्षण की स्थिति में अंतर की राशि जमा करने हेतु वचन पत्र भी सम्मिलित था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय (विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर) के आदेश (मार्च 2008) के परिपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने निर्देशित किया (फरवरी 2009) कि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि पुनरीक्षित दरों से वसूल किया जाए।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध शाखा) में जून 2013 में वनभूमि के प्रत्यावर्तन से संबंधित प्रकरण नस्तियो की नमूना जांच में हमने पाया कि वर्ष 2006-07 एवं 2012-13 के मध्य दो नमूना परीक्षित वनमंडलों[12] के चार प्रकरणों में 223.508 हेक्टेयर वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धांतिक/अंतिम स्वीकृति प्रदान की गयी (वर्ष 2005-06 एवं 2011-12 के मध्य) एवं आवेदक संस्थानों से राशि ₹ 17.58 करोड़ वसूल की गयी। इन प्रकरणों की आगे जांच में पाया गया कि ये प्रकरण पारिस्थितिकीय वर्ग तीन के अंतर्गत आते है। नए वर्गीकरण के अनुसार आवेदक संस्थानों से शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि ₹ 18.15 करोड़ वसूल की जानी थी जिसके विरूद्ध विभाग ने इन प्रकरणों में मात्र राशि ₹ 17.58 करोड़ वसूल किया। यद्यपि विभाग ने आवेदक संस्थानों से अंतर की राशि भुगतान किये जाने हेतु वचन पत्र लिया था लेकिन शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की अंतर की राशि ₹ 57.07 लाख की वसूली हेतु कोई मांग पत्र जारी नहीं की गयी जैसा कि परिशिष्ट 8.7 के सरल क्रमांक 1 से 4 में वर्णित है।

[12] कटघोरा एवं राजनांदगांव

समूचे राज्य में छः वनमंडलों से संबंधित 17 प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन न किये जाने से शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि ₹ 6.44 करोड़ की वसूली नहीं की गयी जैसा कि परिशिष्ट 8.7 में वर्णित है।

शासन ने 17 प्रकरणों में से 14 प्रकरणों से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) एवं सूचित किया कि पांच प्रकरणों में राशि ₹ 2.22 करोड़ वसूल की गयी है जबकि शेष नौ प्रकरणों में राशि ₹ 3.92 करोड़ की वसूली हेतु मांग जारी की गयी है। शेष तीन प्रकरणों के संबंध में शासन ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि की वसूली की गई है।

उपरोक्त उत्तर से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के उपरांत ही राशि की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारंभ की गई। तीन प्रकरणों, जिसे शासन ने स्वीकार नहीं किया, के संबंध में उत्तर, फरवरी 2009 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की अंतर की राशि भी वसूलनीय है। वसूली से संबंधित आगे का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

8.4.12.3 शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की अवसूली

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (सितम्बर 2006) के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने निर्देश जारी किया (सितम्बर 2007) कि वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन के ऐसे प्रकरण जिसमें सैद्धांतिक स्वीकृति 30 अक्टूबर 2002 के पहले प्रदान की गयी थी एवं अंतिम स्वीकृति 30 अक्टूबर 2002 के बाद प्रदान की गयी थी, आवेदक संस्थानों से शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की वसूली की जाए।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध शाखा) में वनभूमि के प्रत्यावर्तन से संबंधित प्रकरण नस्तियों की जांच के दौरान (जून 2013) हमने पाया कि तीन नमूना परीक्षित वनमंडलों[13] से संबंधित पाँच प्रकरणों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 152.602 हेक्टेयर वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति मई 1994 एवं अप्रैल 2000 के मध्य, अर्थात 30.10.2002 के पहले प्रदान की गई थी एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अंतिम स्वीकृति नवंबर 2003 एवं फरवरी 2005 अर्थात 30.10.2002 के पश्चात प्राप्त हुई। उपरोक्त निर्देशों के अनुसार आवेदक संस्थानों से शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि ₹ 12.27 करोड़ वसूल की जानी थी। तथापि वनमंडलाधिकारियों ने न शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि की वसूली की और न ही पाँच वर्षो के ऊपर व्यतीत होने के बाद भी आवेदक संस्थानों के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ की गई। परिणामस्वरूप शुद्ध प्रत्याशा मुल्य की राशि ₹ 12.27 करोड़ की अवसूली हुई पूर्ण विवरण परिशिष्ट 8.8 के सरल क्रमांक 1 से 5 में वर्णित है।

समूचे राज्य में पाँच वनमंडलों से संबंधित आठ प्रकरणों में शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि ₹ 24.01 करोड़ की वसूली नहीं की गई, पूर्ण विवरण परिशिषट 8.8 में वर्णित है।

[13] कोरबा, महासमुंद एवं सुकमा

लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए शासन ने सूचित किया (सितम्बर 2013) कि तीन प्रकरणों में राशि ₹ 8.14 करोड़ की वसूली की गई, जबकि शेष पाँच प्रकरणों में राशि ₹ 15.87 करोड़ की मांग जारी की गई। वसूली की अग्रेत्तर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

8.4.13 आवेदक संस्थानों से प्राप्त राशियों को एड-हॉक कैम्पा के खाते मे जमा किया जाना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने निर्देशित किया (मई 2006) कि सभी राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश 30 अक्टूबर 2002 से वनभूमि के प्रत्यावर्तन के बदले आवेदक संस्थानों से प्राप्त राशियों को एड-हॉक कैम्पा के खाते में जमा करें।

8.4.13.1 राशियों का विलंब से जमा किया जाना

कार्यलय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध शाखा) में प्रकरण नस्तियों की जांच में (जून 2013) हमने पाया कि सरगुजा (उत्तर) वनमंडल के एक प्रकरण में मार्च 2006 एवं अगस्त 2008 मे क्रमशः राशि ₹ 3.24 लाख एवं ₹ 6.07 वसूल की गई थी जिसे तीन वर्षो से अधिक विलंब के पश्चात जनवरी 2010 में एड-हॉक कैम्पा के खाते में जमा किया गया, पूर्ण विवरण परिशिष्ट 8.9 में वर्णित है। इन राशियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत व्यक्तिगत जमा खाते में रखा गया था।

समूचे राज्य में तीन वनमंडलों[14] से संबंधित चार प्रकरणों में राशि ₹ 53.85 लाख 14 माह से लेकर तीन वर्षो के विलंब के पश्चात एड-हॉक कैम्पा के खाते में जमा किया गया पूर्ण विवरण परिशिष्ट 8.9 में वर्णित है।

शासन ने कहा (सितम्बर 2013) कि संबंधित वनमंडलाधिकारियों को आवेदक संस्थानो से प्राप्त राशियों को एड-हॉक कैम्पा के खाते में त्वरित जमा करने हेतु चेतावनी जारी की गई है।

8.4.13.2 राशियों को अनियमित रूप से व्यक्तिगत जमा खाते में रखा जाना

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध शाखा) में प्रकरण नस्तियों की जांच में (नवम्बर 2012) पाया गया कि आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु वनमंडलाधिकारी उत्तर कोंडागांव के 1.250 हेक्टेयर वनभूमि भारती एयरटेल को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु भारत सरकार ने दिसम्बर 2008 में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तो के अनुपालन में उपयोगकर्त्ता संस्थान ने जनवरी 2009 में राशि ₹ 17.43 लाख जमा की। तथापि वनमंडलाधिकारी, उत्तर कोंडागांव ने उक्त राशि एड-हॉक कैम्पा के खाते में जमा करने के बदले अनियमित रूप से मार्च 2013 तक व्यक्तिगत जमा खाते में रखा।

[14] बिलासपुर, जांजगीर चांपा एवं सरगुजा (उत्तर)

शासन ने सूचित किया (सितम्बर 2013) कि उक्त राशि एड-हॉक कैम्पा के खाते में जमा किया जा चुका है (फरवरी 2013) एवं राशि अनियमित रूप से व्यक्तिगत जमा खाते में जमा करने पर वनमंडलाधिकारी को चेतावनी दी गई है।

8.4.14 कोष प्रबंधन

8.4.14.1 वार्षिक कार्य आयोजन की तैयारी एवं स्वीकृति

राज्य कैम्पा की कार्यकारी समिति वार्षिक कार्य आयोजना (ए.पी.ओ) जिसमें किये जाने वाले कार्यो के लक्ष्य समाहित होती है, तैयार करती है एवं संचालन समिति से अनुमोदन पश्चात इसे भारत सरकार को अग्रेषित करती है। राज्य कैम्पा से प्राप्त वार्षिक कार्य आयोजना की जांच पश्चात भारत सरकार वार्षिक कार्य आयोजन के आधार पर राशि विमुक्त करती है। मासिक प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर कार्यो की वित्तीय प्रगति की निगरानी की जाती है। कार्यो की प्रगति के आधार पर आगामी किस्त जारी की जाती है। वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान स्वीकृत कार्य आयोजनाओं एवं राशि विमुक्ति की स्थिति निम्नानुसार थी :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संचालन समिति द्वारा ए.पी.ओ. की स्वीकृति		भारत सरकार द्वारा ए.पी.ओ. की स्वीकृति			राज्य कैम्पा द्वारा व्यय राशि
	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	राशि विमुक्त करने का दिनांक	
2009-10	17.11.09	123.21	08.12.09	123.21	17.08.09	3.94
2010-11	02.07.10	204.99	01.10.10	134.10	01.10.10	24.13
2011-12	14.07.11	400.75	08.09.11	99.54	08.09.11	118.05
2012-13	02.05.12	150.00	21.08.12	114.38	21.08.12	134.04
योग		**878.95**		**471.23**		**280.16**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि ₹ 471.23 करोड़ में से राज्य कैम्पा द्वारा मात्र राशि ₹ 280.16 करोड़ (59.45 प्रतिशत) उपयोग किया गया। राज्य कैम्पा के अंतर्गत चार शीर्षों में राशि आबंटित की जाती है; जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शित है।

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	ए.पी.ओ. के आधार पर स्वीकृति	आवंटन	व्यय	उपयोग की गई राशि का प्रतिशत
क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष के अंतर्गत कार्य	68.30	68.30	50.11	73
शुद्ध प्रत्याशा मूल्य कोष के अंतर्गत कार्य	396.59	396.59	228.88	58
निगरानी एवं मूल्यांकन	4.30	4.30	0.18	4
स्थापना	2.04	2.04	0.99	49
योग	**471.23**	**471.23**	**280.16**	

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

उरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राशि की उपयोगिता का प्रतिशत 4 एवं 73 के मध्य था।

शासन ने सूचित किया (सितम्बर 2013) कि वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में उचित प्रक्रिया स्थापित ना होने के कारण आवश्यकता के अनुरूप राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। आगामी वर्षो में इसे गति लाने हेतु प्रयास किया गया है।

8.4.14.2 शुद्ध प्रत्याशा मूल्य कोष के अंतर्गत आबंटित राशि का उपयोग न किया जाना

वार्षिक कार्य आयोजना में विभिन्न कार्यो हेतु विभिन्न शीर्षों में राशि आबंटित की गई थी। तथापि, हमने पाया कि आवंटन में से बड़ी राशि बिना उपयोग के पड़ी रही जिसका विवरण निम्नानुसार है :

- वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के वार्षिक कार्य आयोजना में वानिकी में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु राशि ₹ 25 करोड़ आबंटित की गई थी जिसके विरूद्ध मार्च 2013 तक मात्र राशि ₹ 3.30 करोड़ (13.20 प्रतिशत) व्यय की गयी। राशि के कम उपयोग के कारण स्वीकृति के चार वर्ष उपरांत भी कम्प्यूटर आपरेशन एवं भूस्थानिक डाटाबेस हेतु मानव शाक्ति के विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच ऑनलाइन निगरानी तंत्र एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं संचार का विकास भी वांछित स्तर तक प्राप्त नहीं किया जा सका।
- इसी प्रकार, वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु राशि ₹ 27.62 करोड़ आबंटित की गई थी। जिसके विरूद्ध मार्च 2013 तक मात्र राशि ₹ 7.72 करोड़ (27.96 प्रतिशत) व्यय किया गया। राशि के कम उपयोग के कारण स्वीकृति के चार वर्ष उपरांत भी टिशु कलचर प्रयोगशाला, बीज परीक्षण केन्द्र, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला एवं केन्द्रीय वन पुस्तकालय की स्थापना नहीं की जा सकी।
- वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक के वार्षिक कार्य आयोजन में संसाधनों के विकास हेतु राशि ₹ 53.50 करोड़ आबंटित की गई थी जिसके विरूद्ध मार्च 2013 तक मात्र राशि ₹ 30.99 करोड़ (57.92 प्रतिशत) व्यय किया गया। राशि के कम उपयोग के कारण कार्यालय भवन निर्माण, कर्मचारी हेतु आवासीय भवन आदि संसाधनों के विकास का कार्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) एवं सूचित किया कि राशि के उपयोग तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत निर्धारित भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास किया गया था। अधोसंरचना विकास शीर्ष के संबंध में सूचित किया गया कि 643 भवनों में से 425 भवनों के निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गये है एवं शेष भवनों का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2013-14 में पूर्ण कर लिया जावेगा।

राज्य कैम्पा के अंतर्गत व्यय

छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा ने मार्च 2013 तक क्षतिपूर्ति वनीकरण, शुद्ध प्रत्याशा मूल्य एवं संसाधनों के विकास आदि के अंतर्गत राशि ₹ 280.16 करोड़ का व्यय किया। राज्य कैम्पा एवं नमूना परीक्षित वनमंडलों में अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने

क्षतिपूर्ति वनीकरण एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य कोष के व्यय में अनेक अनियमितताएं पायी जिन्हें अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

I: क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष के अंतर्गत व्यय

8.4.15 उच्च दर पर कार्य कराये जाने के फलस्वरूप अधिक व्यय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ ने बिगड़े वनों के सुधार कार्य के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर 400 पौधा रोपण कार्य हेतु प्रथम दो वर्षो के कार्य हेतु (सर्वे सीमांकन, क्षेत्र तैयारी एवं पौधारोपण) प्रति हेक्टेयर राशि ₹ 15,100/- व्यय नार्मस निर्धारित किया था (अक्टूबर 2010)। यह भी निर्धारित किया गया था कि क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य विरल वन/रिक्त क्षेत्रों में ही किया जावे।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (राज्य कैम्पा शाखा) में क्षतिपूर्ति वनीकरण से संबंधित स्वीकृति नस्तियों, कार्य आयोजन, परियोजना प्रतिवेदन, वृक्षारोपण प्रतिवेदन एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनों की जांच में (नवम्बर 2012) हमने पाया कि वनमंडलाधिकारी, धमतरी के कक्ष क्रमांक 115 में बिगड वनों के सुधार (आर.डी.एफ) वृक्षारोपण सहित हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयारी की गयी थी जिसमें कक्ष के 100 हेक्टेयर में कट बैक ऑपरेशन (सी.बी.ओ) एवं 88.22 हेक्टेयर विरल/रिक्त वनक्षेत्रों में 66,944 पौधों का रोपण किया जाना सम्मिलित था। अग्रेतर जांच में यह देखा गया कि राज्य कैम्पा ने कक्ष क्रमांक 115 के 188.22 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वनीकरण के प्रथम दो वर्ष के कार्य लिए जाने हेतु राशि ₹ 90.51 लाख की स्वीकृति प्रदान की जबकि बिगड़ वनों के सुधार कार्य हेतु निर्धारित अधिकतम व्यय नार्मस के अनुसार राशि ₹ 28.42 लाख[15] की स्वीकृति दी जानी चाहिए थी। वनमंडल ने मार्च 2013 तक सी.बी.ओ. एवं 66,944 पौधों के वृक्षारोपण कार्य पर राशि ₹ 99.20 लाख व्यय किया। फलस्वरूप, बिगड़े वनों के सुधार (वृक्षारोपण सहित) कार्य हेतु निर्धारित अधिकतम व्यय नार्मस का पालन न किये जाने से राशि ₹ 70.78 लाख का अधिक व्यय हुआ।

शासन ने सूचित किया (सितम्बर 2013) कि बिगड़े वनों के सुधार कार्य के मॉडल के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इन क्षेत्रों में जड़ भंडार के उपचार के साथ-साथ रिक्त क्षेत्रों में 400 पौधें प्रति हेक्टेयर की दर से ऑवला एवं अन्य प्रजातियों के पौधों का रोपण कार्य कराया था।

उत्तर से स्पष्ट है कि रोपण कार्य ऐसे क्षेत्रों में लिये गये थे जो पूर्णतः रिक्त नहीं थे। यदि बिगडे वनों के सुधार कार्य (वृक्षारोपण सहित) हेतु निर्धारित अधिकतम व्यय नार्मस का पालन किया जाता तो किये गये व्यय राशि ₹ 52,704/- प्रति हेक्टेयर के विरूद्ध प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित नार्मस राशि ₹ 15,100/- प्रति हेक्टेयर की दर पर ही कार्य पूर्ण किया जा सकता था।

[15] 188.22 हेक्टेयर X ₹ 15,100 = ₹ 28,42,122

8.4.16 क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य सघन वनक्षेत्रों में किया जाना

छत्तीसगढ़ कार्य आयोजना मैन्युअल के प्रावधानों के अनुसार उच्च गुणवत्ता मध्यम एवं परिपक्व आयुवर्ग के सघन वनों को प्रवरण सह सुधार (एस.सी.आई.) कार्यवृत्त में रखा गया है जिसमें सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन एवं मुख्य पातन का कार्य लिया जावेगा तथा रिक्त/विरल वनक्षेत्रों में कोई भी वृक्षारोपण का कार्य नहीं लिया जावेगा। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का उद्देश्य वनभूमि के व्यपवर्तन से होने वाले वन क्षेत्रों तथा वन धनत्व में आई कमि को प्रतिपूर्ति करना है। इसे ध्यान मे रखते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने प्रत्येक स्वीकृति आदेश में यह प्रावधानित किया था कि क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य समतुल्य गैर वनभूमि या दुगुने बिगड़े वनक्षेत्र में लिया जावेगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा ने भी वर्ष 2009-10 (फरवरी 2010) की वार्षिक कार्य आयोजना स्वीकृत करते हुए निर्देशित किया था कि क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य केवल बिगड़े वनक्षेत्र में ही लिया जाए।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा शाखा) में क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्योसे संबंधित स्वीकृति नस्तियों, परियोजना प्रतिवेदन, वृक्षारोपण प्रतिवेदन एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन की जांच में हमने पाया कि तीन वनमंडलों[16] के एस.सी.आई. कार्यवृत्त के सात कक्षों में क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य लिये जाने हेतु राशि स्वीकृत की गई। तदनुसार एस.सी.आई कार्यवृत्त में क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य लिया गया जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शित है :

(₹ लाख में)

वनमंडल	कक्ष क्र.	क्षतिपूर्ति वनीकरण का वर्ष	कक्ष में वनों का विवरण (हे.)				राज्य कैम्पा द्वारा स्वीकृति		व्यय राशि
			साल + मिश्रित	अन्य	अण्डरस्टॉक	योग	स्वीकृत क्षेत्रफल (हे.)	स्वीकृत राशि	
धरमजयगढ़	554	2009-10	153.945	5.727	33.521	193.193	45.00	24.03	24.48
	383		332.630	0.000	0.000	332.630	50.00	24.00	24.50
	124		234.739	0.000	0.000	234.739	50.00	27.48	28.21
पूर्वी रायपुर	553		74.010	0.000	0.000	74.010	50.00	22.14	21.48
पूर्वी सरगुजा	3300	2010-11	167.630	141.750	0.000	309.380	50.00	22.70	20.99
	2806	2011-12	325.580	87.310	0.000	412.890	50.00	33.75	31.02
	2700		177.350	52.650	0.000	229.950	25.00	16.88	13.28
योग			**1,465.884**	**287.437**	**33.521**	**1,786.792**	**320.00**	**170.98**	**163.96**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

क्योंकि उपरोक्त कक्ष संबंधित वनमंडलों के एस.सी.आई. कार्यवृत्त में रखे गये है तथा इन कक्षों के वनक्षेत्र सघन वन से आच्छादित है, इन कक्षों में कार्य आयोजन मैन्युअल एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के निर्देशों के विपरीत क्षतिपूर्ति वनीकरण का

[16] धरमजयगढ़, पूर्व रायपुर एवं पूर्वी सरगुजा

कार्य लिये जाने के कारण राशि ₹ 1.64 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ साथ ही क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं हो सकी।

शासन ने सूचित किया (सितम्बर 2013) कि राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड के प्रावधानों के अनुसार वृक्षारोपण कार्य सभी कार्यवृत्तों मे लिया जा सकता है जहाँ वृक्षारोपण हेतु योग्य क्षेत्र हो कार्य आयोजना तैयार करते समय इन वनक्षेत्रों में वन संनिधि सामान्य था जिसमें समय के साथ गिरावट आना स्वाभाविक है। समस्त सात कक्षों का भौतीक सत्यापन राज्य कैम्पा के अंतर्गत कार्यरत दो सहायक वन सरक्षकों के माध्यम से कराया गया। उनके प्रतिवेदन के अनुसार इन वनक्षेत्रों में रोपण स्थल का घनत्व 0.4 से कम था, अर्थात वे विरल वनक्षेत्र थे। पूर्वी सरगुजा वनमंडल के अधीन कक्षों में अतिक्रमण को बेदखल कर वृक्षारोपण कार्य किया गया जबकि पूर्व रायपुर के अधीन कक्ष में अतिक्रमण की संभावना के कारण वृक्षारोपण का कार्य किया गया। अतः कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार विरल/रिक्त वनक्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य किया गया ।

हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत[17] संबंधित कार्य आयोजना में इन कक्षों को एस.सी.आई. कार्यवृत में सम्मिलित किया गया था। छत्तीसगढ़ कार्य आयोजना मैन्युअल की कंडिका 1.10.8.2 के अनुसार यदि एस.सी.आई. कार्यवृत्त में विरल/रिक्त वनक्षेत्र उपलब्ध हो तो भी कोई वृक्षारोपण कार्य नहीं किया जावेगा। आगे, आर.डी. एफ के उपचार के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी निर्देश (दिसम्बर 1999) के अनुसार यदि अन्य कार्यवृत्त के वनक्षेत्र बिगड़े वनक्षेत्र में परिवर्तित हो गये है तो सर्वप्रथम उन्हें आर.डी.एफ. कार्यवृत्त में सम्मिलित किये जाने हेतु स्वीकृति लिया जाना चाहिए अन्यथा यह कार्य आयोजना का विचलन माना जावेगा। उसके बाद ही उन क्षेत्रों में कार्य लिया जावेगा। विचलन हेतु स्वीकृति लिया जाने हेतू कोई पत्राचार आदि अभिलेखों में नहीं पाये गये। आगें इस हेतु कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

8.4.17 क्षतिपूर्ति वनीकरण पर संदिग्ध व्यय

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा ने वनमंडलाधिकारी, पूर्वी सरगुजा के पाँच कक्षों के 201.78 हे. क्षेत्र मे क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य लिये जाने हेतु राशि ₹ 1.32 करोड़ स्वीकृत किया (जून 2011) एवं राशि ₹ 91.10 लाख जारी की (जून 2011) गई। वनमंडलाधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देशित दिया गया था कि क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य विरल/रिक्त वनक्षेत्र में ही लिया जाए।

राज्य कैम्पा शाखा में स्वीकृति नस्तियों, कार्य आयोजना, परियोजना प्रतिवेदन, वृक्षारोपण प्रतिवेदन एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन की नमूना जाँच में (जून 2012) हमने पाया कि उपरोक्त क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य पाँच[18] कक्षों में लिया गया एवं उक्त कार्य पर मार्च 2013 तक राशि ₹ 87.46 लाख का व्यय किया गया। अग्रेतर वृक्षारोपण अभिलेखों एवं प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि कक्ष क्रमांक 2,723 के 50 हेक्टेयर क्षेत्र में 55,000 पौधों के वृक्षारोपण (1,100 पौधे प्रति हेक्टेयर की दर से) का कार्य लिया जाकर राशि ₹ 22.19 लाख का व्यय किया गया। वनमंडल के अवधि 2006-07 से

17 धरमजयगढ़- सितम्बर 2007, पूर्व रायपुर- जून 2006 एवं पूर्वी सरगुजा- 2003

18 पाँच कक्ष- कक्ष क्र. 2753- 1.78 हे., क्र. 3295- 50 हे., क्र. 3002- 50 हे., क्र. 2723- 50 हे. एवं क्र. 3300- 50 हे.

2015-16 तक के स्वीकृत कार्य आयोजना अनुसार कक्ष के वनक्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :

(रकबा हेक्टेयर में)

कक्ष क्र.	कुल क्षेत्रफल	अल्प संनिधि/रिक्त क्षेत्र	कार्य आयोजना प्रारंभ होने से पूर्व का वृक्षारोपण	अतिक्रमित क्षेत्र
2723	81.00	52.43	24.07	4.50

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कक्ष के कुल क्षेत्रफल 81 हेक्टेयर में से पूर्व में 24.07 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया गया था एवं 4.5 हेक्टेयर क्षेत्र अतिक्रमित था। इस प्रकार वृक्षारोपण हेतु 52.43 हेक्टेयर क्षेत्र उपलब्ध था। तथापि, वृक्षारोपण अभिलेखों एवं प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि वनमंडल ने वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में कक्ष के संपूर्ण क्षेत्र 81 हेक्टेयर में 32,400 पौधों का वृक्षारोपण (400 पौधे प्रति हेक्टेयर की दर से) का कार्य लेकर राशि ₹ 9.57 लाख का व्यय किया। फलस्वरूप पुनः वृक्षारोपण किये जाने हेतु कक्ष में कोई स्थल उपलब्ध नहीं था। उक्त कक्ष में वृक्षारोपण हेतु स्थल उपलब्ध न होने के बावजूद वनमंडलाधिकारी ने वर्ष 2010-11 में कैम्पा मद के अंतर्गत 50 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य पर राशि ₹ 22.19 लाख का व्यय किया। यह उक्त वृक्षारोपण कार्य की प्रमाणिकता पर संदेह प्रकट करता है।

शासन ने सूचित किया (सितम्बर 2013) कि कार्य आयोजना के अनुसर कक्ष क्रमांक 2,723 का कुल क्षेत्रफल 81 हेक्टेयर है। इसमें से वर्ष 2006-07 में 25.1 हेक्टेयर क्षेत्र में आर.डी.एफ. का कार्य लिया जाकर 32,400 पौधों का रोपण किया गया। कक्ष के 24.07 हेक्टेयर क्षेत्र में वर्ष 1984 में रोपित नीलगिरि वृक्षारोपण का विदोहन किया गया। विदोहन के पश्चात् वृक्षारोपण हेतु 51.04 हेक्टेयर क्षेत्र उपलब्ध था, जिसमें से 50 हेक्टेयर क्षेत्र में जुलाई 2012 मे कैम्पा मद के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य लिया गया।

हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि वर्ष 2006-07 में कक्ष के 81 हेक्टेयर में वृक्षारोपण सहित उपचार हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार की गई थी। वनमंडल के वृक्षारोपण प्रतिवेदन (2007) से यह स्पष्ट है कि कक्ष क्रमांक 2,723 के 81 हेक्टेयर क्षेत्र में 32,400 पौधों का रोपण कर पूरे 81 हेक्टेयर क्षेत्र पर व्यय वनमंडल द्वारा किया गया। आगे, वनमंडलाधिकारी ने सूचित किया (सितम्बर 2013) कि नीलगिरि वृक्षारोपण का विदोहन कार्य वर्ष 2010-11 में किया गया। अतः विदोहन के पश्चात जड़भंडार विद्यमान थे उन्हें आगामी वर्ष पुनरूत्पादन हेतु उपचारित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, वृक्षारोपण कार्य सम्भव नहीं था क्योंकि विदोहन के पश्चात् ठूँठ 24.07 हेक्टेयर में विद्यमान थे। साथ ही अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के आवंटन आदेश (जून 2011) के अनुसार रिक्त/विरल क्षेत्र में ही वृक्षारोपण कार्य लिया जाना चाहिए था।

II: शुद्ध प्रत्याशा मूल्य कोष के अंतर्गत व्यय

8.4.18 राज्य कैम्पा के दिशा निर्देश के विपरीत शुद्ध प्रत्याशा मूल्य कोष से व्यय

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश (जुलाई 2009) के उद्देश्य एवं मूल सिद्धांत यह प्रावधानित करता है कि राशि का उपयोग वनक्षेत्रफल स्तर या उससे नीचे के कर्मचारियों के निरीक्षण एवं संरक्षण कार्य के दौरान उचित वाहन उवं आवास की व्यवस्था हेतु किया जाए। राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद (एन.सी.ए.सी.) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, की तीसरी बैठक (24 जून 2010) में अध्यक्ष ने दृढ़तापूर्वक कहा कि कैम्पा कोष का उपयोग राज्यों के वन विभागों के मुख्यालय में संसाधनों के निर्माण में नहीं किया जा सकता है। यथापि इन राशियों का उपयोग वनक्षेत्रफल स्तर एवं उससे नीचे स्तर के कर्मचारियों के लिए संसाधनों में सुधार हेतु किया जा सकता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने वर्ष 2011 में छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा को राशि हस्तांतरित करते समय स्पष्ट रूप से कहा था कि परिक्षेत्राधिकारी एवं उससे नीचे स्तर के कर्मचारियों कि लिए ही वाहनों के क्रय की ही अनुमति दी जाएगी। साथ ही वनक्षेत्रपाल स्तर से उपर के अधिकारियों के लिए किसी कार्यालय/आवासीय भवन के निर्माण/मरम्मत पर व्यय एवं इको टूरिज्म गतिविधियों पर व्यय की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा ने वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक कार्य आयोजना के लिए राशि जारी करते हुए कैम्पा कोष से वाहनों के क्रय एवं रखरखाव पर प्रतिबंध लगाया था (अगस्त 2012)। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा ने भी निर्देशित किया था (अक्टूबर 2011) कि पर्यवेक्षी वर्ग के अधिकारियों के वाहनों के क्रय एवं रखरखाव एवं उत्पादन के उद्देश्यों हेतु ट्रकों पर व्यय वन विभाग के विभागीय बजट मद से किया जावेगा।

राज्य कैम्पा कार्यालय में अभिलखों की नमूना जाँच कि दौरान हमने पाया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, एन.सी.ए.सी. एवं राज्य कैम्पा द्वारा जारी दिशा निर्देशों के विपरीत विभाग द्वारा राशि ₹ 12.31 करोड़ का व्यय किया गया (सितम्बर 2010 से मार्च 2013 तक) जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शित है :

अनियमितता का प्रकार	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
वाहनों का अनियमित क्रय एवं रखरखाव	यह देखा गया कि राज्य कैम्पा के दिशा निर्देशों के उद्देश्य एवं मूल सिद्धांतों के साथ-साथ एन.सी.ए.सी एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्णयों के विपरीत सितम्बर 2009 एवं फरवरी 2012 के मध्य 23 वाहनों, जैसे टाटा मांजा, टोयोटा इटियोस एवं टाटा सफारी कार जिनका मूल्य राशि ₹ 1.30 करोड़ था, का क्रय किया गया एवं मुख्यालय में पदस्थ अधकारियों के द्वारा उपयोग में लाया गया। इस प्रकार इन वाहनों के क्रय पर किया गया व्यय राशि ₹ 1.30 करोड़ कैम्पा के दिशा निर्देशों के विपरीत था।	1.30
	यह देखा गया (जून 2013) कि वर्ष 2012-13 में बसों एवं उत्पादन कार्यो हेतु उपयोग में लाये जाने वाले ट्रकों के बाँडी निर्माण, रखरखाव, चालन व्यय एवं पर्यवेक्षी वर्ग के अधिकारियों के कार/जीप के रखरखाव पर राशि ₹ 2.75 करोंड़ का व्यय	2.75

	किया गया जो भारत सरकार के निर्देशों एवं विभागीय आदेशों के विपरीत था। इस प्रकार, कैम्पा मद से उक्त व्यय राशि ₹ 2.75 करोड़ अनियमित व्यय था।	
अद्योसंरचना निर्माण पर अनियमित व्यय	वनक्षेत्रपाल स्तर से ऊपर के अधिकारियों के लिए भवन निर्माण हेतु राशि ₹ 5.28 करोड़ स्वीकृत की गयी जिसके विरूद्ध राशि ₹ 4.04 करोड़ का व्यय किया गया (विवरण **परिशिष्ट 8.10** में दर्शित है)। क्योंकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश वनक्षेत्रपाल स्तर से ऊपर के अधिकारियों के लिए अद्योसंरचना निर्माण कार्य पर व्यय को प्रतिबंधित करते है, अद्योसंरचना निर्माण पर किया गया व्यय राशि ₹ 4.04 करोड़ अनियमित है।	4.04
इको टूरिज्म गतिविधियों पर अनियमित व्यय	राज्य कैम्पा ने वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में बारनवापारा अभ्यारण्य में इंटरप्रिटेशन सेंटर, नया रायपुर में जंगल सफारी हेतु सर्वे एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण एवं जगदलपुर के लामनी पार्क में चेनलिंक फेंसिग एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कि लिए राशि ₹ 7.52 करोड़ स्वीकृत किया जिसके विरूद्ध राशि ₹ 4.22 करोड़ का व्यय किया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट 8.10** में दर्शित है। चूँकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश में इको टूरिज्म गतिविधियों पर व्यय को प्रतिबंधित किया गया है, अतः राशि ₹ 7.52 करोड़ की स्वीकृति अनियमित है।	4.22
योग		**12.31**

शासन ने सूचित किया (सितम्बर 2013) कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश (जुलाई 2009) में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि किस स्तर के अधिकारियों के लिए वाहन क्रय किया जाना है तथा यह भी उल्लेख नहीं है कि वनक्षेत्रपाल स्तर से ऊपर के अधिकारियों के लिए कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शासी निकाय द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में पर्यवेक्षी वर्ग के अधिकारियों कि लिए वाहन क्रय किया गया एवं वनमंडलधिकारियों के लिए 18 आवासीय एवं कार्यालय भवन एवं तीन हॉस्टल निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई। सितम्बर 2011 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वनक्षेत्रपाल स्तर से ऊपर के अधिकारियों के लिए वाहन क्रय एवं भवन निर्माण पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् वनक्षेत्रपाल स्तर से उपर के अधिकारियों के लिए न कोई वाहन क्रय की गयी है और न ही भवन निर्माण किया गया है। शासन ने यह भी कहा कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की वार्षिक कार्य आयोजना हेतु राशि विमुक्त करते समय इको टूरिज्म गतिविधियों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इको टूरिज्म गतिविधियों पर प्रतिबंध सर्वप्रथम सितम्बर 2011 में लगाया गया एवं उसके बाद वर्ष 2011-12 की वार्षिक कार्य आयोजना के लिए इको टूरिज्म हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई।

तथ्य यह है कि दिशा निर्देश (जुलाई 2009) एवं एन.सी.ए.सी. के निर्देश (जून 2010) में परिक्षेत्र स्तर पर अद्योसंरचना सुदृढ़ीकरण करने एवं कैम्पा कोष का उपयोग राज्य वन विभाग के मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों के लिए अद्योसंरचना निर्माण हेतु न करने संबंधी उल्लेख के बावजूद मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों हेतु वाहन क्रय एवं वनक्षेत्रपाल स्तर से ऊपर के अधिकारियों के लिए भवन निर्माण हेतु राशि का उपयोग

किया गया। साथ ही वनक्षेत्रपाल स्तर से उपर के अधिकारियों के लिए वाहन क्रय एवं भवन निर्माण एवं इको टूरिज्म गतिविधियों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा के निर्देश (सितम्बर 2011) प्राप्त होने के बावजूद उपरोक्त कार्यो पर व्यय किया गया। आगे, वनमंडलाधिकारी, बस्तर द्वारा लामनी पार्क के लिए टॉय ट्रेन हेतु निविदा आमंत्रित करना (जुलाई 2013) यह पुष्टि करता हे कि वहाँ इको टूरिज्म गतिविधियाँ जारी है।

8.4.19 राज्य कैम्पा के अंतर्गत विशेष प्रजाति वृक्षारोपण

छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा ने वनक्षेत्र में विशेष प्रजाति के पौधों के वृक्षारोपण हेतु प्रावधानित किया। वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक के वार्षिक कार्य आयोजना में राज्य कैम्पा ने 3,195 हेक्टेयर क्षेत्र में चयनित विशेष प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु राशि ₹13.57 करोड़ आबंटित किया। विशेष प्रजाति के पौधों के वृक्षारोपण से संबंधित अभिलेखों की जांच में अनेक अनियमितताए पाई गई जिन्हें अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

8.4.19.1 चयनित प्रजाति के बदले अन्य प्रजातियों का वृक्षारोपण

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), छत्तीसगढ़ रायपुर ने निर्देशित किया था (मई 2010) कि विशेष प्रजाति वृक्षारोपण के अंतर्गत स्थानीय महत्वपूर्ण प्रजातियों जैसे, बीजा, साजा, महुआ, हर्रा, बहेरा, कुसुम एवं चिरौजी पौधों का रोपण किया जावेगा।.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य कैम्पा (अप्रैल 2011) ने बस्तर वनमंडल के 265.30 हेक्टेयर क्षेत्र में विशेष प्रजाति वृक्षारोपण हेतु राशि ₹ 95.89 लाख आबंटित की। वनमंडल ने कक्ष क्रमांक 1,856 के 265.30 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,06,120 पौधों के रोपण कार्य पर राशि ₹ 69.20 लाख का व्यय किया। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वनमंडल ने चयनित विशेष प्रजाति के पौधों के रोपण के बजाय जुलाई 2011 में औषधीय प्रजाति के पौधों, सतावर (79,590) एवं गिलोई (25,530) का रोपण किया। अतः विशेष प्रजातियों के रोपण हेतु प्रदाय की गई राशि का उपयोग इमारती काष्ठ एवं औषधीय प्रजाति के पौधों के रोपण में किया गया जिसके लिए राज्य कैम्पा द्वारा पृथक से राशि स्वीकृत की जाती है। फलस्वरूप राशि ₹ 69.20 लाख का अनियमित व्यय हुआ।

शासन न सूचित किया (सितम्बर 2013) कि बस्तर वनमंडल के कक्ष क्रमांक 1856 में गिलोई एवं सतावर पौधों का रोपण किया गया क्योंकि वर्ष 2010-11 में इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था। यद्यपि, विशेष प्रजाति वृक्षारोपण में इमारती काष्ठ प्रजातियों के चयन करने हेतु निर्देश जारी किये गये है (दिसम्बर 2011)।

हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य कैम्पा ने विशेष प्रजाति वृक्षारोपण के अंतर्गत प्रजातियों के चयन के संबंध में सभी वन संरक्षको को निर्देश जारी किया था (मई 2010)। उक्त निर्देश में सतावर एवं गिलोई सम्मिलित नहीं थे।

8.4.19.2 स्थल उपलब्ध न होने के बावजूद वृक्षारोपण किया जाना

कार्य आयोजना मैनयुअल की कंडिका 8.11.3 में यह प्रावधानित किया गया है कि वृक्षारोपण उन्हीं रिक्त वनक्षेत्रों में किया जाए जहाँ घनत्व 0.2 तक हो। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने भी निर्देशित किया था (दिसम्बर 2010) कि उन्ही वनक्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य लिया जाए जहाँ घनतव 0.2 या उससे कम हो। उन वनक्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य नहीं लिया जावेगा जहाँ पुनरूत्पादन हेतू पर्याप्त जड़ भंडार उपलब्ध हो।

अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि राज्य कैम्पा ने राजनांदगांव वनमंडल के छः कक्षों के 190 हेक्टेयर क्षेत्र में विशेष प्रजाति वृक्षारोपण हेतु राशि ₹ 1.21 करोड़ स्वीकृत किया। इनमें से एक कक्ष (क्रमांक 510) में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य लिया गया एवं मार्च 2013 तक राशि ₹ 21.19 लाख व्यय किया गया। कार्य आयोजना एवं वनमंडल के वृक्षारोपण अभिलेखों के अनुसार वृक्षारोपण के पूर्व कक्ष की स्थिति निम्नानुसार थी :

कक्ष क्रमांक	कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हे.)	पूर्व में किये गये वृक्षारोपण का विवरण		
		वर्ष	रकबा (हे.)	पौधों की संख्या
510	336.70	2006	193.00	77,200
		2007	155.00	96,875
		योग	**348.00**	**1,74,075**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कक्ष के कुल क्षेत्रफल 336.70 हेक्टेयर के विरूद्ध वर्ष 2006 एवं 2007 में 348 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,74,075 पौधों का रोपण किया गया था। इस प्रकार कक्ष में पुनः वृक्षारोपण हेतु कोई स्थल उपलब्ध नहीं था। तथापि वर्ष 2011 में राज्य कैम्पा मद के अंतर्गत 50 हेक्टेयर क्षेत्र में 20,000 विशेष प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया जो संभव नहीं था। परिणामस्वरूप, विशेष प्रजाति वृक्षारोपण कार्य पर किया गया व्यय राशि ₹ 21.19 लाख संदिग्ध व्यय था।

शासन ने सूचित किया (सितम्बर 2013) कि कक्ष क्रमांक 510, जिसका कुल रकबा 348.125 है, राजनांदगांव वनमंडल के बिगड़े वनों के सुधार कार्यवृत्त में सम्मिलित है, जहाँ समस्त वनक्षेत्र रिक्त/अल्प संनिधि क्षेत्र है। वर्ष 2006 (54.04 हेक्टेयर) एवं 2007 (155 हेक्टेयर) में 209.04 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,74,075 पौधों का रोपण किया गया। उपरोक्त वृक्षारोपण के बाद कक्ष में 139.085 हे. क्षेत्र उपलब्ध था। वर्ष 2011 में उपलब्ध क्षेत्र में से 50 हेक्टेयर क्षेत्र में ऑवला एवं बेल पौधों का रोपण किया गया।

हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि वर्ष 2006 में 193 हेक्टेयर क्षेत्र में एवं वर्ष 2007 में 155 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण कार्य लिया गया था। साथ ही वृक्षारोपण प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख है कि वर्ष 2006 एवं 2007 में कक्ष के संपूर्ण क्षेत्र में 1,74,045 पौधों का रोपण किया गया तथा राशि 209.04 हे. में न कर 348 हे. क्षेत्र में करते हुए कार्य किया गया। अतः कक्ष में पुनः वृक्षारोपण हेतु कोई विरल/रिक्त क्षेत्र उपलब्ध नहीं था।

8.4.19.3 विशेष प्रजाति वृक्षारोपण हेतु गढ़ढ़ा खुदाई कार्य में अधिक व्यय

कार्य आयोजना मैन्युअल की कंडिका 8.11.1 के अनुसार उन क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जावेगा जो प्राकृतिक रूप से वनविहीन न हो। साथ ही, चट्टानी क्षेत्रों में वृक्षारोपण नहीं किया जावेगा।

रायपुर वनवृत्त के वानिकी कार्यो हेतु जॉब दर में 60 से.मी. X 60 से.मी. X 60 से.मी. साईज के गढ़ढ़ा खुदाई हेतु कोई दर निर्धारित नहीं है। यद्यपि अन्य वनवृत्तों (बिलासपुर, सरगुजा एवं दुर्ग) के जॉब दर में पथरीली भूमि में 60 से.मी. X 60 से.मी. X 60 से.मी. साईज के गढ़ढ़ा खुदाई हेतु प्रति 100 गढ़ढ़े 12 मानव दिवस दर निर्धारित है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य कैम्पा ने (जनवरी 2013) रायपुर वनमंडल के तीन परिक्षेत्रों के चार कक्षों में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में असिंचित कुल्लू वृक्षारोपण हेतु राशि ₹ 82 लाख आबंटित की। स्वीकृर्ति नस्तियों, कार्य आयोजना, परियोजना प्रतिवेदन, वृक्षारोपण प्रतिवेदन एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन की जांच में हमने पाया कि माह फरवरी-मार्च 2013 में कुल्लू वृक्षारोपण हेतु 19,676 गढ़ढ़ें की खुदाई की जाकर राशि ₹ 106.83 प्रति गढ़ढ़ें की दर से राशि ₹ 21 लाख का व्यय किया गया। यद्यपि रायपुर जिले में प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार गढ़ढ़ा खुदाई में प्रति गढ़ढ़ा राशि ₹ 21.48[19] व्यय किया जाना चाहिए था। परिणामस्वरूप, उच्च दर पर गढ़ढ़ा खुदाई का कार्य किये जाने से राशि ₹ 16.77 लाख का अधिक व्यय हुआ।

शासन ने सूचित किया (सितम्बर 2013) कि राज्य कैम्पा के अंतर्गत प्रायोगिक के तौर पर पहाड़ी/पथ्रीली क्षेत्र वृक्षारोपण मॉडल तैयार किया गया है एवं प्रथम चरण में रायपुर वनमंडल के 100 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल्लू, बरगद एवं पीपल के पौधों का रोपण प्रस्तावित किया गया था। इन क्षेत्रों में चट्टानों को तोड़कर गढ़ढ़ों की खुदाई की गयी थी। क्योंकि ये क्षेत्र पथ्रीले थे एवं 60 से.मी. X 60 से.मी. X 60 से.मी. साईज के गढ़ढ़ा खुदाई हेतु कोई दर निर्धारित नहीं था, गडढ़े खुदाई का कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवाए विभाग के कार्य दरों के आधार पर किया गया।

हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि कार्य आयोजन मैन्युअल के अनुसार पथरीले क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। साथ ही, अन्य वनवृत्तों[20] में 60 से.मी. X 60 से.मी. X 60 से.मी. साईज के गढ़ढ़ा खुदाई हेतु निर्धारित दर पर गढ़ढ़ा खुदाई कार्य किया जाना चाहिए था। आगे, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं विभाग की कार्य दरें भवन, सड़क इत्यादि निर्माण कार्यो में नीव खुदाई हेतु निर्धारित है जिसे वृक्षारोपण हेतु गढ़ढ़ा खुदाई कार्य में लागू नहीं किया जा सकता है।

19 {12 मानव दिवस X ₹ 178.69 (रायपुर जिले में प्रचलित मजदूरी दर)}/100= ₹ 21.48 प्रति गढ़ढ़ा

20 बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, कांकेर एवं सरगुजा

8.4.20 राज्य कैम्पा के अंतर्गत पौधा तैयारी कार्य

छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा ने वर्ष 2009-10 की कार्य आयोजना (सितम्बर 2010) में 2 करोड़ एवं वर्ष 2010-11 की कार्य आयोजना (अप्रैल 2012) में 2.08 करोड़ पौधों की तैयारी का लक्ष्य निर्धारित किया था। कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (राज्य कैम्पा शाखा) में अभिलेखो की जांच में पाय गया कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक 4.08 करोड़ पौधों की तैयारी कार्य हेतु राशि ₹ 15.60 करोड़ स्वीकृति की गयी एवं मार्च 2013 तक 3.30 करोंड़ पौधों की तैयारी कार्य पर राशि ₹ 12.91 करोड़ का व्यय किया गया।

राज्य कैम्पा मुख्यालय एवं नमूना परीक्षित वनमंडलों में पौधा तैयारी कार्य से संबंधित अभिलेखों की जांच में पौधों की उपयोगिता सुनिश्चित किये बिना पौधा तैयारी कार्य एवं विभाग द्वारा पौधा तैयारी कार्य हेतु निर्धारित दर से उच्च दर पर पौधा तैयारी कार्य से संबंधित अनेक अनियमितताएं पायी गयी जिसका उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

8.4.20.1 पौधों की उपयोगिता सुनिश्चित किये बिना पौधा तैयारी कार्य किया जाना

- हमने पाया कि विभाग ने वर्ष 2010-11 में 1.59 करोड़ पौधे तैयार कर राशि ₹ 8.36 करोड़ का व्यय किया। इन पौधों की तैयारी हेतु स्वीकृत आदेश में पौधों की उपयोगिता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था। यद्यपि वनमंडलाधिकारी, अनुसंधान एवं विस्तार वनमंडल रायपुर (जून 2012 एवं जून 2013) एवं वनमंडलाधिकारी, अनुसंधान एवं विस्तार वनमंडल, जगदलपुर (अप्रैल 2011 एवं मई 2012) ने तैयार पौधों के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश मांगा था लेकिन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य कैम्पा ने इस संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिया। स्पष्टतः राज्य कैम्पा के पास इन पौधों के उपयोग हेतु कोई योजना नहीं थी। परिणामस्वरूप, वर्षा ऋतु 2011 के पश्चात 64.37 लाख पौधे बिना उपयोग के पडे रहे एवं आगामी वर्षा ऋतु 2012 तक इन पौधों के रखरखाव पर राशि ₹ 1.05 करोड़ का व्यय किया गया। आगे, वर्षो ऋतु 2012 के पश्चात भी 44.64 लाख पौधें नर्सरियो में में बिना उपयोग के पड़ रहे। इसके बावजूद विभाग ने वर्ष 2010-11 के शेष पौधों की उपयोगिता सुनिश्चित किये बिना अप्रैल 2012 में 2.08 करोड़ नये पौधों की तैयारी कार्य हेतु राशि ₹ 5.60 करोड़ स्वीकृत किया।

 इस प्रकार राज्य कैम्पा द्वारा पौधों की तैयारी एवं उनके सामयिक उपयोग हेतु सार्थक योजना के आभाव के फलस्वरूप राशि ₹ 1.05 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ ओर राशि ₹ 3.35 करोड़[21] अवरूद्ध रहा। साथ ही पौधा तैयारी के दो वर्षो से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी 44.64 लाख पौधों का उपयोग नहीं हो सका।.

- इसी प्रकार, अनुसंधान एवं विस्तार वनमंडल, रायपुर के स्वीकृति नस्तियों, पौधा तैयारी प्रतिवेदन (जुलाई 2013) एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन की जांच में देखा गया कि वनमंडल ने 20 लाख पौधों की तैयारी कार्य पर राशि ₹ 1.40 करोड़ का व्यय

[21] 44.64 लाख पौधा X ₹7.50 (दर जिसपर आबंटन दिया गया) = ₹ 3.35 करोड़।

किया। वनमंडल ने वन संरक्षक, रायपुर को प्रतिवेदित किया (जून 2012) कि पौधों की तैयारी कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं यदि इन पौधों का उपयोग न किया जाए तो तैयार पौध मृत हो जाएगे। वनमंडल ने पुनः आगे प्रतिवेदित किया (जून 2013) कि 20 लाख तैयार पौधों में से केवल 12,59,029 पौधों का वितरण किया जा चुका है एवं 7,40,971 पौधें नर्सरी में पड़े हुए है जिनमें से मात्र 30 प्रतिशत (2,22,292 पौधे) जीवित है एवं उपयोग हेतु उपलब्ध है। यह स्पष्ट करता है कि पौधों की तैयारी कार्य में परिहार्य व्यय हुआ क्योंकि समय पर पौधों का उपयोग न किये जाने से जीवित नहीं रह सके। इस तथ्य से इसकी और भी पुष्टि होती है कि 5,18,679 पौधे मृत हो गये एवं इन पौधों के तैयारी कार्य पर किया गया व्यय राशि ₹ 36.31 लाख निरर्थक हुआ।

शासन ने सूचित किया (सितम्बर 2013) कि पौधा तैयारी का कार्य शासी इकाई एवं स्टेयरिंग समिति के निर्णय के आधार पर लिया गया था ताकि वृक्षारोपण के समय उच्च गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध करायी जा सके। मार्च 2013 तक तैयार पौधों में से 3.30 करोड़ पौधों का उपयोग विभिन्न योजनाओं में किया गया है।

तथ्य यह है कि मार्च 2013 तक 4.08 करोड़ पौधों की तैयारी कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसके विरूद्ध विभाग ने 3.30 करोड़ पौधे तैयार किया। इनमें से मार्च 2013 तक मात्र 1.15 करोड़ पौधों का उपयोग किया गया एवं 2.15 करोड़ पौधें बिना उपयोग के नर्सरियों में पडे रहे। तथापि, नर्सरियों में उपयोग के बिना रखे हुए पौधो के रखरखाव पर व्यय एवं योजना के आभाव में मृत पौधों की तैयारी पर किये गये व्यय के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया।

8.4.20.2 उच्च दर पर पौधा तैयारी कार्य

प्र.मु.व.सं ने (दिसम्बर 2009) में उच्च तकनीक बांस रोपण हेतु प्रति पौधा तैयारी हेतु राशि ₹ 7.50 की दर से तय किया। आगे प्र.मु.व.सं ने (अक्टुबर 2010) में मिश्रित तथा बांस रोपण हेतु प्रति पौधा ₹ 4.00 कि दर से तय किया।

अ.प्र.मु.व.सं राज्य कैम्पा ने (सितम्बर 2010) में 60 लाख मिश्रित तथा बांस रोपण हेतु राशि ₹ 4.50 करोड़ की स्वीकृति दी। विभाग ने 54.60 लाख पौधा तैयार करते हुऐ राशि ₹ 4.06 करोड़ की व्यय किया। जबकि, प्र.मु.व.सं द्वारा जारी नार्मस के अनुसार 54.60 लाख पौधों के तैयारी हेतु राशि ₹2.18 करोड़ का व्यय किया जाना चाहिए था। इस प्रकार विभागीय नार्मसों का पालन न किये जाने के कारण पौधा तैयारी में राशि ₹1.88 करोड़[22] का आधिक्य व्यय हुआ।

पाँच नमूना जॉच वनमंडलों[23] में 30 लाख पौधा तैयारी कार्य पर राशि ₹2.22 करोड़ का व्यय किया गया। प्र.मु.व.सं. द्वारा जारी नार्मस के अनुसार 30 लाख पौधा तैयारी पर

[22] 54.60 लाख(बांस एवं मिश्रित) पौधा तैयारी कार्य में किया गया कुल व्यय = ₹4.06 करोड़
प्र.मु.व.सं के नार्मस द्वारा अधिकतम व्यय (54.60 लाख पौधें X ₹ 4) = ₹ 2.18 करोड़
पौधा तैयारी में किया गया अधिक व्यय = ₹1.88 करोड़

[23] बिलासपुर (अनुसंधान एवं विस्तार), कटघोरा, कोरबा, रायुपर (अनुसंधान एवं विस्तार) एवं राजनांदगांव

अधिकतम राशि ₹1.20 करोड़ का व्यय किया जाना चाहिए था। इस तरह विभागीय नार्मसों का पालन न किये जाने से पौधा तैयारी कार्य पर राशि ₹1.02 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

शासन ने (सितम्बर 2013) यह बताया कि पौधा तैयारी हेतु दो दर स्वीकृत किये गये है एक राशि ₹7.50 उच्च गुणवतता वाले दो वर्ष के पौधां तथा दुसरे राशि ₹4.00 प्रति पौधा एक वर्ष के लिए। संचालन समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उच्च गुणवत्ता वाले दो वर्षिय पौधों तैयार कर रोपण किया जाय।

हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि प्र.मु.व.सं (दिसम्बर 2009) द्वारा जारी नार्मसों के अनुसार राशि ₹7.50 प्रति पौधा का दर उच्च तकनिकि वृक्षारोपण कार्य के लिए था तथा पौधा तैयारी के स्वीकृति में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि राशि दो वर्ष के उच्च तकनिकि वृक्षारोपण हेतु किया जाना है। हमने यह भी देखा की वनमंडलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा ने पाँच लाख बांस रोपण हेतु प्रति पौधा राशि ₹4.00 के दर से कार्य किया।

8.4.20.3 अन्य योजनाओं में निर्वित किये गये पौधे का मूल्य वसूल न किया जाना

कार्यालय प्र.मु.व.सं (राज्य कैम्पा शाखा) ने समस्त वन संरक्षक कार्यालयों को निर्देशित (मार्च 2012) किया कि राज्य कैम्पा के अंतर्गत तैयार किये गये पौधों को विभागीय तथा अन्य योजनाओं में उपयोग किये जाने पर पौधा तैयारी पर किये गये व्यय की राशि संबंधित योजनाओं से वसूल कर राज्य कैम्पा में राजस्व प्राप्ति के रूप में जमा करें।

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, अनुसंधान एवं विस्तार वनमंडल, बिलासपुर के स्वीकृति नस्ती, पौधा तैयारी प्रतिवेदन तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन के जाँच (जुलाई 2013) में हमने देखा कि राज्य कैम्पा (सितम्बर 2010) ने 15 लाख पौधों की तैयारी हेतु राशि ₹1.13 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की। वनमंडल ने राशि ₹1.13 करोड़ का व्यय करते हुए 15 लाख पौधे तैयार किये। उपरोक्त 15 लाख तैयार पौधो में से मात्र 2,16,500 पौधे ही राज्य कैम्पा के अंतर्गत किये गये वृक्षारोपण में उपयोग किये गये तथा शेष 12,83,500 पौधे विभाग के दो अन्य योजनाओं[24] में हितग्राहियों को वर्ष 2012 के वर्षा ऋतु में वितरित किये गये। इस प्रकार तैयार किये गये पौधों को अन्य योजनाओं में उपयोग किये जाने पर राशि ₹96.26 लाख वसूलनीय थे। जबकि विभाग ने लेखापरीक्षा दिनांक तक इस राशि को कैम्पा फण्ड में प्रेषित करने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की।

शासन ने यह बताया कि पौधा तैयारी की राशि दोनों योजनाओं से वसूल कर ली जावेगी। तदुपरांत शासन से इस हेतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

[24] हरियाली प्रसार योजना (2,83,500 पौधें) एवं पौधा प्रदाय योजना (10,00,000)।

8.4.21 वन सफाई कार्य हेतु उच्च दर पर किया जाना

छत्तीसगढ़ वित्त संहिता, खण्ड-1 के नियम 9 के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक को यह अपेक्षा है कि व लोक निधि से व्यय करने के संबंध में वही सतर्कता बरते जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के धन को खर्च करने के बारे में सामान्य दूरदर्शिता का परिचय देता है।

कार्यालय अ.प्र.मु.व.सं., राज्य कैम्पा के अभिलेखों के नमूना जाँच (जून 2013) में हमने देखा की ग्राम नवापारा तथा लाटादादर के बारनवापारा अभ्यारण के विस्थापन कार्य के अंतर्गत आवासीय निर्माण तथा समतलीकरण कार्य हेतु राज्य कैम्पा द्वारा क्रमशः राशि ₹ 10.30 करोड़ तथा ₹ 7.57 करोड़ कि स्वीकृति प्रदान कि। वनमंडलाधिकारी, रायपुर द्वारा विस्थापन कार्य हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर स्वीकृत प्रदान कि गई (जनवरी 2012)। लोक निर्माण विभाग के दर अनुसूची के आयटम ''जंगल सफाई छोटे झाड़, पेड़ जिसकी छाती गोलाई 30 से.मी. तक तथा 50 से.मी.से बाहर को कृषि कार्य किये जाने के लिये समतलीकरण हेतु परियोजन प्रतिवेदन में सम्मलित किया गया। परियोजना प्रतिवेदन में उर्पयुक्त आयटम जंगल सफाई का दर ₹ 2.15 प्रति वर्ग मीटर तय किया गया। विस्थापन कार्य से संबंधित प्रमाणकों की जाँच में हमने पाया कि वनमंडल द्वारा माह जनवरी 2013 से मार्च 2013 के मध्य समतलीकरण कार्य परियोजना प्रतिवेदन में अनुमोदित दर ₹ 2.15 प्रतिवर्ग मीटर के विपरीत कुल 22,20,000 वर्गमीटर के जंगल सफाई के कार्य के लिए ₹ 4.60 प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि ₹ 102.12 लाख का व्यय करते हुए कार्य संपादित किया। इस प्रकार जंगल सफाई का कार्य उच्च दर पर करने के फल स्वरूप राशि ₹ 54.39 लाख[25] का अधिक व्यय हुआ ।

शासन ने (सितम्बर 2013) में अपने उत्तर में यह बताया कि प्र.म.व.सं. ने (दिसम्बर 2012) में आदेश किया कि विभागीय के समस्त निर्माण कार्य हेतु ग्रामिण यांत्रिकी सेवा के दर अनुसूची के अनुसार किया जाये। तदनुसार जंगल सफाई कार्य हेतु दिसम्बर 2012 के उपरांत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के दर अनुसूची अनुरूप कार्य किया गया। प्र.मु.व.सं के आदेश के पूर्व जून 2009 में स्वीकृत लोक निर्माण विभाग के दर अनुसूची के अनुरूप कार्य किया गया। इस प्रकार व्यय कि गई राशि नियमानुसार उचित है ।

हम शासन के उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि परियोजना प्रतिवेदन में उपरोक्त कार्य किये जाने हेतु ₹ 2.15 पैसे प्रति वर्ग मीटर स्वीकृत था तथा विभाग द्वारा परियोजना प्रतिवेदन में उल्लेखित दर के अनुसार ही कार्य किया जाना चाहिए था। परियोजना प्रतिवेदन में दिये गये दर लोक निर्माण विभाग के दर अनुसार स्वीकृत थे। क्योंकि कार्य स्वीकृति के समय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के दर विभाग पर लागू नहीं थे। प्र.मु.व.सं. द्वारा दिसम्बर 2012 में जारी निर्देश तत्पश्चात दिसम्बर 2012 के उपरांत समस्त नवीन कार्य हेतु के लिए थे। जबकि हमने यह पाया कि रायपुर वनमंडल में एक दुसरे परिक्षेत्राधिकारी द्वारा ग्राम लाटादादर में वही विस्थापन कार्य ₹ 2.15 के दर से करते हुए कार्य संपादन किया गया। तदुपरांत शासन से इस हेतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

[25] क्षेत्रफल 22,20,000 वर्गमिटर X(₹4.60 - ₹2.15) = ₹54,39,000

8.4.22 शासकीय कार्य हेतु बिना रजिस्ट्रीकृत वाहनों का उपयोग किये जाने से अनियमित व्यय

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुच्छेद 39 के अनुसार किसी सार्वजनीक स्थान में अथवा किसी अन्य स्थान में किसी मोटर यान को कोई व्यक्ति तभी चलाएगा और कोई मोटर यान का स्वामी तभी चलवाएगा या चलाने की अनुज्ञा देगा जब वह यान रजिस्ट्रीकृत हो तथा यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निलंबित या रद्द न किया गया हो और यान पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह विहित रीति से प्रदर्शित हो।

अ.प्र.मु.व.सं. राज्य कैम्पा ने (जून 2013) में बारनवापारा अभ्यारण्य के अंतर्गत तीन गांवों के विस्थापन हेतु राशि ₹ 29.83 करोड़ की स्वीकृति प्रदान कि गई। स्वीकृति राशि के विरूद्ध वनमंडल रायपुर द्वारा माह जनवरी 2012 से मार्च 2013 के मध्य कार्य करते हुऐ राशि ₹ 19.54 करोड़ का व्यय किया गया। विस्थापन कार्य के प्रमाणकों के जाँच में हमने देखा की विस्थापन कार्य के लिए कृषि भूमि के समतलीकरण तथा अहाता निर्माण कार्य में प्रयुक्त निजी वाहन/जे.सी.बी. के वाहन स्वामी को राशि ₹ 1.89 करोड़ का भुगतान किया गया। जिन वाहनों को उपयोग विस्थापन कार्य में किया गया उसका ना तो परिवहन विभाग से कोई पंजीकरण था ना किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह वाहन में मौजूद था। नियमानुसार यह वाहनें रोड़ में परिवहन हेतु अधिकृत नहीं थे। उसके बावजूद वाहन स्वामियों को प्रमाणकों में ''सोल्ड'' का वर्णन करते हुए भुगतान किया गया। इस प्रकार बिना अधिकृत वाहनों का शासकीय कार्यों में उपयोग करने के फलस्वरूप राशि ₹ 1.89 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

शासन ने (सितम्बर 2013) को लेखापरीक्षा के आक्षेप को मानते हुए कहा कि समस्त वनमंडलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिये गये है कि भुगतान करने के पूर्व प्रमाणकों में वाहन का रजिस्ट्री क्रमांक अंकित करने के उपरांत ही तत्संबंधीत को भुगतान किया जाय। आगे इस हेतु शासन से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2013)।

8.4.23 जंगल सफारी

छत्तीसगढ़ वित्त संहिता के नियम 8 के अनुसार कोई भी शासकीय सेवक जब तक कि लोक निधि के किसी मद में खर्च नहीं कर सकता है जब तक व्यय सक्षम प्राधिकारी जो ऐसे व्यय की स्वीकृति देने हेतु सक्षम है, के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा स्वीकृत हो।

आगे प्र.मु.व.सं. छ.ग. ने (अक्टूबर 2012) में आदेशित किया कि विभागीय के समस्त निर्माण कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के दर अनुसूची के अनुरूप तैयार किया जायगा तथा भुगतान किया जायेगा। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के दर अनुसूची (अप्रैल 2012) के अनुसार कठोर मुरम का संग्रहण एवं चट्टा लगाने सहित खदान पर का दर ₹119 प्रति घन मिटर था। साथ ही इस आयटम में भुगतान करने के पूर्व राशि की 20 प्रतिशत व्याड्स के रूप में कटौत्र किया जायेगा।

अ.प्र.मु.व.सं. राज्य कैम्पा ने (जून 2013) में राशि ₹4.96 करोड़ कि स्वीकृति प्रदान करते हुऐ ग्रीन बाउंड्रीवाल निर्माण हेतु राशि ₹3.81 करोड़ (मई 2013) वनमंडलाधिकारी, रायपुर को प्रदान कि गई। उपरोक्त कार्यो के अभिलेखों के जाँच उपरांत निम्न अनियमितता पाई गई :

- उपरोक्त राशि ₹3.81 करोड़ ग्रीन बाऊंड्रीवाल निर्माण हेतु प्रदाय कि गई थी, लेकिन वनमंडलाधिकारी, रायपुर ने पार्किंग जोन, एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, मोन्यूमेंट जोन तथा इनॉग्रेशन साईट के निर्माण हेतु राशि ₹2.40 करोड़ का व्यय किया (मार्च 2013)। उपरोक्त कार्यो का न तो संचालन समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त था ना ही वर्ष 2012-13 के कार्य आयोजना में यह कार्य सम्मिलित थे। इस प्रकार राशि ₹2.40 करोड़ का व्यय अनियमित था।

- पार्किंग जोन, एडमिनस्ट्रीव जोन, मोन्युमेंट जोन तथा इनाग्रेशन साईट के निर्माण के दौरान ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के प्रचलित दर ₹119 प्रति घन मीटर (अप्रैल 2012) के विरूद्ध विभाग ने ₹262.20 प्रति घन मीटर के दर से कुल 28,071.80 घन मीटर मुरूम संग्रहण का कार्य करते हुए भुगतान किया गया। अतः मुरूम संग्रहण का कार्य अधिक दरों पर किये जाने से राशि ₹ 40.20 लाख[26] का अधिक व्यय हुआ।

- भुगतान प्रमाणकों के जाँच में यह भी देखा गया कि उपरोक्त कार्य में कुल 28,071,80 घन मीटर मुरूम के संग्रहण मे से कुल 5,614.20 घन मीटर का (कुल संग्रहित मात्रा का 20 प्रतिशत) व्याड्स कटौत्र नहीं किया गया। परिणामस्वरूप व्याड्स के कटौत्र न किये जाने के कारण राशि ₹14.72 लाख का अनुचित लाभ प्रदायकर्ता को दिया गया।

शासन ने अपने उत्तर (सितम्बर 2013) में कहा कि पार्किंग जोन, एडमिनिस्ट्रेटीव जोन मोन्यूमेंट जोन तथा प्रस्तावित क्षेत्र में मेढ़बंदी कार्य एवं खण्ड़वा जलाशय का गहरीकरण कार्य का प्रशासनीक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है तथा यह विचाराधीन है। जहाँ तक

[26] 28,071.80 ध.मी. X(₹ 262.20 - ₹ 119.00)= ₹ 40,19,882।

संग्रहीत मुरूम से व्याड्स के कटौत्र करने का प्रश्न है, वहां परिवहित मात्रा का 30 प्रतिशत कटौत्र करके ही भुगतान किया गया है।

उत्तर स्वयंमेव सिद्ध करता है कि राज्य कैम्पा ने सिर्फ बाउंड्रीवाल निर्माण हेतु ही प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी, पर विभाग ने बिना सक्षम अधिकारी के स्वीकृति प्राप्त किये अन्य कार्यो कर व्यय किया। व्याड्स कि कटौती परिवहित मात्रा से न कर संग्रहीत मात्रा में किया जाना चाहिए था। उच्च दर पर मुरूम का संग्रहण का कार्य पर शासन ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किये है ।

8.4.24 अभिलेखों के संधारण में पाई गई कमियों

> छत्तीसगढ़ कार्य आयोजना पुनरीक्षण मैन्यूअल 2012 की कंडिका 8.3.4 के अनुसार गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के दौरान विदोहन एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के अंतर्गत वृक्षारोपण एवं अन्य वानिकी कार्यो का इंद्राज कक्ष इतिहास में किया जाना चाहिए तथा कक्ष इतिहास अद्यतन रखा जायेगा। साथ ही वृक्षारोपण हेतु किये जाने वाले के प्रत्येक गतिविधि हेतु वृक्षारोपण/रोपणी जर्नल संधारित किया जायेगा।

कैम्पा के अंतर्गत नमूना परीक्षित वनमंडलों के अभिलेखों के जाँच में हमने पाया कि व्यपवर्तित वनभूमि में विदोहित वृक्षों का विवरण संबंधित कक्ष इतिहास में दर्ज नहीं किया गया है। आगे कैम्पा के अंतर्गत किये गये वृक्षारोपण कार्यो एवं अन्य गतिविधियों का उल्लेख/अद्यतन कक्ष इतिहास में नहीं किया गया। वृक्षारोपण जर्नल/रोपणी जर्नल में भी कैम्पा के अंतर्गत किये गये कार्यो का इंद्राज/अद्यतन नहीं किया गया।

शासन ने अपने उत्तर में कहा कि (सितम्बर 2013) वृक्षारोपण एवं अन्य वानिकी कार्य हेतु उचित प्रपत्र में तैयार/अद्यतन किये जा रहे है, जो कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल द्वारा अवलोकित है। वृक्षारोपण कार्यो का उल्लेख तथा उसका अद्यतन कक्ष इतिहास में किया जा रहा है। प्रावधानानुसार वृक्षारोपण के अभिलेखों के संधारण के संबंध मे उचित निर्देश दिये जा चुके है। कर्मचारियों की कमी के कारण अभिलेखों का अद्यतन समय पर नहीं किया जा सका।

8.4.25 निगरानी एवं मूल्यांकन

संचालन समिति के बैठक (मई 2012) में यह निर्णय लिया गया कि वन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफ.एम.आई.एस.) वन मंडल द्वारा वेब आधारित निगरानी की शुरूआत तत्काल किया जायेगा। विभाग में प्रचलित पद्धति द्वारा समय समय पर आंतरिक निगरानी भी किया जायेगा। आगे क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के अंतर्गत किये गये विभिन्न वृक्षारोपण कार्यो का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मूल्यांकन हेतु बाह्य निगरानरी वृक्षारोपण के तीसरे वर्ष से प्रारंभ किया जायेगा। राज्य कैम्पा के अंतर्गत समस्त वृक्षारोपण कार्यो की पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने हेतु वृक्षारोपण की समस्त जानकारियों को वन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध किया जायेगा।

वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2012-13 के स्वीकृत कार्य आयोजना में निगरानी एवं मूल्यांकन मद के अंतर्गत राशि ₹ 4.30 करोड़ का प्रावधान किया गया। हमने यह देखा की प्रस्तावित राशि ₹ 4.30 करोड़ के विरूद्ध विभाग ने मार्च 2013 की स्थिति में मात्र राशि ₹ 18 लाख (4.19 प्रतिशत) ही व्यय किया। हमने यह देखा कि राज्य कैम्पा के अंतर्गत कार्यों का विभागीय पद्धति के अनुसार मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है। राशि का अनुपयोग होने का कारण किसी स्वतंत्र अभिकरण से एम.ओ.यू. का निष्पादन न होना था। समय मे एम.ओ.यु. का निष्पादन न होने के कारण वर्ष 2009-10 से 2012-13 के मध्य किये गये कार्यो का समय पर निगरानी एवं मूल्यांकन का कार्य नहीं किया जा सका।

शासन ने (सितम्बर 2013) में अपने उत्तर में कहा कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के मध्य किये गये कार्यो के निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल से एम.ओ.यू. निष्पादन (मई 2013) किया गया है।

8.4.26 निष्कर्ष

हमने लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा कि :

राज्य में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त गैर-वनीय भूमि उपलब्ध होने के बावजूद भी उपयोगकर्त्ता अभिकरणों को वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की गई की उपयोगर्त्ता अभिकरणों द्वारा व्यपवर्तन के एवज में बिगड़े वनों में वृक्षारोपण किया जावेगा।

वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा शासकीय विभागों को गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि को उपयोग हेतु दिया गया।

उपयोगकर्त्ता अभिकरणों से प्राप्त राजस्व भूमि को आरक्षित/संरक्षित वन भूमि हेतु अधिसूचित नहीं किया गया।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के दर के गलत निर्धारण होने से उपयोगकर्त्ता ईकाईयों से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि का कम वसूली, तथा माननीय उच्चतम न्यायालय तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शुद्ध मूल्य की राशि का वसूली नहीं की गई।

विभिन्न गतिविधियों हेतु राज्य कैम्पा द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं किया गया। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य प्रचलित नार्मस के अनुरूप नहीं किया गया।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के दिशा निर्देश के विपरीत वाहनों के संधारण, अद्योसंरचना का विकास तथा इको टूरिजम के कार्य पर व्यय किया गया।

विभाग के नियोजन में कमी के फलस्वरूप स्वीकृति में देरी हुई तथा बिना उपयोगिता सुनिश्चित किये पौधा तैयारी कार्य किया गया।

विभाग द्वारा वानिकी कार्य हेतु तय किये गये नार्मस,दर, पद्धति आदि का राज्य कैम्पा में क्रियान्वयन न किये जाने के कारण विस्थापन, जंगल सफारी, विशेष प्रजाति वृक्षारोपण आदि कार्यो पर अनियमित/अधिक व्यय।

कार्य आयोजना मैन्यूअल के प्रावधान अनुसार वन क्षेत्रो में किये गये वृक्षारोपण कार्यो का अभिलेखो का संधारण नहीं किया गया। एम.ओ.यू. के निष्पादन में विलंब होने के कारण निगरानी एवं मूल्यांकन का कार्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

8.4.27 अनुशंसाऐं

शासन यह सुनिश्चित कर सकता है कि :

- शासन द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चिन्हांकित गैर-वनीय भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य;
- उपयोगकर्त्ता अभिकरणो द्वारा गैर-वानिकी कार्यो हेतु भारत शासन द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों को पालन करने के उपरांत ही वनभूमि के व्यपवर्तन की अंतिम स्वीकृति प्रदान किया जाना;

 विभिन्न स्तरों पर लंबित खनन प्रकरणो के नविनीकरण का त्वरीत निराकरण तथा खनिज क्षेत्रों में खनन कार्यों के क्रियान्वयन का प्रभावी नियंत्रण।
- उपयोगकर्त्ता अभिकरणों से प्राप्त गैर-वनीय भूमि को अधिसूचित किये जाने की प्रक्रिया को निश्चित समय पर किया जाय।
- वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप तथा विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार शुद्ध प्रत्याशा मूल्य क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि की माँग हेतु उचित प्रणाली का विकास किया जाना।
- विभाग द्वारा विभिन्न वानिकी कार्यो हेतु जारी किये गये नार्म्स, दर आदि का कैम्पा के अंतर्गत किये गये विभिन्न वृक्षारोपण कार्यो में क्रियान्वयन किया जाना तथा
- कैम्पा मद के अंतर्गत किये गये विभिन्न वृक्षारोपणों कार्यो का कार्य आयोजना मैन्यूअल में प्रावधानित अनुसार अभिलेखों का संधारण किया जाना।

8.5 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने विभिन्न व.म.अ. के अभिलेखों की जांच की एवं अधिनियमों/नियमों/शासकीय अधिसूचनाओं/निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नक रने के अनेक प्रकरण पाये गये फलस्वरूप निष्फल, परिहार्य, अनियमित व्यय हुआ है जिनका वर्णन इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है। ये प्रकरण उदाहरणात्मक है एवं हमारे द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित है। वनमंडलाधिकारियों द्वारा हुई इस प्रकार की अनियमितताएँ हमारे द्वारा प्रत्येक वर्ष इंगित की जाती है किन्तु ये अनियमिताएँ न केवल बनी रहती है, बल्कि लेखापरीक्षा संपदित होने तक इनका पता नहीं लग पाता है। यहाँ शासन को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर किया जाना आवश्यक होगा ताकि इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके ।

8.6 वृक्षारोपण पर निष्फल व्यय

वर्ष 2005-06 में हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत पडत भूमि विकास कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करना, ग्रामवासियों की आर्थिक उन्नति एवं परिस्थितिकीय तन्त्र के विकास के लिये प्रारम्भ की गई थी। योजना के अंतर्गत इच्छूक कृषकों को पौधा मुहैया करना एवं पौधा रोपण (गढढों खोदने के कार्य को छोड़कर) में होने वाले व्यय को वन विभाग वहन करेगा। साथ ही, पौधों के रखरखाव हेतु आगामी 2 वर्षों में 1/- रूपयें प्रति पौधें की दर से प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा। हितग्राहियों का चयन स्थानीय ग्राम पंचायत/संयुक्त वन प्रवंधन समितियों के माध्यम से किया जायेगा। रोपण हेतु प्रजातियों का चयन हितग्राही की सहमति से किया जायेगा। भू-राजस्व संहिता के प्रचलित नियमों के अंतर्गत भू-अभिलेखों में इस रोपण का इंद्राज किया जावेगा।

दो वनमंडलों[27] के आवंटन नस्थी, प्रपत्र 7[28] वृक्षारोपण एवं विभागीय पत्राचार नस्थी के नमूना जांच (नवम्बर 2012) किये जाने पर पाया गया कि वनसंरक्षक, बस्तर वृत्त, ने वर्ष 2007-08 एवं 2010-11 के मध्य हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत 18 लाख पौधों की रोपण हेतु ₹ 88.08 लाख का आवंटन प्रदान की। उपरोक्त आवंटन के अंतर्गत वनमंडलों ने 2,531 हितग्राहीयों के निजी भूमि पर 17.86 लाख पौधों का रोपण किया। पौधों रोपण की स्थिति एवं जीवित प्रतिशत का विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दर्शित है :

27 बस्तर वनमंडल, अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र जगदलपुर।

28 वनमंडल का मासिक विवरण

(₹ लाख में)

वनमंडल का नाम	रोपित पौधों के संख्या एवं वर्ष	कृषक को की संख्या	आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	जीवित पौधें (सूचित वर्ष)	जीवित प्रतिशत
बस्तर	7,95,804 (2008-09)	1,829	28.58	41.45	2,30,065 (2009-10)	29
अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र जगदलपुर	9,90,671 (2010-11)	702	59.50	59.58	99,920 (2011-12)	10
योग	**17,86,475**	**2,531**	**88.08**	**101.03**	**3,29,985**	

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वनमंडलों द्वारा वर्षा ऋतु 2008 एवं 2010 में 2,531 हितग्राहियों के भूमि पर 17.86 लाख पौधों के रोपण पर ₹ 1.01 करोड़ व्यय किया। उनमें से रोपण की परवर्ती वर्षो में केवल 3.30 लाख पौधें जीवित पाये गये। अग्रेतर जाँच में देखा गया कि पौधा चयन में हितग्राही का सहमित के बाबत कोई लिखित प्रमाण नहीं लेना पाया गया जो योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार आवश्यक था। पुनः भू-राजस्व संहिता के प्रचलित नियमों के अंतर्गत भू-अभिलेखों में उपरोक्त रोपण के इंद्राज के संबंध में भी कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे रोपण की प्रामाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इस प्रकार विभाग ने योजना के मार्ग दर्शिका के अनुसार रोपण क्रियान्वियित ना करने के फलस्वरूप पौधों की मृत्यु दर 71 से 90 प्रतिशत रही और राशि ₹ 82.89 लाख[29] का निष्फल व्यय हुआ है।

लेखापरीक्षा में इंगित किया (नवम्बर 2012) जाने के बाद शासन ने अपने उत्तर (अगस्त 2013) में कहा कि वनमंडलाधिकारी अनसंधान एवं विस्तार, जगदलपुर द्वारा 1912 हितग्राहीयों की कृषिभूमि पर 9,90,671 पौधों का रोपण किया था। वर्ष 2011-12 में जीवित पौधों की गणना नमूना के तौर पर 702 हितग्राहीयों के पौधों की की गई थी, जिसमें 99,920 पौधे जीवित पाये गये। वर्ष 2012-13 में शेष 1210 हितग्राहीयों के कृषि भूमि पर लगे पौधों का गणना किया गया। जिसमें 3,19,409 पौधें जीवित पाये गये। इस प्रकार कुल 4,19,329 पौधें जीवित पाये गये जो कुल रोपित पौधों कि 42 प्रतिशत है। हितग्राहीयों द्वारा सुरक्षा ना किये जाने एवं प्राकृतिक कारणों से शेष पौधे मृत पाये गए। वनमंडल अधिकारी, बस्तर ने अपने उत्तर में कहा कि पौधे प्राकृतिक कारण एवं अन्य कारणों से मृत पाये गए एवं व्यय की गई राशि स्वस्थ पौधों के तैयारी एवं रोपण पर किया गया व्यय निष्फल नहीं है।

अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र, जगदलपुर के संबंध में प्राप्त उत्तर वास्तविक तौर पर सही नहीं है। क्योंकि 9,90,671 पौधों का रोपण के लिये 702 हितग्राहीयों का चयन किया गया था। वनमंडल अधिकारी द्वारा वनसंरक्षक को प्रस्तुत सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2011-12 में 9,90,671 पौधों के विरूद्ध केवल 99,920 पौधें ही जीवित पाये गए। आगे, लेखापरीक्षा को चयनित कृषकों एवं उनके द्वारा पौधा चयन पर उनकी सहमति के संबंध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही वनमंडलों द्वारा उच्चाधिकारियों

[29] निष्फल व्यय (₹1,01,02,228/17,86,415 पौधों) X मृत पौधों 14,65,81 = ₹ 82,88,970

को प्रस्तुत किये जीवित पौधों का प्रतिवेदन पर पौधों का प्रतिवेदन पर पौधों का अधिक मृत्यु दर का कोई भी कारण, उल्लेख नहीं किया गया था।

8.7 पुर्नउत्पादन कार्य में परिहार्य व्यय

पुर्वी सरगुजा वनमंडल के कार्यआयोजना में प्रावधानित किया गया है कि सुधार कार्य वृत्त के मूख्य पातन कूपों में जीवित ठूठों का चिन्हांकन, पातन एवं संवारने का कार्य पातन कार्य के दौरान किया जावेगा। आगे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के आदेश (नवम्बर 2011) के अनुसार प्राकृत्तिक पुर्नउत्पादन कार्य (एकलीकरण, सुरक्षा एवं भू संरक्षण) सुधार पातन कार्य वृत्त के मुख्य पातन कूपों में बाद के वर्षो में लिया जावेगा।

वनमंडलाधिकारी पुर्वी सरगुजा अबिकापुर के आवंटन नस्ती एवं प्रपत्र 7 के नमूना जांच (जून 2012) में हमने पाया कि वनसंरक्षक, सरगुजा ने (नवम्बर 2011) सुधार कार्य वृत्त[30] के 3,201.12 हे. क्षेत्र जहाँ विगत वर्ष में मुख्य पातन के दौरान में वृक्षों का चिन्हांकन एवं पातन किया गया था में ₹ 1,000 प्रति हे. की दर से प्राकृतिक पुर्नउत्पादन कार्य के लिये राशि ₹ 32.01 लाख आवंटित किया। वनमंडलाधिकारी ने 26 कूपों की 3,145.03 हे. क्षेत्र में पुर्नउत्पादन कार्य कर राशि ₹ 31.94 लाख व्यय किया। यद्यपि, वनमंडल का वर्ष 2010-11 की काष्ठ उत्पादन संबंधित पत्रक के अनुसार 26 कूपों में से आठ कूपों[31] की 1,594.10 हे. क्षेत्र में कोई भी वृक्षों का चिन्हांकन एवं पातन नहीं हुआ था केवल 35,122 ठूठों को सवाराँ गया था। अतः आगे के वर्ष 2011-12 में इन आठ कूपों में पुर्नउत्पादन कार्य कराने की आवश्यक नहीं थी क्योंकि कोई भी वृक्षों का पातन कूपो में नहीं किया गया था। चूंकि, मुख्य पातन के दौरान वर्ष 2010-11 में सभी ठूठों को सवाराँ जा चुका था अतः वर्ष 2011-12 में उन आठ कूपों में पुर्नउत्पादन का कार्य कर राशि ₹ 15.93 लाख का व्यय किया जाना संदिग्ध (विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 8.11** में दर्शित) है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने अपने उत्तर (अगस्त 2013) में कहा कि उन आठ कूपों में वर्ष 2010-11 में मुख्य पातन कराया गया था। कोई भी वृक्षों का पातन नहीं किया गया केवल ठूठों का चिन्हाकंन एवं काँट छाँट कर जलाऊ लकड़ी प्राप्त किया गया पातन के बाद वर्ष 2011-12 में नार्मस के अनुसार पुर्नउत्पादन, कट बैंक प्रक्रिया (सी.बी.ओ.) एवं एकलीकारण कार्य में व्यय किया गया।

हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित नार्मस के अनुसार उन कूपों में पुर्नउत्पादन कार्य कराया जावेगा जहां विगत वर्ष में मुख्य पातन कार्य किया गया हो। चूंकि वर्ष 2010-11 में मुख्य पातन के दौरान केवल ठूँठों को सवाराँ गया था वृक्षों का पातन नहीं किया गया था अतः परवर्ती वर्ष 2011-12 में पुर्नउत्पादन कार्य का आवश्यक नहीं था।

30 सुधार पातन कार्य वृत मे ऐसे कक्षों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें युवा/मध्यम उम्र के वृक्ष हो। इनका संरक्षण कार्य के अर्न्तगत वृक्षों की कॉट छॉट, भू एवं जल संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान कर वन धनत्व में वृद्धि करना है।

31 कक्ष क्रमांकः - 2665, 2941, 2691, 3070, 3126, 3160, 3505 एवं 3445

8.8 बिगड़े वनों के सुधार में परिहार्य व्यय

कार्य आयोजना मैनुअल के कंडिका 8.11.3 के अनुसार 0.2 धनत्व से कम धनत्व वाले क्षेत्र मे ही वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा एवं विरल क्षेत्र में वृक्षारोपण तभी किया जावेगा जब क्षेत्र जैविक दबाव से मुक्त हो। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित नार्मस के अनुसार बिगड़े वनों के सुधार (वृक्षारोपण रहित कार्य) ऐसे क्षेत्र में लिया जावेगा जहां क्षेत्र निरीक्षण के समय ही प्रथम दृष्टया ऐसा पाया जाता है कि कॉपिस योग्य ठूठों को सी.बी.ओ. मात्र से ही क्षेत्र पुर्णतः वन आच्छादित हो जावेगा तथा उसके बाद के वर्षों में भी वृक्षारोपण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

वनमंडलाधिकारी, बस्तर वनमंडल के स्वीकृति नस्ती, प्रपत्र 7 एवं वृक्षारोपण प्रतिवेदन के नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि (नवम्बर एवं दिसम्बर 2012) वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान वनमंडल ने कक्ष क्रमांक 1,307 एवं 1,335 के 576.91 हे. क्षेत्र में बिगड़े वनो के सुधार कार्य के अर्न्तगत वृक्षरोपण रहित कार्य के द्वारा उपचार कार्य कर राशि ₹ 30.83 लाख का व्यय किया गया है विस्तृत विवरण निम्न तालिका मे दर्शित हैः

(₹ लाख में)

कक्ष क्र.	कुल रकम हेंक्टर में	उपपारित क्षेत्र हेंक्टर में	कार्य का अवधि	स्वीकृत राशि	किया गया व्यय
1307	320.73	320.73	2008-09 से 2011-12	17.64	17.64
1335	256.18	256.18	2009-10 से 2011-12	13.20	13.19
योग	**576.91**	**576.91**		**30.84**	**30.83**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि दोनों कक्षों के सम्पूर्ण क्षेत्र का उपचार वर्ष 2008-09 से 2011-12 के मध्य किया गया था। अतः आगे किसी भी तरह के उपचार कार्य के लिये (वृक्षारोपण सहित, वृक्षारोपण रहित) उपरोक्त कक्षों में क्षेत्र उपलब्ध नहीं था।

आगे, वनमंडलाधिकारी, बस्तर वनमंडल के वृक्षारोपण प्रतिवेदन के जांच में यह प्रकट हुआ कि उपरोक्त कक्षों कि सम्पूर्ण क्षेत्र के उपचार के बाद पुनः वृक्षारोपण कार्य क्रमांक 1,307 के 80 हेंक्टर एवं कक्ष क्रमांक 1,335 के 50 हेंक्टर क्षेत्र वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के मध्य किया जा कर राशि क्रमशः ₹ 31.36 लाख एवं ₹ 14.09 लाख व्यय किया गया।

चूँकि, वनमंडल ने पूर्व के वर्षो में उपरोक्त दो कक्षों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रूट स्टाक के मद्देनजर 576.91 हें. क्षेत्र का उपचार वर्ष 2008-09 से 2011-12 के मध्य में बिगड़े वनों के सुधार कार्य के अंतर्गत वृक्षारोपण रहित कार्य के द्वारा किया। ताकि आगे कोई वृक्षारोपण करने की आवश्यकता ना हो। साथ ही, परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा भी वृक्षारोपण रहित कार्य के परियोजना प्रतिवेदन में यह भी दर्शाया था कि (सितम्बर 2008 एवं सितम्बर 2009) कक्षों में धनत्व 0.4 से 0.5 तक है एवं जैविक दवाब वाला क्षेत्र है। परिणामस्वरूप, दोनों कक्षों में वृक्षारोपण रहित कार्य लिये जाने के पश्चात् पुनः

130 हेंक्टर क्षेत्र में 2011-12 से 2012-13 के मध्य वृक्षारोपण कार्य लिया जाकर राशि ₹ 45.45 लाख[32] व्यय किया जाना परिहार्य व्यय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया जाने के बाद शासन ने अपने उत्तर में कहा (अगस्त 2013) की कक्ष क्रमांक 1,307 में बिगड़े वनों का सुधार कार्य किये जाने के बाद पर्याप्त रिक्त स्थान उपलब्ध था जिसमें रोपण कार्य वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में क्रमशः 50 हेंक्टर एवं 30 हेंक्टर क्षेत्र में लिया एवं कक्ष क्रमांक 1,335 में बिगड़े वनों के सुधार के अर्न्तगत वृक्षारोपण रहित कार्य वर्ष 2009-10 में 200 हेंक्टर क्षेत्र में लिया गया और 56 हेंक्टर क्षेत्र अनउपचारित था। जिसमें वर्ष 2010-11 में 50 हेंक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य लिया गया।

उत्तर से हम सहमत नहीं है क्योंकि दोनो कक्षों में बिगड़े वनों के सुधार कार्य के अर्न्तगत वृक्षारोपण रहित कार्य वर्ष 2008-09 एवं 2011-12 के मध्य किया जा कर सम्पूर्ण क्षेत्र उपचारित किया जा चुका था। अतः कक्षों में उपचार कार्य के लिए कोई भी स्थल उपलब्ध नहीं था। साथ ही साथ वृक्षारोपण कार्य ऐसे कक्षों में लिया गया जिनका धनत्व 0.4 से 0.5 था, जिसमें वृक्षारोपण कार्य, कार्य आयोजना के प्रावधान के विपरीत है।

8.9 आपदा राहत पद से अस्वीकृत कार्यो पर अनियमित व्यय।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने निर्देशित किया (जून 2005) कि आपदा राहत कोष में से व्यय चक्रवात, सूरक्षा, भूकम्प, आग, बाढ़, सुनामी, अतिवृष्टि, भूस्थल, हिमस्थल, बादल फटने और कीटों के हमले के पीडितो को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाएगा। क्षतिग्रसत बुनियादी अधोसंरचना और पूँजीगत संपत्ति की मरम्मत पर व्यय सामान्य बजट मद से किया जाना चाहिए सिपसय इसके कि किया गया व्यय तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। और यह भी कि आपदा तैयारियों एवं शमन के लिए प्रावधानर राज्य आयोजन में किया जाना चाहिए न कि आपदा राहत के भाग के रूप में आगे गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 27 जून 2007 द्वारा राज्य सरकारों को पुनः निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आपदा राहत कोष से केवल स्वीकृत मदों एवं मापदंड के अनुसार ही व्यय हो।

वनमंडलाधिकारी, जगदलपुर ने नवम्बर 2009 में राशि ₹ 8.75 करोड़ का कार्य आपदा राहत कोष के अंतर्गत व्यय के लिए कलेक्टर बस्तर को प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वनमंडलाधिकारी के प्रस्ताव, रोकड़ बही, भुगतान हेतु पारित प्रमाणकों एवं परियोजना प्रतिवेदनों की नमूना जाँच (नवम्बर 2012)

32

कक्ष क्रं.	कार्य वर्ष	पौधा रोपण (हेक्टेयर में)	व्यय (₹लाख)
1307	2011-12 से 2012-13	80 (50 + 30)	31.36 (21.76 + 9.60)
1335	2011-12 से 2012-13	50	14.09
कुल		**130**	**45.45**

किये जानक पर हमने देखा कि वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में मृदा एवं जल संरक्षण, वनवर्धनिक एवं नालाओं के उपर स्टापप डैम बनाने की कार्यों को सम्मिलित किया था जो न ही आपदा राहत मद की स्वीकृत सूची में थे और न ही तत्काल स्वरूप के थे। तथापि कलेक्टर ने (जून 2010) उपरोक्त प्रस्ताव के लिए राशि स्वीकृत की और वनमंडलाधिकारी ने दो कार्य पर कार्य करते हुए राशि ₹ 7.71 करोड़ का व्यय किया। (विवरण अनुलग्नक में दर्शित) है।

उपरोक्त कार्य विभाग के नियमित स्वरूप के कार्य थे जिसके लिए प्रतिवर्ष राज्य शासन से बजट स्वीकृत होता है और यह भी कि ये कार्य न तो स्वीकृत कार्यों की सूची में थे और न ही तत्काल स्वरूप के थे जिन्हें आपदा राहत मद से किया जाना था और ना ही प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को आकस्मिक राहत देने के लिए प्रावधानित थे। इस प्रकार भारत सरकार के निर्देशों को उल्लधन कर आपदा राहत मद से राशि ₹ 7.71 करोड़ का किया गया व्यय अनियमित था।

जब इसे लेखापरीक्षा में इंगित किया गया (नवम्बर 2012) वनमंडलाधिकारी ने अपने उत्तर में कहा कि आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा गया था एवं उपरोक्ता प्रस्ताव का अनुमोदन राज्य शासन से प्राप्त हुआ था। शासन से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार कार्य कराया गया।

उत्तर से हम सहमत नहीं है क्योंकि मृदा एवं जल संरक्षण, वन वर्धनिक एवं नालाओं के उपर स्टाप डैम बनाने का कार्य पीडितों को किसी आपदा से तत्काल राहत देने के लिए नहीं थे। आगे, विभाग ने उन कार्यो को किया जो भारत सरकार द्वारा आपदा राहत मद के अंतर्गत सूचीबद्ध किये गये कार्यो में सम्मिलित नहीं थे।

रायपुर **(पूर्ण चन्द्र माझी)**
दिनांक **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट 2.1

(कंडिका क्र. 2.13 से संदर्भित)

(₹ लाख में)

स. क्र	व्यवसायी का नाम	वस्तु क्रय	वर्ष/माह	क्रय की गई वस्तु का मूल्य	राज्य में कर की दर	सी फार्म के समर्थन में अंतर्राज्यीय	अंतर की दर	धारा-10 (अ) के अंतर्गत शास्ति
1	मेसर्स धनसार इंजिनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड, टिन - 22744102869	टिप्पर/डंपर	2006-07 (अप्रैल 2010)	526.09	12.5	4	44.72	67.08
		टिप्पर/डंपर	2007-08 (नवम्बर 2010)	344.71	12.5	3	32.75	49.12
2	मेसर्स फ्रीडम डिलर्स प्रायवेट लिमिटेड, टिन-961404402	हाईड्रोलिक मशीन, ई एक्स -70	2006-07 (जून 2010)	23.50	12.5	4	2.00	3.00
योग				**894.30**				**119.20**

परिशिष्ट 2.2

(कंडिका क्र. 2.15.1 से संदर्भित)

(राशि ₹ में)

स.क्र	व्यवसायी का नाम	टिन क्रमांक	कर निर्धारण वर्ष/माह	स्थानीय क्षेत्र के बाहर से बिटुमीन क्रय	प्रवेश कर आरोपणीय
01.	मेसर्स सुनिल कुमार सिंह	22445001351	2007-08 / अगस्त 2011	5,29,20,452	5,29,205
02.	मेसर्स जय माता दी कंस्ट्रक्शन	22205002259	2007-08/ जनवरी 2011	2,19,04,540	2,19,045
03.	मेसर्स यू सी जयसवाल	22645002308	2008-09/ सितम्बर 2011	2,55,74,781	2,55,748
04.	मेसर्स नित्यानंद सिंह	22455001491	2008-09/ सितम्बर 2011	1,28,61,662	1,28,617
05.	मेसर्स जवाहर लाल गुप्ता	22325002484	2007-08/ अक्टुबर 2010	1,12,70,681	1,12,706
06.	मेसर्स अशोक कुमार जयसवाल	22484800539	2007-08/ जुलाई 2011	81,42,971	81,430
07.	मेसर्स बाबा दुर्गानाथ कंस्ट्रक्शन	22445001351	2007-08/ अगस्त 2011	68,52,535	68,525
08.	मेसर्स देवनारायण यादव	22625002707	2008-09/ सितम्बर 2011	28,72,407	28,724
योग				**14,24,00,029**	**14,24,000**

परिशिष्ट 2.3
(कंडिका क्र. 2.15.2 से संदर्भित)

स. क्र	व्यवसायी का नाम/ टिन क्रमांक	कर निर्धारण वर्ष/माह	राशि (₹)	कर (₹) एक प्रतिशत की दर से
1	मेसर्स सलूजा रेडियो स्टोर्स, टिन-22224200640	2006-07/ अप्रैल 2010	1,83,06,160	1,83,062
2	मेसर्स सलूजा रेडियो स्टोर्स, टिन-22224200640	2007-08/जुलाई 2011	37,66,436	37,664
3	मेसर्स ब्रिज एंड रूफ कंपनी, टिन- 22984200416	2006-07/ अप्रैल 2010	18,56,745	18,567
योग			**2,39,29,341**	**2,39,293**

परिशिष्ट 2.4
(कंडिका क्र. 2.16 से संदर्भित)

(राशि ₹ में)

स. क्र	व्यवसायी का नाम/ टिन क्रमांक	कर निर्धारण वर्ष/माह	राशि	कर एक प्रतिशत की दर से
1	मेसर्स गोल्डन प्रिंस वाइन्स प्रायवेट लिमिटेड, टिन -22794200472	2007-08/ फरवरी 2011	22,65,38,244	22,65,382
2	मेसर्स एजिस बेवरेज प्राईवेट लिमिटेड, टिन -22314202579	2007-08/ अगस्त 2011	4,80,13,745	4,80,137
3	मेसर्स रायपुर बाटलिंग कंपनी, टिन -22551700817	2007-08/ जुलाई 2011	2,04,84,852	2,04,849
		2006-07/ जून 2010	2,96,93,000	2,96,930
योग			**32,47,29,841**	**32,47,298**

परिशिष्ट 2.5
(कंडिका क्र. 2.18 से संदर्भित)

(₹ लाख में)

स. क्र	व्यवसायी का नाम/ टिन क्रमांक	वर्ष/माह	राशि	कर एक प्रतिशत की दर से
1	मेसर्स रमेश स्टील इंडस्ट्रीज, ईकाई- 2, टिन -22571500792	2007-08/ जून 2011	4,071.34	40.71
2	मेसर्स अलंकार स्टील प्रायवेट लिमिटेड, टिन -22314202579	2007-08/ सितम्बर 2008	2,128.95	21.29
	उप योग		**6,200.29**	**62.00**
3	मेसर्स आकाश इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, टिन- 22651202958	2007-08/ अगस्त 2011	1,122.07	11.22
4	मेसर्स कृष्णा स्पेशिलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, टिन- 22354102356	2007-08/ मार्च 2010	305.32	3.05
योग			**7,627.68**	**76.27**

परिशिष्ट 2.6

(कंडिका क्र. 2.19 से संदर्भित)

(₹ लाख में)

स. क्र.	इकाई का नाम	वस्तु	कर निर्धारण वर्ष/माह	बिक्री	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर	कर का अनारोपन
1	श्री उदय शंकर, सहायक आयुक्त, रायपुर	मोबाइल हैंडसेट	2007-08/ अगस्त 2011	597.01	1	निरंक	5.97
2	श्री एस.एस पांडे, सहायक आयुक्त, रायपुर	मोबाइल हैंडसेट	2008-09/ जुलाई 2011	750.98	1	निरंक	7.51
3	श्री के.के आर्य, सहायक आयुक्त, रायपुर	मोबाइल हैंडसेट	2007-08/ जुलाई 2011	2,295.92	1	निरंक	22.96
4	श्री टी. एल ध्रुव, सहायक आयुक्त, रायपुर	मोबाइल हैंडसेट	2006-07/ जून 2010	245.44	1	निरंक	2.45
योग				**3,889.35**			**38.89**

परिशिष्ट - 4.1

(संदर्भ कंडिका 4.7)

(राशि ₹ में)

स. क्र.	तहसिलदार का नाम	देय		वसूली		वसूली गई राशि पर 3 प्रतिशत की दर से प्रक्रिया व्यय	वसूला गया प्रक्रिया व्यय	प्रक्रिया व्यय की कम वसूली (अंतर)
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि			
1	चारामा	282	2,07,96,872	36	8,11,428	24,343	निरंक	24,343
2	भानुप्रतापपुर	601	4,67,85,586	211	3,89,10,361	11,67,311	4,500	11,62,811
3	दुर्गकोंदल	181	4,29,19,370	37	84,21,561	2,52,647	9,800	2,42,847
4	अंतागढ़	250	5,45,00,307	178	54,06,420	1,62,193	3,269	1,58,924
5	नरहरपुर	627	3,40,11,878	01	29,15,088	87,452	निरंक	87,452
योग		**1,941**	**19,90,14,013**	**463**	**5,64,64,858**	**16,93,946**	**17,569**	**16,76,377**

परिशिष्ट 5.1

(कंडिका क्र.5.10 से संदर्भित)

(राशि ₹ में)

कार्यालय का नाम	वाहन का प्रकार	पंजीकृत वाहनो की संख्या	प्रति वाहन फीस की दर	आरोपणीय फीस	कुल आरोपणीय फीस	आरोपित फीस	कम आरोपणीय
कम आरोपन							
क्षे.प.का.अम्बिकापुर (04/11-03/12)	मोटरसाइकिल/मोपेड	13,783	50	6,89,150	11,87,150	39,050	11,48,100
	अन्य	2,490	200	4,98,000			
अति.क्षे.प.का.दुर्ग (04/11-03/12)	मोटरसाइकिल/मोपेड	61,076	50	30,53,800	58,73,200	71,610	58,01,590
	अन्य	14,097	200	28,19,400			
योग		**91,446**		**70,60,350**	**70,60,350**	**1,10,660**	**69,49,690**
अनारोपन							
क्षे.प.का.जगदलपुर (04/10-03/12)	मोटरसाइकिल/मोपेड	21,752	50	10,87,600	15,06,600	-	15,06,600
	अन्य	2,095	200	4,19,000			
जि.प.का. कांकेर (04/07-3/11)	मोटरसाइकिल/मोपेड	9,403	50	4,70,150	9,59,150	-	9,59,150
	अन्य	2,445	200	4,89,000			
क्षे.प.का. रायपुर (04/11-03/12)	मोटरसाइकिल/मोपेड	48,497	50	24,24,850	52,87,050	-	52,87,050
	अन्य	14,311	200	28,62,200			
अति.क्षे.प.का. राजनांदगाँव (04/11-03/12)	मोटरसाइकिल/मोपेड	13,777	50	6,88,850	13,41,250	-	13,41,250
	अन्य	3,262	200	6,52,400			
योग				**90,94,050**	**90,94,050**	-	**90,94,050**
महायोग		**2,06,988**		**1,61,54,400**	**1,61,54,400**	**1,10,660**	**1,60,43,740**

परिशिष्ट 5.2

(कंडिका क्र.5.11 से संदर्भित)

कार्यालय का नाम	लेखा परीक्षा अवधि	मालयानो की संख्या	आरोपणीय कर (₹ लाखमें)	मैक्सी केबों की संख्या	आरोपणीय कर (₹ लाख में)	यात्री यानों की संख्या	आरोपणीय कर (₹ लाखमें)	वाहनों की कुल संख्या	कुल आरोपणीय कर (₹ लाखमें)
क्षे.प.का अम्बिकापुर	04/11-03/12	48	1.39	32	0.97	23	7.72	103	10.08
अति क्षे.प.का दुर्ग	04/11-03/12	49	10.67	73	2.62	78	43.26	200	56.55
क्षे.प.का जगदलपुर	04/10-03/12	53	5.19	-	-	20	26.84	73	32.03
जि.प.का कवर्धा	04/10-03/12	89	16.39	47	3.09	13	7.89	149	27.37
जि.प.का कोरबा	04/10- 03/11	47	4.93	-	-	18	5.20	65	10.13
क्षे.प.का रायपुर	04/11-03/12	82	15.27	-	-	22	13.71	104	28.98
अति क्षे.प.का. राजनांदगाँव	04/11-03/12	75	4.85	-	-	07	3.36	82	8.21
योग		**443**	**58.69**	**152**	**6.68**	**181**	**108.00**	**776**	**173.35**

परिशिष्ट 6.1

(कंडिका क्र.6.10 से संदर्भित)

स.क्र	समूह का नाम	दिसम्बर 2009 के अन्त तक माल्ट की वास्तविक खपत (बल्क लीटर में)	वर्ष 2010-11 में माल्ट की न्यूनतम प्रतिकुल माँग (बल्क लीटर में)	माल्ट के मात्रा में अंतर (बल्क लीटर में)
1	वि.म.पु कोथारी	11,497.80	11,000	497.80
2	वि.म.पु राजगमार	13,037.16	6,900	6,137.16
3	वि.म.पु हरदीबाजार	25,767.38	15,500	10,267.38
4	वि.म.पु कठघोरा	58,711.92	30,100	28,611.92
5	वि.म.पु चोटिया	7,876.80	6,700	1,176.92
6	वि.म.पु पाली	13,272	12,300	972.00
योग		**1,30,163.06**	**82,500**	**47,663.18**

अवकारी कर ₹ 47,663.18 X 20 = ₹ 9,53,263.60

अनुज्ञा शुल्क ₹ 9,53,263.60 x 60/40 = ₹ **14,29,895.40**

परिशिष्ट - 7.1

(संदर्भ कंडिका 7.7)

कोरबा की कॉलरी का नाम	प्रेषण की गई मात्रा (मे.टी.)	कुल देय रॉयल्टी (₹)	जमा की गई रॉयल्टी (₹)	रॉयल्टी की कम वसूली (₹)
बांकी	68,274.96	2,16,00,825	2,11,04,204	4,96,621
रानी अटारी (सिंदुरगढ़)	12,400.12	40,85,840	32,76,676	8,09,164
योग	**80,675.08**	**2,56,86,665**	**2,43,80,880**	**13,05,785**

परिशिष्ट - 7.2

(संदर्भ कंडिका 7.8)

(राशि ₹ में)

स. क्र.	पट्टाधारक का नाम	पट्टे की अवधि	खनिज	रकबा (हे.)	वर्ष जिसमें डेटरेंट देय है	देय डेडरेंट	ब्याज 24 प्रतिशत
1	विक्रमादित्य जुदेव	14.02.05 से 13.02.10	पत्थर	2.00	2008 (51) 2009 (39) 2010 (27)	15000 15000 2500	15300 11700 1350
						32500 (ए)	**28350 (जी)**
2	विनोद कुमार गुप्ता	08.07.03 से 07.07.13	पत्थर	2.00	2008 (51) 2010 (27) 2011 (15) 2012 (3)	15000 15000 15000 8750	15300 8100 4500 525
						53750(बी)	**28425 (एच)**
3	अमर देव सिंह	28-08-06 से 27-06-11	पत्थर	1.00	2009 (39) 2010 (27) 2011 (15)	7500 7500 3750	5850 4050 1125
						18750 (सी)	**11025 (आई)**
4	तरून कुमार शमा	26-07-06 से 25-07-11	पत्थर	1.00	2007(63) 2009 (39) 2011 (15)	5000 7500 4375	6300 5850 1313
						16875 (डी)	**13463 (जे)**
5	राम अवतार अग्रवाल	21-12-06 से 20-12-11	पत्थर	1.00	2007 (63) 2010 (27) 2011 (15)	5000 7500 7500	6300 4050 2250
						20000 (ई)	**12600(के)**
6	राजेश कुमार अग्रवाल	20-06-07 से 19-06-12	पत्थर	0.809	2008 (51) 2009 (39) 2012 (3)	5000 5000 3750	5100 3900 225
						13750 (एफ)	**9225 (एल)**
					(ए) से (एफ) कुल डेडरेंट (जी) से (एल) कुल ब्याज महायोग	1,55,625 1,03,088 **2,58,713**	

परिशिष्ट 8.1
(कंडिका क्र. 8.4.8 से संदर्भित)

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

वनमंडल का नाम	व्यपवर्तन प्रकरणों की संख्या	कुल व्यपवर्तित वन भूमि	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपन हेतु चिन्हांकित क्षेत्र		
			वन भूमि (कुल क्षतिपूर्ति वृक्षारोपन क्षेत्रफल का प्रतिशत)	गैर -वनभूमि	योग
धमतरी	4	416.296	777.684 (96.54%)	27.874 (3.46%)	805.558
धरमजयगढ	1	365.056	730.112 (100%)	0.000 (0%)	730.112
जशपुर	1	13.698	0.000 (0%)	13.698 (100%)	13.698
कटघोरा	15	1,675.624	1,992.980 (89.30%)	238.685 (10.70%)	2,231.665
कोरबा	9	452.993	885.505 (100%)	0.000 (0%)	885.505
महासमुंद	2	82.858	101.071 (96.69%)	4.124 (3.31%)	105.195
सरगुजा (उतर)	1	4.700	0.000 (0 %)	4.700 (100%)	4.700
राजनांदगांव	6	333.368	655.000 (99.11%)	5.907 (0.89%)	660.907
सरगुजा (दक्षिण)	3	1,980.480	3,961.156 (100%)	0.000 (0%)	3,961.156
सुकमा	3	51.255	67.280 (78.23%)	18.725 (21.77%)	86.005
महायोग	**45**	**5,376.328**	**9,170.788 (96.69)%**	**313.713 (3.31)%**	**9,484.501**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)

परिशिष्ट 8.2
(कंडिका क्र. 8.4.8 से संदर्भित)

वर्ष	परियोजना का नाम	उपयोगीकर्ता अभिकरण	वनमंडल	व्यपवर्तित वन भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	क्या गैर-वनभूमि की उपलब्धता से संबंधित प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया था?
2006-07	राखड़ बांध	छ.ग. राज्य विधुत मंडल, राखड़ नहर परियोजना	कोरबा	53.340	नहीं
2007-08	पनवई जलाशय	कार्यपालन अभियंता, कोड़ क्र.90, धमतरी	धमतरी	32.990	नहीं
2008-09	राधोनवागांव जलाशय	कार्यपालन अभियंता, खरखरा-मोदहीपाट मंडल, दुर्ग	राजनांदगांव	23.580	नहीं
	लौह अयस्क खनन	गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड	राजनांदगांव	110.000	नहीं
	सुखा नाला जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, डोंगरगांव	राजनांदगांव	30.920	नहीं
2009-10	राखड़ बांध परियोजना, छ.ग.राज्य विधुत बोर्ड कोरबा (पश्चिम)-1 एवं 2	कार्यपालन अभियंता (सिविल) मंडल 3, कोरबा-पश्चिम	कटघोरा	83.494	नहीं
2010-11	220 के. व्ही. पारेषण तंत्र -कोरबा	कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब, छ.ग. विद्युत मण्डल, कोरबा	कटघोरा	136.790	नहीं
	सुहेला, भाटापारा	छ.ग.विधुत मंडल	कोरबा	7.796	नहीं
2011-12	चोटिया कोयला खदान-II	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	कटघोरा	726.349	नहीं
	परसा ईस्ट एवं केते बासेन	राजस्थान विधुत उत्पादन निगम लिमिटेड	दक्षिण सरगुजा	1,898.318	नहीं
2012-13	ओपेन कास्ट कोल माईनिंग दुरगाँपुर -II तराईमार कोल ब्लाक	बालको	धरमजयगढ	365.056	नहीं
योग				**3,468.633**	
2007-08	राजाडेरा जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोड़ क्र. 90, धमतरी	धमतरी	194.076	हाँ

	रैनाकोटा तालाब निर्मान, तेंदुभाठा	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, पेंड्रा	कटघोरा	31.910	हाँ
2008-09	बकोरी जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोड़ क्र. 90, धमतरी	धमतरी	98.560	हाँ
योग				**324.546**	
नमूना जाँच मंडलों का योग				**3,793.179**	

वर्ष	परियोजना का नाम	उपयोगिकर्ता अभिकरण	वनमंडल	व्यपवर्तित वन भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	क्या गैर-वन-भूमि की उपलब्धता से संबंधित प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया था?
2006-07	बालमदेही व्यपवर्तन योजना	सिंचाई विभाग	रायपुर	9.550	नहीं
	छोटेडोंगार परियोजना	जायसवाल निको	नारायणपुर	35.740	नहीं
	कर्रा नाला बैराज	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग,सहसपुर -लोहरा	कवर्धा	85.696	नहीं
	नरसिंहपुर जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुंगेली	कर्वधा	13.000	नहीं
	सेमरहा जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, मरवाही	मरवाही	39.072	नहीं
	चनाडोंगरी जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, मरवाही	मरवाही	19.900	नहीं
	छेरीछापर जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, मरवाही	मरवाही	4.750	नहीं

	चिखलीपानी परियोजना	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, गरियाबंद	पूर्व रायपुर	2.759	नहीं
	कनेसर	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, गरियाबंद	पूर्व रायपुर	25.400	नहीं
2007-08	महामाया जलाशय	जल संसाधन विभाग	बिलासपुर	11.474	नहीं
	सालडेबहरी जलाशय	जल संसाधन विभाग	बिलासपुर	17.763	नहीं
	आंदुल (जोगीडोंगरी) जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, मरवाही	मरवाही	22.388	नहीं
	बाड़ीखार जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, मरवाही	मरवाही	4.905	नहीं
	उदनापुर जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, बैंकुठपुर	कोरिया	41.900	नहीं
2008-09	आरी-डोंगरी खनन पट्टा	गोदावरी पावर एण्ड स्टील	भानुप्रतापपुर (पूर्व)	106.600	नहीं
	बांधापारा जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर	कांकेर	2.870	नहीं
	अंबिकापुर -रामानुजगंज सड़क चौड़ीकरण	कार्यपालन अभियंता, लोकनिर्माण विभाग मंडल क्र.2, रामानुजगंज	पूर्व सरगुजा	3.170	नहीं
	132 के. व्ही. कोतमीकला -मनेंद्रगढ	छ.ग. राज्य विधुत मंडल, बिलासपुर	मनेंद्रगढ	50.823	नहीं
	आ.व.729 में 132 के व्ही. पारेष्ण लाईन	एस.एस.पी	रायगढ	1.728	नहीं
2009-10	गरियाबंद-धबलपुर प्रकाश तंतु लाईन	रिलायंस टेलीकॉम	पुर्व रायपुर	3.040	नहीं
2010-11	लौह अयस्क परियोजना, बरबसपुर	जायसवाल निको	कांकेर	14.390	नहीं
	132 के. व्ही. विश्रामपुर-बलरामपुर पारेषण लाईन	कार्यपालन अभियंता, छ.ग. राज्य विधुत मंडल	पूर्व सरगुजा	68.367	नहीं
	टाटा टेलीसर्विसेस	टी.टी.एस.एल	पूर्व सरगुजा	4.787	नहीं

	श्याम मिनरल्स	श्याम मिनरल्स, रायपुर	खैरागढ	2.000	नहीं
2011-12	132 के. व्ही. पारेष्ण लाईन	कार्यपालन अभियंता, छ.ग. राज्य पारेषण निगम मर्यादित	उतर कोंडागांव	34.182	नहीं
	गाडे पेलमा सेक्टर -3 कोल ब्लाक	गोवा औधोगिक विकाश निगम	रायगढ	197.907	नहीं
2012-13	गाडे-पेलमा कोल ब्लाक ईन IV/8 सब ब्लाक	जायसवाल निको	रायगढ	56.890	नहीं
योग				**881.051**	
2006-07	गंगपुर जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, मरवाही	मरवाही	33.990	हाँ
2007-08	जोराडोंगरी जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, मरवाही	मरवाही	15.300	हाँ
2008-09	केवटी जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, बैंकुठपुर	मनेंद्रगढ	11.305	हाँ
	केलो सिंचाई परियोजना	जल संसाधन विभाग	रायगढ	361.901	हाँ
2009-10	गरियाबंद -बारदुला सड़क	कार्यपालन अभियंता, लोकनिर्माण विभाग,रायपुर	पूर्व रायपुर	33.009	हाँ
2010-11	132 के. व्ही. पारेषण लाईन	इंडस एनर्जी	रायगढ	2.713	हाँ
2011-12	जलाशय परियोजना	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर	भानुप्रतापपुर (पूर्व)	13.624	हाँ
	कोंडागांव- जगदलपुर 132 के. व्ही.. पारेषण लाईन	कार्यपालन अभियंता, छ.ग. राज्य विधुत मंडल	दक्षिण कोण्डागांव	25.286	हाँ
2012-13	2x600 मेगा वाट कोरबा वेस्ट पावर प्लांट	कोरबा (वेस्ट) पावर	रायगढ	24.352	हाँ
योग				**521.480**	
अन्य मंडलो का योग				**1,402.531**	
महायोग				**5,195.710**	

परिशिष्ट 8.3

(कंडिका क्र. 8.4.10 से संदर्भित)

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

वर्ष	परियोजना	उपयोगकर्त्ता संस्था का नाम	वनमंडल	व्यपवर्तित वन भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपन हेतु दुगने बिगड़े वनों का रकबा	व्यपवर्तित वन भूमि के एवज् में प्राप्त गैर -वन भूमि का रकबा	क्या प्राप्त कि गई गैर -वनभूमि को आरक्षित /संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित कि गई?
2002-03	बैलाडिला-विशाखापट्नम अंडर ग्राउन्ड पाईपलाईन का निर्माण	एस्सार स्टिल लि.मि.विशाखापट्नम	सुकमा	12.890		14.000	प्रक्रियाधिन
2003-04	पासिद जलासय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, महासमुन्द	महासमुंद	61.643	57.071	4.124	प्रक्रियाधिन
2005-06	कोल हैडलिंग प्लांट का निर्माण	बालको	कटघोरा	10.351		20.700	प्रक्रियाधिन
	चाटिया कोयला खदान	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	कटघोरा	188.326		188.326	प्रक्रियाधिन
2007-08	पनवई जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोड़ क्र. 90 धमतरी	धमतरी	32.990	11.000	27.874	प्रक्रियाधिन
2009-10	विधुत पारेषण लाईन	छ.ग. राज्य विधुत मंडल, डोंगरगांव	राजनांदगांव	5.907		5.907	प्रक्रियाधिन
	राखड़ बांध परियोजना, छ.ग. विधुत बोर्ड कोरबा (पश्चिम)-1 एवं 2	कार्यपालन अभियंता (अभियांत्रिकी) मंडल 3, पश्चिम	कटघोरा	83.494	83.494	24.767	प्रक्रियाधिन
	24.75 मेगावाट गुल्लु जल विद्युत परियोजना महान	वेनिका हाईड्रो प्रोजेक्टस लिमिटेड	उतर सरगुजा	4.700		4.700	प्रक्रियाधिन
2010-11	24 मेगावाट गुल्लु जल विद्युत परियोजना	छ.ग गुल्लु हाईड्रो पावर	जशपुर	13.698		13.698	प्रक्रियाधिन
	24 मेगावाट लघु जलविधुत परियोजना तेलवर्ती का निर्माण	सावित्री पावर प्रोजेक्ट,हैदराबाद	सुकमा	4.725		4.725	प्रक्रियाधिन
	7 मेगावाट लघु जलविधुत परियोजना	निदेशक शलिवाहन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, सिकंदराबाद	कटघोंरा	4.890		4.892	प्रक्रियाधिन

योग				**423.614**	**151.565**	**313.713**	
2002-03	ऐश डिस्पोजल तथा कैप्टिव पावर संयंत्र	जिंदल स्टिल एण्ड पावर, रायगढ	रायगढ	4.269		4.269	प्रक्रियाधिन
	कवार्टजाईट खनन	मेसर्स आड़िसा सिमेलन्ट वक्स	रायगढ	9.800		10.000	प्रक्रियाधिन
2003-04	पतरापाली एवं खैरपुर छोटे बड़े झाड़ के जंगल मे इस्पात संयंत्र तथा ग्रीन बेल्ट	जिंदल स्टिल एण्ड पावर, रायगढ	रायगढ	3.268		3.267	प्रक्रियाधिन
2004-05	लौह अयस्क परियोजना, बरबसपुर	श्री जीवन लाल जैन	कांकेर	14.714		14.714	प्रक्रियाधिन
	एम.जी.आर- सिपत	एन.टी.पी सी	बिलासपुर	59.649		60.000	प्रक्रियाधिन
	जे पी एल खुली खदान खनन	जिंदल पावर, तमनार	रायगढ	48.208		48.208	प्रक्रियाधिन
	220 के व्ही. तरईमाल से पुंजीपथरा पारेषण लाईन	जिंदल स्टिल एण्ड पावर, रायगढ	रायगढ	1.560		1.560	प्रक्रियाधिन
	खरसीया शाखा नहर	कार्यपालन अभियंता, बांगो नहर संभाग 5, खरसीया	जंजीर-चांपा	8.530	10.000	4.000	प्रक्रियाधिन
2005-06	कोलईबाल एवं जामागांव ब्राड गेज रेल साईडिंग परियोजना	एस एस पी	रायगढ	2.023		2.023	प्रक्रियाधिन
2006-07	कोरण्डम उत्खनन	छ.ग्. खनिज विकास निगम	बिजापुर	1.955		3.700	प्रक्रियाधिन
	समनापुर जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कर्वधा	कवर्धा	36.000		36.000	प्रक्रियाधिन
	गंजीगंजा जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, छुईखदान	खैरागढ	14.080		14.080	प्रक्रियाधिन
2007-08	ग्राम बुधिया में कोल कन्वेयर लाईन	जिंदल स्टिल एण्ड पावर	रायगढ	1.076		1.076	प्रक्रियाधिन
	400 के व्ही तमनार कोटरा पारेषण लाईन	जिंदल पावर, तमनार	रायगढ	5.940		5.940	प्रक्रियाधिन
	220 के व्ही पुंजीपथरा से तमनार पारेषण लाईन	जिंदल स्टिल एण्ड पावर, रायगढ	रायगढ	2.334		2.340	प्रक्रियाधिन

2008-09	एजुकेशन कम्पलेक्स, नारायणपुर	स्वामी विवेकानांद आश्रम,	नारायणपुर	1.000		1.000	प्रक्रियाधिन
	सलका व्यपवर्तन परियोजना	जल संसाधन विभाग	बिलासपुर	11.994		12.000	प्रक्रियाधिन
	रेल्वे साइडिंग, भूपदेवपुर	विमला इंफ्रास्टचर	रायगढ़	0.405		0.425	प्रक्रियाधिन
	राबो से जे पी एल तमनार अंडरग्राउन्ड पाइप लाईन	जिंदल पावर, तमनार	रायगढ़	1.517		1.517	प्रक्रियाधिन
	220 के व्ही तमनार से रायगढ पारेषण लाईन	छ.ग.राज्य विधुत मंडल	रायगढ़	6.308		6.500	प्रक्रियाधिन
	कटंगडीह से भैयामुंडा 132 के व्ही पारेषण लाईन	महावीर एनर्जी	रायगढ़	3.321		3.321	प्रक्रियाधिन
	आ.व.729 में 132 के व्ही पारेषण लाईन	एस.एस.पी	रायगढ़	1.728		1.728	प्रक्रियाधिन
2009-10	हाहाल्दी खनन पट्टा	पुष्प स्टील	भानुप्रतापपुर (पूर्व)	66.000		63.855	प्रक्रियाधिन
	नालवा स्पंज आयरन	नालवा स्पंज आयरन	रायगढ़	0.098		0.196	प्रक्रियाधिन
	स्पंज आयरन	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	जांजगीर चांपा	39.250		41.799	प्रक्रियाधिन
2011-12	जल विधुत परियोजना	छ.ग.एनर्जी कंसोर्टियम	दंतेवाड़ा	19.705		19.705	प्रक्रियाधिन
	24.75 मेगावाट मांडर -1 लघु जल विधुत परियोजना	छ.ग.एनर्जी कंसोर्टियम	जगदलपुर	19.718		21.340	प्रक्रियाधिन
2012-13	पावर प्लांट हेतु रेल्वे लाईन	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	जांजगीर चांपा	0.809		0.809	प्रक्रियाधिन
	प्रधानपाठ बैराज	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, छुईखदान	खैरागढ़	24.660		24.660	प्रक्रियाधिन
योग				**409.919**	**10.000**	**410.032**	
महायोग				**833.5325**	**161.565**	**723.745**	

परिशिष्ट 8.4

(कंडिका क्र. 8.4.11.1 से संदर्भित)

स.क्र	वनमंडल का नाम	परियोजना का नाम	व्यपवर्तित वनभूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किये जाने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टेयर में)	प्रथम चरण स्वीकृति का दिनांक	अंतिम चरण स्वीकृति का दिनांक	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का प्रकार	वसूल की गई क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि (₹)	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपन राशि जमा करने का दिनांक	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपन राशि की मान्य दर (₹ प्रति हेक्टेयर में)	वसूलनीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि (₹)	क्षतिपूर्ति वक्षारोपण की राशि की कम वसूली (₹)
1	सुकमा	कन्ईगुड्म जलाशय	33.640	67.280	12-07-99	03-02-05	असिंचित	30,32,120	10-02-03	49,455	33,27,332	2,95,212
2	धमतरी	बेलोरा जलाशय	90.670	181.340	21-05-04	07-03-06	असिंचित	80,85,951	20-07-05	54,400	98,64,896	17,78,945
3	धमतरी	राजाडेरा जलाशय	194.076	388.152	13-06-05	05-11-07	असिंचित	2,09,42,353	24-03-07	59,841	2,32,27,404	2,28,5051
4	धमतरी	पनवई नाला जलाशय	32.990	38.874	09-01-07	10-12-07	असिंचित	23,07,133	31-10-07	65,825	25,58,881	2,51,748
5	कटघोरा	गेवरा खुली खदान खनन	100.898	201.796	20-07-06	05-05-08	असिंचित	98,97,892	14-07-07	65,825	1,32,83,222	33,85,330
6	कटघोरा	रेनकोटा जलाशय	31.910	64.000	20-07-06	31-07-07	असिंचित	31,39,136	16-11-06	59,841	38,29,824	6,90,688
7	कटघोरा	2x(250-300) ताप विधुत परियोजना	111.841	223.622	09-02-05	09-08-05	असिंचित	99,71,305	17-05-05	54,400	1,21,65,037	21,93,732
8	कटघोरा	चोटिया कोयला खदान	188.326	188.330	10-11-05	29-03-06	असिंचित	83,97,456	21-01-06	54,400	1,02,45,152	18,47,696
9	कोरबा	रजगामार खदान	2.320	4.640	24-01-02	20-03-03	सिंचित	6,06,100	12-12-02	1,43,688	6,66,712	60,612
10	कोरबा	राखड़ बांध	53.340	107.000	09-09-05	27-12-06	असिंचित	58,03,392	30-11-05	54,400	58,20,800	17,408
11	कोरबा	सुहेला, भठापारा	7.796	16.000	02-02-07	26-05-10	असिंचित	9,33,085	24-02-07	59,841	9,57,456	24,371
12	महासमुन्द	पारादीप -संबलपुर -रायपुर -रांची पेट्रोलियम लाईन	21.215	44.000	29-02-12	31-08-12	असिंचित (20 हेक्टेयर)	19,28,260	22-05-12	1,06,054	21,21,080	1,92,820
13	धरमजयगढ	ओपन कास्ट कोल माइनिंग दुर्गापुर -II तराईमार कोल ब्लाक	365.056	730.112	21-01-10	14-11-12	असिंचित	7,03,91,558	19-07-12	1,06,054	7,74,31,298	70,39,740

14	राजनांदगांव	प्रधानपाठ जलाशय	24.660	24.660	03-10-08	09-10-12	असिंचित	21,61,399	18-01-12	96,413	23,77,545	2,16,146
15	राजनांदगांव	राधोनावागांव जलाशय	23.580	47.160	23-05-08	14-01-09	असिंचित	31,04,260	23-07-08	72,435	34,16,035	3,11,775
16	राजनांदगांव	बोरिया टिब्बु लौह अयस्क खनन	110.000	220.000	21-11-08	25-03-09	असिंचित	1,75,29,380	03-06-10	87,648	1,92,82,560	17,53,180
17	राजनांदगांव	सुखा नाला जलाशय	30.920	61.840	23-05-08	23-03-09	असिंचित	40,70,556	18-11-08	72,435	44,79,380	4,08,824
18	दक्षिण सरगुजा	परसा ईस्ट एवं केते बासेन	1,898.328	3,797.000	06-07-11	15-03-12	सिंचित (900 हे..)	27,72,06,300	28-12-11	3,38,808	30,49,27,200	2,77,20,900
							असिंचित (2897हे.)	25,39,16,256		96,413	27,93,08,461	2,53,92,205
योग			**3,321.566**	**6,405.806**				**70,34,23,892**			**77,92,90,275**	**7,58,66,383**
19	रायपुर	बालमदेही व्यपवर्तन	9.550	19.100	13-10-05	26-10-06	असिंचित	8,51,669	31-08-06	59,841	11,42,963	2,91,294
20	जगदलपुर	धातु खनन, डिलीमिली	0.400	0.800	29-09-05	12-05-06	असिंचित	35,672	19-12-05	54,000	43,200	7,528
21	जगदलपुर	धातु खनन, ईरपा	1.400	2.400	29-09-05	22-03-06	असिंचित	1,24,852	19-12-05	54,400	1,30,560	5,708
22	जगदलपुर	धातु खनन, उड़ियापाल	0.600	1.200	29-09-05	12-05-06	असिंचित	53,508	19-12-05	54,400	65,280	11,772
23	नारायणपुर	छोटे डोंगार खनन, परियोजना	35.740	71.480	11-08-04	18-01-07	असिंचित	41,68,269	16-12-06	59,841	42,77,435	1,09,166
24	कोरिया	चर्चा से घुघरा पारेषण लाईन	10.340	20.680	09-04-02	31-01-03	असिंचित	7,68,391	28-08-02	40,872	8,45,233	76,842
25	कोरिया	11 के व्ही चर्चा से कठगोड़ी पारषेन लाईन	1.540	6.160	04-06-02	09-12-02	असिंचित	2,28,881	10-10-02	40,872	2,51,772	22,891
26	कोरिया	सालवा जलाशय	56.680	113.500	12-07-99	05-03-04	असिंचित	42,17,234	10-09-02	40,872	46,38,972	4,21,738
27	रायपुर पुर्व	पैरीघुमर जलाशय	69.190	138.380	14-02-05	29-11-05	असिंचित	61,70,364	17-05-05	54,400	75,27,872	13,57,508
28	रायपुर पुर्व	चिखलीपानी जलाशय	2.759	5.518	09-08-04	14-06-06	असिंचित	2,46,048	11-01-05	49,455	2,72,893	26,845
29	रायपुर पुर्व	कनेसर जलाशय	25.400	50.800	22-08-05	20-09-06	असिंचित	22,65,172	14-02-06	54,400	27,63,520	4,98,348
30	दुर्ग	132 के व्ही कांकेर गुरूर पारेषण लाईन	17.816	36.000	07-03-05	30-06-05	असिंचित	16,05,240	18-07-05	54,400	19,58,400	3,53,160

31	मरवाही	सेमराहा जलाशय	39.072	78.144	17-05-05	19-04-06	असिंचित	34,84,244	12-07-05	54,400	42,51,034	7,66,790
32	मरवाही	चनाडोंगरी जलाशय	19.900	40.000	23-03-06	19-06-06	असिंचित	20,67,100	25-03-06	54,400	21,76,000	1,08,900
33	मरवाही	छेरीछापर जलाशय	4.750	9.500	26-07-05	19-06-06	असिंचित	4,23,605	29-09-05	54,400	5,16,800	93,195
34	मरवाही	गंगपुर जलाशय	33.990	68.000	14-10-05	19-07-06	असिंचित	30,32,120	08-12-05	54,400	36,99,200	6,67,080
35	मरवाही	अंदुल जलाशय	22.388	45.000	22-11-07	31-01-08	असिंचित	26,70,660	22-12-07	65,825	29,62,125	2,91,465
36	मरवाही	बाड़ीखार जलाशय	4.905	10.000	20-02-07	13-08-07	असिंचित	5,39,530	22-03-07	59,841	5,98,410	58,880
37	मरवाही	जोराडोंगरी जलाशय	15.300	31.000	05-01-07	17-10-07	असिंचित	15,20,519	21-03-07	59,841	18,55,071	3,34,552
38	रायगढ़	केलो परियोजना	361.901	724.000	27-12-07	13-08-08	असिंचित	4,29,68,000	04-02-08	65,825	4,76,57,300	46,89,300
39	रायगढ़	क्वार्टजाईट खनन	9.800	10.000	13-02-02	08-01-03	असिंचित	2,91,305	02-05-05	54,400	5,44,000	2,52,695
40	रायगढ़	पतरापाली एवं खैरपुर में इस्पात संयंत्र तथा ग्रीन बेल्ट	3.268	3.267	26-02-03	23-09-03	सिंचित	4,26,752	20-12-05	1,91,248	6,24,807	1,98,055
41	रायगढ़	बारोद खुली खदान खनन	19.001	38.002	12-03-04	02-04-04	असिंचित	14,12,012	23-03-04	44,959	17,08,532	2,96,520
42	रायगढ़	जे पी एल खुली खादान खनन	48.208	48.208	10-12-03	06-09-04	सिंचित	69,06,250	29-05-04	1,73,862	83,81,539	14,75,289
43	रायगढ़	बारोद खुली खादान खनन	123.899	247.798	13-08-06	13-12-06	असिंचित	1,18,63,081	25-10-06	59,841	1,48,28,480	29,65,399
44	रायगढ़	220 के व्ही तराईमाल से पुंजीपथरा पारेषण लाईन	1.560	1.560	26-03-03	28-06-04	सिंचित	2,03,775	17-02-04	1,58,056	2,46,567	42,792
45	रायगढ़	1000 मेगावाट पावर परियोजना कुरकुट नदी, राबो बांध	177.542	356.000	06-12-04	08-08-05	असिंचित	1,32,27,625	08-02-05	49,455	1,76,05,980	43,78,355
46	रायगढ़	उरदना में सोलर लाईट	0.640	1.280	23-11-05	25-03-06	सिंचित	2,30,000	18-01-06	1,91,248	2,44,797	14,797
47	रायगढ़	400 के व्ही तमनार से कोटरा पारेषण लाईन	5.940	5.940	30-05-07	30-08-07	असिंचित	13,65,782	26-07-07	2,31,410	13,74,575	8,793

48	रायपुर पूर्व	बगनई जलाशय	25.000	50.000	12-05-98	28-11-03	असिंचित	29,92,100	07-09-07	65,825	32,91,250	2,99,150
49	कोण्डागांव(दक्षिण)	कोसरतेड़ा जलाशय	668.090	2,672.360	24-08-98	11-12-02	असिंचित	9,92,94,208	23-11-02	40,872	10,92,24,698	99,30,490
50	जांजगीर-चांपा	रेल्वे लाईन	0.809	0.809	17-01-11	28-06-12	असिंचित	64,461	15-04-11	96,413	77,998	13,537
51	रायगढ़	गाडे पालमा कोल ब्लाक खनन सब ब्लाक IV/8	224.220 (56.890 हे.खुली खादान हेतु)	113.780	27-02-09	01-01-13	असिंचित	99,72,589	16-12-11	1,06,054	1,20,66,824	20,94,235
52	रायगढ़	2x600 मेगावाट ताप विधुत संयंत्र	24.352	48.704	22-07-11	17-04-12	असिंचित	42,68,808	05-09-11	96,413	46,95,699	4,26,891
53	रायगढ़	24 मेगावाट पावर प्लांट	0.860	1.720	14-02-11	26-04-12	असिंचित	1,50,755	15-04-11	96,413	1,65,830	15,075
योग			**2,066.810**	**5,071.090**				**23,01,10,581**			**26,27,15,616**	**3,26,05,035**
महायोग			**5,388.376**	**11,476.900**				**93,35,34,473**			**1,04,20,05,891**	**10,84,71,418**

परिशिष्ट 8.5

(कंडिका क्र. 8.4.11.3 से संदर्भित)

स. क्र.	वनमंडल का नाम	परियोजना का नाम	व्यपवर्तित वनभूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	क्षतिपूति वृक्षारोपण किये जाने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टेयर में)	प्रथम चरण स्वीकृति का दिनांक	अंतिम चरण स्वीकृति का दिनांक	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का प्रकार जिसमें लिये राशि वसूल कि जानी है	वसूल की गई क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि (₹)	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि जमा करने का दिनांक	सिंचित क्षतिपूति वृक्षारोपण का मान्य दर (₹)	क्षतिपूर्ति वृक्षरारोपण की वसूलनीय राशि (₹)	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि की कम वसूली (₹)
1	कटघोरा	गेवरा खुली मैदान	100.898	201.796	20-07-06	05-05-08	असिंचित	98,97,892	14-07-07	2,31,410	4,66,97,612	3,67,99,720
2	कोरबा	सुहेला,भठापारा	7.796	16.000	02-02-07	26-05-10	असिंचित	9,33,085	24-02-07	2,31,410	37,02,560	27,69,475
3	महासमुन्द	पारादीप-संबलपुर-राँची पेट्रोलियम लाइन	21.215	44.000	29-02-12	31-08-12	असिंचित (20 हे.)	19,28,260	22-05-12	3,72,689	1,63,98,316	1,44,70,056
4	धरमजयगढ़	दुर्गापुर तराईमार कोल ब्लाक कोयला खनन	365.056	730.112	21-01-10	14-11-12	असिंचित	7,03,91,558	19-07-12	3,72,689	27,21,04,711	20,17,13,153
5	राजनांदगांव	प्रधानपाठ जलाशय	24.660	24.660	03-10-08	09-10-12	असिंचित	21,61,399	18-01-12	3,38,808	83,55,005	61,93,606
6	राजनांदगांव	राधोनावांगांव जलाशय	23.580	47.160	23-05-08	14-01-09	असिंचित	31,04,260	23-07-08	2,54,551	1,20,04,625	89,00,365
7	राजनांदगांव	बोरिया टिब्बू लौह अयस्क खनन	110.000	220.000	21-11-08	25-03-09	असिंचित	1,75,29,380	03-06-10	3,08,007	6,77,61,540	5,02,32,160
8	राजनांदगांव	सुखानाला जलाशय	30.920	61.840	23-05-08	23-03-09	असिंचित	40,70,556	18-11-08	2,54,551	1,57,41,434	1,16,70,878
योग			**684.125**	**1345.568**				**11,00,16,390**			**44,27,65,803**	**33,27,49,413**
9	मरवाही	कोटमीकला से मनेन्द्रगढ 132 के व्ही पारेषण लाईन	50.823	101.989	18-12-07	01-09-08	असिंचित	49,97,882	21-02-08	2,31,410	2,36,01,274	1,86,03,392
10	रायगढ़	केलो परियोजना	361.901	724.000	27-12-07	13-08-08	असिंचित	4,29,68,000	04-02-08	2,31,410	16,75,40,840	12,45,72,840
11	जांजगीर-चांपा	रेल्वे लाईन	0.809	0.809	17-01-11	28-06-12	असिंचित	64,461	15-04-11	3,38,808	2,74,095	2,09,634
12	रायगढ़	गाडे पालमा कोल ब्लाक खनन सब ब्लाक IV/8	224.220 (56.890 हे. खुली खदान हेतु)	113.780	27-02-09	01-01-13	असिंचित	99,72,589	16-12-11	3,38,808	3,85,49,574	2,85,76,985

13	रायगढ़	2x600 मेगावाट ताप विधुत संयंत्र	24.352	48.704	22-07-11	17-04-12	असिंचित	42,68,808	05-09-11	3,38,808	1,65,01,305	1,22,32,497
14	रायगढ़	24 मेगावाट पावर प्लांट	0.860	1.720	14-02-11	26-04-12	असिंचित	1,50,755	15-04-11	3,38,808	5,82,749	4,31,994
योग			**495.635**	**991.002**				**6,24,22,495**			**24,70,49,838**	**18,46,27,343**
महायोग			**1,179.760**	**2,336.570**				**17,24,38,885**			**68,98,15,641**	**51,73,76,756**

परिशिष्ट 8.6

(कंडिका क्र. 8.4.12.1 से संदर्भित)

स.क्र	परियोजना का नाम	वनमंडल का नाम	व्यपवर्तित वनभूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त होने का दिनांक	वसूल की गई शुद्ध प्रत्याशित मूल्य (₹)	शुद्ध प्रत्याशित मूल्य की राशि जमा करने का दिनांक	अंतिम चरण स्वीकृति प्राप्त होने का दिनांक	पारिस्थितकीय वर्ग	घनत्व प्रकार	वसूल की जाने वाली शुद्ध प्रत्याशित मूल्य की राशि(₹)	कम वसूली (₹)
1	24 मेगावाट जलविधुत परियोजना	सुकमा	4.725	20-11-08	29,60,000	07-12-09	18-08-10	I	सधन	44,36,775	14,76,775
2	चोटिया कोयला खदान II	कटघोरा	726.349	04-01-11	29,64,64,048	11-03-11	07-06-11	III	विरल	36,99,87,938	7,35,23,890
3	400 के. व्ही. कोरबा से बिरसिंगपुर पारेषण लाईन	कटघोरा	157.481	28-07-10	10,00,16,271	28-08-10	14-06-11	III	विरल	10,35,53,620	35,37,349
		मरवाही							सघन		
4	400 के. व्ही. सिपत महान पारेषण लाईन	कटघोरा	135.139	14-12-10	7,60,83,257	03-02-12	11-03-13	III	सघन	10,85,16,617	3,24,33,360
		उतर सरगुजा	130.939		7,37,18,657			III	सघन	10,51,44,017	3,14,25,360
		दक्षिण सरगुजा	77.640		4,37,11,320			I	सघन	7,29,03,960	2,91,92,640
		कोरिया	15.460		67,71,480			III	विरल	96,77,960	29,06,480
5	पारादीप-संबलपुर-रायपुर -राँची पेट्रोलियम लाईन	कोरबा	9.534		76,55,802			III	सघन	76,55,802	0
		रायपुर	1.731		11,37,267			III	सघन	13,89,993	2,52,726
		महासमुंद	9.950		65,37,150			III	सघन	79,89,850	14,52,700
6	परसा ईस्ट एवं केते बासेन	दक्षिण सरगुजा	1,898.328	06-07-11	1,62,00,75,726	03-10-11	15-03-12	I	अति	1,90,35,15,557	28,34,39,831

									सघन		
योग			**3,167.276**		**2,23,51,30,978**					**2,69,47,72,089**	**45,96,41,111**
7	24.75 मेगावाट जलविधुत परियोजना	दंतेवाड़ा	19.705	06-07-09	1,32,35,330	22-10-10	12-05-11	I	सघन	1,85,02,995	52,67,665
8	24.75 मेगावाट जलविधुत परियोजना	बस्तर	19.718	06-07-09	1,74,16,909	01-11-10	21-04-11	I	सघन	1,85,15,202	10,98,293
9	132 के व्ही कोण्डागांव से जगदलपुर पारेषण लाईन	कोण्डागांव दक्षिण	20.574	21-06-10	1,71,76,779	25-11-10	12-05-11	I	सघन	1,93,18,986	21,42,207
10	आरी डोंगरी खनन	भानुप्रतापपुर पूर्व	106.600	20-06-08	7,18,15,040	07-07-08	04-08-08	I	विरल	7,78,18,000	60,02,960
11	प्रधानपाठ जलाशय	खैरागढ	24.660	03-10-08	1,38,83,580	29-04-10	09-10-12	III	सघन	1,98,01,980	59,18,400
योग			**191.257**		**13,35,27,638**					**15,39,57,163**	**2,04,29,525**
महायोग			**3,358.533**		**2,36,86,58,616**					**2,84,87,29,252**	**48,00,70,636**

परिशिष्ट 8.7

(कंडिका क्र. 8.4.12.2 से संदर्भित)

स.क्र	परियोजना का नाम	उपयोगकर्त्ता संस्था	वनमंडल	व्यपवर्तित वनभूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने का दिनांक	जमा की गई शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि (₹)	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि जमा करने का दिनांक	अंतिम चरण स्वीकृति प्राप्त करने का दिनांक	पारिस्थितिकय वर्ग	वसूलनीय शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि(₹)	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की कम वसूली(₹)
1	राधोनवांगांव जलाशय	जल संसाधन विभाग राजनांदगांव	राजनांदगांव	23.580	23-05-08	1,98,07,200		14-01-09	ईको क्लास III	2,09,15,460	11,08,260
2	सुखा नाला बैराज			30.920	23-05-08	2,41,17,600		23-03-09	ईको क्लास III	2,48,28,760	7,11,160
3	ऐसडाईक	छ.ग. राज्य विधुत मंडल, कोरबा	कटघोरा	83.494	18-12-07	6,51,25,320	05-03-08	15-04-09	ईको क्लास III	6,70,45,682	19,20,362
4	ऐसडाईक	एन टी पी सी कोरबा		85.514	24-05-06	6,67,01,000	27-10-06	18-01-10	ईको क्लास III	6,86,67,742	19,66,742
योग				**223.508**		**17,57,51,120**				**18,14,57,644**	**57,06,524**

5	सेमराहा जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, मरवाही	मरवाही	39.072	17-05-05	3,04,76,160	12-07-05	19-04-06	ईको क्लास III	3,13,74,816	8,98,656
6	छेरीछापर जलाशय			4.750	26-07-05	37,05,000	29-09-05	19-06-06	ईको क्लास III	38,14,250	1,09,250
7	चनाडोंगरी जलाशय			19.900	23-03-06	1,55,22,000	25-03-06	19-06-06	ईको क्लास III	1,59,79,700	4,57,700
8	गंगपुर जलाशय			33.990	14-10-05	2,65,20,000	08-12-05	19-07-06	ईको क्लास III	2,72,93,970	7,73,970
9	बाड़ीखार जलाशय			4.905	20-02-07	38,25,900	22-03-07	13-08-07	ईको क्लास III	39,38,715	1,12,815
10	जोराडोंगरी जलाशय			15.300	05-01-07	1,19,34,000	21-03-07	17-10-07	ईको क्लास III	1,22,85,900	3,51,900
11	आंदुल जलाशय			22.388	22-11-07	1,74,62,640	22-12-07	31-01-08	ईको क्लास III	1,79,77,564	5,14,924
12	कनेसर जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग गरियाबंद	रायपुर पूर्व	25.400	22-08-05	2,13,36,000	अगस्त 2006	20-09-06	ईको क्लास III	2,25,29,800	11,93,800
13	बरौद विस्तार खनन	एस.ई.सी.एल.	रायगढ	123.899	23-08-06	9,03,96,420	25-10-06	13-12-06	ईको क्लास III	10,98,98,413	1,95,01,993
14	400 के व्ही तमनार से कोटरा पारेषण लाईन	जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड		5.940	30-05-07	43,10,000	26-07-07	30-08-07	ईको क्लास III	44,12,280	1,02,280
15	220 के व्ही पुंजीपथरा से तमनार पारेषण लाईन			2.340	07-02-08	19,65,000	29-06-08	14-03-08	ईको क्लास III	20,75,580	1,10,580
16	कलवर नागूर खनन	भिलाई इस्पात संयंत्र	भानुप्रतापपुर पूर्व	17.000	23-08-06	1,56,40,000	17-10-06	07-01-08	ईको क्लास I	1,77,31,000	20,91,000
17	रेल्वे लाईन	दक्षिण पूर्व मध्य रेल, बिलासपुर		259.540	09-09-05	23,82,16,000	03-08-07	07-12-11	ईको क्लास I	27,07,00,220	3,24,84,220
योग				**574.424**		**48,13,09,120**				**54,00,12,208**	**5,87,03,088**
महायोग				**797.932**		**65,70,60,240**				**72,14,69,852**	**6,44,09,612**

परिशिष्ट 8.8

(कंडिका क्र. 8.4.12.3 से संदर्भित)

स.क्र	परियोजना का नाम	उपयोगकर्त्ता संस्था	वनमंडल का नाम	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्ति का दिनांक		व्यपवर्तित वनभूमि का रकबा (हे.)	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य का दर (₹)	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि (₹)
				सैद्धान्तिक	अंतिम			
1	कनईगुन्डम जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, दंतेवाड़ा	सुकमा	12.07.99	03.02.05	33.640	9,20,000	3,09,48,800
2	दबेना जलाशय	कार्यपालन अभियंता,जल संसाधन विभाग, कांकेर	सुकमा	11.05.94	30.09.04	12.319	8,40,000	1,03,47,960
3	बगनई जलाशय	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग महासामुंद	महासामुंद	12.05.98	28.11.03	25.000	7,80,000	1,95,00,000
4	पासीद जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, महासमुन्द		02.05.94	17.12.03	61.643	8,03,000	4,94,99,329
5	ऐश डाईक (20 हे)	छ.ग. विधुत मंडल, बैंकुठपुर	कोरबा	05.04.00	27.04.04	20.000	6,20,000	1,24,00,000
	योग					**152.602**		**12,26,96,089**
6	सांवला जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, बैंकुठपुर	कोरिया	12.07.99	05.03.04	56.680	8,40,000	4,78,11,000
7	पुटा जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, मरवाही	मरवाही	15.01.03	29.07.04	23.074	7,80,000	1,79,97,720
8	अपरखुज्जी जलाशय			03.08.98	27.08.03	66.146	7,80,000	5,15,93,880
योग						**145.900**		**11,74,02,600**
महायोग						**298.502**		**24,00,98,689**

परिशिष्ट 8.9

(कंडिका क्र. 8.4.13.1 से संदर्भित)

परियोजना का नाम	उपयोगकर्त्ता संस्था का नाम	वनमंडल	व्यपवर्तित वनभूमि का रकबा (हे. में)	प्रथम चरण स्वीकृति प्रप्ति का दिनांक	अंतिम चरण स्वीकृति प्रप्ति का दिनांक	व्यक्तिगत निक्षेप (पि.डी) खाता में जमा कि गई राशि	व्यक्तिगत निक्षेप (पि.डी) खाता में जमा करने का दिनांक	एड-हाक कैम्पा में जमा की गई राशि (₹)	एड-हाक कैम्पा में जमा करने का दिनांक	अभियुक्तियाँ
रामनगर जलाशय	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, भयाम बरनई	उतर सरगुजा	10.52	02-06-08	प्रतिक्षित	3,24,226 6,07,004	07-03-06 27-08-08	9,31,230	27-01-10	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपन एवं शुद्ध प्रत्याशा की प्राप्त राशि में से ₹ 9.31 लाख राशि को कैम्पा मद कें तीन वर्ष से अधिक विलंब में प्रषित किया गया।
योग			**10.52**			**9,31,230**		**9,31,230**		
220 के व्ही पारेषण लाईन	छ.ग. राज्य विधुत मंडल	बिलासपुर	0.647	13-08-07	प्रतिक्षित	5,04,660	02-04-09	5,04,660	19-06-10	प्राप्त कि गई राशि को सिधे एड- हाक कैम्पा में जमा न कर व्यक्तिगत निक्षेप खाता में जमा किया गया तथा शेष राशि को 14 माह के बाद एड-हाक कैम्पा में प्रेषित किया गया।
भारत सागर	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग	बिलासपुर	25	03-08-98	15-10-01	22,15,560	29-04-08	22,15,560	19-06-10	प्राप्त कि गई राशि को सिधे एड- हाक कैम्पा में जमा न कर व्यक्तिगत निक्षेप खाता में जमा किया गया तथा शेष राशि को 22 माह के अंतराल के बाद एड-हाक कैम्पा में प्रेषित किया गया।
खरसीया शाखा नहर	कार्यपालन अभियंता बांगो, खरसिया	जांजगीर-चांपा	4.541	16-03-05	31-03-05	67,03,000	21-04-05	17,34,000	18-06-07	दिनांक 21.04.2005 को प्राप्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, शुद्ध प्रत्याशा मूल्य तथा दांडिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की कुल राशि ₹ 91.76 लाख में से शेष राशि ₹ 17.34 लाख को 26 माह के बाद ऐड-हाक कैम्पा में जमा किया गया।
योग			**30.188**			**94,23,220**		**44,54,220**		
महायोग			**40.708**			**1,03,54,450**		**53,85,450**		

परिशिष्ट 8.10

(कंडिका क्र. 8.4.18 से संदर्भित)

परिक्षेत्र स्तर से ऊपर अद्योसंरचना कार्यो के आबंटन एवं व्यय

(₹ लाख में)

स.क्र	भवन के प्रकार	संख्या	प्रस्तावित राशि	स्वीकृत राशि	व्यय
1	वनमंडलाधिकारी कार्यालय	3	60.00	60.00	54.54
2	वनमंडलाधिकारी निवास	15	303.75	303.75	186.86
3	छात्रावास	3	164.01	164.01	162.63
योग		**21**	**527.76**	**527.76**	**404.03**

परिक्षेत्र स्तर से ऊपर अद्योसंरचना कार्यो के आबंटन एवं व्यय

(₹ लाख में)

स.क्र	स्वीकृति क्र एवं दिनांक	जारी की गई राशि	कार्य का नाम	व्यय की गई राशि
1	36/ 09.05.11	149.94	इंटरप्रेजेंटेशन सेन्टर	43.66
2	95/ 02.08.11	25.00		
3	120/ 26.08.11	115.00	सर्वे बाउन्ड्रीवाल-जंगल सफारी	320.00
4	93/02.05.13	266.00		
5	11/ 16.01.12	195.66	चैन लिंक फेसिंग, बाउन्ड्रीवाल- लामनी पार्क	58.83
योग		**751.60**		**422.49**

परिशिष्ट 8.11

(कंडिका क्र. 8.7 से संदर्भित)

पुनरोत्पादन कार्य में संदेहास्पद व्यय

परिक्षेत्र	कूप/कक्ष	रकबा (हे.में)	वृक्ष		तना		राशि	
			चिन्हांकित	विदोहित	चिन्हांकित	विदोहित	आबंटित	व्यय
धौरपुर	आई डब्लू सी-VIII किरकिमा/ 2665	251.55	0	0	3,200	3,200	2,51,550	2,51,150
कुसमी	आई डब्लू सी-VIII कोठली / 2941	168.08	0	0	2,025	2,025	1,68,080	1,68,080
	आई डब्लू सी-VIII डिपाडीह/ 2691	227.93	0	0	3,652	3,652	2,27,930	2,27,867
	आई डब्लू सी-VIII रोहाडा/ 3070	177.98	0	0	6,885	6,885	1,77,980	1,77,802
	आई डब्लू सी-VIII बेलपानी / 3126	185.13	0	0	2,200	2,200	1,85,130	1,85,200
	आई डब्लू सी-VIII बरडीह/ 3160	196.20	0	0	3,427	3,427	1,96,200	1,96,200
रामानुजगंज	आई डब्लू सी-VIII केरता/ 3505	122.18	0	0	1,750	1,750	1,22,180	1,22,180
	आई डब्लू सी-VIII लुगना/ 3445	265.05	0	0	11,983	11,983	2,65,050	2,65,047
योग		**1,594.10**	**0**	**0**	**35,122**	**35,122**	**15,94,100**	**15,93,526**